# 31वीं वार्षिक रिपोर्ट
# 31th ANNUAL REPORT
# 2019-20

## नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
( भारत सरकार का उपक्रम )

## NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
(A Government of India Undertaking)

( आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित कंपनी )
(An ISO 9001:2015 Certified Company)

14वीं मंजिल, कोर 1 व 2, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, दिल्ली-110092
14th Floor, Core 1 & 2, SCOPE Minar, Laxmi Nagar District Centre, Delhi-110092
फोन/Phone : 011-22054392, 22054394, 22054396 फैक्स/Fax : 011-22054395
ई-मेल/E-mail : support-nsfdc@nic.in वेबसाइट/website : www.nsfdc.nic.in

# विषय–सूची


| क्रम सं. | विवरण | पृष्ठ सं. |
|---|---|---|
| 1 | नोटिस | 1 |
| 2 | कंपनी–सूचना | 2 |
| 3 | अध्यक्षीय संदेश | 3 |
| 4 | निदेशक मंडल की रिपोर्ट | 9 |
| 5 | तुलन–पत्र | 93 |
| 6 | आय और व्यय विवरण | 94 |
| 7 | नकद प्रवाह विवरण | 96 |
| 8 | सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट | 155 |
| 9 | सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंध समिति का उत्तर | 166 |
| 10 | भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां | 168 |
| 11 | पंजीकृत कार्यालय एवं संपर्क केंद्र | 169 |

CIN : U93000DL1989NPL034967

# नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

( भारत सरकार का उपक्रम )

## NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

(A Government of India Undertaking)

एनएसएफडीसी / सचि / 31वीं वाआबै / 275 / 28 दिसंबर, 2020

# नोटिस

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि **नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की 31वीं वार्षिक आम बैठक 30.12.2020 (बुधवार) को अपराह्न 2:30 बजे** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो–विज्युअल माध्यम (ओएवीएम) द्वारा निम्नलिखित कार्य संपन्न करने के लिए होगी। वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही को निगम के पंजीकृत कार्यालय स्कोप मीनार, 14वीं मंजिल, कोर 1 और 2, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, दिल्ली–110092 में आयोजित की जाएगी, जिसे वार्षिक आम बैठक का स्थल माना जाएगा।

**सामान्य कार्य**

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशकों की रिपोर्ट, और सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, प्रबंध समिति के उत्तर और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ कंपनी की लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणिका पर विचार करना, अपनाना और निम्नलिखित संकल्पों को संशोधन सहित अथवा बिना संशोधन (संशोधनों) के साधारण संकल्प के रूप में पास करना:

**''संकल्प किया जाता है कि** 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड रिपोर्ट, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, उस पर प्रबंध समिति के उत्तर और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ कंपनी की लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणिका को प्राप्त किया, विचार किया और अपनाया।''

**कृते निदेशक मंडल के आदेशानुसार**

**ह०**

**(अन्नु भोगल)**
**कंपनी सचिव**

**स्थान : दिल्ली**
**दिनांक: 28 दिसंबर 2020**

**टिप्पणी:**

बैठक में भाग लेने एवं वोट देने के लिए अधिकृत सदस्य को अपने स्थान पर किसी प्रतिनिधि को बैठक में भाग लेने के लिए एवं अपने स्थान पर परोक्षी नियुक्त करने का अधिकार है। परोक्षी को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। (परोक्षी फार्म संलग्न है)।

# कंपनी सूचना

**निदेशक मंडल**
(दिनांक 2019–20)
श्री के. नारायण
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
(दिनांक 01.09.2019 से)

श्री श्याम कपूर
पूर्व अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
(दिनांक 29.07.2016 से 30.08.2019 तक)

श्रीमती उपमा श्रीवास्तव
(दिनांक 21.09.2020 से)

श्री संजय पांडे
(दिनांक 18.07.2019 से)

श्री एस.एम. आवले
(दिनांक 04.06.2015 से)

श्री पीयूष श्रीवास्तव
(दिनांक 23.03.2018 से)

डॉ. के. रामलिंगम (स्वतंत्र निदेशक)
(दिनांक 20.03.2019 से)

श्री गुलाब सिंह
(दिनांक 26.08.2014 से 31.08.2019 तक)

सुश्री विशाखा शैलानी (स्वतंत्र निदेशक)
(दिनांक 17.04.2017 से 16.04.2020 तक)

श्री कैजांग छोफेल लामा
(दिनांक 17.04.2017 से 30.04.2020 तक)

श्री भास्कर पंत
(दिनांक 23.03.2018 से 15.05.2020 तक)

श्री लाचीराम भुक्या
(दिनांक 23.03.2018 से 19.08.2020 तक)

**सांविधिक लेखापरीक्षक**
मैसर्स वी. सहाय त्रिपाठी एंड कं., सनदी लेखाकार,
हंसालय, 15, बाराखंबा रोड,
कनॉट प्लेस
**नई दिल्ली–110 001**

**बैंकर्स**
सिंडिकेट बैंक, दिल्ली
केनरा बैंक, दिल्ली/मुंबई/बेंगलूरू
भारतीय स्टेंट बैंक, नई दिल्ली/कोलकाता
कॉर्पोरेशन बैंक, दिल्ली
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, दिल्ली
पंजाब नेशनल बैंक, दिल्ली
इंडियन ओवरसीज बैंक, दिल्ली
इलाहाबाद बैंक, दिल्ली
आईडीबीआई, दिल्ली
बैंक ऑफ बड़ौदा, दिल्ली
बैंक ऑफ इंडिया, दिल्ली
आंध्रा बैंक, दिल्ली
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, दिल्ली
पंजाब एंड सिंध बैंक, दिल्ली
कोटक महिंद्रा बैंक, दिल्ली

**पंजीकृत कार्यालय**
नेशनल शेड्यूल्ड कास्टस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
(भारत सरकार का उपक्रम)
14वीं मंजिल, स्कोप मीनार, कोर 1 व 2,
लक्ष्मी नगर जिला केंद्र,
लक्ष्मी नगर, दिल्ली – 110 092

**कंपनी सचिव**
सी.ए. अन्नु भोगल

# 30 सितंबर, 2020 को एनएसएफडीसी की 31वीं वार्षिक आम बैठक पर अध्यक्षीय संदेश

**प्रिय सदस्यगण,**

निदेशक मंडल की ओर से मैं निगम की 31वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं इस विशिष्ट अवसर पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

आप सभी सदस्यों को 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा–परीक्षित वार्षिक लेखे को पहले ही परिचालित कर दिया गया है और आपकी अनुमति से मैं इसे पढ़ा समझूंगा।

31 मार्च, 2020 को आपके निगम की प्राधिकृत अंश पूंजी ₹1500.00 करोड़ थी और प्रदत्त अंश पूंजी ₹1500.00 करोड़ थी।

## मुख्य उपलब्धियां

### प्रस्तावों की स्वीकृति

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों को ₹1147.68 करोड़ के प्रस्ताव स्वीकृत किए।

### निधियों का संवितरण

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने 83,970 लाभार्थियों को लाभांन्वित करने हेतु योजनाओं के कार्यान्वयनार्थ राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों को 85% के लक्ष्य। (समझौता–ज्ञापन के अंतर्गत 'उत्कृष्ट' लक्ष्य) की तुलना में ₹681.50 करोड़ अर्थात् वर्ष 2019–20 के दौरान उपलब्ध कुल निधियों का 84.20% संवितरित किया।

### कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने अनुसूचित जातियों के 19,445 व्यक्तियों को कुशल बनाने के लिए ₹36.01 करोड़ की अनुमानित लागत से कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वीकृत और कार्यान्वित किए हैं और 29 (उनतीस) भागीदार कौशल प्रशिक्षण संस्थानों/क्षेत्रीय कौशल परिषदों को ₹25.82 करोड़ संवितरित किए हैं। इसके अलावा, प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले 12,367 प्रशिक्षणार्थियों को स्वरोजगार/वैतनिक रोजगार उपलब्ध कराए गए थे।

### समझौता–ज्ञापन (एमओयू) (2019–20) लक्ष्य के समक्ष उपलब्धियां (2019–20)

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने "उत्कृष्ट" और 'बहुत अच्छा' श्रेणी के अंतर्गत समझौता–ज्ञापन के अधिकांश लक्ष्यों को प्राप्त किया है, क्योंकि वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान कोविड–19 महामारी के कारण

समझौता–ज्ञापन के कुछ मापदंडों के अंतर्गत उपलब्धि प्रभावित हुई थी। लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कुल भारित अंक 78.19 हैं, जो 'बहुत अच्छा' रेटिंग के अनुरूप हैं।

## विशेष पहलें

वर्ष 2019–20 के दौरान, आपके निगम ने अपनी गतिविधियों को और बढ़ाने तथा सुदृढ़ करने के लिए विशेष पहलें की हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

### (i) राज्यों में संयुक्त (कंपोजिट) जागरूकता शिविर

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने मंत्रालय और राष्ट्रीय निगमों की योजनाओं को क्षेत्रीय स्तर पर प्रचारित करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित 21 संयुक्त/जागरूकता शिविरों में भाग लिया। ये शिविर हरियाणा (यमुना नगर), दिल्ली (द्वारका, सीमापुरी, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुरी), पूर्वी सिक्किम, जम्मू व कश्मीर (कठुआ, मर्ह), उत्तराखंड (हरिद्वार), मध्य प्रदेश (उज्जैन), राजस्थान (जयपुर, सीकर, धौलपुर, पोकरण, जैसलमेर), उत्तर प्रदेश (बलिया, नोएडा) पश्चिम बंगाल (कोलकाता) और तेलंगाना (भूपलपल्ली) में आयोजित किए गए। ऐसे प्रत्येक शिविर में एनएसएफडीसी को अपनी योजनाओं को प्रचारित करने और आगंतुकों के बीच जन–जागरूकता उत्पन्न करने के लिए योजनाओं के पैम्फ्लेट बांटने के लिए स्टॉल उपलब्धं कराए गए। कुछ शिविरों में सफल लाभार्थियों को एनएसएफडीसी की योजनाओं के अंतर्गत ऋण लेने और व्यवसाय संबंधी क्रियाकलापों के बारे में अनुभवों को जनसमूह के बीच साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया।

### (ii) महिला लाभार्थियों का कवरेज

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 50,909 महिला लाभार्थियों को ₹288.26 करोड़ की रियायती वित्तीय सहायता प्रदान की है, जो कि वर्ष के कुल संवितरण का 42.30% है और वित्तीय एवं भौतिक दोनों संदर्भों में 40% के मानदंड के एवज में कुल कवरेज का 60.63% है।

### (iii) अनुसूचित जाति बुनकर क्लस्टर का विकास

वर्ष के दौरान, विकास आयुक्त (हथकरघा), नई दिल्ली ने धेमाजी जिले में 300 बुनकरों को शामिल करने के लिए ₹179.88 लाख और असम के धुबरी जिले में 566 बुनकरों को शामिल करने के लिए ₹178.38 लाख की मंजूरी दी।

वर्ष के दौरान अपनी पहुंच (आउटरीच) का विस्तार करने के लिए आपके निगम ने दो और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) मै. भारतीय ग्रामीण प्रबंधन संस्थान (आईआईआरएम), जयपुर (राजस्थान) और मै. जय दशमा हस्तकला औद्योगिक सहकारी मंडली लि., अहमदाबाद (गुजरात) के साथ समझौता–करार (एमओए) पर हस्ताक्षर किए हैं।

## (iv) अनुसूचित जाति शिल्पकार क्लस्टर का विकास

वर्ष के दौरान, एनएसएफडीसी ने ग्राम–पूंगल और उसके आसपास के क्षेत्रों, जिला बीकानेर, राजस्थान में 70 अनुसूचित जाति के शिल्पकारों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत ₹9.63 लाख वैतनिक मुआवजा जारी किया गया। इसके अलावा, गदरा रोड क्लस्टर, जिला बाड़मेर, राजस्थान में किए गए कार्यक्रमों के क्रम में संबंधित परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) को ₹31.38 लाख जारी किए गए थे। अपनी पहुंच (आउटरीच) का विस्तार करने के लिए, आपके निगम ने एक और पीआईए मै. भारतीय ग्रामीण प्रबंधन संस्थान (आईआईआरएम), जयपुर (राजस्थान) के साथ समझौता–करार (एमओए) पर हस्ताक्षर किए हैं।

## (v) लाभार्थियों के लिए की गई पहलें

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और एनबीएफसी–एमएफआई के लिए ऋण नीतियों में संशोधन किया। ऋण नीतियों में निम्नलिखित संशोधन किए गए:

(i) एनएसएफडीसी की योजनाओं के सुचारु कार्यान्वयन के लिए एनएसएफडीसी की शिक्षा ऋण नीति को एससीए से छात्र के व्यक्तिगत विवरणों के बजाए प्रायोजित सामूहिक प्रस्तावों को सार रूप में [कोर्स समाप्ति का माह और वर्ष, ₹1.50 लाख तक तथा ₹1.50 लाख से ₹3.00 लाख तक की वार्षिक पारिवारिक आय के अंतर्गत पुरुष/महिला छात्रों (ग्रामीण शहरी) की संख्या, वित्त का साधन, संवितरण की वार्षिक अनुसूची इत्यादि] में स्वीकार करने के प्रावधान के साथ संशोधित किया गया है संशोधित नीति दिनांक 01.04.2020 से कार्यान्वित की गई है।

(ii) एनबीएफसी–एमएफआई के माध्यम से कार्यान्वित आजीविका माइक्रोफाइनेंस योजना (एएमवाई) के अंतर्गत ब्यांज में 2% कमी।

(iii) न्यूनतम 100 लाभार्थियों को शामिल करते हुए क्लस्टर दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले एनबीएफसी–एमएफआई के मामले में ऋण की अधिकतम राशि नए चैनल भागीदारों के लिए प्रति एनबीएफसी–एमएफआई ₹2.00 करोड़ और न्यूनतम 3 वर्ष के लिए एनएसएफडीसी की निधियां प्राप्त करते आ रहे विद्यमान चैनल भागीदारों के लिए प्रति एनबीएफसी–एमएफआई ₹5.00 करोड़ होगी। वार्षिक आय मानदंड के अंतर्गत व्यक्तियों की पहचान प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया था।

## (vi) कोविड–19 महामारी के दौरान एनएसएफडीसी के कार्यकलाप

दिनांक 11 मार्च, 2020 को विश्व स्वास्थ्य। संगठन ने नावेल कोरोना वायरस (कोविड–19) को महामारी के रूप में घोषित किया। गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने आदेश संख्या 40–3/2020 दिनांक 24 मार्च 2020 के माध्यम से राष्ट्रीय लॉकडाउन घोषित किया। इस प्रकोप से मानव जीवन की जो क्षति हुई है इसके अलावा इसने सामाजिक, आर्थिक एवं वित्तीय स्वरूप को भी बाधित किया है जिसकी वजह से वैश्विक एवं स्थानीय आर्थिक गतिविधियों में काफी कमी आ गई है।

तथापि, निगम के प्रचालन बाधित नहीं हुए हैं। निगम ने कारोबार के परिवेश में परिवर्तन के अनुसार अपने आपको ढाला है और आरबीआई के परिपत्र दिनांक 23.05.2020 के अनुसार पुनर्भुगतान अनुसूची के साथ दिनांक 30.09.2020 तक विलंबन अवधि बढ़ाने की अनुमति प्रदान की है। एनएसएफडीसी ने हर समय वंचितों की सहायता करने के अपने लोकाचार के अनुरूप नियमित एवं निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कार्यक्रमों के स्तर में वृद्धि की है। उनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

(i) एनएसएफडीसी ने विभिन्न् राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 10464 लाभार्थियों को रियायती वित्त पोषण प्रदान करने में सहायता करने के लिए लॉकडाउन के बाद मार्च के आखिरी सप्ताह में ₹84.54 करोड़ का संवितरण किया। इसके अलावा, निगम द्वारा प्रायोजित विभिन्न कौशल प्रशिक्षण विकास कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षण संस्थानों को 1980 प्रशिक्षुओं के लिए ₹1.53 करोड़ की राशि निर्मुक्त की गई।

(ii) एनएसएफडीसी ने अपनी सीएसआर पहल के अंतर्गत पीएम केयर्स फंड में ₹20.00 लाख रुपए का योगदान किया इसके अलावा, बतौर व्यक्तिगत सामाजिक उत्तरदायित्व एनएसएफडीसी के कर्मियों ने कल्याण कार्य हेतु अपने वेतन में से 'आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष' (पीएम केयर्स फंड) में ₹4.02 लाख की राशि का अंशदान दिया तथा वंचित वर्गों को कोविड–19 के कार्यक्रमों एवं करोना वायरस को नियंत्रित करने के उपायों पर अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एनबीसीएफडीसी को ₹8.70 लाख का अंशदान दिया।

### (vii) अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन

आयुष मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में, एनएसएफडीसी ने दिनांक 21 जून, 2019 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इस अवसर पर, आपके निगम के कार्मिकों के लिए 'योग–प्रशिक्षण सत्र' आयोजित करने के लिए योग प्रशिक्षक को आमंत्रित किया गया।

### (viii) एमएसई के लिए सार्वजनिक प्रापण (Procurement) नीति

वर्ष 2019–20 के दौरान, आपके निगम ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक प्रापण (Procurement) नीति के अनुपालन में अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त किया है।

### (ix) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली का सुदृढ़ीकरण

आपका निगम विभिन्न रिपोर्टों के सृजन के लिए आंतरिक रूप से तैयार किए गए मॉड्यूल में परियोजना संबंधी आंकड़ों के लिए डाटाबेस अनुरक्षित कर रहा है। विभिन्न वायरसों, स्पांईवेयर, एडवेयर और अन्य दोषपूर्ण प्रोग्रामों के प्रति आंकड़ों, हार्डवेयर और नेटवर्किंग के व्यापक संरक्षण के लिए आपके निगम ने एंटी वायरस सॉफ्टवेयर संस्थापित किया है, जिसे आवधिक रूप से अपडेट किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण के सुदृढ़ीकरण हेतु रिपोर्ट वर्ष के दौरान, पीसी, लैपटॉप, सहायक उपकरण और बाह्य उपकरणों का प्रापण किया गया। इसके अलावा, आईटी प्रणाली सुदृढ़ीकरण हेतु निम्नांकित पहलें की गई:

- आपके निगम ने एक नई गतिशील, दिव्यांग अनुकूल, द्विभाषी वेबसाइट प्रारंभ की और अनुरक्षित कर रहा है जो भारत सरकार के वेबसाइट दिशानिर्देशों (जीआईजीडब्यू) के अनुपालन में एक

वेब आधारित कौशल प्रशिक्षण अनुप्रयोग है जो एनआईसी क्लाउड सर्वर में होस्ट किया जा रहा है।

- नया वेब–आधारित एनएसएफडीसी का ऋण लेखांकन सॉफ्टवेयर विकसित कर दिया गया है और वर्तमान में समानांतर चल रहा है।
- एनएसएफडीसी की विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत शामिल किए गए लाभार्थियों के डिजिटल संग्रह को बनाए रखने के लिए एक वेब–आधारित लाभार्थी ट्रैकिंग प्रणाली (बीटीएस) को विकसित और कार्यान्वित किया गया है।
- एनएसएफडीसी प्रायोजित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों को क्षेत्रीय कौशल परिषदों के माध्यम से कार्यान्वित करने के लिए गैर–सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों के पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित और होस्ट किया गया है।
- कार्यालय इन्वेंट्री से संबंधित मुद्दों और प्राप्तियों के रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए इन–हाउस इन्वेंटरी मैनेजमेंट मॉड्यूल विकसित और कार्यान्वित किया गया है।

## (x) कार्पोरेट गर्वनेंस

कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 एवं लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्धारित निगमित शासन के उच्च मानकों को बनाए रखने और निगमित शासन के अनुपालन हेतु प्रतिबद्ध है।

## (xi) कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व और सतत विकास नीति (सीएसआर और एसडी) बनाई और बोर्ड को संस्तुति के लिए प्रस्तुत की गई है। कंपनी के कार्यकलापों को दर्शाने वाली कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व और सतत विकास नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, ₹98.50 लाख (जो कि पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए निवल लाभ का 2% है) के बजटीय आवंटन में से, वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर ₹97.57 लाख खर्च किए।

इसी प्रकार, आरंभिक वर्षों में सीएसआर गतिविधियों की शुरुआत में शिथिलता के कारण, अनुसूची '8' कंपनियों के संबंध में डीपीई के स्पष्टीकरण को लंबित करते हुए, वर्ष के अंत में कुल बकाया राशि ₹104.28 लाख थी। हालांकि, सिस्टम को सुदृढ़ करने और कोविड–19 महामारी के प्रभावों को देखते हुए, निगम को वर्ष 2020–21 में अपने सीएसआर कार्यक्रमों और व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है।

## (xii) संसाधन संपर्क कार्यक्रम

निगम ने टाटा स्ट्राइव, टेक महिंद्रा फाउंडेशन, अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन, डालमिया भारत फाउंडेशन और हिंदुस्तान लेटेक्स फैमिली प्लानिंग प्रमोशन ट्रस्ट जैसे निगमित फाउंडेशनों के साथ कौशल

प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने हेतु लागत बांटने के लिए कॉरपोरेट फाउंडेशन के साथ भागीदारी की है। वर्ष के दौरान, संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों को ₹121.10 लाख निर्मुक्त किए थे।

## भावी कदम

आपका निगम, कोविड–19 महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने, आर्थिक वृद्धि को तीव्रता प्रदान करने और आय बढ़ाने के लिए लक्ष्य समूह के सहायतार्थ नवीन दृष्टिकोणों को अपनाएगा। सहायता का केंद्र बिंदु आर्थिक कार्यों, व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा तथा रोज़गार प्रदान करने वाले कौशल विकास में बना रहेगा। भौगोलिक दृष्टि से लक्ष्य समूह की बहुलता वाले क्षेत्रों पर विशेषतः देश के पिछड़े जिलों की प्रधानता होगी। आपका निगम, अनुसूचित जाति के मध्य उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बहु–उद्देशीय कार्यनीति अपनाने के लिए विद्यमान सहयोगी संबंधों को बनाए रखते हुए, चैनलाइजिंग एजेंसियों और अन्य विकास भागीदारों को नया भागीदार बनाएगा।

साथ ही, निगम अपनी पहुंच को और अधिक राज्यों में बढ़ाने हेतु आशान्वित है। इस संदर्भ में, अजा स्व–सहायता समूह और एकल लाभार्थियों हेतु एक नई ब्याज सहायता योजना (इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम) भी आरंभ की जा रही है जो ब्याज में लाभार्थियों को सीधे सहायक होगी।

## आभारोक्ति

कंपनी के निदशेक मंडल की ओर से, मैं आपकी सतत् सहायता और बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की पर्याप्त सहायता और सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, लोक उद्यम विभाग, राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों का भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं, विभिन्न राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों, चैनलाइजिंग एजेंसियों जिसमें विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी–माइक्रो फाइनेंस संस्थान आदि शामिल हैं, से प्राप्त सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं।

मैं, प्रशिक्षण संस्थानों को, जिनके कारण लक्ष्य समूह के लिए रोज़गार के अवसर प्राप्त हुए हैं, उनके सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

मैं, अपने निगम के सभी कर्मचारियों के निष्ठापूर्वक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त करता हूं जिसकी वजह से हम उच्च लक्ष्य प्राप्त कर सके। मैं इस यात्रा में सभी स्टेकहोल्डरों के सतत् सहयोग की आशा करता हूं।

**(के. नारायण)**

**अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक**

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 28 दिसंबर, 2020

# निदेशक मंडल की रिपोर्ट (2019–20)

आपके निगम की 31वीं वार्षिक आम बैठक में, मैं आपका स्वागत करता हूँ। वार्षिक आम बैठकें, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षकों की अभ्युक्तियों के साथ आपके निगम की प्रगति पर चर्चा करने के लिए अवसर है।

## 1. निगम की रूपरेखा

आपका निगम, नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के रूप में भारत सरकार द्वारा दि॰ 08 फरवरी, 1989 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा–25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन धारा–8 के अंतर्गत 'लाभ–निरपेक्ष कंपनी' के रूप में स्थापित किया गया था। इसने दि॰ 09.04.2001 तक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति दोनों लक्ष्य समूहों की आवश्यकताओं को पूरा किया है। निगम का, दि॰ 10.04.2001 को, जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति लक्ष्य समूह के लिए नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सृजन के कारण द्विभाजन हुआ। इस द्विभाजन के परिणामस्वरूप, आपका निगम अब पूर्णतः अनुसूचित जाति के लक्ष्य समूह की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

## 1.1 दृष्टि

पात्र अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के सामाजिक–आर्थिक विकास के माध्यम से व्यवस्थित प्रकार से गरीबी को कम करने के लिए चैनलाइजिंग एजेंसियों और अन्य विकास भागीदारों के साथ प्रभावी, उत्तरदायी और सहयोगात्मक तरीके से प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना।

## 1.2 लक्ष्य

वित्तीय सहायता के प्रवाह में सुधार और कौशल विकास एवं अन्य नवीन पहलों के माध्यम से अनुसूचित जातियों की समृद्धि को बढ़ावा देना।

## 1.3 उद्देश्य

आपके निगम के संस्था के ज्ञापन–पत्र (मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन) में, प्राप्त किए जाने वाले निम्नलिखित मुख्य उद्देश्यों की सूची दी गई है:

(i) अनुसूचित जाति की आबादी के लिए ट्रेडों और अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलापों की पहचान करना।

(ii) अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के कौशल और उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रियाओं को उन्नत बनाना।

(iii) छोटे, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना।

(iv) अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के उत्थान और आर्थिक कल्याण के लिए विशेष कार्यक्रमों को वित्तपोषित करना।

(v) अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के आर्थिक कल्याण के लिए उनके वित्तीय सहायता के प्रवाह में सुधार करना।

(vi) लक्ष्य समूह को अपनी परियोजना स्थापित करने के लिए परियोजना तैयार करने, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता के लिए सहयोग प्रदान करना।

(vii) भारत और विदेश में पूर्णकालिक व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति के पात्र छात्रों को ऋण प्रदान करना।

(viii) पात्र युवाओं को भारत में वोकेशनल (व्यावसायिक) शिक्षा और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अध्ययन करने के बाद कौशल और नियोजनीयता में वृद्धि करने के लिए ऋण प्रदान करना।

उक्त उद्देश्य के अनुसरण में आपका निगम राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की चैनलाइजिंग एजेंसियों और अन्य चैनल भागीदारों के माध्यम से अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता देने और विभिन्न ऋणेत्तर योजनाओं के अंतर्गत सहायता उपलब्ध करा रहा है।

## 1.4 प्राधिकृत और प्रदत्त अंश पूँजी

वर्ष के दौरान, आपके निगम की प्राधिकृत अंश पूंजी ₹1500.00 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के आरंभ में प्रदत्त अंश पूंजी ₹1485.40 करोड़ थी। भारत सरकार ने वर्ष के दौरान, एनएसएफडीसी को ₹14.60 करोड़ की इक्विटी सहायता जारी की। वित्तीय वर्ष के अंत में संचयी प्रदत्त पूंजी ₹1500.00 करोड़ के स्तर पर पहुंच गई थी।

## 1.5 संगठन की संरचना

आपके निगम के कार्यालयाध्यक्ष अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक हैं, जिन्हें मुख्य महाप्रबंधक, दो महाप्रबंधक तथा वरिष्ठ कार्यपालकों की टीम द्वारा सहायता मिलती है। आपके निगम में 80 कर्मचारी हैं। परियोजना, वित्त, मानव संसाधन, प्रशासन विभाग के अलावा, निगमित सेवाएं, आंतरिक लेखापरीक्षा, समन्वय, सतर्कता, विधि, एमआईएस, कौशल प्रशिक्षण, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व, आरटीआई, आईएसओ, रिकार्ड प्रबंधन और राजभाषा कक्ष हैं। राज्यों में एनएसएफडीसी की योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग सुनिश्चित करने की दृष्टि से विशिष्ट राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक की अध्यक्षता में परियोजना डेस्क भी हैं। उपर्युक्त के अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रमीण बैंकों, सहकारी बैंकों, सहकारी सोसायटियाँ अन्य संस्थाओं और अंतिम वित्त प्रदाताओं अर्थात् गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी—सूक्ष्म वित्तपोषण संस्थाओं (एनबीएफसी–एमएफआई) के माध्यम से पूरे भारत में एनएसएफडीसी की योजनाओं के अंतर्गत पहुंच बढ़ाने की दृष्टि से एक बैंकिंग प्रभाग है, जिसके प्रमुख महाप्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक हैं। परियोजना विभाग और बैंकिंग प्रभाग के इन दो डेस्कों के अलावा एक कौशल प्रशिक्षण कक्ष है, जिसे अनन्य रूप से लक्ष्य समूह के कौशल विकास से संबंधित कार्य सौंपे गए हैं।

संगठन का चार्ट **अनुलग्नक–I** पर दर्शाया गया है।

## 1.6 संपर्क केंद्र

आपके निगम के तीन संपर्क केंद्र हैं, जो संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों और अन्य चैनल पार्टनरों से संपर्क रखते हैं और संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्रों में कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करते हैं। संपर्क केंद्रों के स्थल और उनके क्षेत्राधिकार नीचे दिए जा रहे हैं:

| क्रम सं. | संपर्क केंद्र | क्षेत्राधिकार |
|---|---|---|
| (i) | बैंगलूरू | तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पुद्दुचेरी |
| (ii) | मुंबई | महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, गोवा, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली |
| (iii) | कोलकाता | ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम |

मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे उत्तरी राज्यों और दिल्ली व चंडीगढ़ संघ शासित प्रदेशों को सीधे प्रधान कार्यालय द्वारा देखा जा रहा है।

## 1.7 चैनल वित्त प्रणाली

(i) आपका निगम संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा नामित पूरे देश के 37 राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की चैनलाइजिंग एजेंसियों के नेटवर्क के माध्यम से लक्ष्य समूह को विभिन्न ऋण और ऋणेत्तर सुविधाएं देता है, जिन्हें संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासन द्वारा नामित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, आपके निगम ने योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, गैर–बैंकिंग वित्त कंपनियों – सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी–एमएफआई) और अन्य संस्थाओं को वैकल्पिक चैनल के रूप में स्थापित किया है। वर्तमान में 31.03.2020 को आपके निगम के पास 55 (***पीएसबी और आरआरबी के एकीकरण के बाद***) वैकल्पिक चैनलाइजिंग एजेंसियां हैं।

(ii) राज्य/संघ शासित क्षेत्र–वार राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों की सूची **अनुलग्नक–II (क) और (ख)** पर दी गई है।

(iii) स्थानीय जरूरतों, पात्र आवेदकों की पहचान और लाभार्थियों के चयन, ऋणी के साथ प्रलेखन, योजनाओं का कार्यान्वयन तथा लाभार्थियों से ऋण की वसूली पर आधारित परियोजना प्रस्तावों की तैयारी एवं प्रायोजन, राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र में है।

## 1.8 निधियों का नोशनल आबंटन

आपका निगम, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में, संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र की अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को निधियाँ नोशनल रूप से आबंटित करता है।

## 1.9 निधियों के संवितरण के लिए मानक (नॉर्म्स)

### 1.9.1 राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के मानक

राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को निधियों की निर्मुक्ति करने से पहले, निम्नलिखित मानकों पर विचार किया जाता है:

❖ **गारंटी:**

राज्य सरकार की गारंटी/बैंक गारंटी/राज्य सरकार के आदेशों/राज्य सरकार के आश्वासनों की पर्याप्त उपलब्धता।

❖ **उपयोगिता स्तर:**

फरवरी माह के अंत तक, संवितरण के लिए पूर्ववर्ती माह के अंत तक पहले से संवितरित निधियों का कम से कम 80% संचयी उपयोग स्तर होना चाहिए। इसके अलावा, मार्च माह में निधियों के संवितरण के लिए पूर्ववर्ती दिन के अंत में संचयी निधियों का उपयोग स्तर 80% होना चाहिए।

❖ **देयों की चुकौती:**

एक वर्ष से अधिक कोई अतिदेय राशि नहीं होनी चाहिए।

उक्त मानदंडों का ऋण योजनाओं में संवितरण के मामले में पालन किया जाता है। जहां तक दिनांक 01.12.2009 से आरंभ शिक्षा ऋण योजना का संबंध है, राज्य सरकार गारंटी की उपलब्धता और एक वर्ष से अधिक पुराना अतिदेय का न होना, शिक्षा ऋण की मंजूरी के समय सुनिश्चित किया जाता है।

### 1.9.2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी)/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) के लिए मानक

एनएसएफडीसी की ऋण नीति के अनुसार, पीएसबी और आरआरबी (चैनलाइजिंग एजेंसियों) को एनएसएफडीसी से निधियों के संवितरण हेतु पात्र बनने के लिए कुछ मानक पूरे करने होते हैं। ये मानक नीचे दिए गए हैं:

- संवितरण के समय एनएसएफडीसी को भुगतान योग्य कोई अतिदेय राशियाँ नहीं होनी चाहिए।
- परियोजना आधारित योजनाओं के अंतर्गत फरवरी माह के अंत तक, संवितरण के लिए पूर्ववर्ती माह के अंत तक पहले से संवितरित निधियों का कम से कम 80% संचयी उपयोग स्तर होना चाहिए। इसके अलावा, मार्च माह में निधियों के संवितरण के लिए पूर्ववर्ती दिन के अंत में संचयी निधियों का उपयोग स्तर 80% होना चाहिए।

उपर्युक्त के अलावा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अपने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखों के आधार पर निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

(क) गैर–निष्पादन परिसंपत्तियां (एनपीए) 10% से कम होनी चाहिए अथवा पिछले 05 वित्तीय वर्षों के लिए औसत निवल एनपीए 10% से कम होनी चाहिए। इसके अलावा, निवल एनपीए, इन 05 वर्षों में से कम से कम पिछले 03 वर्षों के लिए हर वर्ष 10% से कम होनी चाहिए।

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष में लाभ होना चाहिए या पिछले 05 वर्षों में से कम से कम किन्हीं 03 वर्षों में लाभ होना चाहिए।

(ग) किसी विनियामक निकाय का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।

### 1.9.3 अन्य संगठनों के लिए मानक

सार्वजनिक क्षेत्र बैंक (पीएसबी) द्वारा जारी एनएसएफडीसी के पक्ष में एनएसएफडीसी के लिए सावधि जमा/बैंक गारंटी/उत्तर दिनांकित बहु–शहरीय (मल्टीसिटी पोस्ट डेटेड) चेक।

### 1.9.4 एनबीएफसी–एमएफआई के लिए मानक

एनएसएफडीसी की ऋण नीति के अनुसार एनबीएफसी–एमएफआई (चैनलाइजिंग एजेंसियों) को एनएसएफडीसी से निधियों के संवितरण हेतु पात्र बनने के लिए कुछ मानक पूरे करने होते हैं। ये मानक नीचे दिए गए हैं:

- ☐ पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंत में एक वर्ष से अधिक के लिए एनएसएफडीसी निधियों का उपयोग लंबित नहीं होना चाहिए।
- ☐ परियोजना आधारित योजनाओं के अंतर्गत फरवरी माह के अंत तक, संवितरण के लिए पूर्ववर्ती माह के अंत तक पहले से संवितरित निधियों का कम से कम 80% संचयी उपयोग स्तर होना चाहिए। इसके अलावा, मार्च माह में निधियों के संवितरण के लिए पूर्ववर्ती दिन के अंत में संचयी निधियों का उपयोग स्तर 80% होना चाहिए।
- ☐ संवितरण के समय एनएसएफडीसी को अतिदेय राशि भुगतान योग्य नहीं होनी चाहिए।
- ☐ एनबीएफसी–एमएफआई को संवितरण प्रतिभूति की शर्त के अधीन होगाः–
  - क्लस्टर मोड के अंतर्गत, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) से गारंटी संवितरित की जाने वाली धनराशि के समतुल्य या उत्तर दिनांकित चेकों (पीडीसी) के रूप में 50% और पीएसबी से 50% सावधि जमा के रूप में हो। संवितरित की जाने वाली धनराशि के 50% के समतुल्य एक अदिनांकित पीडीसी हो।
  - गैर–क्लस्टर मोड के अंतर्गत, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से संवितरित की जाने वाली धनराशि के समतुल्य गारंटी/सावधि जमा या 50% तक संबंधित संपत्ति मालिक (मालिकों) की व्यक्तिगत/कॉरपोरेट गारंटी के साथ–साथ आवासीय/वाणिज्यिक संपत्ति के बंधक के रूप में और बाकी पीएसबी से गारंटी/सावधि जमा के रूप में होनी चाहिए।

### 1.9.5 सहकारी बैंकों के लिए मानक

एनएसएफडीसी की ऋण नीति के अनुसार सहकारी बैकों (चैनलाइजिंग एजेंसियों) को एनएसएफडीसी से निधियों के संवितरण हेतु पात्र बनने के लिए कुछ मानक पूरे करने होते हैं। ये मानक नीचे दिए गए हैं:

- संवितरण के समय एनएसएफडीसी को अदायगी योग्य कोई अतिदेय नहीं होना चाहिए।

- परियोजना आधारित योजनाओं के अंतर्गत फरवरी माह के अंत तक, संवितरण के लिए पूर्ववर्ती माह के अंत तक पहले से संवितरित निधियों का कम से कम 80% संचयी उपयोग स्तर होना चाहिए। इसके अलावा, मार्च माह में निधियों के संवितरण के लिए पूर्ववर्ती दिन के अंत में संचयी निधियों का उपयोग स्तर 80% होना चाहिए।

उपर्युक्त के अलावा, सहकारी बैंकों द्वारा अपने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखों के आधार पर निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगाः

➢ चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) की पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की निवल गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) 5% से कम होनी चाहिए।

अथवा

पिछले 05 वित्तीय वर्षों की औसत निवल गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) 5% से कम होनी चाहिए। इसके अलावा, चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) का निवल एनपीए, इन 05 वर्षों में से, कम से कम 03 वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष 5% से कम होनी चाहिए।

➢ चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) का पिछले तीन वर्षों में लगातार लाभ होने का ट्रैक रिकार्ड होना चाहिए।

अथवा

चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) को पिछले 05 वित्तीय वर्षों में से कम से कम किसी भी 03 वित्तीय वर्षों में लाभ में होना चाहिए।

➢ चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) को किसी भी विनियामक निकाय का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।

➢ सहकारी बैंक के संबंध में वित्त पोषण संगठन की संतोषजनक साख राय (क्रेडिट ओपिनियन) रिपोर्ट।

### 1.9.6 सहकारी समितियों के लिए मानक

एनएसएफडीसी की ऋण नीति के अनुसार सहकारी समितियों (चैनलाइजिंग एजेंसियों) को एनएसएफडीसी से निधियों के संवितरण हेतु पात्र बनने के लिए कुछ मानक पूरे करने होते हैं। ये मानक नीचे दिए गए हैं:

- पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंत में एक वर्ष से अधिक के लिए एनएसएफडीसी निधियों का उपयोग लंबित नहीं होना चाहिए।

- परियोजना आधारित योजनाओं के अंतर्गत फरवरी माह के अंत तक, संवितरण के लिए पूर्ववर्ती माह के अंत तक पहले से संवितरित निधियों का कम से कम 80% संचयी उपयोग स्तर होना चाहिए। इसके अलावा, मार्च माह में निधियों के संवितरण के लिए पूर्ववर्ती दिन के अंत में संचयी निधियों का उपयोग स्तर 80% होना चाहिए।

उपर्युक्त के अलावा, सहकारी समितियों द्वारा अपने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखों के आधार पर निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगाः

- सहकारी समिति की शेयर पूंजी में केंद्र/राज्य सरकार को हित धारक होना चाहिए।
- केंद्र/राज्य सरकार को सहकारी समिति के निदेशक मंडल/शासकीय निकाय में सदस्यों को नामित करना चाहिए।
- चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) की पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की निवल गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) 5% से कम होनी चाहिए।

अथवा

पिछले 05 वित्तीय वर्षों की औसत निवल गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) 5% से कम होनी चाहिए। इसके अलावा, चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) की निवल गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) इन 05 वर्षों में से, कम से कम 03 वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष 5% से कम होनी चाहिए।

- चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) का पिछले तीन वर्षों में लगातार लाभ होने का ट्रैक रिकार्ड होना चाहिए।

अथवा

- चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) को पिछले 05 वित्तीय वर्षों में से कम से कम किसी भी 03 वित्तीय वर्षों में लाभ में होना चाहिए।
- चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) की क्रिसिल (CRISIL) के 'ए' के समकक्ष पर्याप्त सुरक्षा के साख की रेटिंग होनी चाहिए।
- चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) को किसी भी विनियामक निकाय का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।
- चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) को पिछले तीन वर्षों में किसी बाह्य ऋण के पुनर्भुगतान का चूककर्ता या किसी कॉर्पोरेट ऋण को पुनर्गठन नहीं करना चाहिए।
- सहकारी समिति के संबंध में वित्त पोषण संगठन की संतोषजनक साख राय (क्रेडिट ओपिनियन) रिपोर्ट होनी चाहिए।

## 1.10 आवेदकों का पात्रता मानदंड

एनएसएफडीसी की योजनाओं के अंतर्गत शामिल होने के लिए आवेदकों के पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:

(i) आवेदक अनुसूचित जाति समुदाय का होना चाहिए।

(ii) ऋण आधारित योजनाओं के अंतर्गत आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय ₹3.00 लाख तक (दिनांक 08.03.2018 से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए) होनी चाहिए।

वार्षिक पारिवारिक आय मानदंड, कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए लागू नहीं होगा। कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत राशि को भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

## 1.11 महिला लाभार्थियों के समावेशन के लिए मानदंड

आपका निगम अपनी योजनाओं के अंतर्गत अधिक से अधिक महिला लाभार्थियों को शामिल करने को महत्व देता है। अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए सरकारी कार्यक्रमों/योजनाओं के अभिमुखीकरण और समन्वय पर टास्क फोर्स की अनुशंसा के परिणामस्वरूप, आपके निगम में वित्तीय और प्रत्यक्ष दोनों को मिलाकर 40% महिला लाभार्थियों को शामिल करने के लिए मानदंड हैं।

लघु व्यवसाय योजना लाभार्थी, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश

## 1.12 आपके निगम की योजनाएं

आपके निगम की लाभार्थियों को वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न ऋण आधारित और गैर–ऋण आधारित योजनाएं हैं। लाभार्थियों को कृषि और समवर्गी, लघु उद्योगों और परिवहन सेक्टरों सहित सेवाओं के अंतर्गत विभिन्नि आर्थिक क्रियाकलापों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। आपका निगम उच्च शिक्षा लेने और व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिए भी ऋण प्रदान करता है।

राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से लक्ष्य समूह के लिए निगम द्वारा वित्तपोषित योजनाओं के विवरण निम्नलिखित हैं:

### 1.12.1 ऋण आधारित योजनाएं

आपके निगम ने पिछले कुछ वर्षों में अपने लक्ष्य समूह के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए, मियादी ऋण, कार्यशील पूंजी ऋण, लघु ऋण वित्त, महिला समृद्धि योजना, महिला किसान योजना, शिल्पी समृद्धि योजना, लघु व्यावसाय योजना, शिक्षा ऋण योजना, वोकेशनल शिक्षा और प्रशिक्षण ऋण योजना, हरित व्यावसाय योजना, स्टैंड–अप इंडिया योजना और आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना और उद्यम निधि योजना सहित विभिन्न योजनाएं बनाई हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत दी जा रही ऋण राशि की प्रमात्रा के आधार पर 1% से 8% तक वार्षिक की रेंज में रियायती ब्याज–दर पर ऋण दिया जाता है। इसके अलावा, राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उक्त ब्याज दरों में 2–3% (आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना और उद्यम निधि योजना के मामले में 8% को छोड़कर) जोड़ने की और लाभार्थियों से ब्याज प्रभारित करने की अनुमति दी जाती है।

## 1.12.1(क) यूनिट लागत, एनएसएफडीसी का अंश और ब्याज दर

| क्रम सं. | योजना | यूनिट लागत | निम्नलिखित पर प्रभारित वार्षिक ब्याज दर | |
|---|---|---|---|---|
| | | | चैनलाइजिंग एजेंसी | लाभार्थीगण |
| (i) | मियादी ऋण | ₹50.00 लाख तक, तथापि एनएसएफडीसी अंश/इकाई के आधार पर निम्नानुसार ब्याज प्रभारित किया जाता है। | | |
| क | मियादी ऋण | ₹5.00 लाख तक | 3% | 6% |
| ख | मियादी ऋण | ₹5.00 लाख से अधिक व ₹10.00 लाख तक | 5% | 8% |
| ग | मियादी ऋण | ₹10.00 लाख से अधिक और ₹20.00 लाख तक | 6% | 9% |
| घ | मियादी ऋण | ₹20.00 लाख से अधिक और ₹45.00 लाख तक | 7% | 10% |
| (ii) | कार्यशील पूंजी ऋण | ₹5.00 लाख तक की परियोजना लागत के लिए संपूर्ण कार्यशील पूंजी और ₹5.00 लाख से अधिक और ₹30.00 लाख तक की परियोजना लागत के लिए कुल कार्यशील पूंजी का 70% अथवा ₹7.00 लाख/इकाई, जो भी कम हो, उपलब्ध कराया जाता है। | 8% | 10% |
| (iii) | लघु ऋण वित्त | ₹0.60 लाख तक | 2% | 5% |
| (iv) | महिला समृद्धि योजना | ₹0.60 लाख तक | 1% | 4% |
| (v) | महिला किसान योजना | ₹2.00 लाख तक | 2% | 5% |
| (vi) | शिल्पी समृद्धि योजना | ₹2.00 लाख तक | 2% | 5% |
| (vii) | लघु व्यवसाय योजना | ₹5.00 लाख तक | 3% | 6% |
| (viii) | शिक्षा ऋण योजना | एनएसएफडीसी का अंश संपूर्ण पाठ्यक्रम शुल्क का 90% तक अथवा ₹10.00 लाख तक (भारत में) और ₹20.00 लाख तक (विदेश में), जो भी कम हो। | 1.5% (पुरुष)<br>1% (महिला) | 4% (पुरुष)<br>3.5% (महिला) |
| (ix) | वोकेशनल शिक्षा और प्रशिक्षण ऋण योजना | दो वर्ष की अवधि तक के पाठ्यक्रम के लिए ₹4.00 लाख तक | 1.5% (पुरुष)<br>1% (महिला) | 4% (पुरुष)<br>3.5% (महिला) |
| (x) | हरित व्यवसाय योजना | ₹7.50 लाख तक<br>₹7.50 लाख से अधिक और ₹15.00 लाख तक<br>₹15.00 लाख से अधिक और ₹30.00 लाख तक | 2%<br>3%<br>4% | 4%<br>6%<br>7% |
| (xi) | स्टैंड–अप इंडिया योजना | ₹10.00 लाख से अधिक और ₹20.00 लाख तक<br>₹20.00 लाख से अधिक और ₹30.00 लाख तक | 6%<br>7% | 9%<br>10% |
| (xii) | आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना# | ₹0.60 लाख तक | 3% (पुरुष')<br>2% (महिला') | 11% (पुरुष')<br>10% (महिला') |
| (xiii) | उद्यम निधि योजना## | ₹5.00 लाख तक | 4% | 12% |

# अजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना एनबीफसी–एमएफआई के माध्यम से कार्यन्वित की जाती है।

## उद्यम निधि योजना, सहकारी सोसायटियों/बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

### 1.12.1(ख) वित्त के साधन

आपके निगम की ऋण नीति के अनुसार, निगम (एनएसएफडीसी) इकाई लागत का 90% तक ऋण उपलब्ध कराता है और शेष राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी एवं/अथवा प्रवर्तक (प्रमोटर) 10% उपलब्ध कराते हैं, केवल वोकेशनल शिक्षा और प्रशिक्षण ऋण योजना को छोड़कर, जहां ऋण के रूप में परियोजना लागत का शत–प्रतिशत उपलब्ध कराया जाता है।

मणिपुर के इम्फाल में महिला समृद्धि योजना के तहत एनएसएफडीसी लाभार्थी

### 1.12.1(ग) प्रवर्तक का अंशदान

परियोजना में प्रवर्तक की हिस्सेदारी और योगदान के लिए प्रति इकाई ₹1.00 लाख से अधिक लागत की मियादी ऋण परियोजनाओं के अंतर्गत प्रवर्तक (प्रमोटर) के अंशदान पर नीचे दिए विवरण के अनुसार बल दिया जाता है:

| क्र. सं. | परियोजना/प्रति इकाई लागत | परियोजना लागत के प्रतिशत के रूप में प्रवर्तक का कम से कम अंशदान |
|---|---|---|
| (i) | ₹1.00 लाख तक की परियोजना लागत के लिए | बल नहीं दिया जाता हे। |
| (ii) | ₹1.00 लाख से अधिक तथा ₹2.50 लाख तक की परियोजना लागत के लिए | 2% |
| (iii) | ₹2.50 लाख से अधिक तथा ₹5.00 लाख तक की परियोजना लागत के लिए | 3% |
| (iv) | ₹5.00 लाख से अधिक तथा ₹10.00 लाख तक की परियोजना लागत के लिए | 5% |
| (v) | ₹10.00 लाख से अधिक तथा ₹20.00 लाख तक की परियोजना लागत के लिए | 7% |
| (vi) | ₹20.00 लाख से अधिक तथा ₹50.00 लाख तक की परियोजना लागत के लिए | 10% |

### 1.12.1(घ) लाभार्थियों को आर्थिक सहायता (सब्सिडी)

शिक्षा ऋण योजना तथा वोकेशनल शिक्षा और प्रशिक्षण ऋण योजना को छोड़कर, सभी योजनाओं में राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को जारी की गई अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी) के लिए विशेष केंद्रीय सहायता से ₹10,000/– की दर से अथवा इकाई लागत का 50%, जो भी कम हो, की आर्थिक सहायता (सब्सिडी)

एनएसएफडीसी मियादी ऋण लाभार्थी, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश

गरीबी रेखा से कम आय वाले लाभार्थियों के लिए उपलब्ध कराई जाती है। शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकित लाभार्थी (12वीं कक्षा के बाद) मोरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज सब्सिडी के भी पात्र हैं, जोकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए केंद्रीय ब्याज सब्सिडी की योजना के अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

### 1.12.1(ङ) विलंबन काल (मोरेटोरियम)

लाभार्थियों को ऋण संवितरण के बाद मूलधन की अदायगी के लिए विलंबन काल (अदायगी अवधि अवकाश) दिया जाता है ताकि लाभार्थी अपने व्यवसाय क्रियाकलापों में मजबूती से खड़े हो सकें। तथापि, ब्याज राशि के भुगतान के लिए विलंबन काल नहीं दिया जाता है। योजना–वार विलंबन अवधि नीचे दी जा रही है:

| योजना | विलंबन काल |
|---|---|
| • मियादी ऋण योजना | व्यापार कार्य की प्रकृति के आधार पर 6 माह से 12 माह |
| • लघु ऋण वित्त योजना | 3 माह |
| • महिला समृद्धि योजना | 3 माह |
| • महिला किसान योजना | 12 माह |
| • शिल्पी समृद्धि योजना | 6 माह |
| • लघु व्यवसाय योजना | 6 माह |
| • शिक्षा ऋण योजना | पाठ्यक्रमों पूरा होने के छह माह बाद अथवा रोजगार पाने पर, जो भी पहले हो। |
| • वोकेशनल शिक्षा और प्रशिक्षण ऋण योजना | पाठ्यक्रमों पूरा होने के छह माह बाद अथवा रोज़गार पाने पर, जो भी पहले हो। |
| • हरित व्यवसाय योजना | 6 माह |
| • आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना | 3 माह |
| • स्टैंड–अप इंडिया योजना | भारत सरकार की स्टैंड–अप इंडिया योजना के नॉर्म के अनुसार |
| • उद्यम निधि योजना | 3 माह |

### 1.12.1(च) ऋण अदायगी अवधि

ऋण अदायगी अवधि मोटे तौर पर नकदी प्रवाह अर्जन के मूल्यांकन, परियोजना परिसंपत्ति की आयु एवं परियोजना की गेस्टेशन (परिपक्वता) अवधि के आधार पर निश्चित की जाती है। विभिन्न योजनाओं और क्रियाकलापों के अंतर्गत ऋण अदायगी अवधियां नीचे दी जा रही हैं:

| योजनाएं | अदायगी की अवधि |
|---|---|
| **मियादी ऋण योजना** | |
| भूमि आधारित कार्य (कृषि भूमि पर खेती, बागवानी व सिंचाई इत्यादि) | 10 वर्ष तक |
| परिवहन कार्य (ऑटोरिक्शा, जीप, मालवाहक इत्यादि) | 5 वर्ष तक |
| लघु उद्योग | 5 वर्ष तक |
| सेवा क्षेत्र गतिविधियां | 5 वर्ष तक |
| कार्यशील पूंजी ऋण | 2 वर्ष तक |

| योजनाएं | अदायगी की अवधि |
|---|---|
| **महिला किसान योजना** | 10 वर्ष तक |
| **शिल्पी समृद्धि योजना** | 5 वर्ष तक |
| **लघु व्यवसाय योजना** | 6 वर्ष तक |
| **वोकेशनल शिक्षा और प्रशिक्षण ऋण योजना** | दो वर्ष तक की अवधि वाले पाठ्यक्रमों के लिए 7 वर्ष तक |
| **शिक्षा ऋण योजना** | 10 वर्ष तक (₹7.50 लाख तक के ऋण हेतु) और<br>15 वर्ष तक (₹7.50 लाख से अधिक ऋण हेतु) |
| **लघु ऋण वित्त** | 3½ वर्ष तक |
| **महिला समृद्धि योजना** | 3½ वर्ष तक |
| **हरित व्यवसाय योजना** | 10 वर्ष तक |
| **आजीविका माइक्रो फाइनेंस वित्त योजना** | 3½ वर्ष तक |
| **स्टैंड–अप इंडिया योजना** | भारत सरकार की स्टैंड–अप इंडिया योजना के नॉर्म के अनुसार |
| **उद्यम निधि योजना** | 6 वर्ष तक |

### 1.12.1(छ) दूसरी बार ऋण सुविधा

लाभार्थी, यदि उन्होंने एनएसएफडीसी की किसी भी योजना के अंतर्गत पहली बार ऋण लिया है, तो निर्धारित अवधि में पूरी ऋण राशि की अदायगी करने के पश्चात्, आपके निगम की किसी भी योजना के अंतर्गत निम्नलिखित दो शर्तों के अधीन ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र हैं:

(क) पहले लिए गए ऋण की समय पर पूरी अदायगी हो और (ख) वास्तव में सृजित परिसंपत्ति तथा व्यापार के सफलतापूर्वक चलने की फील्ड रिपोर्ट प्रस्तुत की हो।

### 1.12.1(ज) वित्तपोषित परियोजनाओं की क्षेत्र–वार निदर्शी सूची

विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत निधित परियोजनाओं को चार मुख्य क्षेत्रों नामत कृषि और समवर्गी, उद्योग, सेवा एवं परिवहन तथा शिक्षा ऋण योजना में वर्गीकृत किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत परियोजनाओं की निदर्शी सूची नीचे दी जा रही है:

| | |
|---|---|
| **कृषि एवं समवर्गी क्षेत्र** | |
| • कृषि भूमि खरीद | • ट्रैक्टर ट्रॉली |
| • पॉली हाऊस | • ट्रॉली के साथ पॉवर टिल्लर |
| **उद्योग क्षेत्र** | |
| • आटा चक्की और मिर्च पिसाई चक्की | • फ्लाई ऐश ईंट निर्माण |
| **सर्विस एवं परिवहन क्षेत्र** | |
| • लघु उद्यम | • टेंट हाऊस |
| • किराना और शीतल पेय | • सेंटरिंग मैटीरियल |
| • मिनी होटल | • दवाई की दुकान |
| • कंक्रीट मिश्रण | • चमड़े की चप्पल उत्पादन इकाई |
| • इंटरनेट के साथ जीरॉक्स मशीन | • लेजर और स्क्रीन के साथ डीटीपी |
| • मिनी सुपर बाज़ार | • वकील कार्यालय |
| • मशरूम प्रसंस्करण | • फास्ट फूड |
| • हरित व्यवसाय (ई–रिक्शा) | • गेस्ट हाऊस सह–लॉज |
| • पिकअप वैन | • ऑटो टैक्सी |
| • सामान वाहक ऑटो ट्रॉली | • जीप टैक्सी |
| • टैक्सी कार | • लघु व्यवसाय |
| • लघु व्यवसाय (कृषि एवं समवर्गी) | • सामान वाहक ऑटो |
| • सवारी ऑटो | |

| शिक्षा ऋण योजना | |
|---|---|
| • इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिकल, मेकेनिकल इंजीयिरिंग, प्ला. स्टिक प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा, बी.ई., बी.टेक, एम टेक इत्यादि) | • नर्सिंग (बी.एससी.) |
| • परिवहन डिजाइन में पी.जी. डिप्लोमा | • सूचना प्रौद्योगिकी (बीसीए/एमसीए) |
| • वास्तुकला (बी.आर्क) | • प्रबंधन (बीबीए/एमबीए) |
| • चिकित्सा (बीएएमएस/ बीएचएमएस/एमबीबीएस/एमडी) | • विधि (एलएलबी/एलएलएम) |
| • फार्मेसी (बी.फार्मा/एम.फार्मा) | • डेंटल (बीडीएस) |
| • हॉस्पिटलिटी और होटल प्रबंधन संस्थान (बी.एससी.) | • शिक्षा (पीटीसी/बी.एड.) |

## 1.12.2 गैर–ऋण आधारित योजनाएं

### 1.12.2(क) कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

- आपका निगम अपैरल, इलेक्ट्रानिक्स, फर्नीचर व फिटिंग्स, चमड़ा, रसायनों और पेट्रो–रसायनों, वस्त्र, टेलीकॉम, पूंजीगत वस्तु, लॉजिस्टिक्स, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और कारपेट, यंत्रीकरण तथा स्वचालन, घरेलू सहायक, ब्यूटी एवं वैलनेस, जीव विज्ञान, शक्ति, खेल–कूद और शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, निर्माण, पर्यटन और आतिथ्य, सेवा, मीडिया और मनोरंजन, अवसंरचना इत्यादि नियोजन योग्य क्षेत्रों में लक्ष्य समूह के व्यक्तियों हेतु कौशल विकास कार्यक्रम प्रायोजित करता है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में तकनीकी कौशल के अलावा, सॉफ्ट कौशल का भी प्रशिक्षण दिया जाता है।

मोदीनगर में कौशल प्रशिक्षण सत्र का आयोजन

- ये कार्यक्रम प्रतिष्ठित सरकारी/अर्ध–सरकारी/स्वायत्त संस्थानों, विश्वविद्यालयों/मानित विश्वविद्यालयों/ क्षेत्रीय कौशल परिषद्/क्षेत्रीय कौशल परिषद् से संबद्ध प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं तथा प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है और गैर–आवासीय प्रशिक्षण के लिए प्रतिमाह ₹1,500/– की दर से वृत्तिका दी जाती है। एनएसएफडीसी द्वारा अतिरिक्त रूप से आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों को लिए, सामान्य मानक में निर्धारित दर के अनुसार आवास और भोजन का प्रभार वहन किया जाता है।

- प्रशिक्षणार्थियों को, राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनल भागीदारों के जरिए आपके निगम से प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता के साथ नियोजन सहायता और/अथवा अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए उद्यमीय मार्गदर्शन भी दिए जाते हैं।

### 1.12.2(ख) लाभार्थियों को विपणन सहायता

आपका निगम लाभार्थियों को अपने उत्पादों को चुनिंदा प्रदर्शनियों एवं मेलों में बिक्री योग्य उत्पाादों को बेचने के लिए अवसर प्रदान करता है।

उत्तरकाशी, उत्तराखंड में एनीमेशन पर कौशल प्रशिक्षण कार्यशाला प्रायोजित

### 1.12.2(ग) मेले और प्रदर्शनी में लाभार्थियों को नि:शुल्क स्टाल

(i) आपका निगम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों एवं मेलों में भाग लेता है एवं लाभार्थियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन व बिक्री हेतु नि:शुल्क स्टाल उपलब्ध कराता है।

माननीय केंद्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता नवंबर 2019 में आयोजित शिल्पोत्सव, दिल्ली हाट में लाभार्थियों से बातचीत करते हुए

(ii) इन प्रदर्शनियों में प्रतियोगिता से लाभार्थियों को न केवल अपने उत्पाद को बेचने बल्कि ग्राहकों, डीलरों और निर्यातकों से बातचीत करने एवं नए उत्पादों के विकास के लिए जरूरतों/आवश्यकताओं को जानने का भी अवसर मिलता है।

### 1.12.2(घ) लाभार्थियों को विपणन प्रशिक्षण

ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार, कारीगरों के उत्पादों के विपणन और विकास/पुनः डिजाइनिंग संबंधित विभिन्न प्रकार के आदानों को लाभार्थियों को उपलब्ध कराने के लिए विपणन प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में काउंटर पर अच्छी विक्रय कला के कार्य–निवेश के साथ ग्राहकों की जरूरतों के अनुकूल उत्पादों में रूपांतर कैसे किया जाए, इस पर जोर दिया जाता है।

### 1.12.2(ड.) जागरूकता शिविर

एनएसएफडीसी की योजनाओं के बारे में लक्ष्य समूह के बीच जन–जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न राज्यों में जागरूकता शिविर आयोजित किए जाते हैं। इन शिविरों में योजनाओं के संबंध में प्रस्तुतीकरण किया जाता है और उपस्थितों को निगम की योजनाओं की जानकारी संबंधी ब्रोशर और पैम्फलेट बांटे जाते हैं। सफल लाभार्थियों को निगम की योजनाओं और व्यापार संबंधी अन्य क्रियाकलापों के अंतर्गत ऋण लेने के अपने अनुभवों के बारे में जनसमूह को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

## 2. प्रबंधन चर्चाएं और विश्लेषण रिपोर्ट

### 2.1 वर्ष के दौरान उपलब्धियां

### 2.1.1 प्रस्तावों की स्वीकृति

वर्ष के दौरान आपके निगम ने, योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों को ₹1147.68 करोड़ के प्रस्ताव स्वीकृत किए।

### 2.1.2 निधियों का संवितरण

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने, 83,970 लाभार्थियों को लाभांन्वित करने के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों को 85% के लक्ष्य (समझौता–ज्ञापन के अंतर्गत 'उत्कृष्ट' लक्ष्य) की तुलना में ₹681.50 करोड़ अर्थात् उपलब्ध कुल निधियों का 84.20% संवितरण किया।

### 2.1.2(क) संवितरण और शामिल लाभार्थियों के योजना–वार ब्योरे

वर्ष 2019–20 और उससे पूर्व वर्ष के लिए संवितरण और शामिल लाभार्थियों के ब्योरे नीचे दिए जा रहे हैं:

| क्र.सं. | योजना | राशि (करोड़ रुपए में) | | लाभार्थी (संख्या) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018–19 | 2019–20 | 2018–19 | 2019–20 |
| क. | **मियादी ऋण योजनाएं** | | | | |
| (i) | मियादी ऋण | 124.09 | 161.27 | 2,161 | 3,235 |
| (ii) | हरित व्यवसाय योजना | 24.17 | 7.58 | 2,350 | 216 |
| (iii) | उद्यम निधि योजना | 0.00 | 5.89 | 0 | 1,191 |
| (iv) | महिला किसान योजना | 0.00 | 0.80 | 0 | 200 |
| (v) | शिल्पी समृद्धि योजना | 0.00 | 0.40 | 0 | 100 |
| (vi) | लघु व्यवसाय योजना | 442.74 | 418.38 | 36,657 | 43,400 |
| (vii) | शिक्षा ऋण योजना | 6.27 | 11.59 | 181 | 583 |
| (viii) | वोकेशनल शिक्षा व प्रशिक्षण ऋण योजना | 0.00 | 0.90 | 0 | 100 |
| | **उप–कुल (क)** | **597.27** | **606.81** | **41,349** | **49,025** |

| क्र.सं. | योजना | राशि (करोड़ रुपए में) | | लाभार्थी (संख्या) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018–19 | 2019–20 | 2018–19 | 2019–20 |
| ख. | **लघु ऋण योजना** | | | | |
| (i) | लघु ऋण वित्त योजना | 40.61 | 27.51 | 9,266 | 5,451 |
| (ii) | महिला समृद्धि योजना | 32.74 | 46.52 | 30,694 | 29,360 |
| (iii) | आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना | 0.59 | 0.66 | 122 | 134 |
| | **उप–कुल (ख)** | 73.94 | 74.69* | 40,082 | 34,945 |
| | **सकल कुल (क) + (ख)** | **671.21** | **681.50** | **81,431** | **83,970** |

* उपर्युक्त के अलावा, शिक्षा ऋण योजना (ईएलएस) और वोकेशनल शिक्षा व प्रशिक्षण ऋण योजना (वीईटीएलएस) को छोड़कर अन्य योजनाओं के तहत आपके निगम ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की दिनांक 08.11.2019 की अधिसूचना संख्या आरबीआई/2019–20/95 के अनुसार ₹1.25 लाख प्रति यूनिट तक की संवितरित निधि को सूक्ष्म वित्त ऋण के रूप में माना है।

तद्नुसार, 36,387 लाभार्थियों के लिए ₹243.72 करोड़ की संवितरित निधियों को भी सूक्ष्म वित्त ऋण के रूप में माना गया है।

## 2.1.2(ख) संवितरण और शामिल लाभार्थियों का क्षेत्र–वार ब्योराः

| क्र.सं. | योजना | राशि (करोड़ रुपए में) | | लाभार्थी (संख्या) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018–19 | 2019–20 | 2018–19 | 2019–20 |
| (i) | मियादी ऋण | | | | |
| (क) | प्राथमिक क्षेत्र (भूमि, खरीद, सिंचाई और अन्य संबद्ध क्रियाकलाप) | 32.53 | 64.48 | 793 | 2,158 |
| (ख) | तृतीयक क्षेत्र (सर्विस व परिवहन) | 91.56 | 96.79 | 1,368 | 1,077 |
| | **जोड़ (क) + (ख)** | **124.09** | **161.27** | **2,161** | **3,235** |
| (ii) | हरित व्यवसाय योजना | 24.17 | 7.58 | 2,350 | 216 |
| (iii) | उद्यम निधि योजना | 0.00 | 5.89 | 0 | 1,191 |
| (iv) | महिला किसान योजना (प्राथमिक सेक्टर) | 0.00 | 0.80 | 0 | 200 |
| (v) | शिल्पी समृद्धि योजना | 0.00 | 0.40 | 0 | 100 |
| (vi) | लघु व्यवसाय योजना | 442.74 | 418.38 | 36,657 | 43,400 |
| (vii) | लघु ऋण वित्त योजना | 40.61 | 27.51 | 9,266 | 5,451 |
| (viii) | महिला समृद्धि योजना | 32.74 | 46.52 | 30,694 | 29,360 |
| (ix) | आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना | 0.59 | 0.66 | 122 | 134 |
| (x) | शिक्षा ऋण योजना | 6.27 | 11.59 | 181 | 583 |
| (xi) | वोकेशनल शिक्षा व प्रशिक्षण ऋण योजना | 0.00 | 0.90 | 0 | 100 |
| | **सकल जोड़ (i से xi)** | **671.21** | **681.50** | **81,431** | **83,970** |

**2.1.2(ग)(i) समझौता–ज्ञापन लक्ष्य की तुलना में उपलब्धियां (2019–20)**

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए समेकित समझौता–ज्ञापन लक्ष्य और उपलब्धियां **अनुलग्नक–III** पर दी गई हैं। उपलब्धियों के अनुसार और **लेखापरीक्षित आंकड़ों** के आधार पर वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कुल भारित अंक 78.19 है, जो 'बहुत अच्छा' रेटिंग के अनुरूप हैं।

**(ii) प्रचालन से आय**

वर्ष के दौरान, आपके निगम की प्रचालन से आय (निवल) ₹68.89 करोड़ है।

**(iii) प्रचालन लाभ या अधिशेष/प्रचालन से आय (निवल)**

वर्ष के दौरान, आपके निगम का प्रचालन (निवल) से प्रचालन लाभ या अधिशेष/आय 67.09% है।

**(iv) औसत निवल मूल्य के प्रतिशत के रूप में कर पश्चात लाभ (पीएटी) या अधिशेष**

वर्ष के दौरान, औसत निवल मूल्य के प्रतिशत के रूप में कर पश्चात लाभ (पीएटी) या अधिशेष 2.97% है।

**(v) संवितरित ऋण/उपलब्ध कुल निधि**

वर्ष के दौरान, आपके निगम के पास संवितरित ऋण कुल उपलब्ध निधि 84.71% है।

**(vi) अतिदेय ऋण/कुल ऋण (निवल)**

वर्ष के दौरान, अतिदेय ऋण/कुल ऋण (निवल) 18.44% है।

**(vii) गैर–निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए)/कुल ऋण (निवल)**

वर्ष के दौरान, गैर–निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए)/कुल ऋण (निवल) 0.76% है।

**(viii) सतत प्रकृति के मानव संसाधन मानदंडों की उपलब्धि (7 मानदंड) (संख्या)**

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने सतत प्रकृति के सभी 7 मानदंड हासिल किए हैं।

**(ix) कर्मचारियों की तकनीकी एवं प्रबंधकीय दक्षता का निर्माण करने हेतु क्षमता विकास कार्यक्रम (संख्या)**

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने भारत में उत्कृष्टता के केन्द्र, उदाहरण के लिए आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, आईसीएआई आदि में कम से कम एक सप्ताह का प्रशिक्षण देकर प्रतिभा प्रबंधन एवं जीविका प्रगति के लिए उनकी तकनीकी एवं प्रबंधकीय दक्षताओं का निर्माण करने के लिए कर्मचारियों के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत समझौता–ज्ञापन के पांच कर्मचारियों के लक्ष्य की तुलना में पांच कार्मिकों को प्रायोजित कर 100% लक्ष्य प्राप्त किया।

**(x) कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार/स्वरोजगार प्रदान करना (संख्या)**

वर्ष के दौरान, कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से लक्षित समूह के 12,367 व्यक्तियों को रोजगार/स्वरोजगार प्रदान किया गया।

**(xi) एमएसएमई/जेम पोर्टल/एससी – एसटी हब पर एनएसएफडीसी द्वारा वित्त पोषित एससी/एसटी उद्यमियों का नामांकन/पंजीकरण (संख्या)**

वर्ष के दौरान, एमएसएमई/जेम पोर्टल/एससी – एसटी हब पर एनएसएफडीसी द्वारा वित्त पोषित एससी/एसटी उद्यमियों के नामांकन/पंजीकरण में लक्षित समूह के 169 व्यक्तियों को सहायता प्रदान की गई।

## 2.1.2(घ) योजना–वार/क्षेत्रवार संवितरण

वर्ष 2019–20 के दौरान निष्पादन को नीचे ग्राफ में दर्शाया गया है:

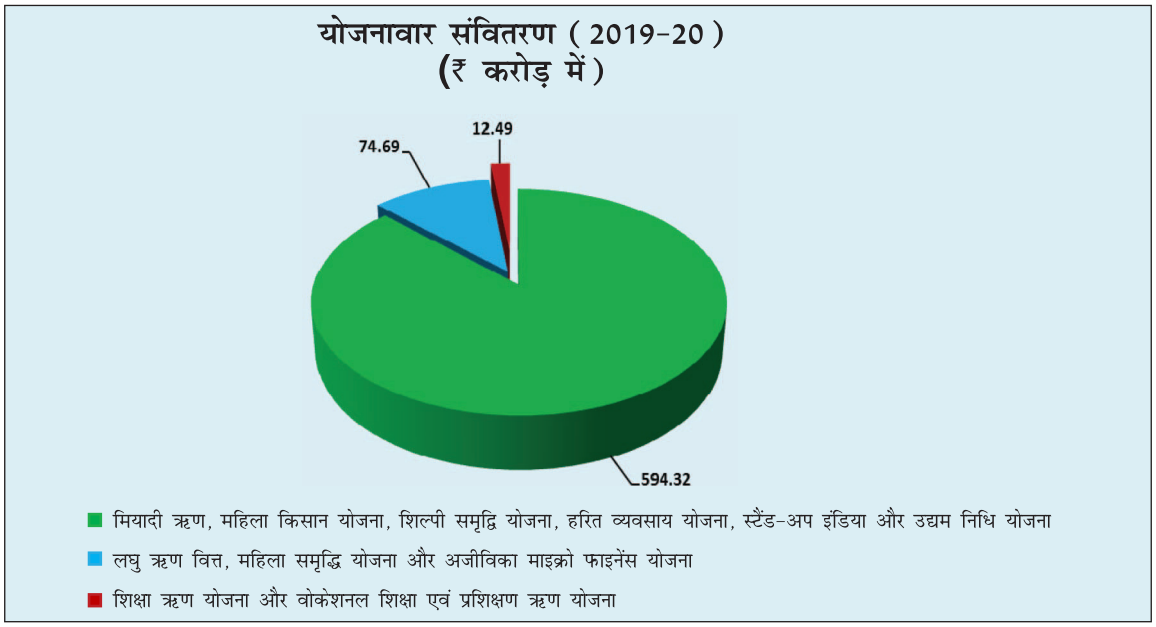


(i) मियादी ऋण योजना में लघु व्यवसाय योजना (एलवीवाई), हरित व्यवसाय योजना (जीबीएस), उद्यम निधि योजना (यूएनवाई), महिला किसान योजना (एमकेवाई) और शिल्पी समृद्धि योजना (एसएसवाई) शामिल हैं।

(ii) लघु ऋण योजना में लघु ऋण वित्त (एमसीएफ), महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई) और आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना (एएमवाई) शामिल हैं।

(iii) शिक्षा ऋण योजना (ईएलएस), वोकेशनल शिक्षा एवं प्रशिक्षण ऋण योजना (वीईटीएलएस)।

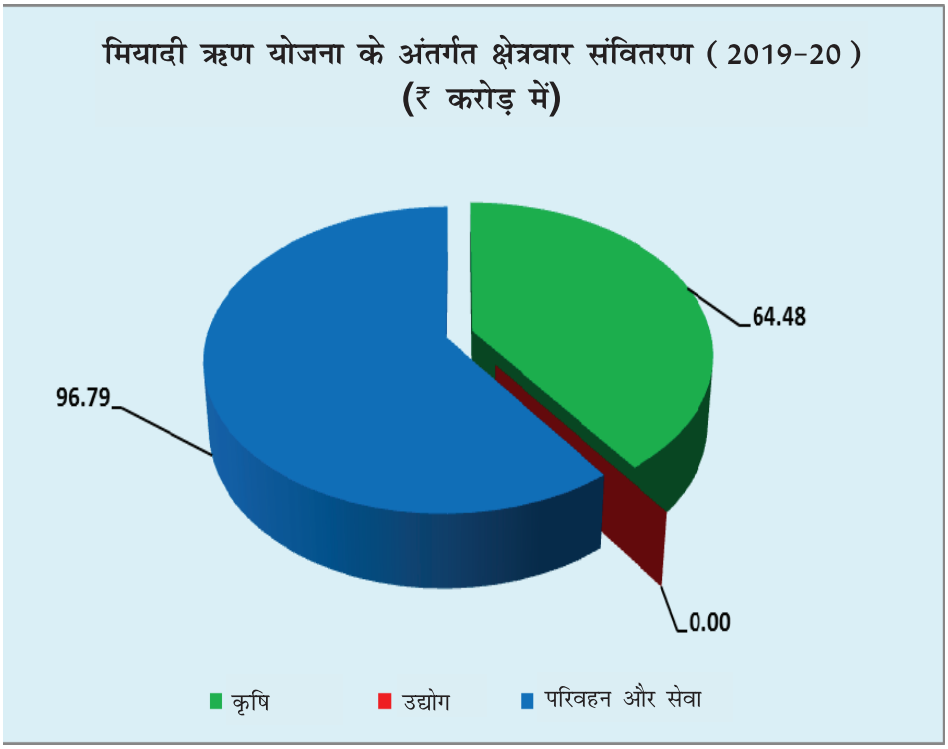


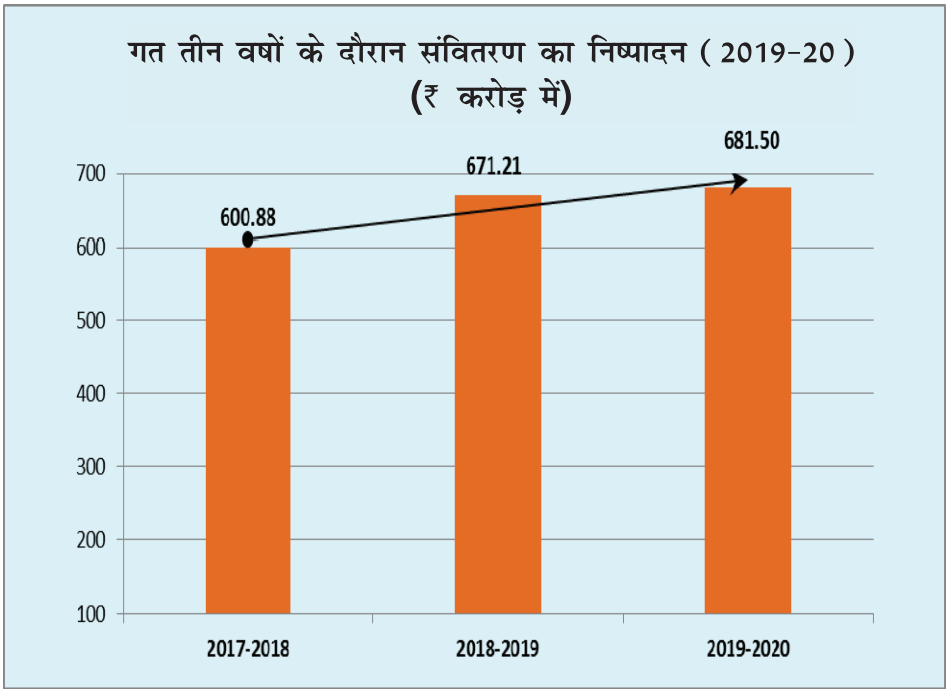


### 2.1.3 महिला लाभार्थियों का कवरेज

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 50,909 महिला लाभार्थियों को रियायती वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी है, जो कि महिला लाभार्थियों को लाभान्वित करने के 40% मानदंड की प्रत्यक्ष शर्तों की तुलना में कुल कवरेज का 60.63% है।

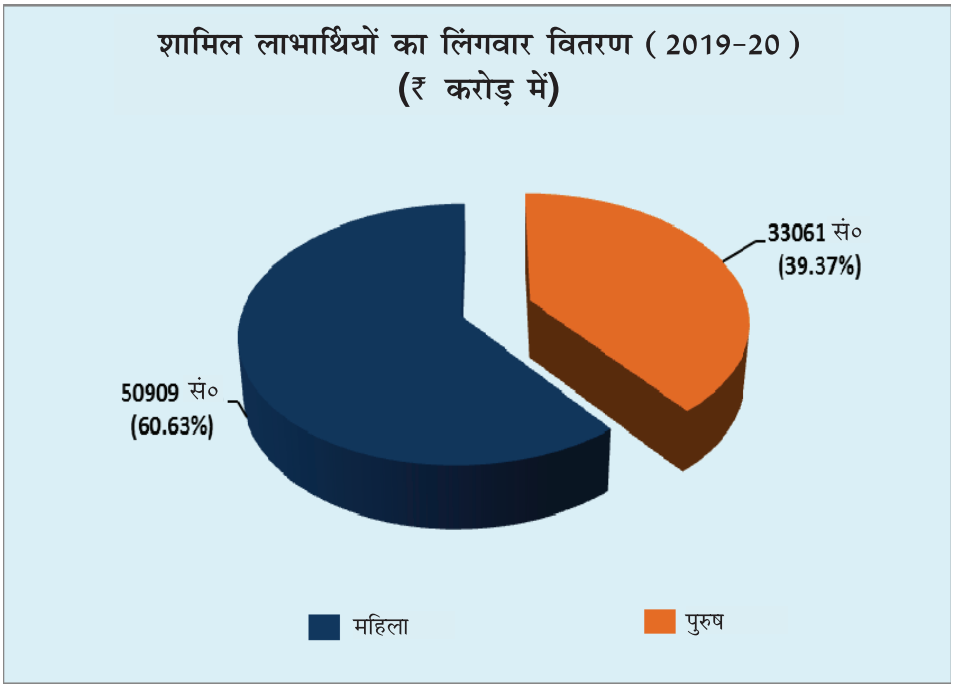


- इसी प्रकार, वर्ष के दौरान, आपके निगम ने महिला लाभार्थियों के लिए ₹288.26 करोड़ संवितरित किए हैं, जो 40% के वित्तीय मानदंड की तुलना में वर्ष के कुल संवितरण का 42.30% है।

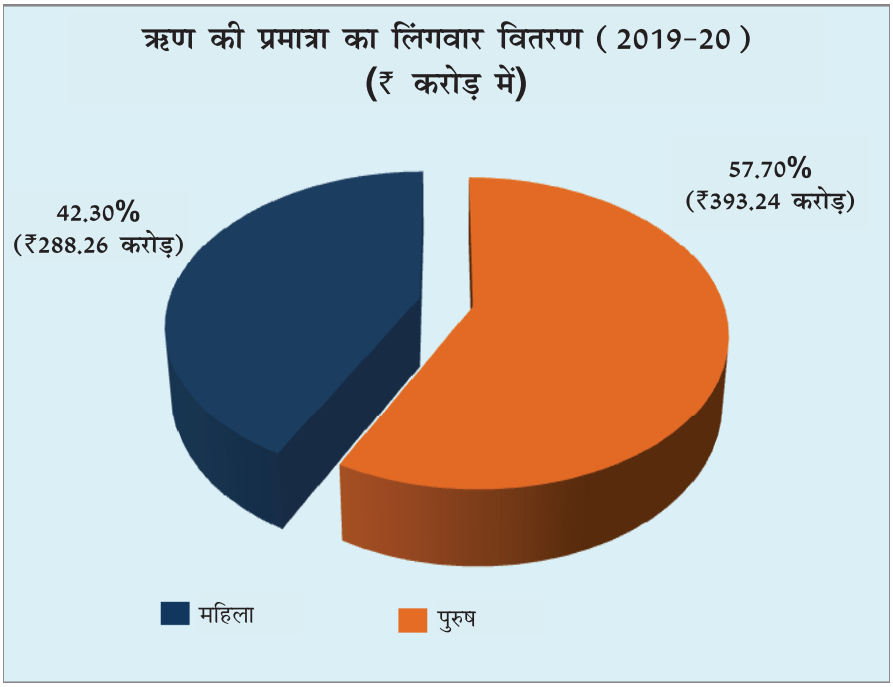


- गत तीन वर्षों के दौरान महिला लाभार्थियों का संवितरण बढ़ते क्रम में है।

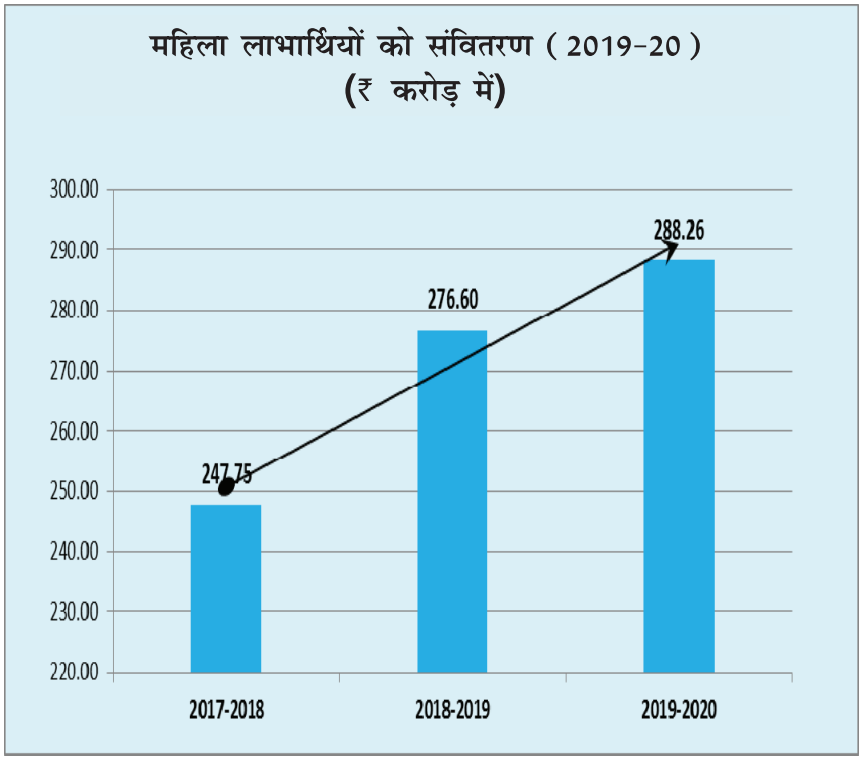


### 2.1.4 ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में लाभार्थियों का कवरेज:

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने ग्रामीण क्षेत्रों से 61.82% और शहरी क्षेत्रों से 38.18% लाभार्थियों को कवर किया है।

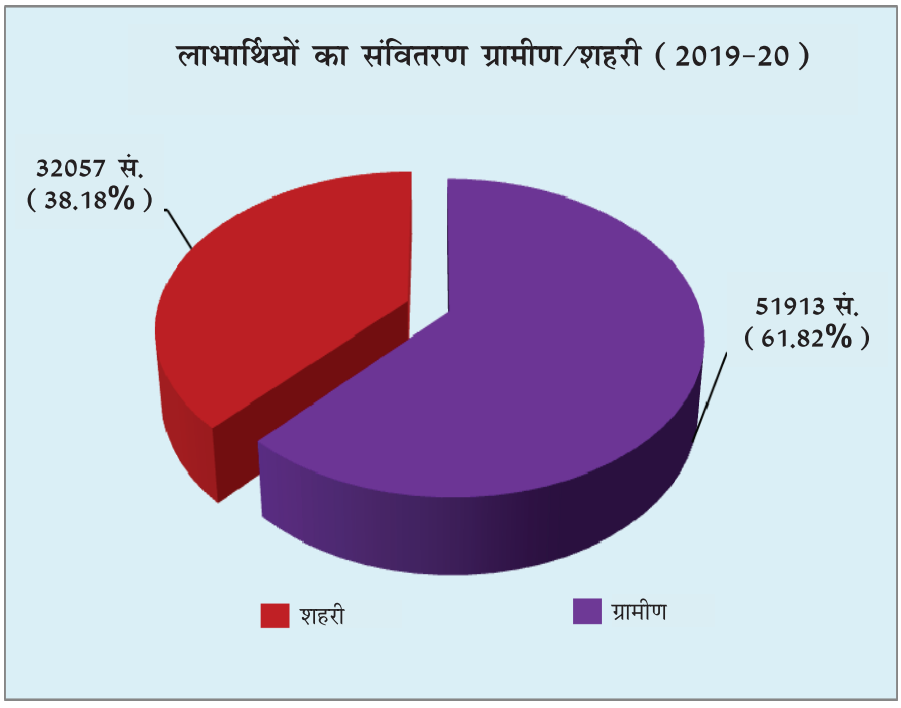

### 2.1.5 निधि उपयोग

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निर्मुक्त निधियों के उपयोग में सुधार लाने के लिए राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों के साथ गहन अभियान चलाया है। इसके परिणामस्वरूप 31.03.2020 को संचयी उपयोग स्तर 85.31% प्राप्त किया गया।

### 2.1.6 लाभार्थियों का कवरेज–संशोधित वार्षिक पारिवारिक आय सीमा के अनुसार

वर्ष के दौरान, चैनलाइजिंग एजेंसियों से प्राप्त उपयोगिता रिपोर्ट के अनुसार, आपकी निगम की योजनाओं के अंतर्गत 54.45% लाभार्थी ₹1.50 लाख तक की वार्षिक पारिवारिक आय की श्रेणी में और 45.55% लाभार्थी ₹1.50 लाख से अधिक और ₹3.00 तक की वार्षिक पारिवारिक आय श्रेणी में शामिल किए गए थे।

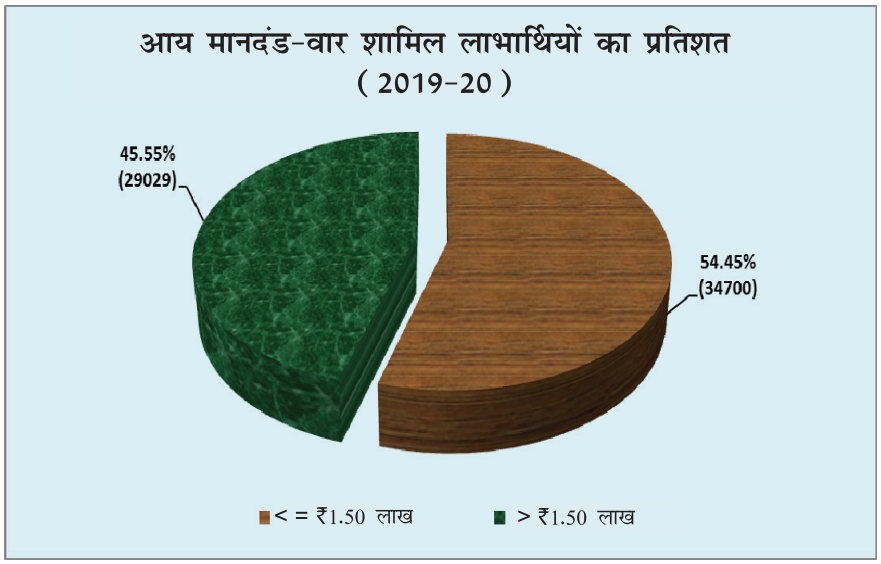


### 2.1.7 संचयी संवितरण की तुलना में इक्विटी सहायता

- वर्ष के दौरान, आपके निगम को भारत सरकार से ₹14.60 करोड़ की इक्विटी सहायता प्राप्त हुई और ₹681.50 करोड़ संवितरित किए गए।
- दिनांक 31.03.2020 को संचयी इक्विटी सहायता ₹1500.00 करोड़ रही है, जिसकी तुलना में आपके निगम ने ₹5831.40 करोड़ का संचयी संवितरण प्राप्त किया, जिसमें 13.49 लाख लाभार्थी कवर किए गए, जिनमें से 7.63 लाख (56.52%) महिला लाभार्थी थीं।
- अब तक संवितरण भारत सरकार से प्राप्त इक्विटी सहायता का 3.89 गुना है।

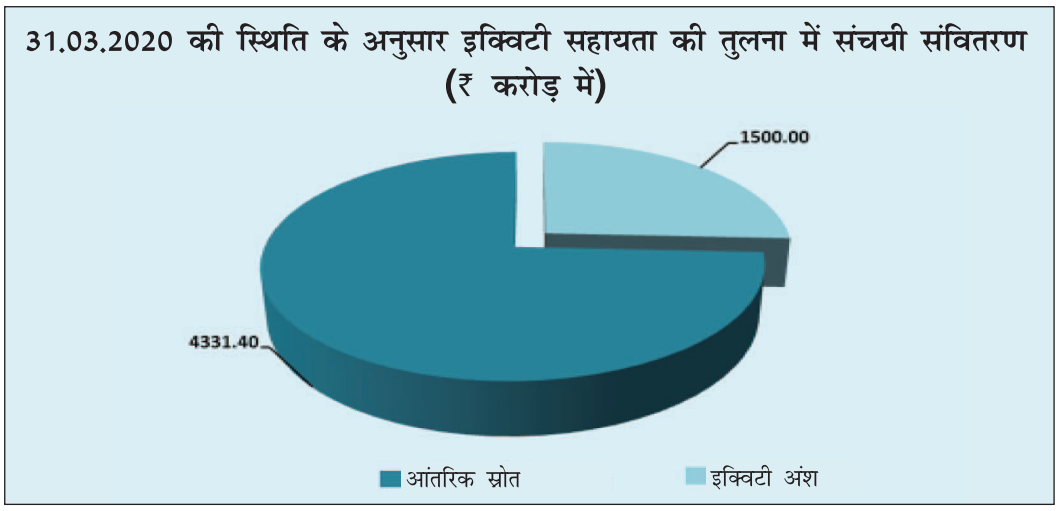


## 2.1.8 राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी/चैनलाइजिंग एजेंसी से ऋण की वसूली

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने राज्यं चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों से ₹605.20 करोड़ की वसूली प्राप्त की।

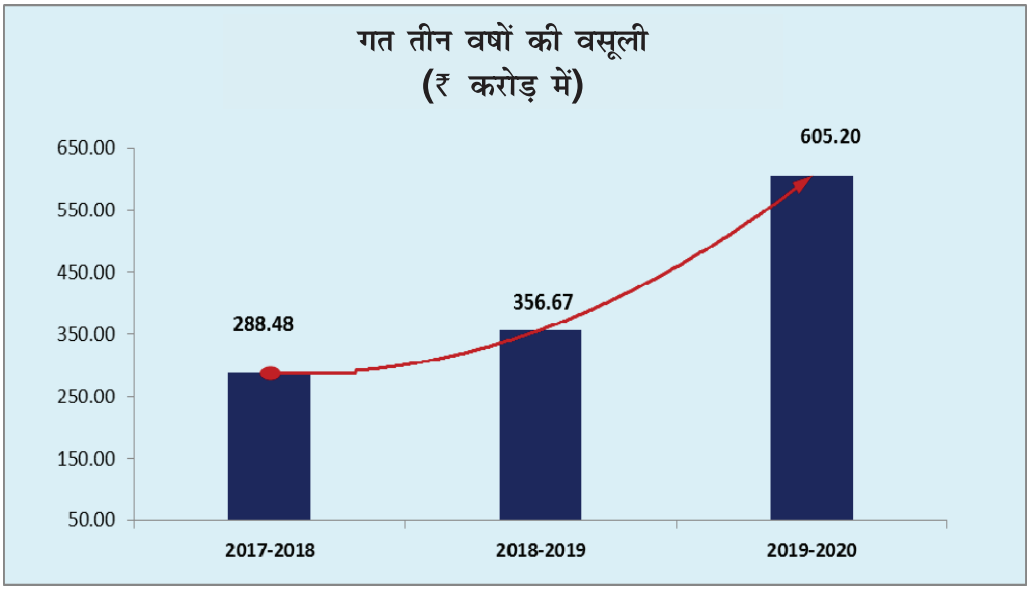


## 2.1.9 राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों की कार्यपद्धति

आपका निगम चैनल वित्त प्रणाली अपनाता है, जिसमें राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी/चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से लाभार्थियों को निधियां दी जाती हैं। वित्त वर्ष के आरंभ में सामान्य चैनल में 37 राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां और वैकल्पिक चैनल में 59 चैनलाइजिंग एजेंसियां थीं। वित्तीय वर्ष में, आपके निगम ने वैकल्पिक चैनल में 5 नई एजेंसियों के साथ समझौता–ज्ञापन हस्ताक्षरित किया। इस प्रकार एनएसएफडीसी के पास 37 राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां और वैकल्पिक चैनल में 55 अन्य एजेंसियां (पीएसबी और आरआरबी के विलय के बाद) थीं। वर्ष के दौरान, 28 राज्यों एवं 8 संघ शासित क्षेत्रों में से 25 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों ने निधियों का लाभ प्राप्त किया है।

## 2.1.10 भागीदारी

### 2.1.10(क) निगम के उद्देश्यों को समर्थन देने के लिए सरकारी विभागों/स्थापित संस्थानों के साथ भागीदारी:

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने निगम के उद्देश्यों को समर्थन देने के लिए निम्नलिखित संस्थानों के साथ भागीदारी स्थापित की:

दिसंबर 2019 में रोयापेट्टा, चेन्नै में इंडियन बैंक के साथ समझौता–करार हस्ताक्षर करते हुए

| क्र.सं. | संस्थान | उद्देश्य |
|---|---|---|
| 1 | इंडियन बैंक, चेन्नै, तमिलनाडु | पैन इंडिया पहुंच के विस्तार के लिए। |
| 2 | आंध्र प्रदेश राज्य वित्तीय निगम, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। | आंध्र प्रदेश में पहुंच का विस्तार करने के लिए। |
| 3 | मणिपुर ग्रामीण बैंक, इंफाल, मणिपुर। | मणिपुर में पहुंच का विस्तार करने के लिए। |
| 4 | बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अजमेर, राजस्थान। | राजस्थान में पहुंच का विस्तार करने के लिए। |
| 5 | पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक, हावड़ा, पश्चिम बंगाल। | पश्चिम बंगाल में पहुंच का विस्तार करने के लिए। |
| 6 | श्री जय दशम हस्तकला औद्योगिक सहकारी मंडली लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। | अनुसूचित जाति के कारीगर/बुनकर समूहों के विकास के लिए। |
| 7 | भारतीय ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, जयपुर, राजस्थान। | एनएसएफडीसी प्रायोजित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए। |
| 8 | उद्यमिता विकास संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। | |
| 9 | उद्यमिता विकास संस्थान, गुवाहाटी, असम। | |
| 10 | एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र (सीटीटीसी), कोलकाता, पश्चिम बंगाल। | |
| 11 | टूल रूम और प्रशिक्षण केंद्र, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, गुवाहाटी, असम। | |
| 12 | एमएसएमई–प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (पीपीडीसी), आगरा, उत्तर प्रदेश। | |
| 13 | सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इंडस्ट्री (सीडीजीआई), फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। | |
| 14 | एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, इंडो टेक्नोलॉजी सेंटर, इंडो जर्मन टूल रूम, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। | |
| 15 | मानव संसाधन विकास संस्थान, तिरुवनंतपुरम, केरल। | |
| 16 | दूरसंचार क्षेत्र कौशल परिषद, गुरुग्राम, हरियाणा। | |
| 17 | जीवन विज्ञान क्षेत्र कौशल विकास परिषद, नई दिल्ली। | |
| 18 | हनी बी नेटवर्क (गुजरात ग्रासरूट्स इनोवेशन ऑग्मेंटेशन नेटवर्क के द्वारा), अहमदाबाद, गुजरात। | प्रौद्योगिकी और नवाचार भागीदार। |
| 19 | गार्गी जेनेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र। | |
| 20 | अभिनव किसान क्लब, पुणे, महाराष्ट्र। | |
| 21 | गेल इंडिया लिमिटेड। | कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सीएसआर निधि भागीदार। |

## 2.1.10(ख) प्रदर्शनियों / मेलों में सहभागिता:

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने लाभार्थियों के उत्पादों के लिए विपणन अवसर उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित प्रदर्शनियों / मेलों में भाग लिया। उपर्युक्त कार्यक्रमों में शामिल किए गए राज्यों और प्रदर्शित की गई शिल्प वस्तुओं के ब्योरे निम्नलिखित हैं:

फरवरी 2020 में सूरजकुंड मेला में एनएसएफडीसी लाभार्थी अपने उत्पादों को बेचते हुए

| क्र. सं. | प्रदर्शनियां | दिनांक | प्रतिनिधि राज्य | प्रदर्शित और बिक्री की गई शिल्प वस्तुएं |
|---|---|---|---|---|
| 1 | पूर्वी हिमालयन प्रदर्शनी–2019 शिलांग, मेघालय | 16–22 अक्टूबर, 2019 | असम | हथकरघा उत्पाद |
| 2 | कुल्लू दशहरा मेला, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश | 8 –14 अक्टूबर, 2019 | हिमाचल प्रदेश | हथकरघा उत्पाद |
| 3 | शिल्पोत्सव, दिल्ली हाट –2019, दिल्ली | 1 –15 नवंबर, 2019 | दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर। | ब्लॉक प्रिंटिंग, फाइबर आर्टिकल्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, खादी खादी आइटम, ऊनी उत्पाद, हैंड पेंटिंग, पंजाबी जूती, कटलरी, जरी उत्पाद, रेडीमेड गारमेंट्स, कढ़ाई की वस्तुएं, चंदेरी साड़ी, सूट, मोती का काम, शॉल, स्टोल, जैकेट, जुराब, टोपियां, मफलर, चादरें, लकड़ी के खिलौने, फोटोफ्रेम, हैंडीक्राफ्ट आइटम आदि। |
| 4 | आईआईटीएफ, प्रगति मैदान, नई दिल्ली | 14 –27 नवंबर, 2019 | उत्तराखंड, कर्नाटक, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान | रेडीमेड गारमेंट्स, हैंडलूम क्लॉथ वर्क, सिल्क मटेरियल, साड़ी और सूट, लकड़ी के खिलौने, काष्ठ जड़ित कला / पेंटिंग, अचार, ड्रेस मटेरियल, एम्ब्रायडरी, चादरें, ब्लॉक प्रिंटिंग आदि। |
| 5 | लोकोत्सव, गोवा | 10–19 जनवरी, 2020 | मध्य प्रदेश, गुजरात | रेडीमेड गारमेंट्स, हैंडलूम क्लॉथ वर्क, हैंडीक्राफ्ट आइटम आदि। |

| क्र. सं. | प्रदर्शनियां | दिनांक | प्रतिनिधि राज्य | प्रदर्शित और बिक्री की गई शिल्प वस्तुएं |
|---|---|---|---|---|
| 6 | सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, फरीदाबाद, हरियाणा | 1–16 फरवरी, 2020 | गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पुद्दुचेरी, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर और कर्नाटक। | हस्तशिल्प वस्तुएं, काष्ठ जड़ित चित्र, सॉफ्ट खिलौने, हाथ कढ़ाई और क्रोशिए, का सामान, कृत्रिम आभूषण, लकड़ी के खिलौने, हस्त–कढ़ाई बैग, कुशन कवर, पंजाबी जूती, बेड शीट, कुर्ती, दुपट्टा, जरी वर्क, चमड़े का काम, बारमेरी कॉच की काशीदाकारी, चादरे, तकिया कवर, कुशन कवर, आर्ट मेटल वेयर, जूट क्राफ्ट आइटम, मोती जड़ित कपड़े, धातुब्रश, चंदेरी साड़ी, खादी सिल्क, फाइबर लेख और पेंटिंग, चमड़ा उत्पाद, रेडीमेड गारमेंट्स, ब्लॉक प्रिंटिंग आदि। |

वर्ष के दौरान, दिल्ली में 3 प्रमुख प्रदर्शनियों में हमारे लाभार्थियों की कुल बिक्री का आंकड़ा निम्नानुसार है:

| क्र.सं. | प्रदर्शनियों का नाम | दिनांक | ब्रिकी आंकड़ा (रुपए) |
|---|---|---|---|
| 1. | शिल्पोत्सव, दिल्ली हाट, आईएनए, नई दिल्ली | 1–15 नवंबर, 2019 | 45,61,200.00 |
| 2. | आईआईटीएफ, नई दिल्ली | 14–27 नवंबर, 2019 | 30,43,550.00 |
| 3. | सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, फरीदाबाद | 1–16 फरवरी, 2020 | 50,46,600.00 |
| | **समग्र योग** | | **1,26,51,350.00** |

## 2.1.11 राज्यों में संयुक्त (कंपोजिट) जागरूकता शिविर

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने मंत्रालय और राष्ट्रीय निगमों की योजनाओं को क्षेत्रीय स्तर पर प्रचारित करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित 21 संयुक्त/जागरूकता शिविरों में भाग लिया। ये शिविर हरियाणा (यमुना नगर), दिल्ली (द्वारका, सीमापुरी, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुरी), पूर्वी सिक्किम, जम्मू व कश्मीर (कठुआ, मर्ह), उत्तराखंड (हरिद्वार), मध्य प्रदेश (उज्जैन), राजस्थान (जयपुर, सीकर,

दिसंबर 2019 में एनएसएफडीसी और डीएसएफडीसी द्वारा सुंदर नगर, दिल्ली में आयोजित जागरूकता एवं चिकित्सा शिविर

धौलपुर, पोकरण, जैसलमेर), उत्तर प्रदेश (बलिया, नोएडा) कोलकाता और तेलंगाना (भूपालपल्ली) में आयोजित किए गए। ऐसे प्रत्येक शिविर में एनएसएफडीसी को अपनी योजनाओं को प्रचारित करने और आगंतुकों के बीच जन–जागरूकता उत्पन्न करने के लिए योजनाओं के पैम्फलेट बांटने के लिए स्टॉल उपलब्ध कराए गए। कुछ शिविरों में सफल लाभार्थियों को एनएसएफडीसी की योजनाओं के अंतर्गत ऋण लेने और व्यवसाय संबंधी क्रियाकलापों के बारे में अनुभवों को जनसमूह के बीच साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया।

| क्र.सं. | संयुक्त / जागरूकता शिविर | दिनांक |
|---|---|---|
| i. | पूर्वी सिक्किम में जागरूकता–सह–चिकित्सा शिविर | 27 जून, 2019 |
| ii. | उज्जैन, मध्य प्रदेश में जागरूकता शिविर | 10 अगस्त, 2019 |
| iii. | लाडली फाउंडेशन, दिल्ली में जागरूकता शिविर | 10 अगस्त, 2019 |
| iv. | अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन, दिल्ली के दौरान जागरूकता शिविर | 22–23 अगस्त, 2019 |
| v. | 6ठे भारत अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई स्टार्टअप प्रदर्शनी और शिखर सम्मेलन–2019, नई दिल्ली | 23–25 अगस्त, 2019 |
| vi. | यमुनानगर, हरियाणा में जागरूकता शिविर | 31 अगस्त, 2019 |
| vii. | भूपालपल्ली, वारंगल, तेलंगाना में जागरूकता–सह–चिकित्सा शिविर | 20 सितंबर, 2019 |
| viii. | कोलकाता में 7वीं भारतीय राष्ट्रीय प्रदर्शनी–सह–मेला 2019 | 25–29 सितंबर, 2019 |
| ix. | स्वदेशी मेला, द्वारका, दिल्ली | 15–21 अक्टूबर, 2019 |
| x. | हरिद्वार, उत्तराखंड में जागरूकता–सह–चिकित्सा शिविर | 26 नवम्बर, 2019 |
| xi. | सुल्तानपुरी, दिल्ली में जागरूकता–सह–चिकित्सा शिविर | 4 दिसंबर, 2019 |
| xii. | लक्ष्मणगढ़, सीकर, राजस्थान में जागरूकता–सह–मेडिकल शिविर | 6 दिसंबर, 2019 |
| xiii. | जयपुर, राजस्थान में जागरूकता–सह–चिकित्सा शिविर | 6 दिसंबर, 2019 |
| xiv. | सीमापुरी, दिल्ली में जागरूकता–सह–चिकित्सा शिविर | 7 दिसंबर, 2019 |
| xv. | अंबेडकर नगर, दिल्ली में जागरूकता–सह–चिकित्सा शिविर | 7 दिसंबर, 2019 |
| xvi. | धौलपुर, राजस्थान में जागरूकता–सह–चिकित्सा शिविर | 13 दिसंबर, 2019 |
| xvii. | कठुआ, जम्मू एवं कश्मीर में जागरूकता–सह–चिकित्सा शिविर | 18 दिसंबर, 2019 |
| xviii. | मर्ह, जम्मू–कश्मीर में जागरूकता–सह–चिकित्सा शिविर | 19 दिसंबर, 2019 |
| xix. | पोखरण, जैसलमेर, राजस्थान में जागरूकता–सह–चिकित्सा शिविर | 23 दिसंबर, 2019 |
| xx. | स्वदेशी मेला, बलिया, उत्तर प्रदेश | 25 जनवरी –3 फ़रवरी, 2020 |
| xxi. | नोएडा, उत्तर प्रदेश में जागरूकता–सह–चिकित्सा शिविर | 4 मार्च, 2020 |

### 2.1.12 ऋण आधारित और गैर–ऋण आधारित योजना का बाह्य मूल्यांकन अध्ययन (2019–20)

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने मैसर्स डेटावाइस मैनेजमेंट सर्विसेस इंडिया प्रा. लि. (डीएमएसआईपीएल), हैदराबाद को अपनी ऋण आधारित और गैर–ऋण आधारित योजना के मूल्यांकन और अध्ययन का कार्य सौंपा था। इस अध्ययन में 9 राज्यों में वर्ष 2018–19 के दौरान प्रशिक्षित 3,130 लाभार्थियों / प्रशिक्षणार्थियों को शामिल करने की परिकल्पना की गई।

अध्ययन के अंतर्गत राज्य/संघ शासित क्षेत्र वार शामिल लाभार्थी/प्रशिक्षणार्थियों का विवरण नीचे दिया जा रहा है:

| क्र.सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | लाभार्थियों की संख्या | प्रशिक्षणार्थियों की संख्या | कुल |
|---|---|---|---|---|
| (i) | आंध्र प्रदेश | 510 | 20 | 530 |
| (ii) | बिहार | 120 | 50 | 170 |
| (iii) | दिल्ली | 100 | 50 | 150 |
| (iv) | गुजरात | 200 | 20 | 220 |
| (v) | कर्नाटक | 370 | 40 | 410 |
| (vi) | ओडिशा | 100 | 40 | 140 |
| (vii) | पंजाब | 300 | 70 | 370 |
| (viii) | तमिलनाडु | 700 | 120 | 820 |
| (ix) | त्रिपुरा | 300 | 20 | 320 |
| | **कुल** | **2,700** | **430** | **3,130** |

हालांकि, देश में कोविड–19 के प्रक्रोप और दिनांक 25.03.2020 से प्रभावी तालाबंदी (लॉकडाउन) के कारण एजेंसी द्वारा अध्ययन शुरू किया जाना बाकी है।

### 2.1.13 ऋण और गैर–ऋण आधारित योजनाओं का बाह्य मूल्यांकन अध्ययन (2018–19)

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने मेसर्स सेंटर फॉर मार्केट रिसर्च एंड सोशल डेवलपमेंट, नई दिल्ली को अपनी ऋण और गैर–ऋण आधारित योजनाओं के मूल्यांकन अध्ययन का कार्य सौंपा था। इस अध्ययन में 9 राज्यों में वर्ष 2017–18 के दौरान प्रशिक्षित 2,400 लाभार्थियों/प्रशिक्षुओं को शामिल करने की परिकल्पना की गई।

अध्ययन के अंतर्गत राज्य/संघ शासित प्रदेश–वार शामिल किए गए लाभार्थी/प्रशिक्षणार्थियों का विवरण नीचे दिया जा रहा हैं:

| क्र.सं. | राज्य/संघ शासित प्रदेश | लाभार्थियों की संख्या | प्रशिक्षुओं की संख्या | कुल |
|---|---|---|---|---|
| (i) | असम | 50 | 70 | 120 |
| (ii) | छत्तीसगढ़ | 100 | 30 | 130 |
| (iii) | हरियाणा | 100 | 55 | 155 |
| (iv) | केरल | 200 | 45 | 245 |
| (v) | राजस्थान | 100 | 60 | 160 |
| (vi) | उत्तर प्रदेश | 200 | 150 | 350 |
| (vii) | पश्चिम बंगाल | 1,030 | 90 | 1,120 |
| (viii) | महाराष्ट्र | 100 | 0 | 100 |
| (ix) | तेलंगाना | 20 | 0 | 20 |
| | **कुल** | **1,900** | **500** | **2,400** |

अध्ययन अभी जारी हैं। कोविड–19 प्रकोप और बाद में देश में दिनांक 25.03.2020 से प्रभावी लॉकडाउन के कारण, एजेंसी ने अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने हेतु मांग की थी।

**2.1.14 ऋण एवं गैर–ऋण आधारित योजनाओं के बाहरी मूल्यांकन अध्ययन (2017–18) की सिफारिशें**

उपर्युक्त के अलावा, वर्ष के दौरान मैसर्स सेंटर फॉर मार्केट रिसर्च एंड सोशल डेवपलमेंट, नई दिल्ली ने ऋण आधारित योजनाओं और गैर–ऋण आधारित योजना (कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम) दोनों की अंतिम रिपोर्ट (2017–18 के दौरान संचालित) और वर्ष 2016–17 के दौरान ऋण/कौशल विकास प्रशिक्षण लेने वाले 2,379 (1,654 लाभार्थी तथा 725 प्रशिक्षुओं) को शामिल करते हुए 13 राज्यों में अपने लक्ष्य समूह के आर्थिक विकास पर मूल्यांकन का प्रभाव पर रिपोर्ट दी।

**क. ऋण आधारित योजनाएं:**

योजनाओं का राज्यवार निष्कर्ष निम्नानुसार दिया गया है:

| क्र.सं. | राज्य/एससीए या सीए | ऋण आधारित योजनाएं | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | दिए गए उद्देश्य के लिए निधि का उपयोग करने वाले लाभार्थियों का प्रतिशत | संपत्ति अर्जित करने वाले लाभार्थियों का प्रतिशत | गरीबी रेखा (बीपीएल) को पार करने वाले लाभार्थियों का प्रतिशत | दोगुनी गरीबी रेखा (डीपीएल) को पार करने वाले लाभार्थियों का प्रतिशत |
| (i) | आंध्र प्रदेश (आंध्रा बैंक) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 87.00% |
| (ii) | बिहार (एमबीजीबी) | 91.00% | 63.00% | 100.00% | 66.00% |
| (iii) | गुजरात (जीएससीएमबीसीडीसी) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 83.00% |
| (iv) | हिमाचल प्रदेश (एचपीएससीएसटीडीसी) | 98.00% | 98.00% | 100.00% | 96.00% |
| (v) | जम्मू व कश्मीर (जेकेएससीएसटीबीसीडीसी) | 98.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| (vi) | झारखंड (जेएससीडीसी) | 96.00% | 93.00% | 100.00% | 100.00% |
| (vii) | कर्नाटक (डीबीआरएडीसी व विजया बैंक) | 81.88% | 96.13% | 100.00% | 88.40% |
| (viii) | महाराष्ट्र (लिडकॉम) | 94.00% | 94.00% | 86.70% | 80.00% |
| (ix) | मणिपुर (नेडफी) | 99.00% | 99.00% | 100.00% | 99.00% |
| (x) | पंजाब (पीयूएनजीबी) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 98.00% |
| (xi) | तमिलनाडु (पीएएनजीबी) | 99.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| (xii) | तेलंगाना (टीजीबी) | 95.00% | 95.00% | 100.00% | 95.70% |
| (xiii) | त्रिपुरा (टीजीबी) | 92.00% | 92.00% | 100.00% | 89.00% |

एमबीजीबी : मध्य बिहार ग्रामीण बैंक
जीएससीएमबीसीडीसी : डॉ. अम्बेडकर अंत्योदय और विकास निगम (पूर्व में गुजरात अजा अत्यंत पिछड़ा जाति विकास निगम)
एचपीएससीएसटीडीसी : हिमाचल प्रदेश अजा व अजजा विकास निगम
जेकेएससीएसटीबीसीडीसी : जेएंडके अजा, अजजा व पिव विकास निगम
जेएससीडीसी : झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम
डीबीआरएडीसी : डॉ. बी. आर. अम्बेडकर विकास निगम
लिडकॉम : साहित्यरत्न लोकशाहिर अन्नाभाऊ साठे विकास निगम
नेडफी : पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम
पीयूएनजीबी : पंजाब ग्रामीण बैंक
पीएएनजीबी : पांड्यन ग्रामा बैंक
टीजीबी : तेलंगाना ग्रामीण बैंक
टीजीबी : त्रिपुरा ग्रामीण बैंक

## प्रमुख निष्कर्ष

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षों को निम्नानुसार संक्षेपित किया गया है:

| क्र.सं. | विवरण | ब्योरा |
|---|---|---|
| (i) | अध्ययन के दौरान निरीक्षित किए गए लाभार्थियों की संख्या | 13 राज्यों में 1,654 |
| (ii) | दिए गए उद्देश्य के लिए निधि का उपयोग करने वाले लाभार्थियों की संख्या और प्रतिशत | 1,593 (96.31%) |
| (iii) | संपत्ति अर्जित करने वाले लाभार्थियों की संख्या और प्रतिशत | 1,570 (94.92%) |
| (iv) | गरीबी रेखा (बीपीएल) को पार करने वाले लाभार्थियों की संख्या और प्रतिशत | 189 (99.88%) |
| (v) | दोगुनी गरीबी रेखा (डीपीएल) को पार करने वाले लाभार्थियों की संख्या और प्रतिशत | 1,507 (91.11%) |

## अनुशंसाएँ

(i) **सभी ऋण आधारित योजनाओं को कार्यान्वित करें:** अध्ययन में यह पाया है कि 2016–17 में प्रतिदर्श 13 राज्यों में एनएसएफडीसी की ऋण आधारित योजनाओं के तहत कुल 17,978 लाभार्थी लाभान्वित हुए। जिन योजनाओं के तहत लाभार्थी लाभान्वित हुए उनमें सावधि ऋण (टीएल), सूक्ष्म ऋण वित्त (एमसीएफ), महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई), महिला किसान योजना (एमकेवाई) और लघु व्यवसाय योजना (एलवीवाई) शामिल हैं। एनएसएफडीसी अन्य ऋण आधारित योजनाओं को लागू करने की योजना बना सकता है, प्रस्ताव कर सकता है, चैनल साझेदारों को प्रोत्साहित कर सकता है और उनका मार्गदर्शन कर सकता है। अन्य ऋण आधारित योजनाओं को लागू करने के लिए चैनल साझेदारों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि लक्षित आबादी की विभिन्न श्रेणियां अन्य योजनाओं के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकें।

(ii) **ऋण की स्वीकृति एवं संवितरण का समय कम करें:** अध्ययन के दौरान, लाभार्थियों ने चैनल भागीदारों द्वारा आवेदन को प्रक्रमित करने तथा ऋण की मंजूरी एवं संवितरण की धीमी गति का उल्लेख किया। संबंधित राज्यों में वर्ष 2016–17 में एनएसएफडीसी की योजनाओं के तहत लाभार्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने से लेकर ऋण की प्राप्ति तक में लगने वाला औसत समय 6 माह से अधिक पाया गया। इस तरह के विलंब से अपनी भावी गतिविधियां/ स्व–रोजगार शुरू करने के लिए ऋण लेने के लिए आवेदक हतोत्साहित होते हैं और जिसके परिणास्वरूप आर्थिक गतिविधि अपने अभीष्ट पथ से भटक जाती है। चैनल साझेदारों की ओर से ऋण की रकम मंजूर करने में विलंब को इसके लिए मूल कारण के रूप में चिह्नित किया गया है। इस प्रकार, आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से तीन माह के अंदर लक्षित समूह को ऋण मंजूर करने और संवितरित करने के लिए चैनल साझेदारों का मार्गदर्शन किया जाना चाहिए और उनकी निगरानी की जानी चाहिए।

(iii) **ऋण की राशि बढ़ाएं:** अध्ययन में पाया कि एनएसएफडीसी की योजनाओं के तहत वर्ष 2016–17 में लाभार्थियों द्वारा प्राप्त औसत ऋण 57,131.00 रुपए था। सर्वेक्षण में शामिल एक तिहाई लाभार्थियों ने समुचित रूप से अपनी प्रस्तावित आर्थिक गतिविधि शुरू करने के लिए प्रदान किए गए ऋण की अपर्याप्त राशि के बारे में अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की और ऋण की राशि में वृद्धि करने का सुझाव दिया। इस संबंध में, एनएसएफडीसी सूक्ष्म ऋण वित्त (एमसीएफ) के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए ऋण की राशि को ₹1.00 लाख तक बढ़ाने पर विचार कर सकता है।

(iv) **चैनल भागीदारों के कार्यालयों का चक्कर लगाने की संख्या कम करें:** चार में से एक लाभार्थी ने कहा कि चैनल भागीदार के कार्यालय का बार–बार चक्कर लगाने के कारण उन्हें एनएसएफडीसी की योजनाओं के तहत ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इस प्रकार, चैनल भागीदारों का इस बात के लिए मार्गदर्शन किया जाए कि प्रलेखन की प्रक्रिया को सरल बनाकर तथा ऑनलाइन आवेदन के लिए आईटी प्लेटफार्म जैसे कि एसबीएमएस (सामाजिक लाभ प्रबंधन प्रणाली) साफ्टवेयर लागू करके लाभार्थियों द्वारा चैनल भागीदारों के कार्यालय का चक्कर लगाने की संख्या कम करें।

(v) **'दूसरों' को प्रेरित करना:** एनएसएफडीसी की योजनाओं का दायरा बढ़ाने तथा जागरूकता पैदा करने के उद्देश्यों से एनएसएफडीसी की योजनाओं के लाभार्थियों की 'सफलता की कहानियाँ' को वरीयता सोशल या प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्राथमिकतः बड़े पैमाने पर प्रचारित करने की आवश्यकता है। यह कार्य 'वर्ड ऑफ माउथ' द्वारा इन कहानियों के परिचालन तथा अन्यों के अलावा 'पूर्व एवं पश्चात्' परिदृश्य पर आधारित लघु फिल्मों के माध्यम से किया जा सकता है। इस तरह की गतिविधियां अधिक प्रायोगिक बनने के लिए दूसरों को प्रेरित करेंगी और साथ ही जोखिम उठाने की जिज्ञासा पैदा करते हुए गतिविधि जारी रखने के लिए उन्हें प्रेरित भी करेंगी।

ख. **गैर–ऋण आधारित योजना (कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम):**

**प्रमुख निष्कर्ष**

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षों को निम्नानुसार संक्षेपित किया गया है:

| क्र.सं. | ब्योरा | विवरण | | |
|---|---|---|---|---|
| (i) | अध्ययन के दौरान सर्वेक्षण किए गए प्रशिक्षुओं की संख्या | 13 राज्यों में 725 | | |
| (ii) | एनएसएफडीसी के कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद नौकरी की तलाश करने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या और प्रतिशत | 593 (82%) | | |
| (iii) | प्रशिक्षणार्थियों के रोजगार की वर्तमान स्थिति | वैतनिक रोजगार | स्वरोजगार | बेरोजगार |
| | | 331 (46%) | 231 (32%) | 163 (22%) |
| (iv) | नौकरीपेशा प्रशिक्षुओं का औसत मासिक वेतन | 9,647/– | | |
| (v) | स्वरोजगार प्रशिक्षुओं का औसत मासिक वेतन | 6,526/– | | |

अनुशंसाएँ

(i) **उच्च स्तरीय पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान करना:** कुछ प्रमुख प्रशिक्षु (18%) उच्च स्तर के पाठ्यक्रम (प्रबंधक स्तर) में प्रशिक्षित होना चाहते हैं ताकि उन्हें अच्छी स्थिति में नियुक्त होने और अधिक कमाने का अवसर मिल सके। इसके अलावा, 38% नौकरी–पेशे वाले प्रशिक्षुओं और 43% स्वरोजगार वाले प्रशिक्षुओं को अपनी वर्तमान नौकरी/गतिविधि और आय से असंतुष्ट पाया गया। इस प्रकार, एनएसएफडीसी कुछ उच्च स्तर के पाठ्यक्रमों का चयन कर सकता है ताकि प्रशिक्षु आय के साथ–साथ अपनी वर्तमान नौकरी या गतिविधि से संतुष्ट हों।

(ii) **उम्मीदवारों का उचित चयन:** चूंकि अध्ययन में पाया गया कि कई प्रशिक्षु ऐसे थे जिन्होंने प्रशिक्षण के बाद रोजगार की तलाश नहीं की थी अतः ऐसे उम्मीदवारों के उचित चयन पर बल दिया जाना चाहिए जिनकी पाठ्यक्रम को जारी रखने हेतु योग्यता और रुचि है। यह प्रशिक्षण संस्थानों को उम्मीदवारों के रूचि के क्षेत्रों की पहचान करने और उन्हें उनकी पसंद के पाठ्यक्रम में दाखिल करने में मदद भी कर सकता है।

(iii) **प्रभावी नियुक्ति के लिए पहल:** एनएसएफडीसी प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम का प्रभावी प्रचार किया जाना चाहिए और उनका भावी नियोक्ताओं के साथ जुड़ाव होना चाहिए ताकि प्रशिक्षुओं के अधिक और प्रभावी नियुक्ति के लिए नियोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा की जा सके। इसके अलावा, यह सुझाव दिया गया है कि प्रशिक्षुओं के अधिक और प्रभावी नियुक्ति के लिए नियुक्ति कार्य की निगरानी के लिए संस्थान स्तर पर एक नामित अधिकारी होना चाहिए।

(iv) **समय पर वृत्तिका (स्टाइपेंड) जारी करना:** सभी प्रशिक्षुओं ने बताया कि उन्हें प्रशिक्षण के लिए वृत्तिका मिली है। हालांकि, कुछ प्रशिक्षुओं ने बताया कि प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा प्रशिक्षुओं को वृत्तिका देने में देरी के कारण उन्हें समय पर वृत्तिका नहीं मिली। इस प्रकार, समय पर प्रशिक्षुओं को वृत्तिका जारी करने के लिए एनएसएफडीसी को प्रशिक्षण संस्थानों की निगरानी और मार्गदर्शन करना चाहिए।

### 2.1.15 कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम–उपलब्धियां

वर्ष के दौरान, आपके निगम ने अनुसूचित जातियों के 19,445 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए ₹36.01 करोड़ की लागत से कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वीकृत और कार्यान्वित किए हैं और 29 प्रशिक्षण संस्थानों/क्षेत्रीय कौशल परिषदों के साथ भागीदारी स्थापित करके ₹25.82 करोड़ [अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता योजना के अंतर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुदान प्रशिक्षण (अनुदान)–अग्रिम एवं प्रशिक्षण व्यय–लाभार्थी सहित], संवितरित किए। इसके अलावा, आईएफसीआई सोशल फाउंडेशन, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, आरईसी फाउंडेशन, भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड और गेल इंडिया लिमिटेड से ₹363.96 लाख की राशि सीएसआर निधि के तहत प्राप्त हुई और संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों को निर्मुक्त की गई। कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे स्व–रोजगार दर्जी, चमड़े

के जूते–चप्पल – क्लोजिंग और स्टिचिंग, चर्म वस्त्र – कटिंग और क्लिकिंग, मशीन ऑपरेटर–इंजेक्शन मोल्डिंग (एमओए–आईएम), मशीन ऑपरेटर–ब्लो मोल्डिंग (एमओए–बीएम), सीएनसी ऑपरेटर टर्निंग, बेकहो लोडर ऑपरेटर, सामान्य कार्य सहायता, सहायक इलेक्ट्रिशियन, फिटर फेब्रिकेशन, फ्रंट ऑफिस सहायक, इंस्टालेशन टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिक डोमेस्टिक सोल्यूशन, कंज्यूमर एनर्जी मीटर टेक्नीशियन, कूरियर एसोसिएट, सीसीटीवी इंस्टालेशन टेक्नीशियन, डीटीएच सेट–टॉप बॉक्स इंस्टालर एंड सर्विस टेक्निशियन, हैंडसेट रिपेयर इंजीनियर, जैक्वर्ड वीवर हैंडलूम, बेंत और बांस, यूटिलिटी हैंडीक्राफ्ट असेंबलर, एनिमेटर, ग्राफिक डिजाइनर, मेकअप आर्टिस्ट, हैंक डायर, वारपर, सीआरएम डोमेस्टिक वॉइस एंड नॉन वॉइस, लाइफ गार्ड, हास्पिटल फ्रंट डेस्क कोर्डिनेटर, ब्यूटी थेरेपिस्ट, कार्पेट वीवर, एनग्रेविंग आर्टिजन, वेयरहाउस पैकर, कंसाइनमेंट बुकिंग असिस्टेंट, लोन प्रोसेसिंग ऑफिसर आदि। 19,445 व्यक्तियों ने कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जिनमें से 7,500 व्यक्तियों ने अपना प्रशिक्षण पूरा किया और प्रदान की गई सूचना के अनुसार स्वरोजगार/वैतनिक रोजगार में प्रशिक्षणार्थियों के नियोजन की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा, वर्ष 2018–19 के दौरान प्रशिक्षण शुरू करने वाले 9,086 व्यक्तियों के संबंध में प्रशिक्षण वर्ष के दौरान पूरा हुआ।

*2018–19 के दौरान कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत शुरू किए गए और पूर्ण किए गए प्रशिक्षण का राज्य/संघ राज्यवार क्षेत्रवार सारांश* ***अनुलग्नक–IV*** *में दिया गया है।*

### 2.1.16 अनुसूचित जाति के बुनकर क्लस्टर का विकास

वर्ष के दौरान, विकास आयुक्त (हथकरघा), नई दिल्ली ने दिनांक 07.08.2019 के पत्र के माध्यम से असम के बारदोलोनी ब्लाक, धेमाजी जिला और अगमोनी ब्लाक, धुबरी जिला में एनएसएफडीसी को राज्य स्तरीय परियोजना समिति (एसएलपीसी), असम सरकार द्वारा संस्तुत किए गए चार प्रस्तावों में से दो ब्लाक स्तरीय क्लस्टर (बीएलसी) संस्वीकृत किए हैं। परियोजना की कुल लागत 300 बुनकरों को शामिल करने के लिए ₹179.88 लाख और 566 बुनकरों को शामिल करने के लिए ₹178.38 लाख थी। दोनों बीएलसी के तहत विकास आयुक्त (हथकरघा) ने बेसलाइन सर्वेक्षण, उत्पाद विकास, क्लस्टर की गतिविधियों के प्रलेखन, डिजाइनर की तैनाती तथा परियोजना प्रबंधन लागत (पीएमसी) के लिए एनएसएफडीसी को ₹13.30 लाख रुपए की राशि भी जारी की। इसी तरह विकास आयुक्त (हथकरघा) के राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के दिशानिर्देशों के अनुसार हथकरघा संवर्धन सहायता (एचएसएस) (प्रौद्योगिकी उन्नयन) एवं कौशल उन्नयन के लिए दोनों बीएलसी के तहत बुनकर सेवा केन्द्र (डब्ल्यू एससी) के साथ ₹70.432 लाख का बजटीय प्रावधान भी किया गया। प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अंतर्गत सभी संस्वीकृत हस्तक्षेपों को प्रारंभ करने की अनुमति संबंधी एनएसएफडीसी के अनुरोध पर विकास आयुक्त (हथकरघा) के स्तर पर अनिर्णय की स्थिति के कारण बीएलसी शुरू नहीं किए जा सके।

पहुंच का विस्तार करने के लिए आपके निगम ने वर्ष के दौरान विकास आयुक्त (हथकरघा), वस्त्र मंत्रालय के राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के अखिल भारतीय कार्यान्वयन के लिए दो और पीआईए अर्थात् मैसर्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट (आईआईआरएम), जयपुर (राजस्थान) और मैसर्स जय दशम हस्तकला औद्योगिक सहकारी मंडली लिमिटेड, अहमदाबाद, (गुजरात) के साथ करार–ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए हैं।

### 2.1.17 अनुसूचित जाति के शिल्पकार क्लस्टर का विकास

वर्ष के दौरान, एनएसएफडीसी ने राजस्थान के बीकानेर जिले के ग्राम पोगल तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में एनएसएफडीसी द्वारा शुरू की गई डिजाइन एवं तकनीकी विकास कौशल (डीटीडीडब्ल्यू) और एकीकृत डिजाइन एवं तकनीकी विकास परियोजना (आईडीटीडीपी) के तहत सहायता प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के 70 कारीगरों को डीबीटी के तहत ₹9.63 लाख रुपए की मजदूरी क्षतिपूर्ति भी जारी की है। इसी तरह, दिनांक 24.08.2019 को इस क्लस्टर के अनूसूचित जाति के 110 कारीगरों को टूल किट का भी वितरण किया गया। एनएसएफडीसी ने संस्वीकृत कार्यक्रमों के उपयोग प्रमाण–पत्र के लिए दूसरी एवं अंतिम किश्त के संवितरण हेतु विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) से ₹33.505 लाख की राशि भी प्राप्त की है।

इसी तरह, गडरा रोड क्लस्टर, बाड़मेर जिला, राजस्थान में शुरू करने के लिए संस्वीकृत हस्तक्षेपों के उपयोग प्रमाण–पत्रों के एवज में दूसरी एवं अंतिम किश्त के संवितरण के लिए विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) से ₹31.38 लाख की राशि भी प्राप्त हुई। तद्नुसार, संबंधित पीआईए को निधियां जारी की गई।

एनएसएफडीसी ने 02 हस्तशिल्प तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम (एचटीटीपी) के शेष हस्तक्षेपों को भी पूरा कर लिया है। एनएसएफडीसी को संस्वीकृत विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) की अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (एएचवीवाई) के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम से 20 कारीगरों को शामिल करते हुए जीतवारपुर एवं रणती गांव, मधुबनी जिला, बिहार में कार्यक्रम आयोजित किए गए।

आपके निगम ने वर्ष के दौरान, पहुंच का विस्तार करने के लिए विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय की अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (एएचवीवाई) के अखिल भारतीय कार्यान्वयन के लिए एक और पीआईए अर्थात् मैसर्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट (आईआईआरएम), जयपुर, (राजस्थान) के साथ समझौता–करार पर हस्ताक्षर किया है।

### 2.1.18 वर्ष 2019–20 के लिए सर्वोत्तम पांच कार्य–निष्पादन करने वाली राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां

**(क) संवितरण लिया गया**

| रैंक | राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी का नाम | राशि (₹ करोड़) |
|---|---|---|
| 1 | एपीएससीसीएफसी, आंध्र प्रदेश | 113.34 |
| 2 | आरएससीडीसी, राजस्थान | 62.76 |
| 3 | डब्ल्यूबीएससीएसटीओबीसीडीएफसी, पश्चिम बंगाल | 29.35 |
| 4 | जीएससीडीसी, गुजरात | 20.29 |
| 5 | केएसडीसी, केरल | 16.12 |

### (ख) निधि का उपयोग (संचयी)

| रैंक | राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी का नाम | राशि (₹ करोड़) |
|---|---|---|
| 1 | एचएसएफडीसी, हरियाणा | 97.26 |
| 2 | जीएससीडीसी, गुजरात | 86.81 |
| 3 | एचपीएससीएसटीडीसी, हिमाचल प्रदेश | 86.53 |
| 4 | केएसडीसी, केरल | 82.83 |
| 5 | टीएससीडीसी, त्रिपुरा | 81.52 |

### (ग) अदायगी की गई

| रैंक | राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी का नाम | राशि (₹ करोड़) |
|---|---|---|
| 1 | डब्ल्यूबीएससीएसटीओबीसीडीएफसी, पश्चिम बंगाल | 36.17 |
| 2 | एपीएससीसीएफसी, आंध्र प्रदेश | 27.14 |
| 3 | डीबीआरएडीसी, कर्नाटक | 10.10 |
| 4 | केएसडब्ल्यूसीडीसी, केरल | 8.83 |
| 5 | केएसडीसी, केरल | 4.55 |

### (घ) शामिल किए गए लाभार्थी

| रैंक | राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी का नाम | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | डब्ल्यूबीएससीएसटीओबीसीडीएफसी, पश्चिम बंगाल | 25,258 |
| 2 | आरएससीडीसी, राजस्थान | 4,266 |
| 3 | एपीएससीसीएफसी, आंध्र प्रदेश | 3,255 |
| 4 | केएसडीसी, केरल | 1,308 |
| 5 | केएसडब्यूडीसी, केरल | 432 |

### (ङ) महिला लाभार्थी

| रैंक | राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी का नाम | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | डब्ल्यूबीएससीएसटीओबीसीडीएफसी, पश्चिम बंगाल | 25,101 |
| 2 | आरएससीडीसी, राजस्थान | 2,235 |
| 3 | एपीएससीसीएफसी, आंध्र प्रदेश | 1,856 |
| 4 | केएसडीसी, केरल | 928 |
| 5 | केएसडब्ल्यूडीसी, केरल | 432 |

## 2.1.19 वर्ष 2019–20 के लिए सर्वोत्तम तीन कार्य–निष्पादन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

| अखिल भारत के लिए संवितरण लिया गया | | |
|---|---|---|
| रैंक | सार्वजनिक क्षेत्र के बैक का नाम | राशि (₹ करोड़) |
| 1 | इंडियन बैंक | 60.00 |
| 2 | बैंक ऑफ बड़ौदा | 43.62 |
| 3 | सिंडिकेट बैंक | 4.27 |

## 2.1.20 वर्ष 2019–20 के लिए सर्वोत्तम पांच कार्य–निष्पादन करने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

| संवितरण लिया गया | | |
|---|---|---|
| रैंक | क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्र के बैक का नाम | राशि (करोड़ रु.) |
| 1 | पूर्वांचल बैंक, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश | 68.34 |
| 2 | तमिलनाडु ग्रामा बैंक, सेलम, तमिलनाडु | 67.50 |
| 3 | कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, धारवाड़, कर्नाटक | 36.91 |
| 4 | कर्नाटक ग्रामीण बैंक, बेल्लारी, कर्नाटक | 34.53 |
| 5 | पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला, पंजाब | 32.69 |

## 2.1.21 राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी को प्रोत्साहित करने के लिए की गई पहलें

### 2.1.21(क) वसूली अवसंरचना के विकास के लिए राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों की प्रोत्साहन योजना (आईएसएसडीआरआई)

आपका निगम वर्ष 2007–08 से एक वित्तीय वर्ष में राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी द्वारा एनएसएफडीसी को चुकाई गई कुल राशि का 0.5% की दर से प्रोत्साहन देने के लिए योजना चला रहा है, यह ऐसे राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी के लिए है, जिनकी वित्त वर्ष के अंत में संचयी वसूली 60% से अधिक है अथवा पिछले वित्तीय वर्ष से कम से कम 10% अंश (पॉइंट) का वसूली में सुधार है और जिन्होंने एनएसएफडीसी को शत–प्रतिशत अदायगी की है।

राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी के अनुरोध पर, योजना को नीचे दिए अनुसार उदार किया गया है:

(i) पूर्ववर्ती वर्ष के अंत में, एनएसएफडीसी को शत–प्रतिशत अदायगी करने वाले राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी को आईएसएसडीआरआई के अंतर्गत प्रोत्साहन के रूप में वर्ष में अदा की गई कुल राशि का 0.5% उपलब्ध कराया जाएगा, बशर्ते कि उनकी लाभार्थियों से वसूली कम से कम 50% हो अथवा वसूली सुधार पिछले वित्तीय वर्ष में कम से कम 5% पॉइंट है।

(ii) पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के अंत में एनएसएफडीसी को 90% अदा करने वाले राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी को आईएसएसडीआरआई के अंतर्गत प्रोत्साहन के रूप में वर्ष में अदा की गई कुल राशि का 0.25% उपलब्ध कराया जाएगा बशर्ते कि उनकी लाभार्थियों से वसूली कम से कम 50% हो अथवा उनका वसूली सुधार पिछले वित्तीय वर्ष में कम से कम 5 प्रतिशत पॉइंट है।

चूंकि योजना का राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी द्वारा अच्छा स्वागत किया गया था, इसलिए इसका कार्यान्वयन 31.03.2022 तक बढ़ा दिया गया है।

वर्ष के दौरान, वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए निम्नलखित एससीए को आरईएसएसडीआरआई के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है:

| क्र.सं. | राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी (एससीए) का नाम | प्रोत्साहन राशि (₹) |
|---|---|---|
| 1. | चंडीगढ़ अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ | 4,769/– |
| 2. | गोवा राज्य अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, गोवा | 3,837/– |
| 3. | हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा | 28,996/– |
| 4. | केरल राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड, केरल | 2,43,372/– |
| 5. | केरल राज्य महिला विकास निगम, केरल | 2,78,594/– |
| 6. | पश्चिम बंगाल अजा, अजजा व अन्य पिव विकास एवं वित्त निगम, पश्चिम बंगाल | 18,25,462/– |
| | **कुल** | **23,19,453/–** |

वर्ष के दौरान, वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए निम्नलिखित एससीए को आईएसएसडीआरआई के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है:

| क्र.सं. | राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी (एससीए) का नाम | प्रोत्साहन राशि (₹) |
|---|---|---|
| 1. | चंडीगढ़ अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ | 10,363/– |
| 2. | गोवा राज्य अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, गोवा | 8,800/– |
| 3. | हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा | 54,773/– |
| 4. | जम्मू व कश्मीर अजा, अजजा एवं अपिव विकास निगम, जम्मू व कश्मीर | 92,597/– |
| 5. | केरल राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड, केरल | 2,43,372/– |
| 6. | केरल राज्य महिला विकास निगम, केरल | 2,78,594/– |
| 7. | पश्चिम बंगाल अजा, अजजा व अन्य पिव विकास एवं वित्त निगम, पश्चिम बंगाल | 21,50,130/– |
| | **कुल** | **28,38,629/–** |

### 2.1.21(ख) 'राष्ट्रीय निष्पादन उत्कृष्टता पुरस्कार' (एनएपीई) की योजना

आपका निगम, बेहतर निष्पादन करने वाले एससीए के प्रोत्साहन के लिए वर्ष 2007–08 से 'राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी का रेटिंग तंत्र और बेहतर निष्पादन के लिए पुरस्कार की योजना' चला रहा है। योजना का नाम संशोधित कर 'निष्पादन उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार योजना' (एनएपीई) कर दिया गया है। योजना में संशोधन भारत सरकार की वर्तमान प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर किया गया है।

नई योजना वर्ष 2016–17 से लगभग ₹45.00 लाख प्रति वर्ष के कुल बजट से कार्यान्वित की जाएगी।

'निष्पादन उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार' के अंतर्गत एससीए को निष्पादन प्रोत्साहन निम्न प्रकार से दिया जाएगा:

| स्तर | पैरामीटर | पुरस्कार (₹ लाख में) | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पहला | दूसरा | तीसरा | |
| I | एनएसएफडीसी से एक वर्ष में नोशनल आबंटन की तुलना में ₹3.00 करोड़ तक की निधि लेने वाले एससीए | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 10.00 |
| II | एनएसएफडीसी से एक वर्ष में नोशनल आबंटन की तुलना में ₹3.00 करोड़ से अधिक और ₹10.00 करोड़ तक की निधि लेने वाले एससीए | 7.00 | 5.00 | 3.00 | 15.00 |
| III | एनएसएफडीसी से एक वर्ष में नोशनल आबंटन की तुलना में ₹10.00 करोड़ से अधिक की निधि लेने वाले एससीए | 10.00 | 6.00 | 4.00 | 20.00 |
| | **कुल** | **22.00** | **14.00** | **9.00** | **45.00** |

वर्ष के दौरान, वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए निम्नलिखित एससीए को स्तर–I, II और III श्रेणी के तहत एनएपीई के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है:

**स्तर–I**

(₹ लाख में)

| राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी (एससीए) का नाम | कंपोजिट स्कोर | रेटिंग | स्थिति | पात्र पुरस्कार राशि |
|---|---|---|---|---|
| केरल राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड, केरल | 1.75 | बहुत अच्छा | विजेता | 5.00 |
| गोवा राज्य अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, गोवा | 2.43 | बहुत अच्छा | 1ला उपविजेता | 3.00 |
| चंडीगढ़ अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ | 2.80 | अच्छा | 2रा उपविजेता | 2.00 |

**स्तर–II**

(₹ लाख में)

| राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी (एससीए) का नाम | कंपोजिट स्कोर | रेटिंग | स्थिति | पात्र पुरस्कार राशि |
|---|---|---|---|---|
| केरल राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड, केरल | 2.55 | अच्छा | विजेता | 7.00 |
| दिल्ली अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक व विकलांगजन वित्तीय एवं विकास निगम, दिल्ली | 2.95 | अच्छा | 1ला उपविजेता | 5.00 |
| गुजरात अनुसूचित जाति विकास निगम, गुजरात | 3.03 | अच्छा | 2रा उपविजेता | 3.00 |

स्तर–III

(₹ लाख में)

| राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी (एससीए) का नाम | कंपोजिट स्कोर | रेटिंग | स्थिति | पात्र पुरस्कार राशि |
|---|---|---|---|---|
| पश्चिम बंगाल अजा, अजजा व अपिव विकास एवं वित्त निगम, पश्चिम बंगाल | 2.30 | बहुत अच्छा | विजेता | 10.00 |
| हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा | 2.68 | अच्छा | 1ला उपविजेता | 6.00 |
| आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति सहकारी वित्त निगम, आंध्र प्रदेश | 2.91 | अच्छा | 2रा उपविजेता | 4.00 |
| **समग्र कुल (I+II+III स्तर)** | | | | **45.00** |

## 2.1.22 चैनलाइजिंग एजेंसी (सीए) को प्रोत्साहित करने के लिए की गई पहलें

### 2.1.22(क) वसूली अवसंरचना के विकास हेतु चैनलाइजिंग एजेंसी के लिए प्रोत्साहन योजना (आईएसओसीए)

दि. 20.03.2020 को आयोजित बोर्ड की 153वीं बैठक में एनएसएफडीसी के निदेशक मंडल ने नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसएफडीसी) की अन्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों से भिन्न सभी एजेंसियां) के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी प्रदान की है।

इस योजना का उद्देश्य अन्य चैनलाइजिंग एजेंसियों की अवसंरचना को सुदृढ़ करना है ताकि वे अपने वितरण तंत्र को बेहतर बनाकर एनएसएफडीसी की योजनाओं का बेहतर कार्यान्वयन कर सकें और साथ ही जागरूकता पैदा करने, पात्र लाभार्थियों को संगठित करने, संवितरित निधियों का समय से उपयोग तथा वसूली तंत्र को सुदृढ़ कर सकें।

(क) अन्य चैनलाइजिंग एजेंसियां जिन्होंने एनएसएफडीसी की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पिछले 3 वर्षों के दौरान एनएसएफडीसी से लगातार निधियां प्राप्त की हैं।

(ख) संगत वित्तीय वर्ष जिसके लिए प्रोत्साहन योजना पर विचार किया गया है, के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार निधियों का संचयी उपयोग कम से कम 90% होना चाहिए।

(ग) संगत वित्तीय वर्ष जिसके लिए प्रोत्साहन योजना पर विचार किया गया है, तक अन्य चैनलाइजिंग एजेंसी (ओसीए) (वसूली पर ब्याज सहित) की संचयी वसूली 100% होनी चाहिए।

(घ) एनएसएफडीसी से प्राप्त पिछली प्रोत्साहन राशि, यदि कोई है, का कोई लंबित उपयोग प्रमाण–पत्र नहीं होना चाहिए।

आपका निगम संगत वित्तीय वर्ष जिसके लिए प्रोत्साहन योजना पर विचार किया गया है, के दौरान अन्य चैनलाइजिंग एजेंसियों द्वारा एनएसएफडीसी को पुनर्भुगतान की गई कुल राशि (वसूली पर ब्याज को छोड़कर, यदि कोई है) के 0.5% की दर से या ₹10.00 लाख, जो भी कम हो, प्रोत्साहन राशि प्रदान करता है।

अन्य चैनलाइजिंग एजेंसी (ओसीए) द्वारा निम्नलिखित गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन राशि का उपयोग किया जाएगाः

(क) वितरण तंत्र में सुधार, उदाहरण के लिए कंप्यूटर/प्रिंटर/इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं संबद्ध पेरिफरल की खरीद, लाभार्थियों के रिकार्डों का कंप्यूटरीकरण तथा डिजिटीकरण और डीबीटी प्रणाली को सुनिश्चित करना आदि।

(ख) ऋण की वसूली और निगरानी के लिए वाहन खरीदना/किराए पर लेना।

अन्य चैनलाइजिंग एजेंसी (ओसीए) जीएफआर 12सी में एनएसएफडीसी से प्राप्त प्रोत्साहन राशि का समेकित उपयोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे जिस पर ओसीए के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर होंगे एवं मुहर लगी होगी। नई योजना वित्तीय वर्ष 2020–21 से लागू की जाएगी।

**2.1.22(ख) एनएसएफडीसी की राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए)/चैनलाइजिंग एजेंसियों (सीए) के अधिकारियों के लिए एक दिवसीय कार्यपालक विकास कार्यक्रम**

एनएसएफडीसी अधिकतम प्रति कार्यक्रम ₹50,000/– के बजट के साथ एससीए और सीए के अधिकारियों के लिए एक दिवसीय कार्यपालक विकास कार्यक्रम का आयोजन कर सकता है।

**2.1.23 लाभार्थियों के लिए की गई पहल–वार्षिक पारिवारिक आय प्रमाण के संदर्भ में एनएसएफडीसी की ऋण नीति में संशोधन**

एनएसएफडीसी के निदेशक मंडल में दि. 20.03.2020 को आयोजित अपने बोर्ड की 153वीं बैठक में एनएसएफडीसी की योजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन के लिए वार्षिक पारिवारिक आय के संदर्भ में प्रमाणन की वर्तमान विधि के अलावा प्रमाणन की निम्नलिखित विधि को मंजूरी प्रदान की हैः

(i) एससीए के माध्यम से सहायता के मामले में राज्य/केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से पृष्ठांकित स्वयं प्रमाणित वार्षिक पारिवारिक आय प्रमाण–पत्र।

(ii) पीएसबी/आरआरबी के मामले में शाखा प्रबंधक द्वारा विधिवत रूप से पृष्ठांकित स्व–प्रमाणित वार्षिक पारिवारिक आय प्रमाण–पत्र।

**2.1.24 राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए), सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों (पीएसबी)/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए एनएसएफडीसी की ऋण नीति में संशोधन**

**(i) भारत में पाठ्यक्रमों के लिए एससीए को शक्तियों के प्रत्यायोजन के अंतर्गत एससीए द्वारा शिक्षा ऋण के प्रस्तावों की संस्तुति हेतु मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी)**

एनएसएफडीसी के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 20.03.2020 को आयोजित बोर्ड की 153वीं बैठक में एनएसएफडीसी की योजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन के लिए एनएसएफडी की शिक्षा ऋण नीति को संशोधित किया गया है तथा एससीए को सलाह दी गई है कि वे छात्र के व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करने की बजाय सामूहिक प्रस्तावों को साररूप [कोर्स समाप्ति का

माह और वर्ष ₹1.50 लाख तक तथा ₹1.50 लाख से ₹3.00 लाख तक की वार्षिक पारिवारिक आय के अंतर्गत पुरुष एवं महिला/पुरूष छात्रों (ग्रामीण/शहरी) की संख्या, वित्त का साधन, संवितरण की वार्षिक अनुसूची, इत्यादि] में प्रायोजित करें। संशोधित नीति दिनांक 01.04.2020 से कार्यान्वित की गई है।

**(ii) एनबीएफसी – एमएफआई के लिए एनएसएफडीसी की ऋण नीति में संशोधन**

एनबीएफसी – एमएफआई के माध्यम से कार्यान्वित आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना (एएमवाई) के संबंध में एनएसएफडीसी की ऋण नीति को एनएसएफडीसी के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 20.03.2020 को आयोजित 153वीं बैठक में संशोधित किया गया है।

**ब्याज में 2% की कटौती करके ब्याज दर संशोधित की गई है**

योजना के तहत ब्याज प्रभारित करने का संशोधित स्वरूप इस प्रकार है:

| एनएसएफडीसी से एनबीएफसी – एमएफआई | एनबीएफसी – एमएफआई पर विस्तारित ब्याज | एनबीएफसी – एमएफआई से लाभार्थी |
|---|---|---|
| महिला एसएचजी के लिए 2% वार्षिक<br>पुरूष एसएचजी के लिए 3% वार्षिक | 8% | महिलाओं के लिए 10% वार्षिक<br>पुरुषों के लिए 11% वार्षिक |

**टिप्पणी:** ब्याज में 2% की छूट प्रदान करने की मौजूदा प्रणाली को बंद समझा जाए।

**(iii) क्लस्टर मोड के तहत एनबीएफसी – एमएफआई**

न्यूनतम 100 लाभार्थियों को शामिल करते हुए क्लस्टर दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले एनबीएफसी – एमएफआई के मामले में ऋण की अधिकतम राशि नए चैनल भागीदारों के लिए प्रति एनबीएफसी – एमएफआई और ₹2.00 करोड़ न्यूनतम 3 वर्ष के लिए एनएसएफडीसी की निधियां प्राप्त करने वाले मौजूदा चैनल साझेदारों के लिए प्रति एनबीएफसी – एमएफआई ₹5.00 करोड़ होगी। इसके अलावा, किसी भी समय मूलधन की बकाया राशि प्रति एनबीएफसी – एमएफआई क्रमशः ₹2.00 करोड़/₹5.00 करोड़ से अधिक नहीं होगी।

## 2.1.25 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन

आयुष मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में, एनएसएफडीसी ने 21 जून, 2019 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इस अवसर पर, आपके निगम के कार्मिकों के लिए 'योग प्रशिक्षण–सत्र' को आयोजित करने के लिए योग प्रशिक्षक को आमंत्रित किया गया।

एनएसएफडीसी ने 21 जून, 2019 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया

### 2.1.26 सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) के लिए सार्वजनिक प्रापण (Procurement) नीति

वर्ष 2019–20 के दौरान, आपके निगम ने सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) के लिए सार्वजनिक प्रापण नीति के अनुपालन में अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है।

## 3. प्रचालनात्मक कार्य–निष्पादन के संदर्भ में वित्तीय निष्पादन

### 3.1 आय और व्यय लेखा

(i) वर्ष के दौरान, आपके निगम की प्रचालन (निवल) से आय (राजस्व) ₹68.89 करोड़ है। वर्ष के दौरान, आपके निगम की प्रचालन (निवल) से प्रचालन लाभ या अधिशेष/राजस्व 67.10% है।

(ii) आपके निगम की आय ₹73.78 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2019–20 में ₹83.65 करोड़ हो गई है।

(iii) कर्मचारी लागत सहित कुल व्यय ₹19.85 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2019–20 में ₹22.67 करोड़ हो गया।

(iv) व्यय से आय की अधिकता, वर्ष 2018–19 के ₹53.94 करोड़ की तुलना में वर्ष 2019–20 में ₹60.98 करोड़ है।

### 3.2 लाभ का विनियोजन

निगम व्यय से आय की अधिकता का 10% विशेष आरक्षित निधि में तथा शेष राशि सामान्य आरक्षित में अंतरित करता है। तद्नुसार, विशेष आरक्षित निधि में ₹8.92 करोड़ विनियोजित किया है और सामान्य आरक्षित में भावी संवितरण करने के लिए ₹51.60 करोड़ अंतरित किया है।

### 3.3 प्रति शेयर अर्जन

प्रति इक्विटी शेयर अर्जन वर्ष 2018–19 के ₹36.96 और ₹36.96 (मूलभूत और तरलीकृत) की तुलना में वर्ष 2019–20 के दौरान ₹40.75 और ₹40.75 (मूलभूत और तरलीकृत) है।

## 4. निगम की कार्य पद्धति में सुधार

### 4.1 समझौता–ज्ञापन श्रेणीकरण (2018–19)

आपके निगम ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार को लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए समझौता–ज्ञापन की स्व–मूल्यांकन निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत की। लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने समझौता–ज्ञापन के लिए 97 का संयुक्त स्कोर और आपके निगम के कार्य निष्पादन को 'उत्कृष्ट' श्रेणी प्रदान की है।

## 4.2 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन लाइसेंस का आईएस/आईएसओ 9001:2008 से आईएस/आईएसओ 9001:2015 में परिवर्तन

आपकी कंपनी के गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन लाइसेंस को आईएस/आईएसओ 9001:2015 के अनुसार गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन की सभी आवश्यकताओं के अनुसार निगरानी–सह–परिवर्तन लेखा परीक्षा की सफल समाप्ति के बाद भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा वर्ष 2019–20 में आईएस/आईएसओ 9001:2008 से आईएस/आईएसओ 9001:2015 में संशोधित किया गया। बीआईएस ने सितंबर, 2019 में निगरानी–सह–परिवर्तन लेखा परीक्षा संचालित की तथा अक्टूबर, 2019 में लाइसेंस में संशोधन के लिए सिफारिश की। बीआईएस द्वारा आवंटित संशोधित लाइसेंस नंबर सीआरओ/क्यूमएम/एल–8002836.3 है। यह लाइसेंस 19 सितंबर, 2019 से 29 नवंबर, 2019 तक वैध था। तथापि, इसे विनियमों में यथानिर्धारित के रूप में पुनः प्रमाणित किया जा सकता है। तद्नुसार, लाइसेंस के नवीकरण के लिए जनवरी, 2020 में निर्धारित प्रपत्र में बीआईएस को आवेदन भेजा गया है।

## 4.3 सूचना प्रौद्योगिकी(आईटी) प्रणाली का सुदृढ़ीकरण

- आपके निगम ने एक नई गतिशील, दिव्यांग अनुकूल, द्विभाषी वेबसाइट प्रारंभ की और अनुरक्षित कर रहा है जो भारत सरकार के वेबसाइट दिशानिर्देशों (जीआईजीडब्ल्यू) के अनुपालन में एक वेब आधारित कौशल प्रशिक्षण अनुप्रयोग है एनआईसी क्लाउड सर्वर में होस्ट किया जा रहा है।
- आपका निगम विभिन्न रिपोर्टों के सृजन के लिए आंतरिक रूप से तैयार किए गए मॉड्यूल में परियोजना संबंधी आंकड़ों के लिए डाटाबेस अनुरक्षित कर रहा है। विभिन्न वायरसों, स्पाईवेयर, एडवेयर और अन्य दोषपूर्ण प्रोग्रामों के प्रति आंकड़ों, हार्डवेयर और नेटवर्किंग के व्यापक संरक्षण के लिए आपके निगम ने एंटी वायरस सॉफ्टवेयर संस्थापित किया है, जिसे आवधिक रूप से अपडेट किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण के सुदृढ़ीकरण हेतु रिपोर्ट वर्ष के दौरान, पीसी, लैपटॉप, सहायक उपकरण और बाह्य उपकरणों का प्रापण किया गया।
- नया वेब–आधारित एनएसएफडीसी का ऋण लेखांकन सॉफ्टवेयर विकसित कर दिया गया है और वर्तमान में समानांतर चल रहा है।
- एनएसएफडीसी की विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत शामिल किए गए लाभार्थियों के डिजिटल संग्रह को बनाए रखने के लिए एक वेब–आधारित लाभार्थी ट्रैकिंग प्रणाली (बीटीएस) को विकसित और कार्यान्वित किया गया है।
- एनएसएफडीसी प्रायोजित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों को क्षेत्रीय कौशल परिषदों के माध्यम से कार्यान्वित करने के लिए गैर–सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों के पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित और होस्ट किया गया है।
- कार्यालय इन्वेंट्री से संबंधित मुद्दों और प्राप्तियों के रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए इन–हाउस इन्वेंटरी मैनेजमेंट मॉड्यूल विकसित और कार्यान्वित किया गया है।

## 5. मानव संसाधन विकास

### 5.1 मानव पूंजी और एनएसएफडीसी स्टाफ का प्रशिक्षण

आपके निगम में 31 मार्च, 2020 को प्रधान कार्यालय और निगम के तीन संपर्क केंद्रों को मिलाकर कुल 80 कर्मचारी नियोजित थे। निगम, संगठनात्मक स्थापना में अलग–अलग व्यक्तियों और समूहों के कार्य–निष्पादन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण और विकास को, संगठनात्मक क्रियाकलापों से संबंधित कार्य के रूप में मानता है। अपने मानव संसाधनों के, अधिनियमों, नियमों और व्यावसायिक लक्ष्यों की नवीनतम आवश्यकताओं के कौशल के अनुरूप बनाए रखने के लिए कार्यालय में आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अलावा, आपके निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को निगम के कार्यकलाप के संगत क्षेत्रों में अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रमुख संस्थानों में भेजा गया। प्रशिक्षण और संस्थानों के ब्योरे निम्नलिखित हैं:

| क्र. सं. | प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम | प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजक |
|---|---|---|
| 1 | एडवांस एक्सेल | मै. टूलबज टेक्नोलॉजीज, नई दिल्ली |
| 2 | योग प्रशिक्षण | आंतरिक प्रशिक्षण |
| 3 | अनुशासनात्मक कार्यवाही और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों का निपटान | एकीकृत प्रशिक्षण और नीति अनुसंधान (प्रशिक्षण प्रभाग), नई दिल्ली |
| 4 | टिप्पण और आलेखन पर कार्यशाला | आईएसटीएम, नई दिल्ली |
| 5 | रिकॉर्ड अधिकारी के लिए अभिलेख प्रबंधन में अभिमुखी पाठ्यक्रम | राष्ट्रीय अभिलेखागार, जयपुर |
| 6 | लोक उद्यम सर्वेक्षण 2018–19 की डेटा इनपुट शीट ऑनलाइन भरने के निर्देश पर कार्यशाला | एनआईएफएम के सहयोग से डीपीई |
| 7 | "संप्रेषण कौशल" पर कार्यशाला | आईएसटीएम, नई दिल्ली |
| 8 | कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर संगोष्ठी | इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस, नई दिल्ली |
| 9 | "प्रबंधकीय प्रभावशीलता" पर प्रबंधकीय विकास कार्यक्रम | आईआईएम–कोलकाता |
| 10 | कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम की धारा 7–ए के अंतर्गत कार्यवाही में भाग लेने के लिए दिशानिर्देश | स्कोप |
| 11 | कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत हाल में हुए बदलाव | भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) सहित स्कोप |
| 12 | एमएसएमई के वित्तपोषण के लिए रणनीतियाँ | नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट (एनआईबीएम) |
| 13 | चुनौतियां और मध्यस्थता प्रबंधन पर संगोष्ठी | स्कोप, नई दिल्ली |
| 14 | ग्लोबल समिट 2020 "क्रायोजेनिक फोर्स के रूप में मिशन 5 ट्रिलियन सीएमए" | इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया |
| 15 | आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 के तहत अनुपालन संबंधी पारदर्शिता लेखापरीक्षा | इंडियन रबर मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च एसोसिएशन (आईआरएमआरए) |
| 16 | सीपीएसई के कार्यपालक अधिकारियों के लिए कार्यपालक विकास कार्यक्रम | एपीएसई, स्कोप |

| क्र. सं. | प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम | प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजक |
|---|---|---|
| 17 | एमएस एक्सेल पर ऑन–लाइन पाठ्यक्रम | यूडीईएमवाई से ऑन–लाइन पाठ्यक्रम |
| 18 | एसक्यूएल सर्वर उच्च उपलब्धता और आपदा रिकवरी (एचए/डीआर) पर ऑन–लाइन पाठ्यक्रम | यूडीईएमवाई |
| 19 | संपूर्ण नेटवर्किंग पर आधारभूत पाठ्यक्रम | यूडीईएमवाई |
| 20 | आरंभकर्ता हेतु पीएचपी पर ऑनलाइन कोर्स–पीएचपी मास्टर–सीएमएस प्रोजेक्ट | यूडीईएमवाई |
| 21 | 'वेतन संहिता 2019 के विशेष संदर्भ में श्रम कानूनों का अनुपालन' संविदा/श्रमिकों का प्रबंधन | स्कोप |
| 22 | कार्य, डेटा विश्लेषण, प्रस्तुति और वित्त वर्ड/एक्सेल पर ऑन–लाइन पाठ्यक्रम | यूडीईएमवाई से ऑनलाइन पाठयक्रम |

## 5.2 निगम के कर्मचारियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन का प्रतिनिधित्व

आपके निगम ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन के लिए आरक्षण और छूट के लिए भारत सरकार की नीति का अनुपालन किया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दि. 04.06.2009 के पत्र सं.1–4/2009–सम के माध्यम से प्राप्त कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के दिनांक 14.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/17/2008–स्था.(आरक्षण) के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन के प्रतिनिधित्व संबंधी अपेक्षित डाटा निर्धारित प्रारूप में क्रमशः **अनुलग्नक–V, VI और VII** पर है।

## 5.3 भर्ती में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष ध्यान देने के लिए उपाय

आपका निगम कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.07.2007 के कार्यालय ज्ञापन सं. 39016/7(एस)/2006–स्था.(बी) में निहित दिशानिर्देशों और गाइडलाइनों तथा अन्य बातों के साथ–साथ अल्पसंख्यकों की भर्ती के लिए विशेष ध्यान देने के विचारार्थ अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के 15–सूत्री कार्यक्रमों का पालन भी कर रहा है।

## 5.4 कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़नः

निगम ने कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई है तथा कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा–4 के अनुपालन में आपकी कंपनी ने संगठन के परिसर में यौन उत्पीड़न की घटनाओं/शिकायतों, यदि कोई है, की जांच पड़ताल करने के लिए प्रधान कार्यालय में तथा संपर्क केंद्रों के स्तर पर आंतरिक शिकायत समिति (समितियों) का पुनर्गठन किया है। प्रधान कार्यालय तथा सभी संपर्क कार्यालयों के बोर्ड पर आंतरिक शिकायत समिति के सभी सदस्यों के नाम और संपर्क ब्यौरों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया। वर्ष के दौरान, एनएसएफडीसी की वेबसाइट पर आंतरिक शिकायत समिति, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (एसएचडब्ल्यूडब्ल्यू) अधिनियम, हैंडबुक, शी–बॉक्स लिंक (http://www.shebox.nic.in/user/faq) और ईमेल आईडी (nsfdc-shwwicc@gmail.com) से संबंधित सभी सूचना उपलब्ध कराई गई है।

**आंतरिक शिकायत समिति की बैठक:**

वर्ष के दौरान, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निवारण के लिए एनएसएफडीसी की आंतरिक समिति (आईसीसी) की दो बैठकें दिनांक 19.09.2019 और 17.12.2019 को हुईं।

**कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न संबंधी घटनाओं पर आंतरिक शिकायत समिति की वार्षिक रिपोर्ट**

इसके अलावा, अधिनियम की धारा–22 के अनुपालन में यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर वार्षिक रिपोर्ट निम्नलिखित है:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | वर्ष के दौरान प्राप्त यौन उत्पीड़न शिकायतों की संख्या | शून्य |
| 2. | ऐसी शिकायतों की संख्या जिनका वर्ष के दौरान निपटान किया गया | लागू नहीं |
| 3. | ऐसे मामलों की संख्या जो 90 दिन से अधिक तक लंबित थे | लागू नहीं |
| 4. | यौन उत्पीड़न के विरुद्ध क्रियान्वित कार्यशालाओं या जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या | 02 (08–10 अगस्त, 2019 और 11–12 अक्तूबर, 2019) |
| 5. | नियोक्ता द्वारा की गई कार्रवाई का स्वरूप | अपेक्षित नहीं |

## 6. अन्य उपलब्धियां

### 6.1 राजभाषा का प्रगामी प्रयोग

एनएसएफडीसी, संघ की राजभाषा नीति और राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार, निगम के कार्यालयीन कार्य में राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु प्रतिबद्ध है। हिंदी कार्यान्वयन का कार्य मानव संसाधन एवं प्रशासन विभाग के अंतर्गत उप प्रबंधक और दो कनिष्ठ कार्यपालकों द्वारा किया जाता है, जिसके विभागाध्यक्ष उप महाप्रबंधक हैं। भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसरण में, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेजों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी किया जाता है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2019–20 और अन्य आदेश/अनुदेश, एनएसएफडीसी के भी विभागों/अनुभागों/संपर्क केंद्रों को उनके अनुपालन हेतु भेजे जाते हैं। राजभाषा नीति के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जांच बिंदु निर्धारित और तैयार किए जाते हैं। राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग की दृष्टि से 'आज का शब्द और विचार' हेतु दिनांक 14.09.2018 को निगम के प्रधान कार्यालय में एक डिजिटल नोटिस बोर्ड की स्थापना की गई।

### 6.2 राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक

एनएसएफडीसी में राजभाषा नीति के अनुसार हिंदी के प्रगामी प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए अप्रनि की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है और इसकी बैठकें नियमित रूप से होती हैं। वर्ष के दौरान, एनएसएफडीसी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें क्रमशः 17.06.2019, 21.08.2019, 13.12.2019 और 24.03.2020 को आयोजित की गईं। समिति ने वार्षिक कार्यक्रम

2019–20 में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथासंशोधित 1967) और राजभाषा नियम, 1976 के संवैधानिक प्रावधानों के कार्यान्वयन और अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु रणनीतियों की रूपरेखा तैयार की। समिति ने इस संबंध में, आवधिक रूप से प्रगति की समीक्षा की और उसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित सुझावों की सिफारिश की।

## 6.3 हिंदी कार्यशाला का आयोजन

दिनांक 18.06.2019, 13.09.2019, 17.12.2019 और 20.02.2020 को चार आंतरिक प्रशिक्षण (इन–हाऊस) कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

## 6.4 संगोष्ठी, सम्मेलन, नराकास प्रतियोगिताओं और अभिमुखी कार्यक्रम में भागीदारी

वर्ष के दौरान, दिनांक 06.06.2019 को नराकास, दिल्ली (उपक्रम–1) द्वारा आयोजित एक दिन की राजभाषा संगोष्ठी में एनएसएफडीसी ने भागीदारी की। निगम ने 22–23 अगस्त, 2020 को नराकास, दिल्ली (उपक्रम–2) द्वारा आयोजित अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन में भी भाग लिया। नराकास द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में एनएसएफडीसी के तीन कार्मिकों ने भागीदारी की और सांत्वना पुरस्कारों से सम्मानित हुए। श्रीमती अर्चना मेहरा, उप प्रबंधक ने केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा 14–18 अक्तूबर, 2019 को आयोजित पांच दिवसीय गहन प्रशिक्षण 'भारत सरकार के राजभाषा अधिकारियों के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम' में भाग लिया।

## 6.5 हिंदी दिवस और हिंदी सप्ताह

13 सितंबर, 2019 को हिंदी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर गृह मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री और अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, एनएसएफडीसी के संदेश पढ़े गए। निगम के कार्मिकों द्वारा कार्यालयीन कार्य में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को अधिकाधिक बढ़ाने हेतु प्रधान कार्यालय और संपर्क केंद्रों में 13–19 सितंबर, 2019 की अवधि के दौरान 'हिंदी सप्ताह' मनाया गया। हिंदी सप्ताह के दौरान, प्रधान कार्यालय, दिल्ली और संपर्क केंद्रों में कुल 5 प्रतियोगिताओं जैसे – कविता पाठ, हिंदी ज्ञान, प्रश्न मंच, हिंदी टंकण और 'एक राष्ट्र एक संविधान' विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विभिन्न प्रतियोगिताओं के सभी विजेताओं को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

सितंबर 2019 में एनएसएफडीसी में हिंदी सप्ताह मनाया गया

सितंबर 2019 हिंदी सप्ताह के दौरान कर्मचारियों को प्रमाण–पत्र दिया गया।

## 6.6 हिंदी प्रोत्साहन योजनाएं

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कार्मिकों को हिंदी में अधिकाधिक काम करने के लिए

विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं जैसे – मूल हिंदी टिप्पण/आलेखन प्रोत्साहन योजना, अधिकारियों द्वारा हिंदी में अधिकाधिक डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन योजना, हिंदी में टाइप लेखन और आशुलिपि कार्य करने के लिए प्रोत्साहन भत्ता योजना, एनएसएफडीसी राजभाषा चल शील्ड, श्री शंकर दयाल सिंह राजभाषा सम्मान योजना और समवर्ती मूल्यांकन पुरस्कार योजना के अंतर्गत सम्मानित किया गया। श्री शंकर दयाल सिंह राजभाषा सम्मान योजना के अंतर्गत सुश्री रचना, वरि. सहायक, वित्त विभाग को राजभाषा हिंदी में सराहनीय कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया गया। राजभाषा चल शील्ड पुरस्कार के अंतर्गत मानव संसाधन विभाग को सम्मानित किया गया और विभाग के प्रत्येक कर्मचारी को नकद और विशेष बैच से सम्मानित किया गया।

श्रीमती रचना देवी, वरिष्ठ सहायक को वर्ष 2018–19 के लिए 'शंकर दयाल सिंह राजभाषा सम्मान' से सम्मानित किया गया।

## 6.7 सतर्कता जागरुकता सप्ताह

वर्ष के दौरान, आपके निगम में केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुसार **'ईमानदारी – एक जीवन शैली'** विषय पर 28.10.2019 से दिनांक 02.11.2019 तक 'सतर्कता जागरुकता सप्ताह–2019' मनाया गया।

नवंबर, 2019 में एनएसएफडीसी ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया

'सतर्कता जागरूकता सप्ताह का उद्घाटन दिनांक 28.10.2019 को आपके निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को संगठन और नागरिकता के लिए ईमानदारी की शपथ दिलाने के साथ आरंभ हुआ। मुख्य सतर्कता अधिकारी ने कार्मिकों को सतर्कता के महत्व पर संबोधित किया। इसी प्रकार, आपके निगम के संपर्क केंद्र के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अपने–अपने संपर्क केंद्रों में भी शपथ लेने के साथ 'सतर्कता जागरुकता सप्ताह' आरंभ हुआ।

आपके निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों के लाभ के लिए भारत के महामहीम राष्ट्रपति, माननीय उपराष्ट्रपति, भारत सरकार; माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार; माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार और मुख्य सतर्कता आयुक्तों के संदेशों को भी नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया गया। सभी कर्मचारियों की जानकारी के लिए नोटिस बोर्ड पर एनएसएफडीसी सूचना प्रदाता नीति (व्हिस्ल ब्लोअर पॉलिसी) भी प्रदर्शित की गई थी।

'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' के दौरान आपके निगम द्वारा आंतरिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर आयोजित की गई। अधिकारियों और कर्मचारियों का ध्यान आकर्षित करने और उनके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ने की अनुभूतिपूर्ण आवश्यकता पर विचार करने और ईमानदारी, सत्यनिष्ठा तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख स्थानों पर बैनर/नारे प्रदर्शित किए गए।

उपर्युक्त के अलावा, सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2019 के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन के 3 राष्ट्रीय निगमों अर्थात् एनएसएफडीसी, नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनबीसीएफडीसी) और नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसकेएफडीसी) के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए भूतल, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर, दिल्ली में दिनांक 31.10.2019 को एनएसएफडीसी की सतर्कता इकाई द्वारा एक कार्यशाला/संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

श्री जे. एस. इमैनुएल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीबीआई अकादमी, गाजियाबाद द्वारा कार्यशाला/संवेदीकरण कार्यक्रम का संचालन किया गया, जिन्हें इस प्रयोजन के लिए एनएसएफडीसी द्वारा विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम में एनएसएफडीसी, एनबीसीएफडीसी और एनएसकेएफडीसी के लगभग 50 अधिकारियों ने भाग लिया। श्री इमैनुएल ने भारत में सतर्कता की उत्पत्ति से शुरू करते हुए सतर्कता पर प्रस्तुति दी और अपने लंबे अनुभव तथा सीबीआई की भ्रष्टाचार रोधी शाखा से अपने संबंध से जुड़े व्यावहारिक पहलुओं पर चर्चा की। इस कार्यशाला ने सभी तीन राष्ट्रीय निगमों के अधिकारियों के लिए रोचक एवं सचेत करने वाले अनुभव के रूप में काम किया क्योंकि सतर्कता के निवारक एवं दंडात्मक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई और इस विषय पर पर्याप्त जागरूकता का सृजन किया जा सका।

इसके अलावा, निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों को जानकारी प्रदान करने के लिए 'क्या करें और क्या न करें' की सूची, एनएसएफडीसी की आचार, अनुशासन एवं अपील नियमावली के तहत परिभाषित कदाचारों और एनएसएफडीसी की सूचना प्रदाता नीति (व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी) को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया गया। परिधान प्रशिक्षण एवं डिजाइन सेंटर (एटीडीसी) [जो एनएसएफडीसी का प्रशिक्षण साझेदार है] ने अपने इंदौर केन्द्र में प्रशिक्षणार्थियों को सतर्कता की शपथ दिलाई। प्रशिक्षणार्थियों को हमारे दैनिक जीवन से भ्रष्टाचार को समाप्त करने की आवश्यकता के विषय पर जानकारी प्रदान की गई।

## 6.8 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

आपका निगम अक्तूबर, 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन कर रहा है।

(I) अपने कार्मिकों सहित निगम के कार्य का ब्योरा निगम की वेबसाइट (www.nsfdc.nic.in) पर दिया गया है।

(II) अधिनियम के अंतर्गत, यथा अपेक्षित मैनुअलों को तैयार किया गया और वेबसाइट पर दिया गया।

(III) निगम ने अधिनियम के अंतर्गत यथा अपेक्षित अपीलीय प्राधिकारी, पारदर्शिता अधिकारी, जन सूचना अधिकारी और सहायक जन सूचना अधिकारी को पदनामित किया।

(IV) निगम आरटीआई के शुरूआती वर्ष 2016–17 से ही कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रबंधित आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल पर अनुकूलन के जरिए आरटीआई को ऑनलाइन कार्यान्वित कर रहा है।

(V) वर्ष के दौरान, 80 आरटीआई आवेदन और 07 अपील प्राप्त हुई। वर्ष के दौरान प्राप्त सभी आवेदनों को निर्धारित समय के अंदर निपटाया गया।

(VI) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.04.2013 और 10.12.2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/6/2011–आई आर के संबंध में, इस निगम ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4 के तहत दी गई समय–सीमा के भीतर स्वतः खुलासा करने संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है।

(VII) केंद्रीय सूचना आयोग को ऑन–लाइन रिपोर्ट किए गए अनुसार, सूचना का अधिकार अधिनियम आवेदनों की वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान प्रत्येक तिमाही की स्थिति नीचे दी जा रही है:

| | तिमाही के आरंभ में प्रारंभिक शेष | धारा 6(3) के अंतर्गत अन्य जन प्राधिकारी से हस्तांतरित होकर प्राप्त आवेदनों की संख्या | तिमाही के दौरान प्राप्त (अन्य जन प्राधिकारी को हस्तांतरित मामलों सहित) | धारा 6(3) के अंतर्गत अन्य जन प्राधिकारी से हस्तांतरित मामलों की संख्या | निर्णय, जहां अनुरोध/अपील को रद्द किया | निर्णय, जहां अनुरोध/अपील को स्वीकार किया |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पहली तिमाही के दौरान प्रगति (अप्रैल से जून, 2019) | | | | | | |
| अनुरोध | 02 | 08 | 10 | 0 | 0 | 11 |
| पहली अपील | 0 | लागू नहीं | 1 | लागू नहीं | 0 | 1 |
| दूसरी तिमाही के दौरान प्रगति (जुलाई से सितंबर, 2019) | | | | | | |
| अनुरोध | 09 | 10 | 22 | 05 | 01 | 28 |
| पहली अपील | 0 | लागू नहीं | 02 | लागू नहीं | 0 | 02 |
| तीसरी तिमाही के दौरान प्रगति (अक्तूबर से दिसंबर, 2019) | | | | | | |
| अनुरोध | 07 | 06 | 17 | 02 | 01 | 22 |
| पहली अपील | 0 | लागू नहीं | 04 | लागू नहीं | 0 | 01 |
| चौथी तिमाही के दौरान प्रगति (जनवरी से मार्च, 2020) | | | | | | |
| अनुरोध | 05 | 02 | 05 | 02 | 0 | 09 |
| पहली अपील | 03 | लागू नहीं | 0 | लागू नहीं | 0 | 03 |
| | नामोद्दिष्ट सीएपीआईओ की कुल संख्या | | नामोद्दिष्ट सीपीआईओ की कुल संख्या | | नामोद्दिष्ट पारदर्शिता अधिकारी की कुल संख्या | नामोद्दिष्ट अपीलीय अधिकारी की कुल संख्या |
| | 0 | | 1 | | 1 | 1 |

ब्लॉक II (संगृहीत शुल्क, प्रभारित दंड और की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के बारे में विवरण)

| | पहली तिमाही | दूसरी तिमाही | तीसरी तिमाही | चौथी तिमाही |
|---|---|---|---|---|
| धारा 7(1) के अंतर्गत संगृहीत पंजीकरण शुल्क, (रु. में) | 40 | 70 | 50 | 10 |
| धारा 7(3) के अंतर्गत संगृहीत अतिरिक्त शुल्क (रु. में) | 20 | 90 | 70 | 0 |

(VIII) केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट पर अपलोड सूचना का अधिकार पर चौथी तिमाही रिपोर्ट के अनुसार, दिनांक 31.03.2020 के सूचना का अधिकार के 01 आवेदन लंबित था। इस आवेदन का बाद में निर्धारित समय सीमा में जवाब दिया गया।

## 6.9 ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

आपके निगम द्वारा किए गए क्रियाकलाप कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3)(एम) के अंतर्गत विवरणों के प्रकटीकरण के दायरे में नहीं आते, जहां तक यह ऊर्जा के संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय से संबंधित है।

## 6.10 वार्षिक विवरणी (रिटर्न) का सार

कंपनी की वार्षिक विवरणी (रिटर्न) का सार फार्म संख्या एमजीटी–9 में **अनुलग्नक–VIII** पर अनुबद्ध है।

## 7. कर्मचारी और संबंधित प्रकटन का विवरण

अधिनियम की धारा 197(12) के प्रावधान और कंपनी नियम, 2014 के नियम 5(2) 5(3) (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) के संबंध में पूर्ण वर्ष तक नियोजित रहे कर्मचारियों, जिन्हें उक्त नियमों में दी सीमा से अतिरिक्त पारिश्रमिक प्राप्त हुआ है, के नाम और विवरण इसके साथ **अनुलग्नक–IX** पर अनुबद्ध हैं।

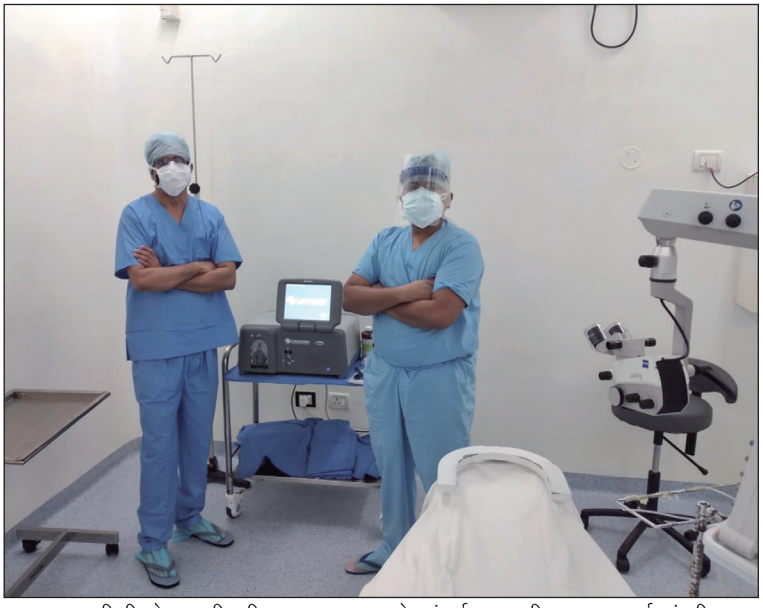

एनएसएफडीसी ने अपनी सीएसआर पहल के अंतर्गत एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट, सिद्दीपेट, तेलंगाना को सर्जिकल उपकरण वित्त पोषित किए

पारिश्रमिक संबंधी प्रकटन और अधिनियम की धारा 197(2) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(1) के तहत आवश्यक अन्य विवरणों को वार्षिक लेखे में दिया गया है।

## 8. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व और सतत विकास (सीएसआर और एसडी) नीति बनाई और बोर्ड को संस्तुति के लिए प्रस्तुत की गई है। कंपनी के कार्यकलापों को दर्शाने वाली कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व और सतत विकास नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया। कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व और सतत विकास नीति को कंपनी की वेबसाइट पर http://www-nsfdc-nic-in/hi/csr पर देखा जा सकता है।

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट **अनुलग्नक–X** में संलग्न है।

## 9. संसाधन संपर्क कार्यक्रम

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड रिपोर्ट में कुछ प्रकटीकरण अपेक्षित हैं। आपका निगम अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट गतिविधियों को पूरा करता है। अधिनियम की धारा–8 के अंतर्गत आने वाली निगमित कंपनियां, जो दिनांक 27.02.2014 की अधिसूचना के अनुसार जारी नई कंपनी नियमावली (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति), 2014 में भी उल्लेखित हैं कि वे कार्यान्वयन एजेंसियां होंगी।

वर्ष के दौरान, आपके निगम को कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत लाभ कमाने वाले 2 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों नामतः गेल इंडिया लिमिटेड तथा ब्रिज और रूफ कंपनी इंडिया लिमिटेड से मंजूरी मिली है। इसके अलावा, आपके निगम ने कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन में लागत साझा करने के लिए कॉर्पोरेट फाउंडेशन के साथ भागीदारी की है। कॉर्पोरेट फाउंडेशन के अंतर्गत अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन, डालमिया भारत फाउंडेशन और हिंदुस्तान लेटेक्स फैमिली प्लानिंग प्रमोशन ट्रस्ट है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्राप्त सीएसआर मंजूरी निधि में से ₹354.93 लाख की राशि संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों को निमुर्क्त की गई।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए उपरोक्त परियोजनाओं के अंतर्गत झारखंड, मध्य प्रदेश में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वीकृत किए गए हैं तथा इनका कार्यान्वयन प्रक्रमाधीन है।

## 10. कॉरपोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट

कंपनी, कॉरपोरेट गवर्नेंस के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और कंपनी अधिनियम, 2013 तथा लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्धारित कॉरपोरेट गवर्नेंस का पालन करती है। कॉरपोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट, इस रिपोर्ट का अविभाज्य अंग है और **अनुलग्नक–XI** पर है। कंपनी के लेखापरीक्षकों से प्राप्त अपेक्षित प्रमाण–पत्र कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करते हैं एवं कॉरपोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट **अनुलग्नक–XII** पर अनुबद्ध हैं।

## 11. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल की अध्यक्षता, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक ने की। दिनांक 31.03.2020 को बोर्ड में 9 सदस्य थे। कृपया अतिरिक्त ब्योरों के लिए इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ संबद्ध कॉरपोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट का संदर्भ लें।

## 12. निदेशक मंडल की बैठक

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की तीन बैठकें आयोजित हुईं। कृपया अतिरिक्त ब्योरों के लिए इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ अनुबद्ध कॉरपोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट का संदर्भ लें।

## 12.1 पारिश्रमिक समिति

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, पारिश्रमिक समिति की दो बैठकें दिनांक 15.11.2019 और 27.02.2020 को आयोजित हुईं।

## 12.2 लेखापरीक्षा समिति

लेखापरीक्षा समिति का गठन, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–177 की शर्तें पूरी करता है। कंपनी की लेखापरीक्षा समिति में श्री के. नारायण (अध्यक्ष), श्री एस. एम. आवले (सदस्य) और सुश्री विशाखा शैलानी (सदस्य) थे। श्रीमती अन्नु भोगल (कंपनी सचिव), लेखापरीक्षा समिति की सचिव हैं। वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशों को बोर्ड द्वारा स्वीकार किया गया।

## 12.3 जागरूक तंत्र

प्रशासनिक मंत्रालय के आदेशों के अनुसार मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति की गई है, जो कंपनी के पृथक और स्वतंत्र विभाग अर्थात् सतर्कता विभाग के प्रभारी हैं। इसके अलावा, व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी के अंतर्गत निगम के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक को सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) द्वारा भी सुरक्षित प्रकटन किया जा सकता है।

## 13. जोखिम प्रबंधन

लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के भाग के रूप में निदेशक मंडल द्वारा जोखिम कार्य का उचित मूल्यांकन करने, प्रबंधन, कार्य (फ्रेम वर्क) और आंतरिक जोखिम मूल्यांकन को भी कम करने, कॉरपोरेट के उद्देश्यों को एकीकृत और संरेखित करने के लिए जोखिम प्रबंधन नीति अनुमोदित की गई है, जिसे दिनांक 15.11.2019 को आयोजित निदेशक मंडल की 152वीं में संशोधित किया गया।

कंपनी, मुख्य जोखिम एवं अनिश्चितताएं, जो कंपनी की कार्यनीति के उद्देश्य की प्राप्ति के सामर्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं, को सुलझाने का प्रबंध, अनुश्रवण करती है तथा मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। कंपनी की प्रबंधन समिति, संगठनात्मक ढांचा, प्रक्रिया और स्तर तथा आचार संहिता बताती है कि कंपनी व्यापार को तथा उससे जुड़े जोखिमों को कैसे प्रबंधित करती है। तदनुसार, निगम के सभी विभागों के प्रमुखों को मिला कर बनी जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा संभावित जोखिम क्षेत्रों का आकलन किया जाता है और सुझाए गए संवेदनशील क्षेत्रों को निदेशक मंडल के समक्ष निदेशक मंडल की तिमाही समीक्षा रिपोर्ट में शामिल कर रखा जाता है।

## 14. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी ने वित्तीय विवरणिकाओं के संबंध में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा है। वर्ष के दौरान, ऐसे नियंत्रणों की जांच की गई और डिजाइन अथवा प्रचालन में कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं पाई गई।

## 15. वार्षिक आम बैठक

वर्ष के दौरान, वर्ष 2018–19 के लेखों को अपनाने के लिए दिनांक 11.11.2019 को 30वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित हुई थी। संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के नाम में एक शेयर के सिवाय संपूर्ण शेयर पूंजी भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा धारित है, जिनका प्रतिनिधित्व सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय करता है। वर्ष 2018–19 के वार्षिक लेखे निदेशक मंडल की रिपोर्ट के साथ अपनाए गए।

## 16. निदेशकगण का उत्तरदायित्व कथन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के प्रावधानों के अनुसार आपके निदेशकों का कहना है कि:

(i) वार्षिक लेखे को तैयार करने में उपयुक्त लेखा मानदंडों का पालन किया गया है तथा दिए गए तथ्यों संबंधी उचित स्पष्टीकरण दिए गए हैं।

(ii) वित्तीय वर्ष के अंत में, निगम के कार्यों का एवं उसी अवधि के लिए आय व व्यय का सही और उचित दृश्य देने के लिए निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीति को अपनाया और लगातार लागू किया तथा निर्णय व प्राक्कलन किए, जो उपयुक्त और विवेकी हैं।

(iii) निदेशकों ने निगम की परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने व रोकने के लिए कंपनी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार उपयुक्त लेखा रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा है।

(iv) निदेशकों ने वार्षिक लेखे को कार्यशील आधार पर तैयार किया है।

(v) निदेशकों ने कंपनी द्वारा अपनाए जाने योग्य आंतरिक नियंत्रणों को बनाया है और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण उपयुक्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

(vi) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन और ऐसी उपयुक्त एवं प्रभावी प्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी।

## 17. कोविड–19 महामारी के दौरान एनएसएफडीसी के हस्तक्षेप

दिनांक 11 मार्च, 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नोवेल कोरोना वायरस (कोविड–19) को महामारी के रूप में घोषित किया। गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने आदेश संख्या 40–3/2020 दिनांक 24 मार्च 2020 के माध्यम से राष्ट्रीय लॉकडाउन घोषित किया। इस प्रकोप से मानव जीवन की जो क्षति हुई है इसके अलावा इसने सामाजिक, आर्थिक एवं वित्तीय स्वरूप को भी बाधित किया है जिसकी वजह से वैश्विक एवं स्थानीय आर्थिक गतिविधियों में काफी कमी आ गई है।

तथापि, निगम के प्रचालन बाधित नहीं हुए हैं। निगम ने कारोबार के परिवेश में परिवर्तन के अनुसार अपने आपको ढाला है और आरबीआई के परिपत्र दिनांक 23.05.2020 के अनुसार पुनर्भुगतान अनुसूची के साथ दिनांक 30.09.2020 तक विलंबन अवधि बढ़ाने की अनुमति प्रदान की है। एनएसएफडीसी ने हर समय वंचितों की सहायता करने के अपने लोकाचार के अनुरूप नियमित एवं निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कार्यक्रमों के स्तर में वृद्धि की है। उनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

**17.1** एनएसएफडीसी ने विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 10464 लाभार्थियों को रियायती वित्त पोषण प्रदान करने में सहायता करने के लिए लॉकडाउन के बाद मार्च के आखिरी सप्ताह में ₹84.54 करोड़ का संवितरण किया। इसके अलावा, निगम द्वारा प्रायोजित विभिन्न कौशल प्रशिक्षण विकास कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षण संस्थानों को 1980 प्रशिक्षुओं के लिए ₹1.53 करोड़ की राशि निर्मुक्त की गई।

**17.2** एनएसएफडीसी ने अपनी सीएसआर पहल के अंतर्गत पीएम केयर्स फंड में ₹20.00 लाख का योगदान किया इसके अलावा, बतौर व्यक्तिगत सामाजिक उत्तरदायित्व एनएसएफडीसी कार्मिकों ने कल्याण कार्य हेतु अपने वेतन में से 'आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष' (पीएम केयर्स

फंड) में ₹4.02 लाख की राशि का अंशदान दिया तथा वंचित वर्गों को कोविड–19 के कार्यक्रमों एवं कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के उपायों पर अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एनबीसीएफडीसी को ₹8.70 लाख का अंशदान दिया।

**17.3** एनजीओ के सीएसआर कार्यक्रमों के माध्यम से दिल्ली में 85 आश्रय गृहों/स्थानों पर ₹12.17 लाख की राशि से खाना पकाने के बर्तन एवं खाना पहुँचाने के साधन के प्रावधान के माध्यम से 7,62,000 पके भोजन के पैकेट के जरिए लगभग 6,500 बेघर लोगों की सहायता की गई।

**17.4** ₹5.29 लाख की वित्तीय सहायता से गुरुग्राम, हरियाणा में एनजीओ भागीदार के माध्यम से 22,500 भोजन के लिए लगभग 500 परित्यक्त वरिष्ठ नागरिकों एवं मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को सूखा राशन प्रदान किया गया।

**17.5** ₹4.98 लाख की वित्तीय सहायता से केरल में डॉक्टरों, नर्सों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ को 400 निजी संरक्षी उपकरण (पीपीई) किट प्रदान किए गए।

**17.6** ₹16.44 लाख की वित्तीय सहायता से एनजीओ के कार्यक्रमों के माध्यम से कोविड लॉकडाउन एवं अनलॉक की अवधि के दौरान दिल्ली में प्रवासियों, दिहाड़ी मजदूरों एवं जेजे क्लस्टर के निवासियों को लगभग 38,500 फूड पैकेट का वितरण किया गया।

## 18. लेखापरीक्षक और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

### 18.1 सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स वी. सहाय त्रिपाठी एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, नई दिल्ली को वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया था। इस रिपोर्ट में कंपनी की रिपोर्ट के साथ दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एनएसएफडीसी के लेखे पर सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और कंपनी के उत्तर क्रमशः **परिशिष्ट–क और ख** पर दिए गए हैं।

### 18.2 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा एमएबी–IV के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–143(6) और (7) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा आयोजित की है। दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एनएसएफडीसी के लेखे पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अभ्युक्तियां और कंपनी का उत्तर इस रिपोर्ट के **परिशिष्ट–ग** पर है।

### 18.3 आचार संहिता

निदेशक मंडल ने कंपनी के बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंध समिति के लिए कार्य प्रबंधन कोड और नीति बनाई है। कंपनी के सभी निदेशक मंडल और कोड के अनुपालन को मुख्य अधिकारियों ने स्वीकार किया है।

## 19. सामान्य

आपके निदेशक बताते हैं कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित विषयों के संबंध में कोई खुलासा अथवा रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है:

(i) धारा–149 की उप धारा (6) के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा पर बयान;

(ii) यदि कंपनी धारा–178 की उप धारा (1) के अंतर्गत शामिल है तो अर्हताएँ निश्चित करने के मानदंड, कंपनी की नीति, सकारात्मक विशेषताएँ, निदेशकों की स्वतंत्रता तथा धारा–178 की उप धारा (3) के अंतर्गत दिए अन्य मामलों सहित निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक पर कंपनी की नीति;

(iii) धारा–186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी अथवा निवेश का विवरण;

(iv) धारा–188 की उप धारा (1) में संदर्भित संबंधित पार्टियों के साथ संविदा अथवा व्यवस्था संबंधी निर्धारित प्रारूप में विवरण;

(v) राशि, यदि कोई है, उसे लाभांश के रूप में अदा करने के लिए संस्तुत किया जाना चाहिए;

(vi) प्राधिकारियों अथवा न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा कोई विशेष या महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किए गए जो कंपनी की वर्तमान स्थिति और भावी प्रचालन को प्रभावित करें।

## 20. आभारोक्ति

आपके निदेशकगण, निगम के कार्मिकों द्वारा वर्ष के दौरान दी गई सेवाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिसके परिणामस्वरूप लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार की अंतर मंत्रालयी समिति द्वारा निर्धारित समझौता–ज्ञापन लक्ष्य के तहत 'उत्कृष्ट' निष्पादन श्रेणी प्राप्त हुई।

आपके निदेशकगण, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को आपके निगम को बेहतर परिणाम प्राप्ति के लिए समय–समय पर मार्गदर्शन देने में सतत् सहायता करने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपके निदेशकगण, कंपनी कार्य विभाग, लोक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एवं राज्य स्तर के अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगमों तथा अन्य चैनलाइजिंग एजेंसियों द्वारा दी गई सतत् सहायता के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशकगण, अन्य सरकारी विभागों एवं एजेंसियों, कंपनी के लेखापरीक्षकों की सतत् सलाह एवं मार्गदर्शन के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं।

**कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से**

**(के. नारायण)**
**अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक**
डीआईएन : 03561648

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 11.09.2020

# संगठनात्मक चार्ट (31.03.2020 को)

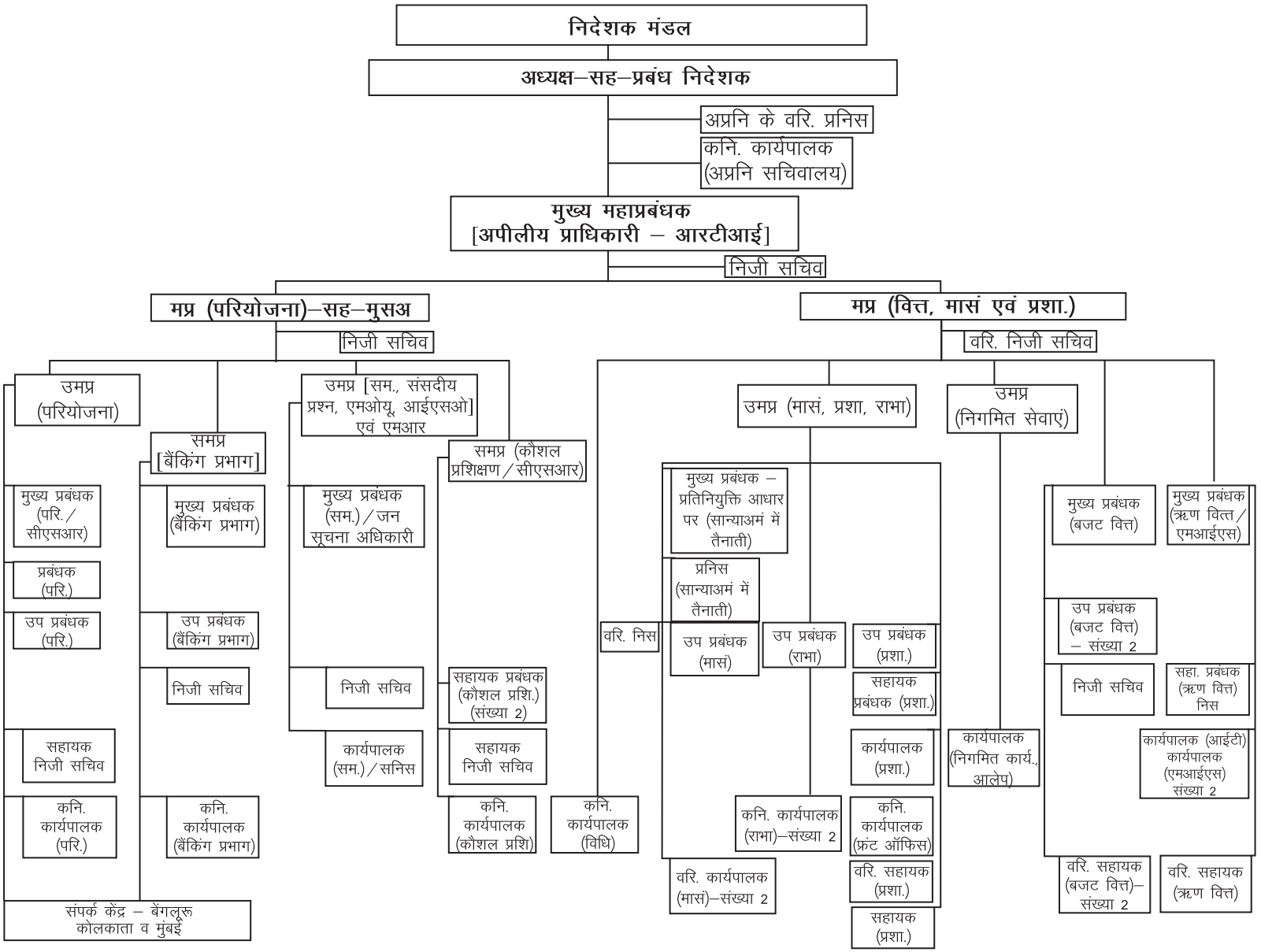

अनुलग्नक–II (क)

(पैरा 1.7 देखें)

# राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों की राज्य/संघ शासित क्षेत्र–वार सूची

| क्र.सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी का नाम |
|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 1. आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति सहकारी वित्त निगम लिमिटेड<br>2. आंध्र प्रदेश राज्य वित्तीय निगम |
| 2 | असम | 3. असम राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम लिमिटेड |
| 3 | बिहार | 4. बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम लिमिटेड |
| 4 | छत्तीसगढ़ | 5. छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड |
| 5 | गोवा | 6. गोवा राज्य अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड |
| 6 | गुजरात | 7. गुजरात अनुसूचित जाति विकास निगम<br>8. डॉ. अम्बेडकर अंतोदय और विकास निगम |
| 7 | हरियाणा | 9. हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड |
| 8 | हिमाचल प्रदेश | 10. हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम |
| 9 | झारखंड | 11. झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम |
| 10 | जम्मू व कश्मीर | 12. जम्मू व कश्मीर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड |
| 11 | कर्नाटक | 13. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विकास निगम लिमिटेड |
| 12 | केरल | 14. केरल राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड<br>15. केरल राज्य महिला विकास निगम |
| 13 | मध्य प्रदेश | 16. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम |
| 14 | महाराष्ट्र | 17. महात्मा फुले पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड<br>18. साहित्यरत्न लोकशाहिर अन्ना भाऊ साठे विकास निगम<br>19. संत रोहिदास चर्मोद्योग एवं चर्मकार विकास निगम |
| 15 | मणिपुर | 20. मणिपुर जनजाति विकास निगम लिमिटेड<br>21. मणिपुर राज्य अजजा और अजा विकास सहकारी बैंक लिमिटेड |
| 16 | मेघालय | 22. मेघालय सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड |
| 17 | मिजोरम | 23. मिजोरम शहरी सहकारी विकास बैंक लिमिटेड<br>24. मिजोरम खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड |
| 18 | ओडिशा | 25. ओडिशा अजा और अजजा विकास वित्त सहकारी निगम लिमिटेड |
| 19 | पंजाब | 26. पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम |
| 20 | राजस्थान | 27. राजस्थान अजा और अजजा वित्त एवं विकास सहकारी निगम |
| 21 | सिक्किम | 28. सिक्किम अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग विकास निगम |
| 22 | तमिलनाडु | 29. तमिलनाडु आदि द्रविड़ गृह एवं विकास निगम |
| 23 | त्रिपुरा | 30. त्रिपुरा अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम लिमिटेड |
| 24 | उत्तर प्रदेश | 31. उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड |
| 25 | उत्तराखंड | 32. उत्तराखंड बहु–उद्देश्यीय वित्त एवं विकास निगम |
| 26 | पश्चिम बंगाल | 33. पश्चिम बंगाल अजा, अजजा एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास एवं वित्त निगम |
| 27 | चंडीगढ़ | 34. चंडीगढ़ अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड |
| 28 | दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन व दीव | 35. दादरा एवं नगर हवेली, दमन व दीव अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम |
| 29 | दिल्ली | 36. दिल्ली अजा/अजजा/अपि वर्ग/अल्पसंख्यक और विकलांग जन वित्तीय एवं विकास निगम |
| 30 | पुदुचेरी | 37. पुदुचेरी आदि द्रविड़ विकास निगम लिमिटेड |

**टिप्पणी:** विवरणिका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड राज्य और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप राज्य और संघ शासित क्षेत्र को छोड़कर है, जिनमें जनगणना, 2011 के आंकड़ों के अनुसार वहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या नहीं है इसलिए विवरणिका में शामिल नहीं किया गया है।

अनुलग्नक–II (ख)

(पैरा 1.7 देखें)

(पृष्ठ 2 का 1)

# चैनलाइजिंग एजेंसियों की सूची – वैकल्पिक चैनल

| क्र. सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | चैनलाइजिंग एजेंसी का नाम |
|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 1. चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, गुंटूर |
| | | 2. आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, वारंगल |
| | | 3. सप्तगिरी ग्रामीण बैंक, चित्तूर |
| | | 4. आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, कडप्पा |
| 2 | असम | 5. ग्रामीण विकास एवं वित्त प्राइवेट लिमिटेड, छयगांव |
| | | 6. असम ग्रामीण विकास बैंक, गुवाहाटी |
| | | 7. पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम, गुवाहाटी |
| 3 | बिहार | 8. दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, पटना |
| | | 9. उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर |
| 4 | दिल्ली | 10. पंजाब नैशनल बैंक, नई दिल्ली |
| | | 11. पंजाब एंड सिंध बैंक, नई दिल्ली |
| | | 12. डॉन बास्को टेक सोसायटी, नई दिल्ली |
| 5 | गुजरात | 13. बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, भरूच |
| | | 14. श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद |
| | | 15. सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, राजकोट |
| 6 | हरियाणा | 16. सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक |
| | | 17. ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, गुडगांव |
| 7 | हिमाचल प्रदेश | 18. हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, मंडी |
| 8 | झारखंड | 19. झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, रांची |
| | | 20. झारखंड सिल्क, टेक्सटाइल्स एवं हैंडिक्राफ्ट्स विकास निगम, रांची |
| 9 | कर्नाटक | 21. सिंडिकेट बैंक, बैंगलूरू |
| | | 22. कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, धारवाड़ |
| | | 23. कर्नाटक ग्रामीण बैंक, बेल्लारी |
| | | 24. केनरा बैंक, बैंगलूरू |
| 10 | केरल | 25. केरल ग्रामीण बैंक, मल्लापुरम |
| 11 | महाराष्ट्र | 26. महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, औरंगाबाद |
| | | 27. विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक, नागपुर |
| | | 28. अनिक वित्तीय सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, औरंगाबाद |
| | | 29. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई |
| | | 30. बैंक ऑफ बड़ौदा, मुंबई |
| 12 | मध्य प्रदेश | 31. मध्यांचल ग्रामीण बैंक, सागर |
| | | 32. मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, इंदौर |
| 13 | मणिपुर | 33. मणिपुर ग्रामीण बैंक, इंफाल |
| 14 | ओडिशा | 34. संबंध फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड, राउलकेला |
| 15 | पुद्दुचेरी | 35. पुद्दुवई भरतियार ग्रामा बैंक, मुथियालपेट |

**अनुलग्नक–II (ख)**

(पैरा 1.7 देखें)

(पृष्ठ 2 का 2)

| क्र. सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | चैनलाइजिंग एजेंसी का नाम |
|---|---|---|
| 16 | पंजाब | 36. पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला |
| 17 | राजस्थान | 37. राजस्थान मरूधर बैंक, जोधपुर |
| | | 38. बड़ौदा राजस्थान क्षत्रिय ग्रामीण बैंक, अजमेर |
| 18 | तमिलनाडु | 39. इंडियन ओवरसीज बैंक, चैन्ने |
| | | 40. इंडियन बैंक, चैन्ने |
| | | 41. तमिलनाडु ग्रामा बैंक, सेलम |
| 19 | तेलंगाना | 42. आंध्रा बैंक, हैदराबाद |
| | | 43. तेलंगाना ग्रामीण बैंक, हैदराबाद |
| | | 44. स्त्री निधि क्रेडिट को–ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, हैदराबाद |
| 20 | त्रिपुरा | 45. त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला |
| 21 | उत्तर प्रदेश | 46. काशी गोमती समयुत ग्रामीण बैंक, वाराणसी |
| | | 47. आर्यावर्त बैंक, लखनऊ |
| | | 48. पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, गोरखपुर |
| | | 49. बड़ौदा यू.पी. ग्रामीण बैंक, रायबरेली |
| | | 50. प्रथम यू.पी. ग्रामीण बैंक, मुरादाबाद |
| | | 51. यू.पी. सहकारी ग्रामीण बैंक, लखनऊ |
| 22 | उत्तराखंड | 52. उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, देहरादून |
| 23 | पश्चिम बंगाल | 53. पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक, हावड़ा |
| | | 54. इलाहाबाद बैंक, कोलकाता |
| | | 55. ब्रिट्टी प्रोशिक्षण प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता |

अनुलग्नक–III

(पैरा 2.1.2(ग)(i) देखें)

# समझौता–ज्ञापन लक्ष्य की उपलब्धियां (2019–20)

| क्र. सं. | निष्पादन मापदंड | अंक | लक्ष्य | | | | | उपलब्धियां (अंनतिम) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | उत्कृष्ट | अति उत्तम | अच्छा | संतोष-जनक | असंतोष-जनक | |
| 1. | कारोबार–प्रचालन से आय (निवल) **[करोड़]** | 10 | 65.00 | 56.00 | 50.00 | 48.00 | 47.00 | **68.89** |
| 2. | प्रचालन से आय (निवल) के प्रतिशत के रूप में प्रचालन लाभ या अधिशेष **[प्रतिशतता]** | 20 | 70.00 | 65.00 | 60.00 | 55.00 | 50.00 | **67.09** |
| 3. | औसत निवल मूल्य के रूप में पीएटी या अधिशेष **[प्रतिशतता]** | 20 | 3.00 | 2.75 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | **2.97** |
| 4. | संवितरित ऋण/कुल उपलब्ध निधि **[प्रतिशतता]** | 15 | 85.00 | 83.00 | 80.00 | 78.00 | 76.00 | **84.71** |
| 5. | अतिदेय ऋण/कुल ऋण (निवल) **[प्रतिशतता]** | 10 | 12.00 | 15.00 | 17.00 | 19.00 | 20.00 | **18.44** |
| 6. | एनपीए/कुल ऋण (निवल) **[प्रतिशतता]** | 5 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.95 | **0.76** |
| 7. | निरंतर प्रकृति के मानव संसाधन के मापदंड की उपलब्धि (7 मापदंड) **[संख्या]** | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | **7** |
| 8. | कार्मिकों की तकनीकी और प्रबंधकीय दक्षताओं के निर्माण के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम **[संख्या]** | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | **5** |
| 9. | "प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार/स्व–रोजगार" प्रदान करना [संख्या] | 5 | 14000 | 13000 | 12000 | 11000 | 10000 | **12367** |
| 10. | एमएसएमई/जेम पोर्टल/एससी–एसटी हब पर एनएसएफडीसी द्वारा वित्तपोषित एससी–एसटी उद्यमियों का नामांकन/ पंजीकरण [संख्या] | 5 | 300 | 275 | 250 | 225 | 200 | **169** |
| | **कुल** | **100** | | | | | | |

**टिप्पणी:** उपरोक्त उपलब्धियां संबंधित विभागों अर्थात् वित्त, मानव संसाधन, प्रशासन और कौशल प्रशिक्षण द्वारा प्रदत्त आंकड़ों/सूचनाओं के अनुसार संकलित की गई है।

अनुलग्नक–IV

(पैरा 2.1.15 देखें)

# कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (2019–20) के अंतर्गत राज्य/संघ शासित क्षेत्र–वार सार

| क्र. सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | आरंभ किए गए कार्यक्रम (प्रशिक्षणार्थी) | पूर्ण कार्यक्रम (प्रशिक्षणार्थी) |
|---|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 710 | 120 |
| 2. | असम | 920 | 60 |
| 3. | बिहार | 1260 | 410 |
| 4. | छत्तीसगढ़ | 290 | 80 |
| 5. | दिल्ली | 379 | 147 |
| 6. | गुजरात | 926 | 696 |
| 7. | हरियाणा | 1065 | 26 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 633 | 300 |
| 9. | जम्मू व कश्मीर | 400 | 0 |
| 10. | झारखंड | 708 | 360 |
| 11. | कर्नाटक | 402 | 112 |
| 12. | केरल | 130 | 90 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 1647 | 1000 |
| 14. | महाराष्ट्र | 778 | 533 |
| 15. | मणिपुर | 120 | 0 |
| 16. | ओडिशा | 765 | 150 |
| 17. | पंजाब | 1149 | 460 |
| 18. | राजस्थान | 1010 | 390 |
| 19. | तमिलनाडु | 335 | 75 |
| 20. | तेलंगाना | 290 | 190 |
| 21. | त्रिपुरा | 210 | 60 |
| 22. | उत्तर प्रदेश | 3808 | 1562 |
| 23. | उत्तराखंड | 542 | 325 |
| 24. | पश्चिम बंगाल | 968 | 354 |
| | **सकल कुल** | **19445** | **7500** |

******

**अनुलग्नक–V**

(पैरा 5.2 देखें)

अजा/अजजा/अपिव रिपोर्ट–I

**वर्ष की पहली जनवरी को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व तथा गत कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या दर्शाने वाला वार्षिक विवरण**

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम: **नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दिल्ली**

| समूह | अजा/अजजा/अपिव का प्रतिनिधित्व (01.01.2020 को) | | | | कैलेंडर वर्ष 2019 के दौरान हुई नियुक्तियों की संख्या | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | सीधी भर्ती द्वारा | | | | पदोन्नति द्वारा | | | प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा | | |
| | कार्मिकों की कुल संख्या | अजा | अजजा | अपिव | कुल | अजा | अजजा | अपिव | कुल | अजा | अजजा | कुल | अजा | अजजा |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| समूह 'क' प्रबंधकीय/कार्यपालक स्तर* | 39 | 09 | 02 | 05 | – | – | – | – | – | – | – | 01 | – | – |
| समूह 'ख' गैर–पर्यवेक्षीय स्तर | 09 | 03 | 01 | 02 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| समूह 'ग' गैर–कार्यपालक स्टाफ (सफाई कर्मियों के अलावा) | 32 | 17 | 01 | 08 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **कुल** | **80** | **29** | **4** | **15** | – | – | – | – | – | – | – | **01** | – | – |

* अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक सहित।

**अनुलग्नक–VI**

(पैरा 5.2 देखें)

अजा/अजजा/अपिव रिपोर्ट–II

## वर्ष की पहली जनवरी को समूह 'क' की विभिन्न सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व तथा गत कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या दर्शाने वाला वार्षिक विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नामः **नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दिल्ली**

| वेतनमान (रुपयों में) | अजा/अजजा/अपिव का प्रतिनिधित्व (01.01.2020 को) | | | | कैलेंडर वर्ष 2019 के दौरान हुई नियुक्तियों की संख्या | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | सीधी भर्ती द्वारा | | | | पदोन्नति द्वारा | | | प्रतिनियुक्ति द्वारा | | |
| | कार्मिकों की कुल सं. | अजा | अजजा | अपिव | कुल | अजा | अजजा | अपिव | कुल | अजा | अजजा | कुल | अजा | अजजा |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| प्रतिनियुक्ति पर अप्रनि [केंमंभ पद्धति] | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ई–7: ₹100000–260000 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ई–6: ₹90000–240000 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ई–5: ₹80000–220000 | 4 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ई–4: ₹70000–200000 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ई–3: ₹60000–180000 | 7+1* | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ई–2: ₹50000–160000 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ई–1: ₹40000–140000 | 9 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ई–0: ₹30000–120000 | 10 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **कुल** | **39** | **9** | **2** | **5** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

* प्रतिनियुक्ति पर

**अनुलग्नक–VII**

(पैरा 5.2 देखें)

## बैंचमार्क दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व
## (1 जनवरी, 2020 को यथास्थिति)

| समूह | कार्मिकों की संख्या | | | | सीधी भर्ती द्वारा | | | | | | | पदोन्नति | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | आरक्षित रिक्तियों की संख्या | | | की गई नियुक्तियों की संख्या | | | | आरक्षित रिक्तियों की संख्या | | | | की गई नियुक्तियों की संख्या | | |
| | कुल | दृबा | श्रबा | लोवि | दृबा | श्रबा | लोवि | कुल | दृबा | श्रबा | लोवि | दृबा | श्रबा | लोवि | कुल | दृबा | श्रबा | लोवि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| समूह 'क' | 39 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| समूह 'ख' | 09 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| समूह 'ग' | 32 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **कुल** | **80** | **1** | – | **2** | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

**टिप्पणी:** दिव्यांगजन व्यक्तियों का समग्र प्रतिनिधित्व 3.75% है।
(दृबा – दृष्टि बाधित, श्रबा – श्रवण बाधित, लोवि – लोकोमोटिव विकलांग)

**अनुलग्नक–VIII**

(पैरा 6.10 देखें)

(पृष्ठ 6 का 1)

## प्ररूप एमजीटी–9
## वार्षिक विवरणी का सार
## 31.03.2020 को समाप्त वित्त वर्ष की स्थिति के अनुसार

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में)

### I. पंजीकरण और अन्य ब्योरे

| | | |
|---|---|---|
| (i) | सीआईएन | U93000DL1989NPL034967 |
| (ii) | पंजीकरण की तारीख | 8 फरवरी, 1989 |
| (iii) | कंपनी का नाम | नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसएफडीसी) |
| (iv) | कंपनी की श्रेणी/उप श्रेणी | प्राइवेट कंपनी/शेयर्स द्वारा परिसीमित |
| (v) | पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क के ब्योरे | 14वीं मंजिल, कोर 1 व 2, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, लक्ष्मी नगर, दिल्ली – 110 092 |
| (vi) | क्या सूचीबद्ध कंपनी है | जी नहीं। |
| (vii) | रजिस्ट्रार और स्थानांतरण अभिकर्ता, यदि कोई हो, का नाम, पता और संपर्क के ब्योरे | लागू नहीं। |

### II. कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियाँ

कंपनी के कुल आवर्त का 10% या अधिक का अंशदान करने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों को निर्दिष्ट किया जाएगाः

| क्रम सं. | मुख्य उत्पाद/सेवाओं का नाम और विवरण | उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड | कंपनी के कुल टर्नओवर का % |
|---|---|---|---|
| 1 | वित्तीय | 99912 | 100% |

### III. स्वामित्व, सहायक और सहयोगी कंपनी के विवरणः

| क्रम सं. | कंपनी का नाम और पता | सीआईएन/जीएलएन | स्वामित्व सहायक/सहयोगी | धारित शेयर का % | लागू धारा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |

**अनुलग्नक–VIII**

(पैरा 6.10 देखें)

(पृष्ठ 6 का 2)

## IV. शेयर धारण प्रतिमान (कुल इक्विटी की प्रतिशतता के रूप में साम्य शेयर पूंजी ब्योरा)

(i) श्रेणी–वार शेयर धारण

| शेयर धारकों की श्रेणी | वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या | | | | वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या | | | | वर्ष के दौरान परिवर्तन % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | डीमैट | भौतिक | कुल | कुल शेयरों का % | डीमैट | भौतिक | जोड़ | कुल शेयरों का % | |
| **(क) प्रवर्तक** | | | | | | | | | |
| **1. भारतीय** | | | | | | | | | |
| क. एकल / अ.हि.प. | | | | | | | | | |
| ख. केंद्र सरकार | – | 14854000 | 14854000 | 100 | – | 15000000 | 15000000 | 100 | शून्य |
| ग. राज्य सरकार(रें) | | | | | | | | | |
| घ. निकाय / निगम | | | | | | | | | |
| ङ. बैंक / वि.सं. | | | | | | | | | |
| च. कोई अन्य | | | | | | | | | |
| **उप–जोड़ (क) (1)** | | | | | | | | | |
| **2. विदेशी** | | | | | | | | | |
| क. अ.भा.–एकल | | | | | | | | | |
| ख. अन्य – एकल | | | | | | | | | |
| ग. निकाय निगम | | | | | | | | | |
| घ. बैंक / वि.सं. | | | | | | | | | |
| ङ. कोई अन्य | | | | | | | | | |
| **उप–जोड़ (क) (2)** | | | | | | | | | |
| प्रवर्तक की कुल शेयरधारिता (क) = क(1) + (क)(2) | | | | | | | | | |
| **(ख) पब्लिक शेयरधारिता** | | | | | | | | | |
| **1. संस्थाएँ** | | | | | | | | | |
| (क) म्युचुअल फंड | | | | | | | | | |
| (ख) बैंक / वि.सं. | | | | | | | | | |
| (ग) केंद्र सरकार | | | | | | | | | |
| (घ) राज्य सरकार(रें) | | | | | | | | | |
| (ङ) उद्यम पूंजी कोष | | | | | | | | | |
| (च) एफआईआईएस | | | | | | | | | |
| (छ) विदेशी संस्थागत निवेशक | | | | | | | | | |
| (ज) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) | | | | | | | | | |
| **उप–जोड़ (ख)(1)** | | | | | | | | | |

**अनुलग्नक–VIII**

(पैरा 6.10 देखें)

(पृष्ठ 6 का 3)

| शेयर धारकों की श्रेणी | वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या | | | | वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या | | | | वर्ष के दौरान परिवत.न % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | डीमैट | भौतिक | कुल | कुल शेयरों का % | डीमैट | भौतिक | जोड़ | कुल शेयरों का % | |
| **2. गैर संस्थागत** | | | | | | | | | |
| (क) कॉर्पोरेट निकाय | | | | | | | | | |
| (i) भारतीय | | | | | | | | | |
| (ii) विदेशी | | | | | | | | | |
| (ख) व्यक्तिगत | | | | | | | | | |
| (i) ₹1.00 लाख रुपए तक की सांकेतिक शेयर पूंजीधारी व्यक्तिगत शेयर धारक | | | | | | | | | |
| (ii) ₹1.00 लाख रुपए से अधिक की सांकेतिक शेयर पूंजीधारी व्यक्तिगत शेयर धारक | | | | | | | | | |
| **(ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)** | | | | | | | | | |
| **उप–योग (ख) (2)** | | | | | | | | | |
| **कुल पब्लिक शेयर धारित (ख) = (ख) (1) + (ख) (2)** | | | | | | | | | |
| **(ग) जीडीआर एवं एडीआर अभिरक्षकों द्वारा धारित शेयर** | | | | | | | | | |
| **सकल योग (क + ख + ग)** | | **14854000** | **14854000** | **100** | – | **15000000** | **15000000** | **100** | **शून्य** |

## (ii) संप्रवर्तकों की शेयरधारिता

| क्रम सं. | शेयरधारक का नाम | वर्ष के प्रारंभ में शेयर धारिता | | | वर्ष के अंत में शेयर धारिता | | | वर्ष के दौरान शेयर धारिता में परिवर्तन का % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का % | कुल शेयरों में प्रतिभूत/भारित शेयरों का % | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का % | कुल शेयरों में प्रतिभूत/भारित शेयरों का % | |
| 1 | भारत के राष्ट्रपति | 14853999 | 99.999% | – | 15000000 | 99.999% | – | शून्य |
| 2 | श्री बी.एल मीणा | 1 | 0.001% | – | 1 | 0.001% | – | शून्य |
| | कुल | 14854000 | 100% | – | 14999999 | 100% | – | – |

**अनुलग्नक–VIII**

(पैरा 6.10 देखें)

(पृष्ठ 6 का 4)

**(iii) संप्रवर्तकों की शेयर धारिता में परिवर्तन (कोई परिवर्तन नहीं होने की स्थिति में कृपया स्पष्ट करें)**

| क्रम सं. | | वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता | | वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का % | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का % |
| 1 | वर्ष के प्रारंभ में | 14854000 | 100% | 14854000 | |
| 2 | वर्ष के प्रारंभ में वृद्धि/गिरावट के कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए (अर्थात् आबंटन/अंतरण/बोनस/श्रमसाध्य साम्य आदि) वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तिथि–वार वृद्धि/गिरावट | 700000 (14.05.18) 673900 (16.07.18) | | 146000 (15.07.19) | |
| **3** | **वर्ष के अंत में** | **14854000** | | **15000000** | **100%** |

**(iv) शीर्ष दस शेयर धारकों (निदेशकों, संप्रवर्तकों एवं जीडीआर व एडीआर के धारकों के अतिरिक्त) का शेयर धारिता प्रतिमानः** **शून्य**

| क्रम सं. | प्रत्येक शीर्ष दस शेयर धारकों के लिए | वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता | | वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का % | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का % |
| 1 | वर्ष के प्रारंभ में | | | | |
| 2 | बढ़त/घटत के कारणों को स्पष्ट करते हुए (अर्थात् आबंटन/अंतरण/बोनस/ श्रमसाध्य साम्य इत्यादि) शेयर धारिता में वर्ष के दौरान संप्रवर्तकों की शेयर धारिता में तिथि–वार बढ़त/घटत | | | | |
| 3 | वर्ष के अंत में (अथवा पृथक्करण की तिथि को, यदि वर्ष के दौरान पृथक हुए) | | | | |

**(v) निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयर धारिताः**

| क्रम सं. | प्रत्येक निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के लिए | वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता | | वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का % | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का % |
| 1 | वर्ष के प्रारंभ में | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 |
| 2 | बढ़त/घटत के कारणों को स्पष्ट करते हुए (अर्थात् आबंटन/अंतरण/बोनस/श्रमसाध्य साम्य इत्यादि) शेयर धारिता में वर्ष के दौरान तिथि–वार बढ़त/घटत | – | – | – | – |
| 3 | वर्ष के अंत में | 1 | 0.001 | 1 | 0.001 |

**अनुलग्नक–VIII**

(पैरा 6.10 देखें)

(पृष्ठ 6 का 5)

## (V) ऋणग्रस्तता

**कंपनी की बकाया/प्रोद्भूत किंतु भुगतान हेतु देय नहीं ब्याज समाहित ऋणग्रस्तता : शून्य**

| | जमाओं को छोड़कर प्रतिभूत ऋण | अप्रतिभूत ऋण | निक्षेप | कुल ऋणग्रस्तता |
|---|---|---|---|---|
| **वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता** | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| (i) मूलधन | | | | |
| (ii) देय किंतु अप्रदत्त ब्याज | | | | |
| (iii) प्रोद्भूत किंतु अदेय ब्याज | | | | |
| **योग** | | | | |
| वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन | | | | |
| – अभिवर्धन | | | | |
| – कटौती | | | | |
| निवल परिवर्तन | | | | |
| वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| (i) मूलधन | | | | |
| (ii) देय किंतु अप्रदत्त ब्याज | | | | |
| (iii) प्रोद्भूत किंतु अदेय ब्याज | | | | |

## (VI) निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंध कार्मिकों का पारिश्रमिक

### (क) प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/या प्रबंधक का पारिश्रमिक

| क्रम सं. | पारिश्रमिक का विवरण | प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम | | | | कुल राशि (रुपए) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **सकल वेतन** | | | | | |
| | (अ) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के उपबंधों के अनुसार वेतन | **श्री के. नारायण, अप्रनि (अतिरिक्त प्रभार)**<br>**श्री श्याम कपूर, पूर्व अप्रनि (31.08.19 तक)** | | | | शून्य<br>19,06,869/– |
| | (आ) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य | | | | | शून्य |
| | (ग) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ | | | | | शून्य |
| | स्टॉक विकल्प | | | | | शून्य |
| | श्रमसाध्य साम्य | | | | | शून्य |
| | कमीशन<br>– लाभ के % के रूप में<br>– अन्य, विनिर्दिष्ट करें | | | | | शून्य |
| | अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें | | | | | शून्य |
| | **योग (क)** | | | | | 19,06,869/– |
| | अधिनियम के अनुसार सीमा | | | | | लागू नहीं |

**अनुलग्नक–VIII**

(पैरा 6.10 देखें) (पृष्ठ 6 का 6)

**(ख) अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक :**

(रुपयों में)

| क्रम सं. | पारिश्रमिक की विशिष्टियां | प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम | | कुल राशि |
|---|---|---|---|---|
| | | विशाखा शैलानी | के. रामलिंगम* | |
| 1 | स्वतंत्र निदेशक | | | |
| | – बोर्ड या समिति की बैठक में भाग लेने की फीस | 14,160/- | 20,355/- | 34,515/- |
| | – कमीशन | | | |
| | – अन्य, विनिर्दिष्ट करें | | | |
| | योग (1) | 14,160/- | 20,355/- | 34,515/- |
| 2 | अन्य गैर–कार्यकारी निदेशक | | | |
| | – बोर्ड या समिति की बैठक में भाग लेने की फीस | | | |
| | – कमीशन | | | |
| | – अन्य, विनिर्दिष्ट करें | | | |
| | योग (2) | | | |
| | कुल (ख) = (1+2) | 14,160/- | 20,355/- | 34,515/- |
| | कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक | | | |
| | अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा | | | |

* दिनांक 20.03.2019 से प्रभावी

**(ग) प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक के अतिरिक्त अन्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक:**

(रुपयों में)

| क्रम सं. | पारिश्रमिक के विवरण | प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | मुख्य कार्यकारी अधिकारी | कंपनी सचिव | मुख्य वित्तीय अधिकारी* | जोड़ |
| 1 | सकल वेतन | – | 23,53,809/– | 35,45,257/– | 58,99,066/– |
| (क) | आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के उपबंधों के अनुसार वेतन | – | 24,950/– | 29,080/– | 54,030/– |
| (ख) | आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य | – | – | – | – |
| (ग) | आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ | – | – | – | – |
| 2 | स्टॉक विकल्प | – | – | – | – |
| 3 | श्रमसाध्य साम्य | – | – | – | – |
| 4 | कमीशन | – | – | – | – |
| | – लाभ के प्रतिशत के रूप में | – | – | – | – |
| | – अन्य, विनिर्दिष्ट करें | – | – | – | – |
| 5 | अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें (पुरस्कार+पीएफ अंशदान) | – | 1,73,782/– | 2,46,742/– | 4,20,524/– |
| | **योग** | – | **25,52,541/–** | **38,21,079/–** | **63,73,620/–** |

* दिनांक 09.08.2018 से प्रभावी।

**(VII) शास्ति या दंड या अपराध उपशमन: शून्य**

| प्रकार | कंपनी अधिनियम की धारा | संक्षिप्त विवरण | लगाए गए शास्ति/दंड/अपराध उपशमन की फीस | प्राधिकारी (प्रादेशिक निदेशक या एनसीएलटी न्यायालय) | अपील, यदि हो (ब्योरा दें) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**अनुलग्नक–IX**

(पैरा 7 देखें)

# दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) के अंतर्गत अपेक्षित कर्मचारियों के विवरण

(क) समीक्षाधीन पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान नियोजित थे और वित्तीय वर्ष में प्राप्त पारिश्रमिक का कुल योग ₹1,02,00,000/– से कम नहीं था:

| क्रम सं. | नाम और आयु | पदनाम और ड्यूटियों का स्वरूप | प्राप्त पारिश्रमिक | अर्हताएँ | अनुभव (वर्ष) | नियोजन प्रारंभ की तारीख | पूर्व नियोजन | अधिनियम की धारा–217 की उप–धारा (2क) के खंड (क) के उप–खंड (iii) के अर्थांतर्गत में कंपनी में कर्मचारी द्वारा धारित इक्विटी शेयरों का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| –शून्य– | | | | | | | | |

(ख) वित्तीय वर्ष के किसी भाग के लिए नियोजित थे एवं प्राप्त पारिश्रमिक प्रतिमाह ₹8,50,000/– की दर से कम न हो।

| क्रम सं. | नाम और आयु | पदनाम और ड्यूटियों का स्वरूप | प्राप्त पारिश्रमिक | अर्हताएँ | अनुभव (वर्ष) | नियोजन प्रारंभ की तारीख | पूर्व नियोजन | ऊपर उप–नियम (2) के उप–खंड (iii) के अंतर्गत कंपनी में कर्मचारी द्वारा धारित इक्विटी शेयरों का प्रतिशत | क्या ऐसा कोई कर्मचारी कंपनी के किसी निदेशक या प्रबंधक का रिश्तेदार है और यदि हां, तो उस निदेशक या प्रबंधक का नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| –शून्य– | | | | | | | | | |

**टिप्पणियां:**

1. उपर्युक्त सभी नियुक्तियों की शर्तें एवं निबंधन कंपनी के नियमों के अनुसार हैं।
2. प्राप्त किए गए पारिश्रमिक में आयकर अधिनियम, 1961 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार वेतन, भत्ते और बोनस शामिल हैं।
3. यदि पूरे वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए नियोजित किया गया है, तो उस वर्ष में प्राप्त कुल पारिश्रमिक अथवा यथास्थिति, ऐसी दर पर प्राप्त किया जो, प्रबंध निदेशक अथवा पूर्णकालिक निदेशक अथवा प्रबंधक के वेतन से अधिक था और जो स्वयं अथवा अपने पति/पत्नी और आश्रित बच्चों के साथ कंपनी के इक्विटी शेयरों का न्यूनतम 2 प्रतिशत धारित करता हो।

**अनुलग्नक–X**

(पैरा 8 देखें)
(पृष्ठ 5 का 1)

# कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर रिपोर्ट

यह निगम समावेशी आर्थिक विकास में दृढ़ता से विश्वास करता है। इस सिद्धांत पर कंपनी की सीएसआर पहलें आधारित हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–135 की अनुसूची.टप्प् विभिन्न क्षेत्रों को सूचीबद्ध करती है जिनमें कारर्पोरेट संस्थाओं (एंटिटी) से उनके सीएसआर निधियों को खर्च करने और सामाजिक विकास के लिए कार्यक्रमों को लागू करने की अपेक्षा की जाती है। एनएसएफडीसी ने जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए कंपनी के सीएसआर पहलों को रणनीतिक रूप से चुना है।

## 1. कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति की संरचना

निगम की कारपोरेट सामाजिक दायित्व और सतत् विकास (सीएसआर और एसडी) नीति जो कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 में किए प्रावधानों तथा ''डीपीई के दिशानिर्देशों'' के अनुरूप तैयार किया गया है। सीएसआर नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई है। कंपनी ने निम्नलिखित निदेशकों सहित बोर्ड की कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति गठित कीः–

| | | | |
|---|---|---|---|
| (i) | श्री के. नारायण, | अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, एनएसएफडीसी | अध्यक्ष |
| (ii) | श्री एस. एम. आवले, | मुख्य महाप्रबंधक (लेखा परीक्षा), आईडीबीआई बैंक | सदस्य |
| (iii) | श्री भास्कर पंत (15.05.2020 तक), | महाप्रबंधक, नाबार्ड | सदस्य |
| (iv) | श्रीमती अन्नु भोगल, | कंपनी सचिव, एनएसएफडीसी | सचिव |

सीएसआर और एसडी नीति के अनुसार, सामाजिक दायित्व और सतत् विकास नीति गतिविधियों को सीएसआर की आंतरिक समिति द्वारा कारपोरेट कार्यालय में समन्वित किया जाता है। यह समिति सीएसआर और एसडी गतिविधियों की देखरेख करने वाले बोर्ड द्वारा गठित सीएसआर समिति के प्रति उत्तरदायी है। वर्तमान में, सीएसआर की आंतरिक समिति का गठन निम्नानुसार हैः–

| | | |
|---|---|---|
| (i) | श्री सी. रमेश राव, मप्र (परियोजना) | अध्यक्ष |
| (ii) | श्रीमती अन्नु भोगल, उमप्र (वित्त, लेखापरीक्षा व कंपनी सचिव) | सदस्य |
| (iii) | श्री डेविड रांगते, उप महाप्रबंधक | सदस्य |
| (iv) | श्री सपन बरुआ, उप महाप्रबंधक | सदस्य |
| (v) | श्री थोटा सतीश, सहायक महाप्रबंधक | सदस्य |

**अनुलग्नक–X**

(पैरा 8 देखें)

(पृष्ठ 5 का 2)

## 2. गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी का औसत निवल लाभ

| | | 2019–20 राशि (₹ / लाख) | 2018–19 राशि (₹ / लाख) |
|---|---|---|---|
| (i) | व्यय से अधिक आय (ईओआईओई) | | |
| | 2015–16 | – | 4405.48 |
| | 2016–17 | 4900.92 | 4900.92 |
| | 2017–18 | 4747.52 | 4747.52 |
| | 2018–19 | 5126.67 | – |
| (ii) | **कुल (ईओआईओई)** | **14775.11** | **14058.01** |
| (iii) | घटाएं: अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए समायोजन | – | **0.32** |
| (iv) | निवल लाभ | 14775.11 | 14053.60 |
| (v) | औसत (iv / 3) | 4925.04 | 4684.53 |
| (vi) | निर्धारित सीएसआर व्यय अर्थात् (v) का 2% | 98.50 | 93.69 |
| (vii) | वर्ष के प्रारंभ में अव्ययित राशि | 105.29 | 53.37 |
| (viii) | वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि | 97.57 | 41.77 |
| (ix) | वर्ष की समाप्ति पर अव्ययित राशि (ii + iii – iv) | 106.22 | 105.29 |

## 3. अव्ययित राशि का कारण

लोक उद्यम विभाग ने दिनांक 10.12.2018 के कार्यालय ज्ञापन के द्वारा सीएसआर दिशानिर्देशों को संशोधित किया है और प्रत्येक वर्ष एक विषय (थीम) आधारित दृष्टिकोण अपनाने की सिफारिश की है। लोक उद्यम विभाग द्वारा वर्ष 2019–20 के लिए सीएसआर के लिए स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल केंद्रित हस्तक्षेप को सामान्य (विषय) के रूप में पहचाना गया है। अतएव, विषय आधारित कार्यक्रमों के लिए विशिष्ट कार्यान्वयन एजेंसियों के अभाव की वजह से वर्ष 2019–20 के दौरान राशि अव्ययित रह गई।

**अनुलग्नक–X**

(पैरा 8 देखें)

(पृष्ठ 5 का 3)

**4. वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए/चल रहे विषयगत परियोजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा यहां दिया गया है:**

(राशि रुपयों में)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र सं | अभिज्ञात सीएसआर परियोजना कार्यकलाप | वह सेक्टर जिसमें परियोजना कवर की गई है | परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) उस राज्य और जिले को निर्दिष्ट करें जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम चलाया गया# | परियोजना या कार्यक्रम–वार परिव्यय (बजट) राशि | परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि | | रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय (6क + 6ख) | खर्च की गई राशिः प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से |
| | | | | | परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर हुआ प्रत्यक्ष व्यय (क) | परिव्यय (ऊपरी व्यय) (ख) | | |
| 1. | कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों को विशेष फुटवियर का वितरण | स्वास्थ्य देखभाल (स्वास्थ्य विषय पर) | दिल्ली | 55000 | 55000 | 0 | 55000 | कार्यान्वयन एजेंसी |
| 2. | हिरदा संवर्धन के प्रचार के माध्यम से सामाजिक उद्यमिता | सामाजिक उद्यमिता (गैर–विषय गतिविधि) | भीमशंकर अभ्यारण, पुणे, महाराष्ट्र | 561000 | 280500 | 0 | 280500 | कार्यान्वयन एजेंसी |
| 3. | कक्षाओं (दो कक्षाएं) का निर्माण और स्व्च्छ भारत अभियान | स्कूल शिक्षा (स्कूल शिक्षा विषय पर – आकांक्षी जिला) | गांव गट्टी राजो के, जिला फिरोजपुर, पंजाब | 640000 | 640000 | 0 | 640000 | कार्यान्वयन एजेंसी |
| 4. | एम्बुलेंस और स्नैक्स वितरण का प्रावधान | स्वास्थ्य देखभाल (स्वास्थ्य विषय पर) | जिला गुरूग्राम, हरियाणा | 1350243 | 1350243 | 0 | 1350243 | कार्यान्वयन एजेंसी |
| 5. | मल्टी यूटिलिटी फोटोथेरेपी यूनिट का प्रावधान | स्वास्थ्य देखभाल (स्वास्थ्य विषय पर) | दिल्ली | 95200 | 95200 | 0 | 95200 | कार्यान्वयन एजेंसी |
| 6. | नेत्र अस्पताल हेतु सर्जिकल उपकरण | स्वास्थ्य देखभाल (स्वास्थ्य विषय पर) | जिला सिद्दीपेट, तेलंगाना | 2000133 | 2000133 | 0 | 2000133 | कार्यान्वयन एजेंसी |
| 7. | स्वच्छ भारत अभियान पर स्कूली बच्चों हेतु प्रतियोगिताएं | स्वच्छ भारत अभियान/स्कूली शिक्षा (स्कूल शिक्षा विषय पर– आकांक्षी जिला) | गांव गट्टी राजो के, जिला फिरोजपुर, पंजाब | 16350 | 16350 | 0 | 16350 | कार्यान्वयन एजेंसी |

**अनुलग्नक–X**

(पैरा 8 देखें)

(पृष्ठ 5 का 4)

(राशि रुपयों में)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र सं | अभिज्ञात सीएसआर परियोजना कार्यकलाप | वह सेक्टर जिसमें परियोजना कवर की गई है | परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) उस राज्य और जिले को निर्दिष्ट करें जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम चलाया गया# | परियोजना या कार्यक्रम–वार परिव्यय (बजट) राशि | परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि | | रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय (6क + 6ख) | खर्च की गई राशिः प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से |
| | | | | | परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर हुआ प्रत्यक्ष व्यय (क) | परिव्यय (ऊपरी व्यवय) (ख) | | |
| 8 | स्वच्छता पखवाड़ा | स्वच्छ भारत अभियान / स्कूली शिक्षा (स्कूल शिक्षा विषय पर–आकांक्षी जिला) | जेजे क्लस्टर, दिल्ली | 18369 | 18369 | 0 | 18369 | प्रत्यक्ष |
| 9 | स्कूली विद्यार्थियों का परीक्षण | स्कूली शिक्षा (स्कूल शिक्षा विषय पर) | प.बं., झारखंड और उत्तर प्रदेश | 1250000 | 875000 | | 875000 | कार्यान्वयन एजेंसी |
| 10 | स्वास्थ्य शिविर | स्वास्थ्य देखभाल (स्वास्थ्य विषय पर) | पश्चिमी सिक्किम, सिक्किम (आकांक्षी जिला) | 65000 | 65000 | 0 | 65000 | कार्यान्वयन एजेंसी |
| 11 | बेघर के लिए पुनर्वास आश्रय | पोषण (पोषण विषय पर) | दिल्ली | 660000 | 330000 | 0 | 330000 | कार्यान्वयन एजेंसी |
| 12 | माइक्रो कारपेट क्लस्टर का विकास | कौशल और उद्यमिता विकास (गैर–विषय गतिविधि) | जिला बांदीपोरा, कश्मीर प्रभाग | 994000 | 904465 | 0 | 904465 | कार्यान्वयन एजेंसी |
| 13 | स्वास्थ्य शिविर | स्वास्थ्य देखभाल (स्वास्थ्य विषय पर) | दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड और तेलंगाना (आकांक्षी जिले) | 407850 | 407850 | 0 | 407850 | कार्यान्वयन एजेंसी |
| 14 | अनुसूचित जाति छात्रावास हेतु उपकरण | स्कूली शिक्षा (स्कूल शिक्षा विषय पर) | भूपलपल्ली, तेलंगाना (आकांक्षी जिले) | 1073074 | 536537 | 0 | 536537 | कार्यान्वयन एजेंसी |
| 15 | सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष | सशस्त्र सेना कल्याण (गैर–विषय गतिविधि) | संपूर्ण भारत | 153000 | 153000 | 0 | 153000 | कार्यान्वयन एजेंसी |
| 16 | अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस – टाटा स्ट्राइव के अभ्यर्थियों के लिए योग प्रशिक्षण | स्वास्थ्य देखभाल (स्वास्थ्य विषय पर) | टाटा स्ट्राइव, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली | 27905 | 27905 | 0 | 27905 | प्रत्यक्ष |

**अनुलग्नाक–X**

(पैरा 8 देखें)
(पृष्ठ 5 का 5)

**(राशि रुपयों में)**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र सं | अभिज्ञात सीएसआर परियोजना कार्यकलाप | वह सेक्टर जिसमें परियोजना कवर की गई है | परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) उस राज्य और जिले को निर्दिष्ट करें जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम चलाया गया# | परियोजना या कार्यक्रम–वार परिव्यय (बजट) राशि | परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि | | रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय (6क + 6ख) | खर्च की गई राशिः प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से |
| | | | | | परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर हुआ प्रत्यक्ष व्यय (क) | परिव्यय (ऊपरी व्यय) (ख) | | |
| 17 | बेघर लोगों के भोजन हेतु बर्तन विशेष रूप से कोविड लॉकडाउन (1.0 से 4.0) के दौरान | पोषण (पोषण विषय पर) | दिल्ली | 964500 | 675150 | 0 | 675150 | कार्यान्वयन एजेंसी |
| 18 | बकरी पालन के माध्यम से आजीविका | कौशल और उद्यमिता विकास (गैर–विषय गतिविधि) | लखनऊ, उत्तर प्रदेश | 1793250 | 896625 | 0 | 896625 | कार्यान्वयन एजेंसी |
| 19 | सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन और इंसीनरेटर | कॉलेज शिक्षा (गैर–विषय गतिविधि) | हरिद्वार, उत्तराखंड | 101224 | 101224 | 0 | 101224 | प्रत्यक्ष |
| 20 | दिल्ली दंगों के दौरान राशन किट सहायता | पोषण (पोषण विषय पर) | दिल्ली | 470000 | 329000 | 0 | 329000 | कार्यान्वयन एजेंसी |
| | | | **कुल** | **12748748** | **9757551** | **0** | **9757551** | |
| 21 | स्वास्थ्य शिविर | स्वास्थ्य देखभाल | जनकपुरी, दिल्ली | 50300 | 2800 | 0 | 2800 | टिप्पणी |
| | | | | | | | | वर्ष 2020–21 के लिए ₹2800 का प्रावधान किया गया है। |
| 22 | स्वास्थ्य शिविर | स्वास्थ्य देखभाल | नोएडा सेक्टर 135, उप्र | 49850 | 49850 | 0 | 49850 | वर्ष 2020–21 के लिए ₹49850 का प्रावधान किया गया है। |
| 23 | दिल्ली दंगों के दौरान राशन किट सहायता | पोषण (पोषण विषय पर) | दिल्ली | 470000 | 141000 | 0 | 141000 | वर्ष 2020–21 के लिए ₹141000 का प्रावधान किया गया है। |
| | | | **2020–21 के लिए प्रावधान सहित कुल** | **13318898** | **9951201** | **0** | **9951201** | |

**अनुलग्नक–XI**

(पैरा 10 देखें)
(पृष्ठ 6 का 1)

# कॉर्पोरेट गवर्नेंस (निगमित अभिशासन) रिपोर्ट

## 1. कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड (निगमित अभिशासन की संहिता) संबंधी कंपनी की राय पर विवरण

निगमित अभिशासन में एक प्रणाली शामिल है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य करती है कि कंपनी मामलों को इस प्रकार प्रबंधित किया जा रहा है कि जवाबदेही, पारदर्शिता और व्यापक अर्थों में सभी लेन–देन में निष्पक्षता है।

तेजी से विकास के बावजूद, वित्तीय प्रतिरोध (exclusion), अस्वीकार्य गरीबी स्तर, बेरोजगारी, पारंपरिक कृषि गतिविधियों से घट रहे आय के स्तर और कौशल की कमी, अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास में प्रमुख चुनौती बनी रहती है। हालांकि, अनुसूचित जाति के विकासात्मक मानदंडों में वर्ष 2001 से सुधार हुआ है। फिर भी, समाज में मुख्यधारा और अनुसूचित जाति की आबादी के बीच की खाई अभी भी बनी हुई है। पर्यावरण क्षरण और लिंग असमानता के साथ–साथ विकास में असंतुलन, समावेशी उन्नति को प्राप्त करने में मुख्य चुनौतियां उत्पन्न करते हैं।

एनएसएफडीसी को सुशासन को उन्नत करने और सेवाओं में सुधार करने के लिए राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों की क्षमता के विकास की पहल का समर्थन करता है। एनएसएफडीसी को भी अपने प्रचालन में सुशासन के तत्वों को एकीकृत करने की आवश्यकता है।

## 2. निदेशक मंडल

### 2.1 बोर्ड का गठन और निदेशकों के पद

भारत के राष्ट्रपति, प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से कंपनी में निदेशकों को नियुक्त करते हैं। बोर्ड के निदेशकों के गठन में 15 पद हैं। दिनांक 31.03.2020 को बोर्ड में 9 सदस्य थे।

बोर्ड का गठन और निदेशकों श्रेणी नीचे दी जा रही है:–

| श्रेणी | निदेशक का नाम | स्थिति में |
|---|---|---|
| **पूर्णकालिक कार्यपालक, प्रबंधक निदेशक** | श्री श्याम कपूर (अगस्त, 2019 तक)<br>श्री के. नारायण (सितंबर, 2019 से) | पूर्व अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक<br>अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक |
| **सरकारी निदेशक*:–** | | |
| **सा.न्या.अधि.मं. का प्रतिनिधित्व** | श्री संजय पांडे | संयुक्त सचिव व वित्तीय सलाहकार, सा.न्या. अधि.मं. |
| **अन्य मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व** | श्री पीयूष श्रीवास्तव | एमएसएमई के प्रतिनिधि |
| **अन्य संस्थाओं का प्रतिनिधित्व** | श्री एस.एम. आवले<br>श्री भास्कर पंत | आईडीबीआई के प्रतिनिधि<br>नाबार्ड के प्रतिनिधि |
| **एससीए का प्रतिनिधित्व** | श्री के. सी. लामा<br>श्री लाचीराम भुक्या | सिक्किम एससीए के प्रतिनिधि<br>तेलंगाना एससीए के प्रतिनिधि |
| **गैर–सरकारी निदेशक** | सुश्री विशाखा शैलानी<br>डॉ. के. रामालिंगम | स्वतंत्र निदेशक<br>स्वतंत्र निदेशक |

*अंशकालिक सरकारी निदेशक पदेन सदस्य हैं और उनकी अवधि कंपनी के बोर्ड में नियुक्ति के समय सरकार में उनके संबंधित पद की अवधि की सह–सीमा अवधि है।

**अनुलग्नक–XI**

(पैरा 10 देखें)
(पृष्ठ 6 का 2)

## 2.2 निदेशक मंडल की बैठकें और प्रक्रिया

निदेशक मंडल कंपनी के समग्र कार्यकलापों की देखरेख के लिए गठित शीर्षस्थ समिति है। बोर्ड कंपनी की कार्यनीति के लिए निर्देश, प्रबंधन नीतियों और उसकी प्रभाविता देता है व मूल्यांकन करता है तथा सुनिश्चित करता है कि शेयर धारकों (भारत सरकार) का दीर्घावधि हित बना रहे।

## 2.3 तारीख सहित बोर्ड की बैठकों की संख्या

वर्ष के दौरान, कम–से–कम दो बैठकों के आयोजन के एवज में बोर्ड की कुल तीन बैठकें आयोजित हुईं। बोर्ड बैठकों का विवरण निम्नलिखित है:–

| बोर्ड की बैठक | तारीख | निदेशकों की संख्या | उपस्थित निदेशकों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 151वीं | 26.08.2019 | 09 | 07 |
| 152वीं | 15.11.2019 | 09 | 07 |
| 153वीं | 20.03.2020 | 09 | 04 |

एनएसएफडीसी धारा–8 कंपनी है और कारपोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 05.06.2015 को जारी अधिसूचना के अनुसार धारा–173(1) के तहत छूट प्राप्त है और इसके बजाय ''उस सीमा तक लागू होगी कि ऐसी कंपनियों के निदेशक मंडल प्रत्येक छः कैलेंडर माह में कम से कम एक बैठक आयोजित करेंगे।''

## 2.4 बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति

| निदेशक का नाम | से | तक | अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या (2019–20) | अवधि के दौरान बैठकों में उपस्थिति संख्या (2019–20) |
|---|---|---|---|---|
| श्री श्याम कपूर, पूर्व अप्रनि | 29.07.2016 | 30.08.2019 | 1 | 1 |
| श्री के. नारायण | 01.09.2019 | आज तक | 2 | 2 |
| श्री संजय पांडे | 18.07.2019 | आज तक | 3 | 3 |
| श्री सलिल एम. आवले | 04.06.2015 | आज तक | 3 | 1 |
| श्री लाचीराम भुक्या | 23.03.2018 | आज तक | 3 | 1 |
| श्री कैजांग छोफेल लामा | 17.04.2017 | 30.04.2020 | 3 | 2 |
| श्री भास्कर पंत | 23.03.2018 | आज तक | 3 | 1 |
| श्री पीयूष श्रीवास्तव | 23.03.2018 | आज तक | 3 | – |
| सुश्री विशाखा शैलानी | 17.04.2017 | 17.04.2020 | 3 | 3 |
| डॉ. के. रामालिंगम | 20.03.2019 | आज तक | 3 | 3 |

**अनुलग्नक–XI**

(पैरा 10 देखें)
(पृष्ठ 6 का 3)

## 2.5 निदेशकों की नियुक्तियां और उनके कार्यकाल की समाप्ति

वर्ष के दौरान निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:–

| क्रम सं. | निदेशक का नाम | से | तक | समाप्ति का कारण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री श्याम कपूर, पूर्व अप्रनि | 29.07.2016 | 30.08.2019 | सेवानिवृत्ति |
| 2 | श्री के. नारायण, अप्रनि | 01.09.2019 | आज तक | अप्रनि के रूप में अतिरिक्त प्रभार |

## 2.6 बोर्ड और समिति की बैठकों के कार्यवृत्त की कार्यवाही का रिकार्ड

कंपनी सचिव द्वारा बोर्ड और समिति की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त की कार्यवाही को रिकार्ड किया जाता है। बोर्ड के सदस्यों को उनकी टिप्पणी के लिए कार्यवृत्त का मसौदा परिचालित किया जाता है। बोर्ड/समिति की बैठकों में लिए गए निर्णयों को संबंधित विभागों को तुरंत कार्रवाई के लिए सूचित किया जाता है और बोर्ड/समिति की बैठक में लिए गए निर्णय की स्थिति पर एक कार्रवाई रिपोर्ट बोर्ड/समिति के सदस्यों के सूचनार्थ रखी जाती है।

## 2.7 निदेशकों के लिए पारिश्रमिक

### 2.7.1 पूर्णकालिक कार्यपालक, प्रबंध निदेशक

केंद्र सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम होने के नाते, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक का निर्णय भारत सरकार द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक की नियुक्ति करने वाला सरकारी पत्र नियुक्ति की अवधि, वेतनमान आदि सहित उनकी नियुक्ति के विस्तृत निबंधनों और शर्तों को इंगित करता है और यह भी बताता है कि पत्र में शामिल अन्य निबंधनों और शर्तों के संबंध में, निगम के प्रासंगिक नियम लागू होंगे।

### 2.7.2 अंशकालिक पदेन सरकारी निदेशक

अंशकालिक पदेन सरकारी निदेशकों को किसी भी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है और बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क का भी भुगतान नहीं किया जाता है। वर्ष के दौरान सरकारी निदेशकों में से कोई भी कंपनी के साथ किसी भी तरह का आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं करता है।

### 2.7.3 गैर–सरकारी

स्वतंत्र निदेशकों को लाभार्थियों और प्रशिक्षण संस्थानों के आधिकारिक दौरे पर खर्चों की प्रतिपूर्ति को छोड़कर किसी भी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है। निदेशक मंडल ने दिनांक 20.03.2019 को आयोजित अपनी 150वीं बोर्ड बैठक में स्वतंत्र निदेशकों की बोर्ड की बैठक/समिति की बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिदिन ₹4,000/– की फीस अनुमोदित और निर्धारित की।

**अनुलग्नक–XI**

(पैरा 10 देखें)

(पृष्ठ 6 का 4)

वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशक को बैठकों में भाग लेने हेतु भुगतान की गई फीस निम्न तालिका में दी गई हैं:

| बोर्ड बैठक की तारीख | बोर्ड बैठक/वार्षिक आम बैठक की सं. | भाग लेने हेतु प्रदत्त फीस (₹ में) | |
|---|---|---|---|
| | | सुश्री विशाखा शैलानी | डॉ. के. रामालिंगम |
| 26.08.2019 | 151वीं बोर्ड मीटिंग | 4000/– | 4000/– |
| 11.11.2019 | 30वीं वार्षिक आम बैठक | 4000/– | – |
| 15.11.2019 | 152वीं बोर्ड मीटिंग | 4000/– | 4000/– |
| 27.02.2020 | 9वीं पारिश्रमिक समिति की बैठक | – | 4000/– |
| 20.03.2020 | 153वीं बोर्ड मीटिंग | 4000/– | 4000/– |
| | **कुल** | **16,000/–** | **16,000/–** |

## 2.8 आचार संहिता

एनएसएफडीसी एक सुपरिभाषित आचार संहिता का पालन करता है, जो सत्यनिष्ठा, हित–संघर्ष और गोपनीयता के मुद्दों को काफी हद तक संबोधित करता है और नैतिक आचरण की आवश्यकता पर जोर देता है, जो कि सुशासन का आधार है। आचरण संहिता बोर्ड स्तर और बोर्ड से नीचे स्तर तक अर्थात् बोर्ड स्तर से एक ग्रेड नीचे तक महा–प्रबंधक कैडर तक विद्यमान है और रिर्पोटिंग वर्ष के लिए बोर्ड/मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक (महाप्रबंधकों) द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

## 3 वार्षिक आम बैठक

पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान, कंपनी की वार्षिक आम बैठक सचिव कक्ष, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, 6ठी मंजिल ('ए' विंग), शास्त्री भवन, नई दिल्ली में आयोजित हुई थी।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, आयोजित वार्षिक आम बैठकों की तारीख और समय तथा उसमें पारित विशेष संकल्प निम्नलिखित हैं:

| वाअबै | वर्ष | तारीख | समय | पारित विशेष संकल्प |
|---|---|---|---|---|
| 28वीं | 2016–17 | 29.09.2017 | दोपहर 12.00 | शून्य |
| 29वीं | 2017–18 | 25.09.2018 | अपराह्न 2.30 | शून्य |
| 30वीं | 2018–19 | 11.11.2019 | पूर्वाह्न 11.30 | शून्य |

**अनुलग्नक–XI**

(पैरा 10 देखें)
(पृष्ठ 6 का 5)

## 4. लेखा परीक्षा समिति

निगम, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–8 (पहले कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा–25 के तहत) के अधीन एक लाभ निरपेक्ष कंपनी के रूप में पंजीकृत है। यह न तो एक सार्वजनिक कंपनी है और न ही एक सार्वजनिक कंपनी की सहायक है। यह एक निजी सरकारी कंपनी है और किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध नहीं है। चूंकि कंपनी सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी की परिभाषा के तहत नहीं आती है, इसलिए लेखापरीक्षा समिति के गठन का प्रावधान निगम पर लागू नहीं था। हालांकि, लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा सीपीएसई के लिए जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति का गठन दिनांक 14.01.2016 को लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्धारित निर्देश के संबंध में किया गया था।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 05.06.2015 को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें धारा–8 कंपनियों को ''धारा–177 की उपधारा (2) में 'बहुमत वाले ऐसे स्वतंत्र निदेशकों के साथ' शब्दों को छोड़ दिया जाएगा'' की छूट दी गई है। तदनुसार, बोर्ड किसी निदेशक को सदस्य के रूप में नामित कर सकता है क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार धारा–8 कंपनियों के लिए स्वतंत्र निदेशकों के सदस्य के रूप में छूट दी गई है। लेखापरीक्षा समिति ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–177 के प्रावधानों के तहत इस तरह की भूमिकाओं खारिज किया है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की क्रमशः दिनांक 26.08.2019, 15.11.2019 और 20.03.2020 को तीन बार बैठकें हुईं।

## 5. कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) समिति

कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति का गठन कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–135 और अनुसूची–के अनुरूप किया गया है। वर्तमान सीएसआर समिति में श्री के. नारायण (अध्यक्ष), श्री एस. एम. अवाले (सदस्य) और श्री भास्कर पंत (सदस्य) शामिल हैं।

वर्ष के दौरान दिनांक 26.08.2019 और 27.02.2020 को समीक्षा हेतु समिति की दो बार बैठक हुई। अन्य विषयों के साथ–साथ सीएसआर समिति की भूमिका में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:

(i) बोर्ड को सीएसआर नीति का गठन और अनुशंसा।
(ii) सीएसआर व्यय की सिफारिश।
(iii) सीएसआर परियोजनाओं की निगरानी और कार्यान्वयन।

## 6. प्रकटीकरण

### 6.1 वास्तविक महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेन–देन पर प्रकटीकरण कि बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ संभावित विरोध हो सकता है

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने अपनी किसी भी संबंधित पार्टियों के साथ वेतन, भत्तों और गृह ऋण के अलावा, कोई वास्तविक लेन–देन नहीं किया।

**अनुलग्नक–XI**

(पैरा 10 देखें)
(पृष्ठ 6 का 6)

**6.2 गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी किसी दिशानिर्देशों से संबंधी किसी विषय पर किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा गैर–अनुपालन, अर्थ–दंड कर कंपनी पर लगाया गया दोषारोपण का ब्योरा।**

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, गत तीन वर्षों के दौरान, कंपनी पर किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा अर्थ दंड/दोषारोपण नहीं लगाया गया है।

**6.3 अनुपालन**

कंपनी सचिव को बैठक (बैठकों) की कार्यसूची और कार्यवृत्त पर टिप्पणी बनाते समय निगम के संबंध में लागू अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बने नियमों और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी नियमों में संस्तुत सचिवालयी मानकों (सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड) का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। संबंधित विभागाध्यक्ष अपने संबंधित कार्य के अनुसार सभी लागू कानून और विनियमों के लिए जवाबदेह है।

**7. सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) नीति**

कंपनी अपनी सभी व्यापारिक गतिविधियों में नीतिपरक व्यवहार को बढ़ावा देती है और कंपनी ने गैर–कानूनी अथवा गैर–नीतिपरक व्यवहार की रिपोर्ट के लिए एक तंत्र बनाया है। कंपनी के पास सतर्क तंत्र और मुखबिर नीति है, जिसमें कर्मचारीगण लागू कानून और विनियमों तथा आचरण संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए स्वतंत्र हैं।

**8. संचार के साधन**

कंपनी अपनी वेबसाइट पर अन्य महत्वपूर्ण सूचना सहित निगम की वार्षिक रिपोर्ट प्रदर्शित करती है। वार्षिक रिपोर्ट और शेयर धारकों से संबंधित अन्य दस्तावेज नियमित रूप से लोक सभा और राज्य सभा में प्रस्तुत किए जाते हैं।

**9. अनुपालन प्रमाण–पत्र**

यह रिपोर्ट केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित अभिशासन पर लोक उद्यम विभाग के आवश्यक दिशानिर्देशों के अंतर्गत है और उसमें दिशानिर्देशों के अनुबंध–VII में दिए गए सभी सुझाव के मद शामिल हैं। लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित निगमित अभिशासन की आवश्यकता सहित अनुपालन की तिमाही रिपोर्ट नियमित रूप से प्रशासनिक मंत्रालय को भेजी जाती है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निगमित अभिशासन के दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुपालन संबंधी एक व्यवसायरत कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाण–पत्र, निदेशक मंडल की रिपोर्ट के **अनुलग्नक–XII** पर संलग्न है।

निदेशकों की समिति का गठन करते समय, यह सुनिश्चित और अनुपालन करना अपेक्षित होगा कि एक निदेशक 10 से अधिक समितियों का निदेशक और 5 से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। किसी भी गैर–सरकारी निदेशक को किसी सूचीबद्ध कंपनी में गैर–सरकारी निदेशक के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए।

**अनुलग्नक–XII**

(निदेशक मंडल की रिपोर्ट का पैरा 10 देखें)

**एमएनके एंड एसोसिएट्स एलएलपी**

**कंपनी सचिव, एलएलपीआईएनःएएएम–9113**

**पंजीकृत कार्यालयः जी–41, भूतल, पटेल नगर पश्चिम, नई दिल्ली – 110 008**

**फोन:91–11–45095230, मोबाइल:91–9818156340, ई–मेलःnazim@mnkassociates.com**

# कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रमाण–पत्र

(डीपीई द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, 2010 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर गाइडलाइन के खंड 8.2.1 के अनुसार)

सेवा में,
सदस्यगण,
नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
नई दिल्ली

हमने दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजानिक क्षेत्र उद्यम के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर गाइडलाइन, 2010 में निर्धारित किए अनुसार नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (कंपनी) द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन और उसके साथ जुड़े अनुलग्नकों की जाँच की।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन समिति की है। हमारी जाँच उक्त उल्लेखित गाइडलाइनों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई हुई उस प्रक्रिया और कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न लेखापरीक्षा है न ही कंपनी की वित्तीय विवरिणका पर राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय और उत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने डीपीई गाइडलाइनों में दी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन निम्नांकित को छोड़कर किया हैः

1. सरकार ने डीपीई गाइडलाइन द्वारा तय सीमा से अधिक नामांकित निदेशकों की नियुक्ति की है;

2. डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति गत 12 माह के दौरान कम–से–कम चार बार बैठक करेगी और दो बैठकों के बीच चार माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। हालांकि, कंपनी के अभिलेखों के अवलोकन पर यह देखा गया है कि डीपीई दिशानिर्देशों द्वारा गत 12 माह में अनिवार्य रूप से चार बैठक किए जाने के निर्देश के बावजूद लेखापरीक्षा समिति ने 3 बैठकें की हैं और लेखापरीक्षा समिति की दो बैठकों के बीच चार माह से अधिक का समय भी लिया गया है।

हम यह भी बताते हैं कि ऐसे अनुपालन, कंपनी की न ही भावी व्यवहार्यता और न ही कुशलता अथवा प्रभावकारिता, जिससे प्रबंध समिति ने कंपनी कार्य को निष्पाादित किया है, के लिए आश्वासन हैं।

**कृते एमएनके एंड एसोसिएट्स एलएलपी**
**कंपनी सचिव**
**एफआरएनः एल2018डीई004900**
**ह०**
मोहम्मद नजीम खान
नामित भागीदार
सीपी 8245 (एफसीएसः 6529)
यूडीआईएनः एफ006529बी000620560

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 26 अगस्त, 2020

# 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

(₹ लाख में)

| | विवरण | टिप्पणी संख्या | 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार | 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार |
|---|---|---|---|---|
| I. | **परिसंपत्तियां** | | | |
| 1. | **गैर–चालू परिसंपत्तियां** | | | |
| | (क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण | 3 | 436.44 | 455.89 |
| | (ख) विनिधान संपत्ति | 4 | 12.84 | 13.49 |
| | (ग) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां | 5 | 6.98 | 11.39 |
| | (घ) विकासोन्नत अमूर्त परिसंपत्तियां | 6 | . | . |
| | (ङ) वित्तीय परिसंपत्तियां | | | |
| | (i) ऋण | 7 | 110ए491.55 | 102,756.66 |
| | (ii) अन्य | 8 | 105.29 | 96.60 |
| | (च) अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां | 9 | 61.18 | 62.02 |
| | | | **111,114.28** | **103,396.05** |
| 2. | **चालू परिसंपत्तियां** | | | |
| | (क) वित्तीय परिसंपत्तियां | | | |
| | (i) नकद और नकद के समकक्ष | 10 | 9,921.19 | 6,532.76 |
| | (ii) उपर्युक्त (i) के अलावा बैंक शेष | 11 | 7,938.38 | 17,698.07 |
| | (iii) ऋण | 7 | 79,198.61 | 72,972.25 |
| | (iv) अन्य | 12 | 5,694.62 | 5,239.59 |
| | (ख) चालू कर परिसंपत्ति (निवल) | 13 | 15.68 | 12.00 |
| | (ग) अन्य चालू परिसंपत्तियां | 14 | 38.35 | 85.56 |
| | | | **102,806.83** | **102,540.23** |
| | **कुल परिसंपत्तियां** | | **213,921.11** | **205,936.28** |
| II. | **इक्विटी और दायित्व** | | | |
| 1. | **इक्विटी** | | | |
| | (क) इक्विटी शेयर पूंजी | 15 | 150,000.00 | 148,540.00 |
| | (ख) अन्य इक्विटी | 16 | 58,866.14 | 52,813.82 |
| | | | **208,866.14** | **201,353.82** |
| 2. | **दायित्व** | | | |
| (i) | गैर–चालू दायित्व | | | |
| | (क) प्रावधान | 17 | 392.18 | 326.74 |
| | | | **392.18** | **326.74** |
| (ii) | **चालू दायित्व** | | | |
| | (क) वित्तीय दायित्व | | | |
| | (i) अन्य | 18 | 3,784.77 | 3,625.78 |
| | (ख) अन्य चालू दायित्व | 19 | 59.99 | 47.45 |
| | (ग) प्रावधान | 17 | 818.03 | 582.49 |
| | | | 4,662.79 | 4,255.72 |
| | **कुल इक्विटी और दायित्व** | | **213,921.11** | **205,936.28** |
| III. | वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियों 1–48 देखें। | | | |

ह०
(मंजीत सिंह छतवाल)
समप्र (वित्त)

ह०
(राजेश बिहारी)
महाप्रबंधक (वित्त)

ह०
(देवानन्द)
मुख्य महाप्रबंधक

ह०
(अन्नु भोगल
उमप्र (वित्त व कंपनी सचिव)

**हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार**
**कृते मै. वी. सहाय त्रिपाठी एंड कं.**
**सनदी लेखाकार**
**एफआरएनः 000262एन**

ह०
**(सी. ए. विश्वास त्रिपाठी)**
**भागीदार**
सदस्यता सं. 086897

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 09 सितंबर, 2020

*निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से*

ह०
(संजय पांडे)
निदेशक
डिन – 08453230

ह०
(के. नारायण)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डिन – 03561648

# 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय का विवरण

(₹ लाख में)

| विवरण | | टिप्पणी संख्या | 31 मार्च, 2020 के लिए | 31 मार्च, 2019 के लिए |
|---|---|---|---|---|
| I | प्रचालनों से प्राप्त राजस्व | 20 | 6,888.81 | 5,704.84 |
| II | अन्य आय | 21 | 1,475.99 | 1,673.57 |
| III | **कुल राजस्व (I+II)** | | 8,364.80 | 7,378.41 |
| IV | **व्यय** | | | |
| | कर्मचारी हित व्यय | 22 | 1,655.34 | 1,503.99 |
| | अन्य व्यय | 23 | 1.01 | 23.56 |
| | मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय | 24 | 42.52 | 43.90 |
| | एससीए को प्रोत्साहन | 25 | 88.89 | 73.39 |
| | प्रशिक्षण व्यय – लाभार्थी | | 10.27 | 6.77 |
| | अशोध्य और संदिग्ध ऋण | 38 | 99.51 | 41.77 |
| | अन्य व्यय | 26 | 369.36 | 291.30 |
| | **कुल व्यय (IV)** | | 2,266.90 | 1,984.68 |
| V | असाधारण मदों और करों से पूर्व व्यय से अधिक आय (III - IV) | | 6,097.90 | 5,393.74 |
| VI | असाधारण मदें | 27 | – | – |
| VII | **कर–पूर्व व्यय से अधिक आय (V - VI)** | | **6,097.90** | **5,393.74** |
| VIII | कर व्ययः | | – | – |
| | (1) वर्तमान कर | | | |
| | (2) आस्थगित कर | | | |
| IX | निरंतर प्रचालनों की अवधि के लिए व्यय से अधिक आय (VII - VIII) | | 6,097.90 | 5,393.74 |
| X | अनिरंतर प्रचालनों से व्यय से अधिक आय | | – | – |
| XI | अनिरंतर प्रचालनों का कर व्यय | | – | – |
| XII | अनिरंतर प्रचालनों से व्यय से अधिक आय (X - XI) | | – | – |
| XIII | इस अवधि के लिए व्यय से अधिक आय (IX + XII) | | **6,097.90** | **5,393.74** |
| XIV | **अन्य व्यापक आय** | | | |
| | क **(i)** वह मदें, जिन्हें आय एवं व्यय लेखे में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा। | 28 | (45.57) | 0.38 |
| | क **(ii)** उन मदों से संबंधित आयकर, जिसे आय एवं व्यय लेखे में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा। | | – | – |
| | ख **(i)** वह मदें, जिन्हें आय एवं व्यय लेखे में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा। | | – | – |
| | ख **(ii)** उन मदों से संबंधित आयकर, जिन्हें आय एवं व्यय लेखे में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा। | | – | – |
| XV | अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XIII+XIV) (जिसमें व्यय से अधिक आय और इस अवधि के लिए अन्य व्यापक आय शामिल है) | | **6,052.33** | **5,394.12** |
| XVI | **प्रति इक्विटी शेयर अर्जनः** | | | |
| | (निरंतर प्रचालन से) | | | |
| | (1) मूलभूत (₹ में) | 29 | **40.75** | **36.96** |
| | (2) तरलीकृत (₹ में) | 29 | **40.75** | **36.96** |

| विवरण | | टिप्पणी संख्या | 31 मार्च, 2020 के लिए | 31 मार्च, 2019 के लिए |
|---|---|---|---|---|
| XVII | **प्रति इक्विटी शेयर अर्जनः**<br>(अनिरंतर प्रचालन से)<br>(1) मूलभूत (₹ में)<br>(2) तरलीकृत (₹ में) | | | |
| XVIII | **प्रति इक्विटी शेयर अर्जनः**<br>(अनिरंतर और निरंतर प्रचालन के लिए)<br>(1) मूलभूत (₹ में)<br>(2) तरलीकृत (₹ में) | <br><br>**29**<br>**29** | <br><br>**40.75**<br>**40.75** | <br><br>**36.96**<br>**36.96** |
| XIX | वित्तीय विवरणों की संलग्न टिप्पणियों को देखें | | | |

ह०
**(मंजीत सिंह छतवाल)**
**समप्र (वित्त)**

ह०
**(राजेश बिहारी)**
**महाप्रबंधक (वित्त)**

ह०
**(देवानन्द)**
**मुख्य महाप्रबंधक**

ह०
**(अन्नु भोगल**
**उमप्र (वित्त व कंपनी सचिव)**

**हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार**
**कृते मै. वी. सहाय त्रिपाठी एंड कं.**
**सनदी लेखाकार**
**एफआरएनः 000262एन**

ह०
**(सी. ए. विश्वास त्रिपाठी)**
**भागीदार**
सदस्यता सं. 086897

*निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से*

ह०
**(संजय पांडे)**
**निदेशक**
डिन – 08453230

ह०
**(के. नारायण)**
**अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक**
डिन – 03561648

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 09 सितंबर, 2020

# 31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि के लिए नकद प्रवाह का विवरण

(₹ लाख में)

| विवरण | | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|---|
| **क. प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह** | | | |
| असाधारण मदों और कर से पहले व्यय से अधिक आय | | **6,097.90** | **5,393.74** |
| **प्रचालन क्रियाकलापों द्वारा प्रावधान किए गए निवल नकद के प्रति निवल लाभ का सामंजस्य के लिए समायोजनः** | | | |
| मूल्यह्रास | | 42.52 | 43.90 |
| पट्टा दायित्व पर ब्याज | | 1.01 | . |
| सुनिश्चित लाभ योजनाओं के पुनर्मापन पर अन्य व्यापक आय | | (45.57) | 0.38 |
| परिसंपत्तियों की बिक्री/हानिकरण/विनिमय पर हानि/(लाभ) | | — | — |
| **प्रचालन परिसंपत्तियों और दायित्वों में परिवर्तनों से पहले प्रचालन लाभ के लिए समायोजनः** | (1) | **6,095.86** | **5,438.02** |
| गैर–चालू ऋणों में कमी/(वृद्धि) | | (7,734.89) | (12,913.03) |
| अन्य गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि) | | (8.68) | — |
| अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि) | | 0.84 | (11.98) |
| चालू ऋणों में कमी/(वृद्धि) | | (6,226.35) | (12,009.52) |
| अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि) | | (455.03) | (152.68) |
| अन्य चालू परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि) | | 47.21 | 21.30 |
| अन्य बैंक शेष में कमी/(वृद्धि) | | 9,759.68 | 14,353.80 |
| अन्य चालू वित्तीय दायित्वों में (कमी)/वृद्धि | | 152.70 | 1,133.05 |
| अन्य चालू दायित्वों में (कमी)/वृद्धि | | 12.54 | 0.75 |
| गैर–चालू प्रावधानों में (कमी)/वृद्धि | | 65.44 | 43.18 |
| चालू प्रावधानों में (कमी)/वृद्धि | | 235.54 | 198.53 |
| | (2) | **(4,151.01)** | **(9,336.61)** |
| **प्रचालन से सृजित नकद** | (1+2) | **1,944.84** | **(3,898.58)** |
| प्रदत्त आयकर | | (3.68) | (0.35) |
| **प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकद बहिर्वाह** | | **1,941.17** | **(3,898.94)** |
| **ख. निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह** | | | |
| संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की बिक्री/निपटान | | 0.69 | — |
| विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ | | — | 10.35 |
| संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की खरीद | | (5.92) | (9.85) |
| अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद | | (1.29) | (15.61) |
| विशेष आरक्षित निधि निवेश पर ब्याज | | — | — |
| **निवेश क्रियाकलापों से निवल नकद अंतर्वाह** | | **(6.52)** | **(15.11)** |
| **ग. वित्तपोषण क्रियाकलापों से नकद प्रवाह** | | | |
| शेयर पूँजी का निर्गम | | 1,460.00 | 13739.00 |
| आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि | | — | |
| उधार से प्राप्ति | | — | (4747.17) |
| पट्टा दायित्व पर ब्याज | | (1.01) | — |
| पट्टा भुगतान | | (5.21) | — |
| **वित्तपोषण क्रियाकलापों से निवल नकद अंतर्वाह** | | **1,453.78** | **8,991.83** |
| **नकद और नकद समकक्ष में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)** | | 3,388.43 | 5,077.78 |
| वर्ष के आरंभ में नकद और नकद समकक्ष (टिप्पणी सं. 10 देखें) | | 6,532.76 | 1,454.97 |
| **नकद अंतःशेष और नकद समकक्ष** | | **9,921.19** | **6,532.76** |
| **नकद और नकद समकक्ष का सामंजस्य** | | | |
| वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार नकद और नकद समकक्ष (टिप्पणी सं. 10 देखें) | | **9,921.19** | **6,532.76** |

**टिप्पणीः**

(i) यह नकद प्रवाह विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए नकद प्रवाह विवरण पर भारतीय लेखा मानक–7 में दी गई अप्रत्यक्ष पद्धति के अंतर्गत तैयार किया गया है।

(ii) कंपनी ने 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी भारतीय लेखामानक 7 में संशोधन को अपनाया है, जिसके तहत प्रकटीकरण आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिन संस्थानों को ऐसे प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है जो नकदी प्रवाह और गैर–नकदी परिवर्तनों दोनों से उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों सहित, वित्त पोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं के लिए तुलन–पत्र में प्रारंभ और समापन शेष के बीच सामंजस्य शामिल करने का सुझाव देते हैं ताकि वित्तीय आवश्यकता का प्रकटीकरण हो सके।

(iii) भारतीय लेखामानक 7 ''नकद प्रवाह का विवरण'' – वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं में परिवर्तन के अनुसरण में प्रकटीकरण।

**वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं का समाधान**

(₹ लाख में)

| विवरण | पट्टा दायित्व |
|---|---|
| **1 अप्रैल, 2019 को शेष** | – |
| भारतीय लेखा मानक–116 का पालन | 11.50 |
| 1 अप्रैल, 2019 को पुनःशेष | 11.50 |
| नकद प्रवाहः– | |
| –पुनर्भुगतान | 6.22 |
| –प्राप्ति | – |
| गैर–नकदः– | |
| – उचित मूल्य | 1.01 |
| – पट्टा दायित्व वृद्धि के एवज में परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त | – |
| **31 मार्च, 2020 को शेष** | 6.29 |

(iv) विगत – वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के साथ तुलना करने और उनकी पुष्टि करने के लिए पुनवर्गीकृत/पुनर्गठित किया गया है।

ह०
**(मंजीत सिंह छतवाल)**
**समप्र (वित्त)**

ह०
**(राजेश बिहारी)**
**महाप्रबंधक (वित्त)**

ह०
**(देवानन्द)**
**मुख्य महाप्रबंधक**

ह०
**(अन्नु भोगल**
**उमप्र (वित्त व कंपनी सचिव)**

**हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार**
**कृते मै. वी. सहाय त्रिपाठी एंड कं.**
**सनदी लेखाकार**
**एफआरएनः 000262एन**

ह०
**(सी. ए. विश्वास त्रिपाठी)**
**भागीदार**
सदस्यता सं. 086897

*निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से*

ह०
**(संजय पांडे)**
**निदेशक**
डिन – 08453230

ह०
**(के. नारायण)**
**अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक**
डिन – 03561648

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 09 सितंबर, 2020

## 31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण (एसओसीई)

क. इक्विटी शेयर पूंजी

| विवरण | शेयरों की संख्या (लाख में) | राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|
| **1 अप्रैल 2019 को शेष** | **148.54** | **148,540.00** |
| वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन | | |
| वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी का निर्गम | 1.46 | 1,460.00 |
| **31 मार्च, 2020 को शेष** | **150.00** | **150,000.00** |

ख. अन्य इक्विटी (₹ लाख में)

| विवरण | आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि | आरक्षित और अधिशेष | | प्रतिधारित आय | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| | | विशेष आरक्षित | सामान्य आरक्षित | | |
| वर्ष के आरंभ में बकाया शेष | – | 4,738.57 | 48,075.25 | – | 52,813.82 |
| पूर्व अवधि समायोजन (टिप्पणी सं. 34 देखें) | – | – | – | – | – |
| **वर्ष के आरंभ में पुनः उल्लिखित बकाया शेष** | – | **4,738.57** | **48,075.25** | – | **52,813.81** |
| वर्ष के लिए लाभ | – | – | – | 6,097.90 | 6,097.90 |
| वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय | – | – | – | (45.57) | (45.57) |
| **वर्ष के लिए कुल व्यापक आय** | – | – | – | **6,052.33** | **6,052.33** |
| विशेष आरक्षित में अंतरण | – | 578.36 | | (578.36) | – |
| विशेष आरक्षित निधि निवेश पर ब्याज | – | 314.32 | – | (314.32) | – |
| सामान्य आरक्षित में अंतरण | – | | 5,159.65 | (5,159.65) | – |
| वर्ष के दौरान प्राप्त शेयर आवेदन राशि | – | – | – | – | – |
| शेयर पूंजी का निर्गम | – | – | – | – | – |
| **वर्ष के अंत में बकाया शेष** | – | **5,631.24** | **53,234.90** | – | **58,866.14** |

ह०
(मंजीत सिंह छतवाल)
समप्र (वित्त)

ह०
(राजेश बिहारी)
महाप्रबंधक (वित्त)

ह०
(देवानन्द)
मुख्य महाप्रबंधक

ह०
(अन्नु भोगल
उमप्र (वित्त व कंपनी सचिव)

**हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार**
**कृते मै. वी. सहाय त्रिपाठी एंड कं.**
**सनदी लेखाकार**
**एफआरएनः 000262एन**

ह०
**(सी. ए. विश्वास त्रिपाठी)**
**भागीदार**
सदस्यता सं. 086897

*निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से*

ह०
(संजय पांडे)
निदेशक
डिन – 08453230

ह०
(के. नारायण)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डिन – 03561648

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 09 सितंबर, 2020

## 31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण (एसओसीई)

क. इक्विटी शेयर पूंजी

| विवरण | शेयरों की संख्या (लाख में) | राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|
| **1 अप्रैल 2018 को शेष** | **134.80** | **134,801.00** |
| वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन | – | – |
| वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी का निर्गम | 13.74 | 13,739.00 |
| **31 मार्च, 2019 को शेष** | **148.54** | **148,540.00** |

ख. अन्य इक्विटी (₹ लाख में)

| विवरण | आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि | आरक्षित और अधिशेष | | प्रतिधारित आय | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| | | विशेष आरक्षित | सामान्य आरक्षित | | |
| वर्ष के आरंभ में बकाया शेष | – | 3,964.11 | 43,440.93 | – | 47,405.04 |
| पूर्व अवधि समायोजन (टिप्पणी सं. 34 देखें) | – | – | 14.66 | – | 14.66 |
| **वर्ष के आरंभ में पुनः उल्लिखित बकाया शेष** | – | **3,964.11** | **43,455.59** | – | **47,419.70** |
| वर्ष के लिए लाभ | – | – | – | 5,393.74 | 5,393.74 |
| वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय | – | – | – | 0.38 | 0.38 |
| वर्ष के लिए कुल व्यापक आय | – | – | – | **5,394.12** | **5,394.12** |
| विशेष आरक्षित में अंतरण | – | 512.28 | – | (512.28) | – |
| विशेष आरक्षित निधि निवेश पर ब्याज | – | 262.18 | – | (262.18) | – |
| सामान्य आरक्षित में अंतरण | – | – | 4,619.66 | (4,619.66) | – |
| वर्ष के दौरान प्राप्त शेयर आवेदन राशि | – | – | – | – | – |
| शेयर पूंजी का निर्गम | – | – | – | – | – |
| **वर्ष के अंत में बकाया शेष** | – | **4,738.57** | **48,075.25** | – | **52,813.82** |

ह०
(मंजीत सिंह छतवाल)
समप्र (वित्त)

ह०
(राजेश बिहारी)
महाप्रबंधक (वित्त)

ह०
(देवानन्द)
मुख्य महाप्रबंधक

ह०
(अन्नु भोगल
उमप्र (वित्त व कंपनी सचिव)

**हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार**
**कृते मै. वी. सहाय त्रिपाठी एंड कं.**
**सनदी लेखाकार**
**एफआरएनः 000262एन**

ह०
**(सी. ए. विश्वास त्रिपाठी)**
**भागीदार**
सदस्यता सं. 086897

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 09 सितंबर, 2020

*निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से*

ह०
(संजय पांडे)
निदेशक
डिन – 08453230

ह०
(के. नारायण)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डिन – 03561648

# 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

## टिप्पणी 1: कॉर्पोरेट सूचना

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भारत में स्थित एक लाभ–निरपेक्ष कंपनी है और यह कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा–25 (जो अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–8 हो गई है) के अंतर्गत दिनांक 08.02.1989 को स्थापित की गई थी। इसने दिनांक 09.04.2001 तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों दोनों के लक्ष्य समूहों की आवश्यकताओं की पूर्ति की। यह निगम दिनांक 10.04.2001 को जनजाति कार्य मंत्रालय के अधीन अनुसूचित जनजाति लक्ष्य समूह के लिए नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सृजन के पश्चात द्विभाजित हो गया था। इसके द्विभाजन के परिणामस्वरूप निगम अब अनुसूचित जाति लक्ष्य समूह की आवश्यकताओं की अनन्य रूप से पूर्ति करता है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 14वां तल, कोर 1 और 2, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, दिल्ली–110092 में स्थित है।

## टिप्पणी 2 लेखांकन नीतियां

### 2.1 अनुपालन का विवरण

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए और की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरण, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) समय–समय पर संशोधित नियमावली के अनुसार तैयार किए गए हैं।

### 2.2 तैयार करने का आधार

ये वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अंतर्गत और उपचय आधार पर तैयार किए गए हैं, निम्नलिखित मदों को छोड़कर, जिन्हें सुसंगत भारतीय लेखा मानकों द्वारा यथापेक्षित उचित मूल्य पर मापा गया है:

(i) सुनिश्चित लाभ योजना और अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ।

(ii) कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां और उचित मूल्य पर मापे गए दायित्व।

### 2.3 अनुमानों और निर्णय का इस्तेमाल

भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे निर्णय, अनुमान और पूर्वानुमान करें, जो लेखांकन नीति के अनुप्रयोग और परिसंपत्तियों, दायित्वों की रिपोर्ट की गई राशियों, वित्तीय विवरणों की तारीख को आकस्मिक परिसंपत्तियों और दायित्वों के प्रकटीकरण तथा आय और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करे। इस प्रकार के अनुमानों के उदाहरणों में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल, संदिग्ध ऋणों, कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं के अंतर्गत भावी दायित्वों और आकस्मिक दायित्वों के लिए प्रावधान शामिल हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों और अंतर्निहित पूर्वानुमानों की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है। इन अनुमानों में परिवर्तनों और वास्तविक परिणाम तथा अनुमानों के बीच के अंतर के कारण भावी परिणाम भिन्न हो सकते हैं। इन अनुमानों को उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें परिणाम जाने जाते हैं/इन्हें मूर्त रूप दिया जाता है।

**2.4** सभी वित्तीय सूचनाओं को भारतीय रुपयों में प्रस्तुत किया गया है और सभी मूल्यों को दो दशमलव पॉइंटों के साथ निकटतम लाख रुपयों में पूर्णांकित किया जाता है, सिवाय ऐसी स्थिति के, जहां अन्यथा उल्लेख किया गया हो।

## 2.5 नकद प्रवाह का विवरण

नकद प्रवाह, अप्रत्यक्ष पद्धति का इस्तेमाल करके सूचित किया जाता है, जिसके द्वारा कर–पूर्व लाभ/(हानि) को गैर–नकद प्रकार के लेन–देनों और बाद के या भावी नकद प्राप्तियों या भुगतानों के उपार्जन या किसी आस्थगन के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी के प्रचालन, निवेश और वित्तपोषण के क्रियाकलापों से नकद प्रवाह सूचना के आधार पर अलग–अलग कर दिया जाता है।

नकद प्रवाह के विवरण के उद्देश्यों के लिए, नकद और नकद समकक्ष में हस्तांगत नकदी, बैंकों में नकद और बैंकों में मांग जमा राशियां, निवल बकाया बैंक, मांग ड्राफ्ट (ओवरड्राफ्ट) शामिल हैं, जो मांग किए जाने पर भुगतान किए जाने योग्य हैं और कंपनी की नकद प्रबंधन प्रणाली का भाग माने जाते हैं।

### भारतीय लेखा मानक 7:

कंपनी ने भारतीय लेखा मानक–7 के संशोधन को अपनाया, जिसके तहत संस्थाओं को प्रकटीकरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रकटीकरण प्रदान करने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को वित्तपोषण की गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं में परिवर्तन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है, जिसमें नकद प्रवाह और गैर–नकद परिवर्तनों दोनों से उठे परिवर्तन, वित्त पोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं के लिए तुलन–पत्र के आरंभिक और अंतःशेष राशि के बीच समायोजन पर सुझाव देते हैं। संशोधन को अपनाने से वित्तीय विवरणों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा।

## 2.6 विदेशी मुद्रा

वित्तीय विवरणों में शामिल किए गए मदों को ऐसे प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा का इस्तेमाल करके मापा जाता है, जिसमें कंपनी संचालन करती है (अर्थात् कार्यात्मक मुद्रा)। ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपयों में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक और प्रस्तुतीकरण मुद्रा है।

विदेशी मुद्राओं में हुई आय और किए गए खर्चे को लेन–देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्रा की आर्थिक परिसंपत्तियां और दायित्व तुलन–पत्र की

तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर रूपांतरित की जाती हैं और निपटान तथा पुनः उल्लेख से उत्पन्न विनियम लाभों और हानियों को आय एवं व्यय के विवरण में मान्यता दी जाती है।

## 2.7 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, संचित मूल्यह्रास और नुकसान से होने वाली हानियां, यदि कोई हैं, को घटाकर लागत पर मापा जाता है।

परिसंपत्ति की लागत में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर प्रत्यक्ष रूप से लगाई गई लागत

(ii) मदों को अलग–अलग करने और हटाने तथा उस साइट को पुनः स्थापित करने, जिस पर यह स्थित है, यदि मान्यता संबंधी मापदंड पूरे किए गए हैं, की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य।

प्रतिस्थापन, प्रमुख निरीक्षण, महत्वपूर्ण हिस्सों की मरम्मत की लागत और दीर्घावधि निर्माण परियोजनाओं की उधार लागतें पूंजीकृत की जाती हैं, यदि मान्यता का मापदंड पूरा किया गया हो।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, जिनकी लागत ₹5,000/– से अधिक है, को आय एवं व्यय के विवरण में प्रत्यक्ष रूप से प्रभारित किया गया है।

परिसंपत्तियों की बिक्री पर लागत और संचित मूल्यह्रास का अनुमान वित्तीय विवरणों से लगाया जाता है और परिणामी लाभों तथा हानियों को आय एवं व्यय के विवरण में मान्यता दी जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए मूल्यह्रास का प्रावधान, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में यथाविनिर्धारित परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पर अधोलिखित मूल्य पद्धति पर किया जाता है। अनुमानित, उपयोगी जीवनकाल, अवशिष्ट मूल्य और मूल्यह्रास पद्धति की समीक्षा भावी आधार पर लेखे में लिए गए अनुमानों में किसी परिवर्तन की अवधि से, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है।

अनुमानित उपयोगी जीवनकाल, निम्नानुसार है:

**परिसंपत्तियों की श्रेणी**

| विवरण | अनुमानित उपयोगी जीवनकाल (वर्ष) |
|---|---|
| फ्रीहोल्ड बिल्डिंग | 60 |
| एयर कंडीशनर | 5 |
| कंप्यूटर और हिस्से–पुर्जे | 3 |
| जुड़नार और फिटिंग | 10 |
| फर्नीचर | 10 |
| कार्यालय उपकरण | 5 |
| वाहन | 8 |

लीज होल्ड बिल्डिंग का परिशोधन प्राथमिक पट्टा अवधि पर किया जा रहा है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी मद के प्रत्येक भाग का मूल्यह्रास अलग–अलग किया जाता है, यदि भाग की लागत उस मद की तुलना के संबंध में महत्वपूर्ण है और उस भाग का उपयोगी जीवनकाल बाकी परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल से भिन्न है।

परिसंपत्तियों का अवशिष्ट मूल्य, परिसंपत्तियों की लागत के 5% के रूप में लिया जाता है।

मूल्यह्रास को चल रहे पूंजीगत कार्य पर दर्ज नहीं किया जाता जब तक निर्माण और संस्थापन पूरा न कर लिया गया हो और परिसंपत्ति इसके आशायित इस्तेमाल के लिए तैयार न हो।

मूल्यह्रास पद्धतियों, उपयेागी जीवनकाल और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को की जाती है।

## 2.8 अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियों को उस समय मान्यता दी जाती है जब यह संभावना हो कि भावी आर्थिक लाभ, जो परिसंपत्ति के कारण होते हैं, उद्यम तक आएंगे और परिसंपत्ति की लागत विश्वसनीय रूप से मापी जा सकती है। अमूर्त परिसंपत्तियों का उल्लेख, संचित परिशोधन और हानि, यदि कोई है, घटाकर ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है।

''अमूर्त परिसंपत्तियों'' के संबंध में ऐसा सॉफ्टवेयर, जो हार्डवेयर उपकरण का अभिन्न अंग नहीं है, सॉफ्टवेयर तैयार करने और उससे संबंधित खर्च, जिसके परिणामस्वरूप तैयार किए गए सॉफ्टवेयर का सफलतापूर्वक संस्थापन किया गया है, को लागत पर मान्यता दी जाती है और इसे तीन वर्ष की अवधि में परिशोधित किया जा रहा है।

मूल्यह्रास पद्धतियों, उपयोगी जीवनकाल और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख को की जाती है।

## 2.9 निवेश संपत्तियां

(i) निवेश संपत्ति में पूरी कर ली गई संपत्ति, निर्माणाधीन संपत्ति और वित्तपोषण पट्टे के अधीन रखी गई संपत्ति शामिल है, जो सामान्य व्यवसाय में बिक्री के लिए या उत्पादन अथवा प्रशासनिक कार्यों में इस्तेमाल के लिए, के बजाय किराया अर्जित करने या पूंजी बढ़ाने के लिए या दोनों के लिए रखी गई है।

(ii) निवेश संपत्तियों का उल्लेख लागत, निवल संचित मूल्यह्रास और संचित नुकसान से होने वाली हानियॉं, यदि कोई हैं, पर किया जाता है।

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित अनुसार कंपनी, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में यथाविनिर्धारित परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पर उचित ढंग से निवेश के भवन संघटक पर मूल्यह्रास करती है (टिप्पणी 2.7 देखें)।

(iv) निवेश संपत्तियों पर मूल्यह्रास या तो तब दिया जाता है जब उनका निपटान कर दिया गया हो या जब वे उपयोग से स्थायी रूप से वापस ले ली गई हों और उनके निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ प्रत्याशित न हो। निपटान से प्राप्त निवल राशि और परिसंपत्ति की कैरिंग राशि के बीच के अंतर को मान्यता समाप्त करने की अवधि में आय एवं व्यय के विवरण में मान्यता दी जाती है।

## 2.10 प्रावधान

प्रावधान को उस समय मान्यता दी जाती है, जबः

(i) कंपनी के पास किसी पिछली घटना के परिणाम के रूप में कोई वर्तमान दायित्व हो;

(ii) संसाधनों के किसी संभावित बहिर्वाह द्वारा दायित्व के निपटाए जाने की आशा हो और

(iii) दायित्व की राशि का कोई विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

ऊपर मान्यता प्रदान किए गए प्रावधान, जिसे 12 महीने से अधिक के समय में निपटान किए जाने की आशा हो, को कर–पूर्व रियायती दर का इस्तेमाल करके वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, जो देयताओं के प्रति विशिष्ट जोखिम दर्शाता है और समय बीत जाने के कारण प्रावधान में वृद्धि को ब्याज खर्चों के रूप में मान्यता दी जाती है।

प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख को की जाती है।

## 2.11 राजस्व मान्यता

### (I) प्रचालन से राजस्व (आय):

राजस्व को इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावना है कि कंपनी को आर्थिक लाभ पहुंचेगा और राजस्व को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सकता है। तथापि, जब राजस्व में पहले से ही शामिल की गई राशि की संग्रहणीयता के बारे में अनिश्चितता उत्पन्न होती है तो संग्रहण न किए जाने योग्य राशि या ऐसी राशि, जिसके संबंध में वसूली की संभावना समाप्त हो गई है, को पहले से ही मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि के समायोजन के बजाय खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है।

(क) प्रदत्त ऋणों पर ब्याज संबंधी आय को, प्रभावी ब्याज दर पद्धति का इस्तेमाल करके लागू होने वाली दर और बकाया राशि हिसाब में लेकर समय अनुपात आधार पर मान्यता दी जाती है।

(ख) अदायगियों में चूक पर दंडस्वरूप ब्याज को इसकी संग्रहणीयता की अनिश्चितता के कारण वसूली पर मान्यता दी जाती है।

(ग) अप्रयुक्त ऋण निधियों की वापसी पर प्रभारित दंडस्वरूप ब्याज प्रबंधन नीति के अधीन है (देखें टिप्पणी 20.1) और इसकी गणना उपचय (बढ़ोतरी) के आधार पर की जाती है।

**(II) अन्य राजस्व मान्यताः**

(क) बैंक जमा राशियों पर ब्याज को बकाया राशि और लागू ब्याज दर को ध्यान में रख कर समय अनुपात आधार पर मान्यता दी जाती है।

(ख) स्टाफ ऋण पर ब्याज संबंधी आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का प्रयोग करके लागू होने वाली ब्याज दर और बकाया राशि को लेखों में लेकर समय अनुपात आधार पर मान्यता दी जाती है।

## 2.12 इंड एएस 20 के अंतर्गत यथानुमत सरकार/अन्य संगठनों से राजस्व अनुदान

(i) जिस अवधि में संबंधित लागतों को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है उसमें अनुदानों को जिसकी क्षतिपूर्ति के लिए होते है प्रणालीबद्ध आधार पर आय एवं व्यय लेखा में मान्यता दी जाती है।

(ii) सरकारी अनुदान पूर्वावधि में किए गए व्यय या हानि के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में किसी संस्था द्वारा प्राप्ति योग्य हो सकता है। एसे अनुदान को उसकी प्राप्ति योग्य बनने की अवधि में आय एवं व्यय लेखा में मान्यता दी जाती है।

(iii) आय से संबंधित अनुदानों को संबंधित व्यय की रिपोर्टिंग में कटौती की जाती है।

## 2.13 पट्टा

**पट्टाधारी के रूप में**

(i) कंपनी पट्टा आरंभ होने की तिथि पर परिसंपत्ति के प्रयोगाधिकार एवं पट्टा देयता को मान्य करती है। संपत्ति के प्रयोगाधिकार को प्रारंभ में लागत पर मापा जाता है, जिसमें प्रारंभ तिथि पर या इससे पहले किए गए किसी पट्टा भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देयता की आरंभिक राशि, व्यय की गई कोई आरंभिक सीधी लागत सहित तथा अंतर्निहित परिसंपत्ति को नष्ट करने या हटाने के लिए या अंतर्निहित परिसंपत्ति या क्षेत्र जिस पर यह स्थित है, को बहाल करने का लागत अनुमान शामिल होता है तथा इसमें से प्राप्त कोई पट्टा प्रोत्साहन घटाया जाता है।

(ii) संपत्ति के प्रयोगाधिकार के उपयोगी कार्यकाल के अंत से पहले की प्रारंभ तिथि या पट्टा अवधि की समाप्ति से सीधी रेखा विधि का प्रयोग करके संपत्ति के प्रयोगाधिकार को बाद में मूल्यह्रास किया जाता है। परिसंपत्ति के प्रयोगाधिकार के अनुमानित उपयोगी कार्यकाल का निर्धारण उसी आधार पर किया जाता है जिस आधार पर संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के उपयोगी कार्यकाल का निर्धारण किया जाता है। इसके अलावा, संपत्ति के प्रयोगाधिकार को क्षति नुकसानी, यदि कोई हो, द्वारा घटाया जाता है और पट्टा देयता के कुछ पुनः मापन के लिए समायोजित किया जाता है।

(iii) पट्टा देयता को जिनका प्रारंभ तिथि पर भुगतान नहीं किया जाता, को पट्टा की अंतनिहित ब्याज दर के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है या उस दर का आसानी से निर्धारण नहीं किया जा सकता है तो कंपनी की वृद्धि मूलक ऋण दर का प्रयोग करके छूट दी जाती है।

(iv) पट्टा देयता को प्रभावी ब्याज विधि का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है, इसे जब किसी सूचकांक या दर में परिवर्तन से भावी पट्टा भुगतान में परिवर्तन होता है, तब उस समय पुनः मापा जाता है। जब पट्टा देयता को इस तरह से पुनः मापा जाता है तो परिसंपति के प्रयोगाधिकार की अग्रनीत राशि में समतुल्य समायोजन किया जाता है या यदि परिसंपत्ति के प्रयोगाधिकार की अग्रनीत राशि को घटाकर शून्य कर दिया गया है, तब लाभ एवं हानि में दर्ज किया जाता है। ।

(v) कंपनी परिसंपत्ति के ऐसे प्रयोगाधिकार जो 'संपत्ति, सयंत्र एवं उपकरण' में निवेश संपत्ति और 'अन्य वित्तीय देयताएं' में वित्तीय देयता की परिभाषा को पूरा नहीं करते, को तुलन–पत्र में प्रस्तुत करती है।

(vi) अल्प अवधि का पट्टा तथा कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टे। कंपनी ने अल्प अवधि के पट्टों के लिए परिसंपत्ति के प्रयोगाधिकार एवं पट्टा देयताओं को मान्य न करने का चयन किया है जिनकी पट्टा अवधि 12 माह या कम है तथा कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टे हैं। कंपनी इन पट्टों से संबद्ध पट्टा भुगतानों को पट्टा अवधि में सीधी रेखा आधार पर व्यय के रूप में मान्य करती है।

**पट्टाकार के रूप में**

(i) जब कंपनी पट्टाकार के रूप में कार्य करती है तो यह पट्टा शुरू होने पर निर्धारित करती है कि क्या प्रत्येक पट्टा वित्त पट्टा है अथवा प्रचालन पट्टा है। प्रत्येक पट्टे को वर्गीकृत करने के लिए कंपनी इस बात का समग्र आकलन करती है कि क्या पट्टा अप्रयुक्त परिसंपत्ति के स्वामित्व के वास्तविक सभी जोखिमों एवं लाभों को पर्याप्त रूप से अंतरित करता है। यदि ऐसा होता है तो पट्टा वित्त पट्टा है, यदि ऐसा नहीं होता है तो यह प्रचालन पट्टा है। आकलन के अंग के रूप में कंपनी कुछ संकेतकों पर विचार करती है जैसे कि क्या पट्टा परिसंपत्ति के आर्थिक उपयोगिता के बड़े भाग के लिए है।

(ii) यदि किसी व्यवस्था में पट्टा और गैर–पट्टा घटक होते हैं तो कंपनी संविदा में प्रतिफल आवंटित करने के लिए इंड एएस 115 'ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व' का प्रयोग करती है।

(iii) कंपनी प्रचालन पट्टा के तहत प्राप्त पट्टा भुगतानों को 'अन्य आय' के अंग के रूप में पट्टा अवधि में सीधी रेखा पद्धति के आधार पर आय के रूप में मान्य करती है।

## 2.14 गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों का हानिकरण

(i) परिसंपत्तियों की कैरिंग राशियों की समीक्षा प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख को यह निश्चित करने के लिए की जाती है कि क्या हानिकरण का कोई संकेत है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है तो परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। ऐसी परिसंपत्तियों के लिए, जो उपयोग के लिए अभी उपलब्ध नहीं हैं, वसूली योग्य राशि का अनुमान प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख को लगाया जाता है।

(ii) नुकसान से होने वाली हानि को उस समय मान्यता दी जाती है जब कभी किसी परिसंपत्ति की कैरिंग राशि या इसकी नकदी सृजन इकाई इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है। क्षति नुकसानी को 'आय एवं व्यय विवरण' में मान्यता दी जाती है।

(iii) नुकसान से होने वाली हानि को प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है, यदि वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किए गए अनुमानों में कोई परिवर्तन किया गया है। क्षति नुकसानी को केवल उसी सीमा तक प्रत्यावर्तित किया जाता है कि परिसंपत्ति की कैरिंग राशि उस कैरिंग राशि से अधिक नहीं है, जो निवल मूल्यह्रास या परिशोधन के रूप में निर्धारित की जाती, यदि क्षति नुकसानी को मान्यता न दी गई होती।

## 2.15 कर्मचारी लाभ

### (i) अल्पावधि कर्मचारी लाभ

अल्पावधि कर्मचारी लाभ जैसे अल्पावधि क्षतिपूरित अनुपस्थितियों को, उस वर्ष, जिसमें संबंधित सेवा प्रदान की जाती है, के आय एवं व्यय का विवरण में गैर–बट्टागत आधार पर खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है।

### (ii) नियोजनोत्तर लाभ और अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

#### क) सुनिश्चित अंशदान योजना

सुनिश्चित अंशदान योजनाएं जैसे भविष्य निधि, पेंशन, कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा और समूह बचत संबद्ध बीमा योजनाओं को, खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है और इसे आय एवं व्यय का विवरण में प्रभारित किया जाता है। कंपनी, भविष्य निधि के संबंध में, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को सुनिश्चित अंशदान देती है। कंपनी के पास अपने अंशदान के अलावा, इस संबंध में कोई अन्य दायित्व नहीं है, जिसका भुगतान देय होने के समय किया जाता है।

एनएसएफडीसी के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्त योजनाएं जैसे 'परिभाषित अंशदान पेंशन योजना' और 'सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान चिकित्सा' योजना' हैं बशर्ते कि लोक उद्यम विभाग के दिनांक 21.05.2014 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार कंपनी द्वारा अंशदान किया गया हो।

#### क) (i) पेंशन योजना

लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशानुसार निगम में ''एनएसएफडीसी के कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना'' है। नियोक्ता, न्यास को प्रत्येक माह मूल वेतन और मंहगाई भता का 10% देता है। निगम ने योजना के प्रबंधन के लिए 'एनएसएफडीसी के कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना न्यास (ट्रस्ट)' नामक एक ट्रस्ट का गठन किया है। भारतीय जीवन बीमा निगम एनएसएफडीसी का निधि प्रबंधक है।

**क) (ii) सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा योजना**

निगम में ''सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए परिभाषित चिकित्सा योजना'' है। निगम ने ''एनएसएफडीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान चिकित्सा योजना न्यास (ट्रस्ट)'' नामक एक ट्रस्ट का गठन किया है। नियोक्ता ट्रस्ट को प्रत्येक माह मूल वेतन और मंहगाई भत्ता) का लाभ योजना 3% अंश देता है। निधियों का प्रबंधन, ट्रस्ट द्वारा स्थापना से दिनांक 01.08.2018 तक किया गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम दिनांक 02.08.2018 से समूह सेवानिवृत्ति नकद संचयी लाभ योजना के अंतर्गत ट्रस्ट की निधियों का प्रबंधन कर रहा है।

**ख) सुनिश्चित लाभ योजना**

**ख) (i) उपदान**

कर्मचारी उपदान निधि योजना का निधिकरण, एक अलग न्यास के माध्यम से जीवन बीमा निगम द्वारा प्रबंधित किया जाता है। जीवन बीमा निगम, जो एक सरकारी उपक्रम है, ने जीवन बीमा निगम द्वारा प्रमाणित अनुसार बीमांकिक गणना के आधार पर वर्ष के दौरान प्रीमियम प्रभारित किया है। तुलन–पत्र में मान्यता दी गई राशि, तुलन–पत्र की तारीख को सुनिश्चित लाभ दायित्वों में से 'योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य' घटाकर और उसमें से अभी तक मान्यता दी गई कोई पूर्व सेवा लागत घटाकर निकाली गई राशि है।

**ख)(ii) छुट्टी लाभ**

निगम में एक सुनिश्चित लाभ योजना (छुट्टी लाभ योजना) है, जिसमें निगम की छुट्टी नियमावली के अनुसार, संबंधित कर्मचारी के वेतन और सेवाकाल के आधार पर पात्र कर्मचारियों को शामिल किया जाता है। छुट्टी लाभ जैसे छुट्टी नकदीकरण, चिकित्सा छुट्टी इत्यादि को वर्ष के अंत में यथास्थिति बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

## 2.16 विशेष आरक्षित निधि

निगम, व्यय से अधिक आय का 10%, भवनों में निवेश करने और आकस्मिकताओं/आकस्मिक घटनाओं के लिए विशेष राजस्व निधि पर आय मानने से पूर्व, विशेष राजस्व निधि में अंतरित करता है।

## 2.17 आय कर

कंपनी की आय को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26बी) के अंतर्गत कर से छूट प्राप्त है। इस प्रकार आयकर के लिए किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप ''आयकर के लिए लेखांकन'' का भारतीय लेखा मानक–12 का प्रावधान लागू नहीं होता।

## 2.18 प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर अर्जन निर्धारित करने में, कंपनी, इक्विटी शेयरधारकों को प्रदान किए जाने योग्य निवल लाभ पर विचार करती है। प्रति शेयर अर्जनों की संगणना करने में इस्तेमाल किए गए शेयरों की संख्या, इस अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या है। प्रति शेयर तरलीकृत अर्जन निर्धारित करने में, इक्विटी शेयरधारकों को प्रदान किए जाने योग्य निवल लाभ और इस

अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या, तरलीकरण की संभावना वाले सभी इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किए जाते हैं।

## 2.19 आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण, निम्नलिखित मामलों में से किसी मामले में किया जाता है:

(i) किसी पिछली घटना से उत्पन्न कोई वर्तमान दायित्व, जब यह संभव नहीं है कि इस दायित्व का निपटान करने के लिए संसाधनों का बहिर्वाह आवश्यक होगा; या

(ii) वर्तमान दायित्व का कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता; या

(iii) कोई संभावित दायित्व, जब तक संसाधन के बहिर्वाह की संभावना अल्पतम है।

- आकस्मिक परिसंपत्तियों का प्रकटीकरण किया जाता है, जहां आर्थिक लाभों के अंतर्वाह की संभावना हो।
- आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसंपत्तियों के प्रति आकस्मिक देयताओं और प्रावधानों की समीक्षा, प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को की जाती है।
- आकस्मिक देयता, निपटान पर संभावित बहिर्वाह पर विचार करते हुए निवल अनुमानित प्रावधान हैं।

## 2.20 उचित मूल्य मापन

कंपनी, प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को उचित मूल्य पर वित्तीय विलेखों को मापती है। उचित मूल्य वह कीमत है, जो मापन की तारीख को कोई परिसंपत्ति बेचने के लिए प्राप्त होगी या बाजार सहभागियों के बीच किसी सामान्य लेनदेन में कोई देयता के लिए भुगतान की जाएगी। उचित मूल्य मापन, उस पूर्वानुमान पर आधारित होता है जोकि परिसंपत्ति बेचने या देयताएं अंतरित करने के लिए लेनदेन निम्नलिखित में से किसी एक तरीके से किया जाता है:

- परिसंपत्ति या देयताएं के लिए मुख्य बाजार में; या
- किसी मुख्य बाजार के अभाव में, परिसंपत्ति या देयताओं के लिए सर्वाधिक लाभदायक बाजार में।

मुख्य या सर्वाधिक लाभदायक बाजार कंपनी के लिए सुगम होना चाहिए। किसी परिसंपत्ति या कोई देयता का उचित मूल्य, इन पूर्वानुमानों का इस्तेमाल करके मापा जाता है कि बाजार सहभागी, परिसंपत्ति या देयता को मूल्यांकित करते समय इसका इस्तेमाल यह मानते हुए करेंगे कि बाजार सहभागी उनके सर्वोत्तम आर्थिक हित में कार्य करते हैं। कंपनी, ऐसी मूल्यांकन तकनीकों का इस्तेमाल करती है, जो सुसंगत प्रत्यक्ष इनपुटों का इस्तेमाल अधिकतम करते हुए और अप्रत्यक्ष इनपुटों का इस्तेमाल न्यूनतम करते हुए उन परिस्थितियों में समुचित हैं और जिनके लिए उचित मूल्य मापन हेतु पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हैं।

ऐसी परिसंपत्तियों और देयताओं, जिनके लिए उचित मूल्य मापा जाता है और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण किया जाता है, को पूरे उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण न्यूतनतम स्तरीय इनपुट

पर आधारित, निम्नलिखित के रूप में विनिर्धारित उचित मूल्य अनुक्रम के अंदर श्रेणीकृत किया जाता है:

- **स्तर 1** — समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य।
- **स्तर 2** — ऐसी मूल्यांकन तकनीकें, जिनके लिए उचित मूल्यांकन मापन के लिए महत्वपूर्ण न्यूनतम स्तरीय इनपुट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन योग्य हैं।
- **स्तर 3** — ऐसी मूल्य तकनीकें, जिनके लिए, उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण न्यूनतम स्तरीय इनपुट, अवलोकन न किए जाने योग्य हैं।

ऐसी परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए, जिन्हें वित्तीय विवरणों में आवर्ती आधार पर मान्यता दी जाती है, कंपनी यह निर्धारित करती है कि क्या अंतरण, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में श्रेणीकरण पुनः निर्धारित करके (पूरे उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण न्यूनतम स्तरीय इनपुट पर आधारित) अनुक्रम में स्तरों के बीच किए गए हैं।

रिपोर्टिंग की तारीख को, कंपनी, परिसंपत्तियों और देयताओं के मूल्यों में संचालनों का विश्लेषण करती है, जिनका पुनः मापन या पुनः निर्धारण लेखांकन नीतियों के अनुसार किया जाना आवश्यक है। इस विश्लेषण के लिए, कंपनी, संविदाओं और अन्य सुसंगत दस्तावेजों की मूल्यांकन संगणना में अनुप्रयुक्त प्रमुख इनपुटों का सत्यापन करती है।

कंपनी, प्रत्येक परिसंपत्तियों और देयताओं के उचित मूल्यांकन में हुए परिवर्तन का भी मिलान सुसंगत बाह्य स्रोतों के साथ यह पता लगाने हेतु करती है कि क्या परिवर्तन तर्क संगत हैं।

उचित मूल्य प्रकटीकरण के उद्देश्य के लिए कंपनी ने परिसंपत्ति या दायित्व के स्वरूप, गुण और जोखिमों और ऊपर स्पष्ट किए गए उचित मूल्य अनुक्रम के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों और देयताओं की श्रेणियां निर्धारित की हैं।

## 2.21 वित्तीय विलेख:–

### (i) आरंभिक मान्यता और मापन

इनमें वित्तीय विलेखों को प्रत्यक्ष रूप से अधिग्रहण या वित्तीय विलेख जारी करने के लिए प्रदान किए जाने योग्य लेन–देन संबंधी ऐसी लागतें जोड़कर या कम करके इसके उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है।

### (ii) उत्तरवर्ती मापन

#### वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियां निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत की गई हैं:

**(अ) परिशोधित लागत पर**

किसी वित्तीय परिसंपत्ति का मापन, परिशोधित लागत पर किया जाएगा, यदि निम्नलिखित में से दोनों शर्तें पूरी की जाती हैं:

(क) वित्तीय परिसंपत्ति, किसी व्यवसाय मॉडल के अंदर धारित है, जिसका उद्देश्य, संविदात्मक नकद प्रवाह प्राप्त करने की दृष्टि से वित्तीय परिसंपत्तियां धारित करना है; और

(ख) वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें, विनिर्दिष्ट तारीखों को, ऐसे नकद प्रवाह उत्पन्न करती हैं, जो बकाया मूलधन पर अनन्य रूप से मूलधन और ब्याज के भुगतान हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन, हानिकरण, यदि कोई है, कम करके, प्रभावी ब्याज दर पद्धति का इस्तेमाल करके, परिशोधित लागत पर किया जाता है। प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर परिशोधन) आय एवं व्यय का विवरण में वित्तीय आय में शामिल है।

**(आ) अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर (एफवीटीओसीआई)**

'ऋण विलेख' अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाता है, यदि निम्नलिखित में से दोनों मापदंड पूरे किए जाते हैं:

- व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य, संविदात्मक नकदी प्रवाह संगृहीत करके और वित्तीय परिसंपत्तियां बेचकर दोनों तरीके से प्राप्त किया जाता है; और
- परिसंपत्ति का संविदात्मक नकदी प्रवाह, अनन्य रूप से मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) के भुगतान को प्रदर्शित करता है।

एफवीटीओसीआई के अंदर शामिल किए गए ऋण विलेखों का मापन आरंभ में और प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को उचित मूल्य पर किया जाता है। उचित मूल्य संचलनों को, अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता दी जाती है। तथापि, कंपनी, 'आय और व्यय का विवरण' में, ब्याज से आय, नुकसान से होने वाली हानियों एवं प्रत्यावर्तनों और विदेशी विनिमय लाभ या हानि को मान्यता देती है। ओसीआई में पहले मान्यता प्रदान की गई परिसंपत्ति, संचयी लाभ या हानि की मान्यता समाप्त करने पर उसे लाभ और हानि की इक्विटी में पुनः वर्गीकृत किया गया है। अर्जित ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति के इस्तेमाल को मान्यता दी गई है।

**(इ) लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर (एफवीटीपीएल)**

'लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर' (एफवीटीपीएल), वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। कोई वित्तीय परिसंपत्ति, जो परिशोधित लागत पर एफवीटीओसीआई में दिए गए श्रेणीकरण का मापदंड पूरा नहीं करती, को एफवीटीपीएल पर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अलावा, कंपनी, ऐसी वित्तीय परिसंपत्ति को एफवीटीपीएल के रूप में नामोद्दिष्ट करने का विकल्प चुन सकती है, जो अन्यथा परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई के मापदंड को पूरा करती है, यदि ऐसा करना मापन या मान्यता की असंगति को कम करता है या समाप्त करता है। कंपनी ने किसी वित्तीय परिसंपत्ति को एफवीटीपीएल के रूप में नामोद्दिष्ट नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी के अंदर शामिल की गई वित्तीय परिसंपत्तियों का 'आय एवं व्यय का विवरण' में मान्यता दिए गए सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापन किया जाता है।

**वित्तीय देयताएं**

**(क) परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं**

व्यापार और अन्य भुगतान योग्य राशियों, प्रतिभूति जमा राशियों और अवधारण राशि द्वारा प्रदर्शित परिशोधित लागत पर वित्तीय दायित्वों को आरंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और तत्पश्चात इसे प्रभावी ब्याज दर पद्धति का इस्तेमाल करके परिशोधित मूल्य पर लिया जाता है।

**(ख) एफवीटीपीएल पर वित्तीय दायित्व**

कंपनी ने किसी वित्तीय दायित्व को, एफवीटीपीएल पर नामोद्दिष्ट नहीं किया है।

**(iii) मान्यता समाप्त करना**

**वित्तीय परिसंपत्ति**

वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति के किसी भाग या उसी प्रकार की वित्तीय परिसंपत्तियों के किसी समूह के भाग) की मान्यता केवल तभी समाप्त की जाती है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाहों के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या यह वित्तीय परिसंपत्तियां और परिसंपत्ति के स्वामित्व के पर्याप्ततः सभी जोखिम और रिवार्डस अंतरित हो जाते हैं।

**वित्तीय देयता**

वित्तीय देयता की मान्यता तभी समाप्त की जाती है, जब देयता के अंतर्गत उत्तरदायित्व का निर्वहन कर दिया जाता है या निरस्त कर दिया जाता है या समाप्त हो जाता है। जब कोई वर्तमान वित्तीय देयता, पर्याप्ततः भिन्न शर्तों पर उसी ऋणी से अन्य ऋणी द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है या किसी वर्तमान देयता की शर्तें पर्याप्ततः संशोधित कर दी जाती हैं तो ऐसी अदला–बदली या संशोधन को मूल देयता की मान्यता समाप्त करने के रूप में माना जाता है और किसी नई देयता की मान्यता और संबंधित कैरिंग राशियों में अंतर को 'आय एवं व्यय का विवरण' में मान्यता दी जाती है।

**(iv) वित्तीय परिसंपत्तियों का हानिकरणः**

(i) कंपनी, तुलन–पत्र की प्रत्येक तारीख को यह आकलन करती है कि क्या वित्तीय परिसंपत्ति का हानिकरण हुआ है। भारतीय लेखा मानक–109 में, प्रत्याशित क्रेडिट हानियों (ईसीएल) को, हानि अनुमति के जरिए मापे जाने की अपेक्षा की गई है।

(ii) संविदा परिसंपत्तियों/व्यापार प्राप्तव्यों के अलावा अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, प्रत्याशित क्रेडिट हानियों को 12 माह के बराबर राशि पर या जीवनकाल ईसीएल के बराबर राशि पर मापा जाएगा, यदि वित्तीय परिसपंत्ति पर क्रेडिट जोखिम में इसकी आरंभिक मान्यता से पर्याप्त रूप में वृद्धि हो गई है।

(iii) इस अवधि के दौरान मान्यता दी गई ईसीएल क्षति नुकसानी भत्ते (या रिवर्सल) को 'आय एवं व्यय का विवरण' में आय/व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

## 2.22 बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू परिसंपत्तियां (या निपटान समूह)

गैर–चालू परिसंपत्तियां (या निपटान समूह), बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं, जब उनकी कैरिंग राशि, किसी बिक्री लेनदेन के जरिए सिद्धांत रूप में वसूल की जानी हैं और बिक्री अत्यधिक संभावना वाली केवल तभी मानी जाती है, जब परिसंपत्ति या निपटान समूह, उसकी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध है। ऐसी संभावना नहीं है कि बिक्री वापस ले ली जाएगी और बिक्री, वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के अंदर प्रत्याशित है। बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत निपटान समूहों का उल्लेख, कैरिंग राशि के न्यूनतम स्तर और उचित मूल्य में से बिक्री करने की लागत घटाकर आए मूल्य पर किया जाता है। बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत कर दिए जाने के पश्चात संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास नहीं किया जाता या इन्हें परिशोधित नहीं किया जाता। बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां और दायित्व, तुलन–पत्र में अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

यदि भारतीय लेखा मानक–105 ''बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू परिसंपत्तियां और बंद कर दिए गए प्रचालन'' द्वारा उल्लिखित मापदंड पूरे नहीं किए गए हैं तो निपटान समूह का, बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत किया जाना समाप्त हो जाता है। गैर–चालू परिसंपत्ति, जिसका बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत किया जाना समाप्त हो जाता है, का मापनः

(i) बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत किए जाने से पहले की मूल्यह्रास के लिए समायोजित इसकी कैरिंग राशि, जिसे मान्यता दी जाती है, यदि वह परिसंपत्ति, बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत न की गई होती; और

(ii) उस तारीख, जब निपटान समूह, बिक्री के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत किया जाना समाप्त होता है, को इसकी वसूली योग्य राशि से निम्नतर राशि पर किया जाता है।

3. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (₹ लाख में)

| विवरण | भवन फ्रीहोल्ड | भवन लीजहोल्ड | फर्नीचर, जुड़नार और फिटिंग्स | वाहन | कार्यालय उपकरण | कंप्यूटर | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **लागत या मानित लागत** | | | | | | | |
| **01 अप्रैल, 2018 को** | **22.48** | **635.38** | **106.21** | **15.41** | **37.12** | **89.53** | **906.14** |
| अभिवर्धन | – | – | 2.05 | – | 2.39 | 5.41 | 9.85 |
| निपटान / समयोजन | – | – | – | – | (0.06) | – | (0.06) |
| **31 मार्च, 2019 को** | **22.48** | **635.38** | **108.26** | **15.41** | **39.45** | **94.94** | **915.93** |
| भारतीय लेखामानक–116* से परिवर्तन का समायोजन | – | 11.50 | – | – | – | – | 11.50 |
| अभिवर्धन | – | – | 1.60 | – | 2.62 | 1.70 | 5.92 |
| निपटान / समयोजन | – | – | – | – | (1.16) | (2.20) | (3.35) |
| **31 मार्च, 2020 को** | **22.48** | **646.89** | **109.86** | **15.41** | **40.90** | **94.44** | **930.00** |
| **मूल्यह्रास और हानिकरण** | | | | | | | |
| **01 अप्रैल, 2018 को** | **16.48** | **195.69** | **96.88** | **11.54** | **27.75** | **74.04** | **422.39** |
| वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार | 0.29 | 19.56 | 1.59 | 1.33 | 4.59 | 10.35 | 37.71 |
| हानिकरण | – | – | – | – | – | – | – |
| निपटान / समायोजन | – | – | – | – | (0.06) | – | (0.06) |
| **31 मार्च, 2019 को** | **16.77** | **215.25** | **98.47** | **12.86** | **32.28** | **84.40** | **460.04** |
| वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार | 0.27 | 24.10 | 1.36 | 0.91 | 3.47 | 6.07 | 36.17 |
| हानिकरण | – | | | | | | |
| निपटान / समायोजन | – | – | – | – | (0.66) | (2.00) | (2.66) |
| **31 मार्च, 2020 को** | **17.04** | **239.35** | **99.83** | **13.77** | **35.09** | **88.46** | **493.56** |
| **निवल बुक मूल्य** | | | | | | | |
| **31 मार्च, 2020 को** | **5.43** | **407.54** | **10.04** | **1.64** | **5.81** | **5.98** | **436.44** |
| **31 मार्च, 2019 को** | **5.71** | **420.13** | **9.79** | **2.55** | **7.16** | **10.54** | **455.88** |

**टिप्पणी:–3.1** कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में यथाविनिर्दिष्ट, स्थिर परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास / परिशोधन पर लेखांकन नीति में प्रकट की गई कुछ परिसंपत्तियों को छोड़कर अनुमानित उपयोगी जीवनकाल लागू किया है। तद्नुसार, अपरिशोधित कैरिंग मूल्य का मूल्यह्रास / परिशोधन, संशोधित / बाकी उपयोगी जीवनकाल पर किया जा रहा है।

**टिप्पणी:– 3.2** भवनों में, लीजहोल्ड और फ्रीहोल्ड दोनों भवन शामिल हैं। पट्टे वाले भवनों में, स्वामित्व / उप–पट्टे का अंतरण लंबित रहते, उप–पट्टे पर खरीदा गया, स्कोप मीनार भवन स्थित परिसर शामिल है। इसके अलावा, मुंबई में खरीदे गए दो फ्लैटों का औपचारिक विलेख म्हाडा और आवास समिति के बीच अभी निष्पादित किया जाना है।

**टिप्पणी:– 3.3*** कंपनी ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा कंपनी (भारतीय लेखामानक) संशोधन नियम, 2019 में संशोधित पूर्वव्यापी पद्धति का उपयोग करके अधिसूचित के रूप में भारतीय लेखामानक–116 'पट्टे' को अपनाया है जिसके तहत पट्टेदार के तुलन–पत्र में पट्टा व्यवस्था को एक समान पट्टा देयता के साथ 'उपयोग के अधिकार' के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। विवरण के लिए **टिप्पणी सं. 42 का संदर्भ** लें।

4 विनिधान संपत्ति (₹ लाख में)

| विवरण | फ्रीहोल्ड भवन | कुल |
|---|---|---|
| **लागत या मानित लागत** | | |
| **01 अप्रैल, 2018 को** | **46.50** | **46.50** |
| अभिवर्धन | – | – |
| निपटान/समायोजन | – | – |
| **31 मार्च, 2019 को** | **46.50** | **46.50** |
| अभिवर्धन | – | – |
| निपटान/समायोजन | – | |
| **31 मार्च, 2020 को** | **46.50** | **46.50** |
| **मूल्यह्रास और हानिकरण** | **32.33** | **32.33** |
| **01 अप्रैल, 2018 को** | | |
| वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार | 0.68 | 0.68 |
| हानिकरण | – | – |
| निपटान/समायोजन | – | – |
| **31 मार्च, 2019 को** | **33.01** | **33.01** |
| वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार | 0.65 | 0.65 |
| हानिकरण | | |
| निपटान/समायोजन | | |
| **31 मार्च, 2020 को** | **33.66** | **33.66** |
| निवल बुक मूल्य | | |
| **31 मार्च, 2020 को** | **12.84** | **12.84** |
| **31 मार्च, 2019 को** | **13.49** | **13.49** |

**टिप्पणी:– 4.1** कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में यथाविनिर्दिष्ट, स्थिर परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास/परिशोधन पर लेखांकन नीति में प्रकट की गई कुछ परिसंपत्तियों को छोड़कर अनुमानित उपयोगी जीवनकाल लागू किया है। तद्नुसार, अपरिशोधित कैरिंग मूल्य का मूल्यह्रास/परिशोधन, संशोधित/बाकी उपयोगी जीवनकाल पर किया जा रहा है।

टिप्पणीः– 4.2 संपत्ति के विनिवेश का मूल्य निर्धारण

भाग ''क'' का मूल्य निर्धारण

| | | |
|---|---|---|
| कारपेट एरिया | | 328.39 वर्ग मी. |
| कार्यालय स्थान के लिए 15.12.2015 से प्रभावी सर्किल रेट | | ₹ 77000/वर्ग मी. |
| ₹ 77000 की दर पर भाग 'क' कार्यालय स्थान का मूल्य | | 25,286,030.00 |
| यह 4थी मंजिल पर है और मुख्य सड़क पर फ्लाईओवर के सामने है अतः 30% की दर पर कटौती | | (7,585,809.00) |
| | | **17,700,221.00** |
| **भाग 'क' का उचित बाजार मूल्य** | (क) | 177.00 लाख |

भाग ''ख'' का मूल्य निर्धारण

| | | |
|---|---|---|
| कारपेट एरिया | | 57.704 वर्ग मी. |
| कार्यालय स्थान के लिए 15.12.2015 से प्रभावी सर्किल रेट | | ₹ 77000/वर्ग मी. |
| ₹ 77,000 की दर पर भाग 'क' कार्यालय स्थान का मूल्य | | 4,443,208.00 |
| यह 4थी मंजिल पर है और मुख्य सड़क पर फ्लाईओवर के सामने है अतः 30% की दर | | (1,332,962.40) |
| पर कटौती | | 3,110,245.60 |
| जोड़ें: मूल्यह्रास को समायोजित करने के उपरांत लकड़ी के विभाजक और अन्य लकड़ी के कार्य | | 150,000.00 |
| | | 3,260,245.60 |
| **भाग 'ख' का उचित बाजार मूल्य** | **(ख)** | **32.6 लाख** |
| **संपत्ति का उचित बाजार मूल्य** | **(क+ख)** | **209.60** |

5 अमूर्त परिसंपत्तियां (₹ लाख में)

| विवरण | कंप्यूटर सॉफ्टवेयर | कुल |
|---|---|---|
| **लागत या मानित लागत** | | |
| **1 अप्रैल, 2018 को** | **14.88** | **14.88** |
| वर्ष के दौरान अभिवर्धन | 15.61 | 15.61 |
| समायोजन | – | – |
| **31 मार्च, 2019 को** | **30.49** | **30.49** |
| वर्ष के दौरान अभिवर्धन | 1.29 | 1.29 |
| समायोजन | – | – |
| **31 मार्च, 2020 को** | **31.78** | **31.78** |
| **परिशोधन और हानिकरण** | | |
| **1 अप्रैल, 2018 को** | **13.59** | **13.59** |
| वर्ष के दौरान अभिवर्धन | 5.51 | 5.51 |
| वर्ष के दौरान हानिकरण | – | – |
| **31 मार्च, 2019 को** | **19.10** | **19.10** |
| वर्ष के दौरान अभिवर्धन | 5.70 | 5.70 |
| वर्ष के दौरान हानिकरण | – | – |
| **31 मार्च, 2020 को** | **24.80** | **24.80** |
| **निवल कैरिंग मूल्य** | | |
| **31 मार्च, 2020 को** | 6.98 | 6.98 |
| **31 मार्च, 2019 को** | **11.39** | **11.39** |

6 विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियॉ (₹ लाख में)

| विवरण | राशि |
|---|---|
| **लागत या मानित लागत** | |
| **1 अप्रैल, 2018 को** | **10.35** |
| वर्ष के दौरान अभिवर्धन | – |
| समायोजन | **10.35** |
| **31 मार्च, 2019 को** | – |
| वर्ष के दौरान अभिवर्धन | – |
| समायोजन | – |
| **31 मार्च, 2020 को** | – |
| **निवल बकाया** | |
| **31 मार्च, 2020 को** | – |
| **31 मार्च, 2019 को** | – |

## 7 वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण

ऋणों को गैर–चालू भाग, 'गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और ऋणों को चालू भाग' चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है:

(₹ लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार | | कुल | 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | गैर–चालू | चालू | | गैर–चालू | चालू | |
| **क. ऋण (अप्रतिभूत – अच्छा समझा गया)** | | | | | | |
| **i) मियादी ऋण संवितरण** (संदर्भ टिप्पणी 7.1) | 436,200.74 | – | 436,200.74 | 374,478.15 | – | **374,478.15** |
| घटाएं: धन वापसी / वापस मंगाया | (66,507.34) | – | (66,507.34) | (54,802.44) | – | **(54,802.44)** |
| घटाएं: पुनर्भुगतान | (211,022.29) | – | (211,022.29) | (181,721.05) | – | **(181,721.05)** |
| घटाएं: चालू भाग | –56,775.79 | 56,775.79 | 0.00 | (49,641.91) | 49,641.91 | – |
| | **101,895.32** | **56,775.79** | **158,671.11** | **88,312.75** | **49,641.91** | **137,954.66** |
| **ii) लघु ऋण वित्त संवितरण** | 65,581.29 | – | 65,581.29 | 65,830.41 | – | **65,830.41** |
| घटाएं: धन वापसी / वापस मंगाया | (11,519.14) | – | (11,519.14) | (10,688.87) | – | **(10,688.87)** |
| घटाएं: पुनर्भुगतान | (42,472.68) | – | (42,472.68) | (34,903.63) | – | **(34,903.63)** |
| घटाएं: चालू भाग | –9,794.83 | 9,794.83 | – | (12,095.55) | 12,095.55 | – |
| | **1,794.64** | **9,794.83** | **11,589.47** | **8,142.36** | **12,095.55** | **20,237.91** |
| **iii) महिला समृद्धि योजना संवितरण** | 71,968.39 | – | 71,968.39 | 67,316.03 | – | **67,316.03** |
| घटाएं: धन वापसी / वापस मंगाया | (11,845.88) | – | (11,845.88) | (11,809.52) | – | **(11,809.52)** |
| घटाएं: पुनर्भुगतान | (46,119.78) | – | (46,119.78) | (41,969.52) | – | **(41,969.52)** |
| घटाएं: चालू भाग | –10,493.12 | 10,493.12 | – | (9,734.30) | 9,734.30 | – |
| | **3,509.61** | **10,493.12** | **14,002.74** | **3,802.70** | **9,734.30** | **13,537.00** |
| **iv) महिला किसान योजना संवितरण** | 1,326.70 | – | 1,326.70 | 1,246.70 | – | 1,246.70 |
| घटाएं: धन वापसी / वापस मंगाया | (547.97) | – | (547.97) | (545.57) | – | (545.57) |
| घटाएं: पुनर्भुगतान | (608.18) | – | (608.18) | (591.20) | – | (591.20) |
| घटाएं: चालू भाग | –80.42 | 80.42 | – | (73.56) | 73.56 | – |
| | **90.13** | **80.42** | **170.55** | **36.38** | **73.56** | **109.93** |
| **v) शिल्पी समृद्धि योजना संवितरण** | 440.65 | – | 440.65 | 400.65 | – | 400.65 |
| घटाएं: धन वापसी / वापस मंगाया | (251.74) | – | (251.74) | (250.94) | – | (250.94) |
| घटाएं: पुनर्भुगतान | (149.71) | – | (149.71) | (143.98) | – | (143.98) |
| घटाएं: चालू भाग | –8.89 | 8.89 | – | (5.74) | 5.74 | – |
| | **30.31** | **8.89** | **39.20** | **(0.00)** | **5.74** | **5.73** |
| **vi) शिक्षा ऋण योजना संवितरण** | 5,795.78 | – | 5,795.78 | 4,636.58 | – | 4,636.58 |
| घटाएं: धन वापसी / वापस मंगाया | (250.09) | – | (250.09) | (238.09) | – | (238.09) |
| घटाएं: पुनर्भुगतान | (1,566.74) | – | (1,566.74) | (1,141.10) | – | (1,141.10) |
| घटाएं: चालू भाग | –1,602.90 | 1,602.90 | – | (1,208.39) | 1,208.39 | – |
| | **2,376.04** | **1,602.90** | **3,978.95** | **2,049.00** | **1,208.39** | **3,257.39** |
| **vii) वीईटीएलएस** | 118.27 | – | 118.27 | 28.27 | – | 28.27 |
| घटाएं: धन वापसी / वापस मंगाया | – | – | – | – | – | – |
| घटाएं: पुनर्भुगतान | (11.31) | – | (11.31) | (5.65) | – | (5.65) |
| घटाएं: चालू भाग | –28.15 | 28.15 | – | (5.65) | 5.65 | – |
| | **78.81** | **28.15** | **106.96** | **16.96** | **5.65** | **22.61** |

(₹ लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार | | कुल | 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | गैर–चालू | चालू | | गैर–चालू | चालू | |
| **viii) एएमवाई संवितरण** | 165.81 | – | 165.81 | 132.65 | – | 132.65 |
| घटाएं: धन वापसी/वापस मंगाया | – | – | – | – | – | – |
| घटाएं: पुनर्भुगतान | –103.33 | – | (103.33) | (55.50) | – | (55.50) |
| घटाएं: चालू भाग | –30.59 | 30.59 | – | (55.59) | 55.59 | – |
| | **31.89** | **30.59** | **62.48** | **21.56** | **55.59** | **77.15** |
| **ix) उद्यम निधि योजना संवितरण** | 589.04 | – | 589.04 | – | – | – |
| घटाएं: धन वापसी/वापस मंगाया | – | – | – | – | – | – |
| घटाएं: पुनर्भुगतान | –49.09 | – | (49.09) | – | – | – |
| घटाएं: चालू भाग | –245.43 | 245.43 | – | – | – | – |
| | 294.52 | 245.43 | 539.95 | – | – | – |
| **कुल : 1 क** | **110,101.27** | **79,060.14** | **189,161.41** | **102,381.70** | **72,820.68** | **175,202.38** |
| **I ख. ऋण (प्रतिभूत – अच्छा समझा गया)*** | | | | | | |
| **i) एएमवाई** | 175.71 | – | 175.71 | 142.55 | – | **142.55** |
| घटाएं: धन वापसी/वापस मंगाया | – | – | – | – | – | – |
| घटाएं: पुनर्भुगतान | –113.23 | – | –113.23 | (65.40) | – | **–65.40** |
| घटाएं: चालू भाग | –30.59 | 30.59 | 0.00 | (55.59) | 55.59 | – |
| | **31.89** | **30.59** | **62.48** | **21.56** | **55.59** | **77.15** |
| **ii) स्टाफ अग्रिम** | 358.39 | 107.88 | 466.27 | 353.39 | 95.98 | **449.37** |
| **कुल: I ख** | **390.28** | **138.47** | **528.75** | **374.95** | **151.57** | **526.52** |
| **(i) मियादी ऋण संवितरण** | 666.27 | – | 666.27 | 666.27 | – | 666.27 |
| घटाएं: धन वापसी/वापस मंगाया | – | – | – | – | – | – |
| घटाएं: पुनर्भुगतान | – | – | – | – | – | – |
| घटाएं: चालू भाग | – | – | – | – | – | – |
| | 666.27 | – | 666.27 | 666.27 | – | 666.27 |
| **(ii) लघु ऋण वित्त संवितरण** | 16.00 | – | 16.00 | 16.00 | – | 16.00 |
| घटाएं: धन वापसी/वापस मंगाया | – | – | – | – | – | – |
| घटाएं: पुनर्भुगतान | – | – | – | – | – | – |
| घटाएं: चालू भाग | – | – | – | – | – | – |
| | 16.00 | – | 16.00 | 16.00 | – | 16.00 |
| **(iii) महिला समृद्धि योजना संवितरण** | 95.00 | – | 95.00 | 95.00 | – | 95.00 |
| घटाएं: धन वापसी/वापस मंगाया | – | – | – | – | – | – |
| घटाएं: पुनर्भुगतान | – | – | – | – | – | – |
| घटाएं: चालू भाग | – | – | – | – | – | – |
| | 95.00 | – | 95.00 | 95.00 | – | 95.00 |
| **कुल: I ग** | **777.27** | – | **777.27** | **777.27** | – | **777.27** |
| घाटाएं: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता (टिप्पणी 32 का संदर्भ लें) | (777.27) | – | (777.27) | (777.27) | – | **(777.27)** |
| **कुल (1क+1ख)** | **110,491.55** | **79,198.61** | **189,690.15** | **102,756.66** | **72,972.25** | **175,728.90** |

*एफडीआर, पीडीसी के लियन के विरुद्ध में

**ग. ऐसी ऋण प्राप्तियां जिनके ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है**

7.1 वर्ष के विवरण

| विवरण | प्रारंभिक शेष 01.04.19 | संवितरण 2019–20 | पुनर्भुगतान 2019–20 | वापसी / वापस मंगाया 2019–20 | अंतः शेष 31.03.20 |
|---|---|---|---|---|---|
| मियादी ऋण (टीएल) | 138,620.93 | 58,722.44 | 28,634.54 | 11,704.89 | 159,337.38 |
| लघु ऋण वित्त (एमसीएफ)* | 20,253.91 | 2,751.03 | 8,235.75 | 830.28 | 11,605.47 |
| महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई) | 13,632.00 | 4,652.36 | 4,150.26 | 36.36 | 14,097.74 |
| महिला किसान योजना (एमकेवाई) | 109.93 | 80.00 | 16.99 | 2.40 | 170.55 |
| शिल्पी समृद्धि योजना (एसएसवाई) | 5.73 | 40.00 | 5.74 | 0.80 | 39.20 |
| शिक्षा ऋण योजना (ईएलएस) | 3,257.39 | 1,159.19 | 425.63 | 12.00 | 3,978.95 |
| वीईटीएलएस | 22.61 | 90.00 | 5.65 | – | 106.96 |
| एएमवाई | 154.29 | 66.33 | 95.67 | – | 124.95 |
| यूएनवाई | – | 589.04 | 49.09 | – | 539.95 |
| **कुल** | **176,056.80** | **68,150.39** | **41,619.31** | **12,586.73** | **190,001.15** |

* प्रारंभिक शेष में एमसीएफ से मियादी ऋण में रु.2333.45 लाख का समायोजन शामिल है।

**7.1(क):** वर्तमान ऋण वह ऋण राशि है जो वित्तीय वर्ष के अंत तक अगले 12 महीनों के दौरान प्राप्ति योग्य है।

**7.1(ख):** वर्तमान ऋण नीति के तहत, 120 दिनों के बाद ऋण की अप्रयुक्त धनराशि पुनर्भुगतान योग्य है। हालांकि, विभिन्न घटकों जैसे एससीए के साथ लाभार्थियों द्वारा दस्तावेजीकरण पूर्ण करने में देरी, दूर–दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों का कवरेज, पाइपलाइन में शेष बचे हुए उपयोगिता प्रमाण–पत्र इत्यादि कारणों से अनिश्चित है, उसे 'गैर–चालू' में किया जाएगा।

**7.1(ग):** वर्ष 2001 में निगम के विभाजन के परिणामस्वरूप, पूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम की सभी संपत्तियों और देनदारियों को, वास्तविक परिसंपत्तियों के मूल्य और उच्च ब्याज दर (एचआरआई) और चूक भुगतान पर नकद हानि (एलडीडीपी) को छोड़कर 2:1 के अनुपात में विभाजित किया गया था।

दोनों निगमों के अधिकारियों की एक बैठक संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, सान्याऔरअधिमं और जनजातीय कार्य मंत्रालय के कार्यालय में हुई थी। उपर्युक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि एनएससीएसटीएफडीसी के पास विभाजन के दिन (अर्थात दिनांक 10.04.2001) से उपलब्ध सरकारी गारंटी को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के हाल ही में संशोधित अनुपात में संबंधित राज्य सरकार को पत्रों के आदान–प्रदान द्वारा सूचना के माध्यम से स्थानांतरित किया जाएगा। उपर्युक्त गारंटियां अभी भी पूर्व एनएससीएसटीएफडीसी के नाम पर ही हैं।

तदनुसार, दिनांक 07.09.2006 के विभिन्न पत्र सं. एनएसएफडीसी / वित्त–ऋण / बीएफ–02 / खंड–II के माध्यम से दिनांक 10.04.2001 को विशिष्ट राज्य सरकार गारंटी (अभी भी पूर्व निगम के नाम पर) की उपलब्धता निम्नलिखित राशि अनुसार कम हो गई है:

(i) कर्नाटक – ₹ 671.42 लाख, (ii) तमिलनाडु – ₹ 184.18 लाख, (iii) मणिपुर – ₹ 116.25 लाख, (iv) जम्मू व कश्मीर – ₹ 304.09 लाख और (v) ओडिशा – ₹ 108.17 लाख।

**7.1(घ):** दिए गए ऋणों के संबंध में, कंपनी ने ₹ 21,151.15 लाख (पिछले वर्ष ₹ 21,151.15 लाख रुपए) की कुल उपलब्ध की सरकारी गारंटी के एवज में ₹ 2,685.47 लाख (2018–19 में ₹ 3285.48 लाख) की सरकारी गारंटी प्राप्त की है। कंपनी द्वारा प्राप्त कानूनी राय के अनुसार, सरकारी आश्वासन सरकारी विलेख / आदेश के अनुरूप नहीं है। जोकि मध्यस्थता के माध्यम से विवादित मामलों में भी लागू किया जा सकता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कंपनी उन मामलों में वसूली करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम है जहां बकाया ऋण राशि के संबंध में सरकारी गारंटी दी गई है।

**7.1(ङ):** दिनांक 31.03.2011 को, बिहार अनुसूचित जाति विकास निगम (बीएससीडीसी) का संचयी प्रावधान ₹ 1,113.62 लाख था। हालांकि, बीएससीडीसी ने एनएसएफडीसी को वर्ष 2009–10 में आश्वासनों को ₹ 2,500.00 तक बढ़ाया था, यह वर्ष 2010–11 में नवीकृत किया गया। टिप्पणी सं. 32.3 के अनुसार, संचित प्रावधान को वापस लिखे जाने की आवश्यकता थी, तथापि, वित्तीय विवेक के रूप में ₹1,113.62 लाख (31.03.2011 तक) के संचयी प्रावधान को, आश्वासन के सरकारी आदेश में परिवर्तन तक वापस लेना लंबित किया गया था। तद्नुसार, प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च को कुल बकाया के बराबर भुगतान के विनियोग के बाद आगे का प्रावधान किया गया।

वर्ष के दौरान, बीएससीडीसी से कोई पुनर्भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए ₹ 53.14 लाख का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। तद्नुसार, 31.03.2020 को बीएससीडीसी का संचयी प्रावधान रु.1,467.64 लाख (पिछले वर्ष ₹1,415.50 लाख) है। इसमें 31.03.2020 का ₹777.27 लाख (पिछले वर्ष ₹ 777.27 लाख) का संचयी मूल प्रावधान शामिल है।

**8. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां – गैर–चालू** (₹ लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार | 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार |
|---|---|---|
| **अप्रतिभूत, अच्छा माना गया** | | |
| प्रतिभूति जमा (टिप्पणी सं.8.1 देखें) | 4.34 | 4.34 |
| प्राप्तव्य ब्याज | 100.95 | 92.26 |
| **ऐसी प्राप्तियां जिनके ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।** | | |
| जमा वसूली (संदिग्ध) | 1,539.99 | 1,539.99 |
| घटाएं: अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता (टिप्पणी सं. 32 देखें) | (1,539.99) | (1,539.99) |
| **कुल** | **105.29** | **96.60** |

**8.1** प्रतिभूति जमा में टेलीफोन और टेलेक्स प्रतिभूति शामिल है।

**8.2** जमा वसूली में पनवायर से ₹ 1,539.99/– की वसूली राशि शामिल है (टिप्पणी 32.4 का संदर्भ लें)।

**9 अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां** (₹ लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार | 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार |
|---|---|---|
| कार्मिकों हेतु पूर्व प्रदत्त व्यय (टिप्पणी 9.1 का संदर्भ लें) | 61.18 | 62.02 |
| | **61.18** | **62.02** |

**9.1** पूर्व प्रदत्त व्यय में कर्मचारी ऋण और अग्रिम के गैर–परिशोधित अंश या प्रारंभिक मान्यता या दिए गए ऋण पर वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के बीच अंतर का ₹ 61.18 लाख (2018–19 – ₹ 62.02 लाख) शामिल है।

**10. नकद और नकद समकक्ष** (₹ लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार | 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार |
|---|---|---|
| **नकद और बैंक शेष** | – | – |
| बचत खाते में | 9,921.19 | 6,532.76 |
| **कुल** | **9,921.19** | **6,532.76** |

**11. नकद और नकद समकक्ष के अलावा बैंक शेष** (₹ लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार | 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार |
|---|---|---|
| **अन्य बैंक शेष** | | |
| एफडीआर | – | 10,777.00 |
| विशेष आरक्षित निधि की एफडीआर | 4,738.57 | 3,964.11 |
| अन्य (टिप्पणी: 11.1 देखें) | 3,199.82 | 2,956.96 |
| **कुल** | **7,938.38** | **17,698.07** |

**11.1** अन्य बैंक शेष – यह लक्ष्य समूह के प्रशिक्षण के उपयोग हेतु अनुदान निधि है।

**12. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां** (₹ लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार | 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार |
|---|---|---|
| **i) प्राप्तव्य ब्याज** | 5,715.26 | 5,622.40 |
| घटाएं: अशोध्य और संदिग्ध ब्याज के लिए भत्ता (टिप्पणी ₹ 7.1 (ङ), 12.1 व 32 देखें) | (690.37) | (637.23) |
| | **5,024.89** | **4,985.17** |
| **ii) अन्य** | | |
| बचत बैंक खाते पर प्राप्तव्य ब्याज | 12.70 | 4.80 |
| जमा राशियों पर प्राप्तव्य परंतु अदेय ब्याज | – | 10.51 |
| विशेष आरक्षित निधि पर प्राप्तव्य परंतु अदेय ब्याज | 187.63 | 190.56 |
| प्राप्तव्य किराया | 0.00 | 1.63 |
| प्राप्तव्य राशि | 33.27 | 46.91 |
| प्राप्तव्य अनुदान | 436.13 | – |
| **कुल** | **5,694.62** | **5,239.59** |

तथापि, बीएससीडीसी से अतिदेय संबंधी ₹ 53.14 लाख (2018–19: ₹52.75 लाख) के ब्याज को लेखांकन नीति 2.11 (i) (क) के संदर्भ में दर्ज किया गया है।

**12.1** वर्ष के दौरान, बीएससीडीसी से कोई पुनर्भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए ₹ 53.14 लाख अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। तद्नुसार, 31.03.2020 को बीएससीडीसी का संचयी प्रावधान ₹ 1,467.64 लाख (पिछले वर्ष ₹ 1,414.50 लाख) है। इसमें 31.03.2020 का ₹ 690.37 लाख (पिछले वर्ष ₹ 637.23 लाख) का संचयी ब्याज प्रावधान शामिल है।

**13. चालू कर परिसंपत्तियां** (₹ लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार | 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार |
|---|---|---|
| i) प्राप्तव्य स्रोत पर कर की कटौती | 15.68 | 12.00 |
| **कुल** | **15.68** | **12.00** |

**14. अन्य चालू परिसंपत्तियां** (₹ लाख में)

| विवरण | | 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार | 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार |
|---|---|---|---|
| **पूंजीगत अग्रिम के अलावा अग्रिम** | | | |
| स्टाफ को अग्रिम | | 8.25 | 3.91 |
| पार्टियों को अग्रिम | | 20.76 | 19.69 |
| **अन्य** | | | |
| पूर्व–प्रदत्त खर्चे | | 9.34 | 11.13 |
| उपदान योजना परिसंपत्तियां | | – | 50.83 |
| **कुल** | **38.35** | **85.56** | |

14.1 पूर्व प्रदत्त व्यय में कर्मचारी ऋण और अग्रिम के गैर–परिशोधित अंश या प्रारंभिक मान्यता और दिए गए ऋण पर वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के बीच अंतर का ₹8.51 लाख (2018–19 ₹7.45 लाख) शामिल है।

15. शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार | 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार |
|---|---|---|
| **प्राधिकृत शेयर पूंजी** | | |
| प्रति ₹1000 के 1,50,00,000 इक्विटी शेयर (31–03–2019 की स्थिति के अनुसार: प्रति ₹1000 के 1,50,00,000 इक्विटी शेयर) | 150,000.00 | 150,000.00 |
| **जारी की गई/अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी** | | |
| प्रति ₹ 1000 के 1,50,00,000 इक्विटी शेयर (31–03–2019 की स्थिति के अनुसार: 1,48,54,000) प्रति ₹1000 के इक्विटी शेयर | 150,000.00 | 148,540.00 |
| | **150,000.00** | **148,540.00** |

15.1 इक्विटी शेयरों की संख्या और शेयर पूंजी का सामांजस्य

(₹ लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार | | 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार | |
|---|---|---|---|---|
| | शेयरों की संख्या (लाख में) | राशि (लाख रुपए में) | शेयरों की संख्या (लाख में) | राशि (लाख रुपए में) |
| वर्ष के आरंभ में जारी की गई/अभिदत्त और प्रदत्त बकाया इक्विटी पूंजी | 148.54 | 148,540.00 | 134.80 | 134,801.00 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर | 1.46 | 1,460.00 | 13.74 | 13,739.00 |
| वर्ष के अंत में जारी की गई/अभिदत्त और प्रदत्त बकाया इक्विटी पूंजी | **150.00** | **150,000.00** | **148.54** | **148,540.00** |

**इक्विटी शेयरों से संबद्ध शर्तें और अधिकार**

निगम के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है, जो ₹ 1000 प्रति शेयर के सममूल्य वाले हैं। प्रत्येक इक्विटी शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट के हकदार है। कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–8 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। इसलिए कंपनी द्वारा लाभांश भुगतान योग्य नहीं है।

15.2 कंपनी में कुल मिलाकर 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयर धारकों के शेयरों के ब्योरे (₹ लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार | | 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार | |
|---|---|---|---|---|
| | शेयरों की संख्या (लाख में) | होल्डिंग का % | शेयरों की संख्या (लाख में) | होल्डिंग का % |
| **इक्विटी शेयर** | | | | |
| भारत के राष्ट्रपति | 150.00 | 100% | 148.54 | 100.00% |
| | **150.00** | **100.00%** | **148.54** | **100.00%** |

16. अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार | 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार |
|---|---|---|
| **अन्य आरक्षित** | | |
| विशेष आरक्षित | 5,631.25 | 4,738.57 |
| सामान्य आरक्षित | 53,234.88 | 48,075.25 |
| प्रतिधारित आय | – | – |
| | **58,866.14** | **52,813.82** |

**16.1 विशेष आरक्षित** (₹ लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार | 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार |
|---|---|---|
| वर्ष के आरंभ की स्थिति के अनुसार शेष | 4,738.57 | 3,964.11 |
| जोड़ेः विशेष आरक्षित निधि निवेश पर ब्याज | 314.32 | 262.18 |
| जोड़ेः प्रतिधारित आय से अंतरित | 578.36 | 512.28 |
| **अंतः शेष** | **5,631.25** | **4,738.57** |

**16.2 सामान्य आरक्षित** (₹ लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार | 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार |
|---|---|---|
| वर्ष के आरंभ की स्थिति के अनुसार शेष | 48,075.25 | 43,440.93 |
| घटाएंः पूर्वावधि चूक | – | 14.66 |
| वर्ष के आरंभ की स्थिति के अनुसार शेष का दुहराव | 48,075.25 | 43,455.59 |
| जोड़ेः प्रतिधारित आय से अंतरित | 5,159.65 | 4,619.66 |
| **अंतः शेष** | **53,234.88** | **48,075.25** |

**16.3 प्रतिधारित आय** (₹ लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार | 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार |
|---|---|---|
| **प्रारंभिक शेष** | – | – |
| जोड़ें : आय एवं व्यय खाते से अंतरित | 6,097.90 | 5,393.74 |
| घटाएंः विशेष आरक्षित निधि निवेश पर ब्याज विशेष आरक्षित में अंतरित | (314.32) | –262.18 |
| विशेष आरक्षित निधि निवेश के ब्याज से आय पर विचार करने से पूर्व आय एवं व्यय | 5,783.57 | 5,131.56 |
| घटाएं : विशेष आरक्षित निधि में अंतरित 10% | 578.36 | 513.16 |
| घटाएं : पूर्वावधि वर्ष संबंधी 10% राशि को विशेष आरक्षित निधि में अंतरित राशि से रिवर्स किया | – | 0.88 |
| जोड़ें : निर्धारित लाभ दायित्व की अस्वीकृति से उत्पन्न होने वाली अन्य व्यापक आय | (45.57) | 0.38 |
| बकाया साधारण आरक्षित में अंतरित शेष | 5,159.65 | 4,619.66 |
| **अंतः शेष** | – | – |

**17 चालू और गैर–चालू प्रावधान** (₹ लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार | | कुल | 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | गैर–चालू | चालू | | गैर–चालू | चालू | |
| **i) कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान** | | | | | | |
| – छुट्टी लाभ | 392.18 | 21.12 | 413.30 | 326.74 | 8.50 | 335.24 |
| –बाह्य सेवा अंशदान के लिए प्रावधान | – | – | – | – | – | – |
| –कार्य–निष्पादन संबंधी वेतन के लिए प्रावधान | – | 622.10 | 622.10 | – | 430.45 | 420.45 |
| –उपदान (निवल) | – | 0.65 | 0.65 | – | – | – |
| ii) अन्य प्रावधान | | | | | | |
| –एससीए को प्रोत्साहन के लिए प्रावधान | – | 133.89 | 133.89 | – | 137.58 | 137.58 |
| –ब्याज सहायता हेतु प्रावधान (एनबीएफसी–एमएफआई) | – | 5.50 | 5.50 | – | 5.96 | 5.96 |
| –धन वापसी पर ब्याज के लिए प्रावधान | | 32.84 | 32.84 | – | – | – |
| –सीएसआर के लिए प्रावधान | | 1.94 | 1.94 | | | |
| **कुल** | **392.18** | **818.03** | **1,210.21** | **326.74** | **582.49** | **909.23** |

**17.1 वित्तीय वर्ष की समाप्ति से अगले 12 महीने में सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) से संबंधित धनराशि, चालू प्रावधान के रूप में ली गई है।**

**17.2 प्रावधानों के ब्योरे :** (₹ लाख में)

| विवरण | 1 अप्रैल 2019 की स्थिति के अनुसार | वर्ष 2019–20 के दौरान अभिवर्धन | 2019–20 के दौरान उपयोग /भुगतान | 2019–20 वापस लिया | 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| छुट्टी लाभ | 335.24 | 100.20 | 22.14 | – | 413.30 |
| पीआरपी के लिए प्रावधान | 445.85 | 244.14 | 67.90 | – | 622.10 |
| एससीए को प्रोत्साहन के लिए प्रावधान | 147.44 | 88.90 | – | 102.45 | 133.89 |
| ब्याज सहायता हेतु प्रावधान (एनबीएफसी–एमएफआई) | 5.96 | – | 0.46 | – | 5.50 |
| धन वापसी पर ब्याज के लिए प्रावधान | – | 32.84 | – | – | 32.84 |
| सीएसआर के लिए प्रावधान | – | 1.94 | – | – | 1.94 |
| **कुल** | **934.49** | **468.01** | **90.50** | **102.45** | **1,209.5** |

### 17.3 भारतीय लेखा मानक–19 के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन (उपदान, छुट्टी लाभ) का प्रकटीकरण

निधिबद्ध स्थिति के साथ–साथ आय एवं व्यय लेखा विवरण और तुलन–पत्र में मान्यता प्राप्त दीर्घावधि छुट्टी लाभों और उपदान के सुनिश्चित लाभों की सारांशीकृत स्थिति निम्नलिखित है:

(₹ लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार | | 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार | |
|---|---|---|---|---|
| | उपदान (वित्तपोषित) | छुट्टी नकदीकरण (गैर–वित्तपोषित) | उपदान (वित्तपोषित) | छुट्टी नकदीकरण (गैर–वित्तपोषित) |
| **(I) बीमांकिक का मुख्य अनुमान** | | | | |
| मृत्यु दर | आईएएलएम (2006–08) | | आईएएलएम (2006–08) | |
| एट्रिशन दर | | | | |
| 30 वर्षों तक | 3% | 3% | 3% | 3.0% |
| 31 से 44 वर्ष | 2% | 2% | 2% | 2.0% |
| 44 वर्ष से अधिक | 1% | 1% | 1% | 1.0% |
| बट्टा दर | 7.61% | 7.61% | 7.61% | 7.61% |
| वेतन में वृद्धि (वार्षिक) | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
| योजनागत परिसंपत्तियों पर लाभ की दर (वार्षिक) | | | | |
| शेष कार्यकाल | 13.31 वर्ष | 13.31 वर्ष | 13.31 वर्ष | 13.31 वर्ष |
| **(II) देयताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन** | | | | |
| अवधि के आरंभ में देयताओं का वर्तमान मूल्य | 521.39 | 335.24 | 492.52 | 301.46 |
| ब्याज लागत | 39.68 | 25.51 | 37.58 | 23.00 |
| चालू सेवा लागत | 26.50 | 19.35 | 20.86 | 16.57 |
| पूर्व सेवा लागत | – | – | – | – |
| प्रदत्त लाभ (यदि कोई है) | – | (22.14) | (27.18) | (26.88) |
| बीमांकिक (लाभ)/हानि | 43.36 | 55.34 | (2.39) | 21.09 |
| **अवधि के अंत में देयताओं का वर्तमान मूल्य** | **630.92** | **413.30** | **521.39** | **335.24** |
| **(III) तुलन–पत्र में मान्यता दी जाने वाली धनराशि:** | | | | |
| वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | 630.27 | – | 572.22 | – |
| वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार देयताओं का वर्तमान मूल्य | 630.92 | 413.30 | 521.39 | 335.24 |
| तुलन–पत्र में मान्यता दी गई निवल परिसंपत्ति/(देयता) | **(0.65)** | **(413.30)** | **50.83** | **(335.24)** |

(₹ लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार | | 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार | |
|---|---|---|---|---|
| | उपदान (वित्तपोषित) | छुट्टी नकदीकरण (गैर–वित्तपोषित) | उपदान (वित्तपोषित) | छुट्टी नकदीकरण (गैर–वित्तपोषित) |
| **(IV) आय एवं व्यय विवरण में मान्यता दिए गए व्यय** | | | | |
| चालू सेवा लागत | 26.50 | 19.35 | 20.86 | 16.57 |
| पूर्व सेवा लागत | – | – | – | |
| निवल ब्याज लागत | (3.87) | 25.51 | (5.06) | 23.00 |
| बीमांकिक (लाभ)/हानि | – | 55.34 | – | 21.09 |
| आय एवं व्यय का विवरण' में मान्यता दी गई निवल लागत | **22.63** | **100.20** | **15.81** | **60.66** |
| **(V) योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तनः** | | | | |
| अवधि के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | 572.22 | – | 558.78 | – |
| योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित लाभ | 41.33 | – | 38.14 | – |
| अंशदान | 16.72 | – | 2.48 | – |
| प्रदत्त लाभ | – | – | (27.18) | – |
| योजनागत परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि) | – | – | – | – |
| अवधि के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | **630.27** | – | **572.22** | – |
| **(VI) अन्य व्यापक आय में मान्यता दिए जाने वाला बीमांकिक लाभ/(हानि):** | **(45.57)** | – | **0.38** | – |
| | **(45.57)** | – | **0.38** | – |

**संवेदनशीलता का विश्लेषणः**

**31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए** (₹ लाख में)

| निम्नलिखित में परिवर्तन | अनुमानों में परिवर्तन | छुट्टी नकदीकरण पर प्रभाव | उपदान दायित्व पर प्रभाव |
|---|---|---|---|
| **बट्टा दर** | वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य | 630.92 | 413.30 |
| | 0.50% वृद्धि के कारण प्रभाव | (21.62) | (14.69) |
| | 0.50% कमी के कारण प्रभाव | 22.73 | 15.40 |
| **वेतन की वृद्धि दर** | वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य | 630.92 | 413.30 |
| | 0.50% वृद्धि के कारण प्रभाव | 22.80 | 15.46 |
| | 0.50% कमी के कारण प्रभाव | (21.88) | (14.79) |

मृत्यु दर और आहरणों के कारण संवेदनशीलताएं महत्वपूर्ण नहीं हैं और इसलिए, परिवर्तनों के प्रभाव का परिकलन नहीं किया गया है।

मुद्रास्फीति की दर, भुगतान में पेंशन की वृद्धि की दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन की वृद्धि की दर और जीवन प्रत्याशा के बारे में संवेदनशीलताएं सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त लाभ होने के कारण लागू नहीं होती।

परिभाषित लाभ दायित्व की परिपक्वता की रूपरेखा (₹ लाख में)

| | वर्ष | राशि | राशि |
|---|---|---|---|
| i | 0 से 1 वर्ष | 27.60 | 21.12 |
| ii | 1 से 2 वर्ष | 24.47 | 17.97 |
| iii | 2 से 3 वर्ष | 42.72 | 31.81 |
| iv | 3 से 4 वर्ष | 24.78 | 18.64 |
| v | 4 से 5 वर्ष | 54.32 | 33.31 |
| vi | 5 से 6 वर्ष | 39.89 | 25.83 |
| vii | 6 वर्ष के बाद | 417.15 | 264.62 |

**18. अन्य वित्तीय दायित्व** (₹ लाख में)

| विवरण | | 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार | 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार |
|---|---|---|---|
| (i) | **निम्नलिखित के प्रति सहायता–अनुदानः** | | |
| | कौशल प्रशिक्षण के लिए अनुदान (सान्याअमं) (टिप्पणी सं. 18.1 देखें) | 3,221.69 | 2,850.41 |
| | अन्य संगठनों से अनुदान | 95.22 | 83.03 |
| | वस्त्र मंत्रालय से अनुदान | 17.92 | 0.45 |
| (ii) | प्राप्त हुई प्रतिभूति जमा | 4.44 | 4.22 |
| (iii) | भुगतान योग्य ईएमडी | 15.48 | 16.22 |
| (iv) | विविध लेनदार | 350.20 | 125.07 |
| (v) | बकाया व्यय | 57.91 | 53.16 |
| (vi) | अन्य भुगतान योग्य | 15.58 | 493.23 |
| (vii) | पट्टा दायित्व | 6.29 | – |
| | **कुल** | **3,784.77** | **3,625.78** |

**18.1** नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा दी गई सलाह के अनुसार, उपलब्ध अनुदानों को राजस्व अनुदानों के रूप में मान्यता दी जाती है और खर्च न किए गए शेष को चालू देयताओं के रूप में दर्शाया जाता है। कंपनी ने अनुदान की मान्यता के लिए आय दृष्टिकोण का पालन किया है। अनुदान संबंधी व्यय और प्राप्तियों को आय और व्यय खाते के माध्यम से मान्यता दी है। प्रशिक्षण अनुदानों और आर्थिक सहायता के ब्योर वर्ष के आरंभ में वर्ष के दौरान प्राप्त, वापसी, निर्मुक्त किए गए और 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार शेष निम्नलिखित हैं:

| क्र. सं. | विवरण | 01.04.2019 को प्रारंभिक शेष | 2019–20 के दौरान प्राप्तियां | वर्ष 19–20 के दौरान ब्याज आय | वापसी | वर्ष 19–20 के दौरान स्वीकृत (निर्मुक्त) | 31 मार्च, 2020 को अंत शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (प्रशिक्षण अनुदान) | 2,850.41 | 2456.13 | 132.09 | – | 2216.93 | 3,221.70 |
| 2 | संसाधन संपर्क कार्यक्रम II | 83.03 | 363.96 | 3.18 | – | 354.94 | 95.23 |
| 3 | वस्त्र मंत्रालय से अनुदान | 0.45 | 78.36 | 2.03 | – | 62.92 | 17.92 |
| | **31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार शेष** | **2,933.89** | **2,898.45** | **137.30** | – | **2,634.79** | **3,334.86** |
| | **31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार शेष** | **2,303.30** | **1,925.73** | **152.11** | – | **1,447.24** | **2,933.89** |

19. अन्य चालू देयताएं (₹ लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार | 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार |
|---|---|---|
| सांविधिक देय राशियां | 59.99 | 47.45 |
| **कुल** | **59.99** | **47.45** |

20 प्रचालनों से प्राप्त राजस्व(आय) (₹ लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार | 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार |
|---|---|---|
| **राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/अन्यों को दिए गए ऋण पर ब्याज** | | |
| मियादी ऋण (टीएल) पर ब्याज | 5,125.88 | 4,303.66 |
| लघु ऋण वित्त (एमसीएफ) पर ब्याज | 314.00 | 530.00 |
| महिला किसान योजना (एमकेवाई) पर ब्याज | 2.93 | 3.54 |
| महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई) पर ब्याज | 142.28 | 162.82 |
| शिल्पी समृद्धि योजना (एसएसवाई) पर ब्याज | 0.50 | 0.28 |
| शिक्षा ऋण योजना (ईएलएस) पर ब्याज | 44.34 | 48.93 |
| वीईटीएलएस पर ब्याज | 1.11 | 0.32 |
| यूएनवाई पर ब्याज | 14.10 | – |
| वापसी पर ब्याज (टिप्पणी सं. 20.1 का संदर्भ लें) | 1,243.67 | 654.39 |
| प्राप्त उच्च ब्याज दर | – | 0.01 |
| **अन्य प्रचालन से राजस्व** | | |
| संदिग्ध ऋणों के लिए भत्तों का प्रत्यावर्तन | – | 0.89 |
| **कुल** | **6,888.81** | **5,704.84** |

**20.1** वर्ष 2019–20 के दौरान, एससीए, आरआरबी/पीएसबी और एनबीएफसी–एमएफआई से ₹ 379.97 लाख (वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान ₹ 10,988.31 लाख) की धनवापसी पर क्रमशः ₹ 1243.67 लाख (वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान ₹ 101.83 लाख), ₹ 483.40 लाख (वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान ₹ 552.56 लाख) तथा ₹ शून्य (वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान शून्य) धनवापसी पर ब्याज लगाया गया था ।

वर्तमान ऋण नीति के अनुसार धनवापसी पर ब्याज निम्नानुसार लगाया जाता है:

(i) एससीए के मामले में संवितरित राशि की वापसी पर।

(ii) चैनलाइजिंग एजेंसियों के मामले में:–

(क) 120 दिनों की अवधि के अंदर अप्रयुक्त निधि और धन वापसी पर ब्याज एनएसएफडीसी द्वारा चैनलाइजिंग एजेंसियों से प्रभारित सामान्य ब्याज दर से अधिक 4% वार्षिक की दर से लागू होगा तथा संवितरण की तारीख से वापसी की तारीख तक लागू होगा।

(ख) चैनलाइजिंग एजेंसियों द्वारा 120 दिनों के भीतर भी अप्रयुक्त की गई राशि पर भी ऊपर बताए अनुसार वही लागू किया जाएगा।

(ग) चैनलाइजिंग एजेंसियों को पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक 80% या उससे अधिक संचयी निधि उपयोग स्तर के अप्रयुक्त राशि पर लगाए जाने से छूट दी जाएगी।

(iii) एनबीएफसी–एमएफआई के मामले में, चैनलाइजिंग एजेंसियों को धनवापसी पर ब्याज लगाए जाने से छूट दी जाएगी, यदि संचयी निधि उपयोग स्तर किसी विशेष योजना के तहत 80% या उससे अधिक है।

(iv) "एनबीएफसी–एमएफआई, दावा आधारित वार्षिक आधार पर देय राशियों की समय से पूर्ण अदायगी पर 2% वार्षिक की दर से राहत पाने के पात्र हैं।"

**21 अन्य आय** (₹ लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|
| **क) ब्याज आय** | | |
| बैंकों में जमा राशियों पर ब्याज | 1,027.58 | 1,271.26 |
| बचत बैंक खातों पर ब्याज | 71.98 | 57.98 |
| कर्मचारी एवं अन्य को दिए गए अग्रिम पर ब्याज (टिप्पणी सं. 21.1 देखें) | 39.69 | 39.06 |
| विशेष आरक्षित निधि पर ब्याज (टिप्पणी सं. 21.2 देखें) | 314.32 | 262.18 |
| **ख) अन्य गैर–प्रचालन आय** | | |
| विविध प्राप्तियां | – | 0.34 |
| प्राप्त किराया | 22.17 | 16.20 |
| बट्टे खाते के लिए प्रावधान | 0.25 | 26.55 |
| **कुल** | **1,475.99** | **1,673.57** |

21.1 कर्मचारी ऋण के उचित मूल्य निर्धारण के कारण आस्थगित खर्चों के परिशोधन के लिए वर्ष 2019–20 के दौरान ₹ 5.00 लाख (वित्तीय वर्ष 2018–19 ₹ 8.88 लाख) को मान्यता दी गई है।

21.2 जैसा कि 2006–07 में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्देश दिया गया, दिनांक 24.01.2008 को आयोजित अपनी 101वीं बैठक में बोर्ड ने एक विशेष आरक्षित निधि का सृजन करने के लिए मंजूरी प्रदान की जो उद्दिष्ट निधि (डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार) का प्रतिनिधित्व करता है। विशेष आरक्षित निधि पर अर्जित ब्याज उसी निधि में पुनः निवेशित के रूप में बना रहता है। इसलिए, लेखांकन नीति 2.16 के अनुसार प्रचालनात्मक प्रयोजनों के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है तथा इसे अलग रखा जाता है।

**22 कर्मचारी हित व्यय** (₹ लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|
| **(क) वेतन, भत्ते एवं लाभ : अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक** | | |
| वेतन एवं भत्ते | 14.60 | 33.66 |
| चिकित्सा प्रतिपूर्ति | 0.11 | 0.12 |
| छुट्टी यात्रा रियायत व्यय | 0.13 | – |
| छुट्टी लाभ | 0.70 | – |
| बाह्य सेवा अंशदान | 3.53 | 8.42 |
| | **19.07** | **42.20** |
| **(ख) वेतन एवं भत्तेः कर्मचारी** | | |
| वेतन एवं भत्ते | 1,039.84 | 986.84 |
| छुट्टी लाभ | 100.20 | 60.66 |
| छुट्टी यात्रा रियायत नकदीकरण | 0.10 | 1.51 |
| छुट्टी यात्रा रियायत व्यय | 3.51 | 9.23 |
| चिकित्सा प्रतिपूर्ति | 24.69 | 14.28 |
| समयोपरि भत्ता | 1.65 | 1.98 |
| व्यावसायिक सदस्यता शुल्क | 0.16 | 0.04 |
| निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी) | 243.52 | 195.54 |
| बाह्य सेवा अंशदान | 0.93 | – |
| | **1,414.60** | **1,270.07** |

| | | |
|---|---|---|
| **(ग) भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान** | | |
| भविष्य निधि/जीएसएलआईएस में निगम का अंशदान | 70.46 | 63.34 |
| पेंशन में निगम का अंशदान | 11.30 | 11.64 |
| भविष्य निधि प्रशासनिक व्यय | 3.44 | 3.86 |
| उपदान | 22.63 | 15.81 |
| चिकित्सा (सेवानिवृत्त) | 20.42 | 18.72 |
| पेंशन (सेवानिवृत्त) | 68.07 | 62.42 |
| | **196.32** | **175.79** |
| **घ) कर्मचारी कल्याण व्यय** | 20.35 | 7.05 |
| | **20.35** | **7.05** |
| **ङ) ऋणों और अग्रिमों पर कर्मचारी लाभ व्यय** | 5.00 | 8.88 |
| **कुल** | **1,655.34** | **1,503.99** |

**23 वित्त लाभ** (₹ लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|
| **ब्याज** | | |
| सावधि जमा रसीदों पर लिए ऋण पर ब्याज | – | 23.56 |
| पटटा देयता पर ब्याज लाभ | 1.01 | – |
| **कुल** | **1.01** | **23.56** |

**24 मूल्यह्रास और परिशोधन लागतें** (₹ लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|
| मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास (टिप्पणी सं. 3 और 4 देखें) | 31.07 | 38.39 |
| परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार पर मूल्यह्रास (टिप्पणीः सं. 3 देखें) | 5.75 | 0.00 |
| अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन (टिप्पणी सं. 5 का संदर्भ लें) | 5.70 | 5.51 |
| **कुल** | **42.52** | **43.90** |

**25 राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी को प्रोत्साहन** (₹ लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|
| वसूली के लिए एससीए को प्रोत्साहन | 43.89 | 28.39 |
| एससीए को प्रोत्साहन–एनएपीई | 45.00 | 45.00 |
| **कुल** | **88.89** | **73.39** |

**26 अन्य व्यय**

(₹ लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|
| विज्ञापन व्यय | 0.72 | 0.20 |
| कारोबार उन्नयन व्यय | – | 4.44 |
| कंप्यूटर एवं वेबसाइट व्यय | 3.08 | 1.99 |
| निगम सदस्यता शुल्क | 1.46 | 1.36 |
| निदेशक/बोर्ड बैठक व्यय | 2.49 | 1.33 |
| विद्युत प्रभार | 17.15 | 22.16 |
| बीमा प्रभार | 4.17 | 2.89 |
| विधि और व्यावसायिक व्यय/परामर्श | 19.12 | 21.66 |
| दृश्य–श्रव्य प्रचार माध्यम/मूल्यांकन/सम्मेलन/सेमिनार | 71.72 | 55.61 |
| कार्यालय इमारत व्यय | 65.37 | 49.25 |
| कार्यालय व्यय | 53.07 | 44.16 |
| कार्यालय किराया | 0.37 | 6.40 |
| लेखापरीक्षकों को भुगतान (टिप्पणीः 26.1 का संदर्भ लें) | 1.63 | 2.00 |
| डाक, तार | 1.46 | 1.53 |
| मुद्रण और लेखन–सामग्री | 9.48 | 8.34 |
| स्टाफ भर्ती व्यय | – | – |
| टेलीफोन एवं टेलेक्स | 5.26 | 5.87 |
| प्रशिक्षण व्यय – स्टाफ | 4.85 | 6.36 |
| प्रशिक्षण व्यय – निदेशक | 1.42 | 7.72 |
| यात्रा किराया व्यय | 1.58 | 0.60 |
| यात्रा व्यय – निदेशक | 9.63 | 9.31 |
| यात्रा व्यय – स्टाफ | 27.00 | 19.95 |
| वाहन व्यय | 7.71 | 10.53 |
| दरें एवं कर | 4.93 | 7.26 |
| संसदीय समिति व्यय | 1.85 | – |
| समाचार–पत्र, पुस्तकें व पत्रिकाएं | 0.69 | 0.39 |
| संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता | 53.14 | – |
| **अनुदान व्यय** | 2,634.79 | 1,447.24 |
| घटाएंः अनुदान आय | –2,634.79 | –1,447.24 |
| **कुल** | **369.36** | **291.30** |

**26.1 लेखापरीक्षक पारिश्रमिक**

(₹ लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|
| गत वर्ष के लिए लेखापरीक्षा शुल्क | – | – |
| सांविधिक लेखापरीक्षा के लिए | 1.63 | 1.85 |
| कराधान मामलों के लिए | – | – |
| कंपनी विधिक मामलें के लिए | – | – |
| अन्य सेवाओं के लिए | – | – |
| व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए | – | – |
| **कुल** | **1.63** | **1.85** |

**27 असाधारण मदें**

(₹ लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|
| परिसंपत्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि (निवल) | – | – |
| **कुल** | – | – |

**28 अन्य व्यापक आय के संघटक (ओसीआई)**

इक्विटी में आरक्षण के प्रत्येक प्रकार द्वारा अन्य व्यापक आय के परिवर्तनों का पृथकतः नीचे दर्शाया गया है:–

(₹ लाख में)

| विवरण | एफवीटीओसीआई | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए |
| सुनिश्चित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन – उपदान | (45.57) | 0.38 |
| **कुल** | **(45.57)** | **0.38** |

**29 प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस)**

(₹ लाख में)

| विवरण | एफवीटीओसीआई | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए |
| **मूलभूत ईपीएस** | | |
| निरंतर प्रचालन से | 40.75 | 36.96 |
| **तरलीकृत ईपीएस** | | |
| निरंतर प्रचालन से | **40.75** | **36.96** |

**29.1 प्रति शेयर मूलभूत अर्जन**

प्रति शेयर मूलभूत अर्जन के परिकलन में इस्तेमाल किए गए इक्विटी शेयरों का अर्जन और भारित औसत संख्या:

(₹ लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|
| कंपनी के इक्विटी धारकों को देय लाभ: | | |
| **निरंतर प्रचालन से** | 6,097.90 | 5,393.74 |
| प्रति शेयर मूलभूत अर्जन के परिकलन में इस्तेमाल किए गए अर्जन | **6,097.90** | **5,393.74** |
| प्रति शेयर मूलभूत अर्जन के उद्देश्य के लिए शेयरों की भारित औसत संख्या | 149.65 | 145.95 |

**29.2 प्रति शेयर तरलीकृत अर्जन**

प्रति शेयर तरलीकृत के परिकलन में इस्तेमाल किए गए इक्विटी शेयरों के अर्जन और भारित औसत संख्या:

(₹ लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|
| कंपनी के इक्विटी धारकों को देय लाभ: | | |
| निरंतर प्रचालन से | 6,097.90 | 5,393.74 |
| निरंतर प्रचालनों से प्रति शेयर तरलीकृत अर्जन के परिकलन में इस्तेमाल किए गए अर्जन | **6,097.90** | **5,393.74** |

मूल अर्जन की गणना में इस्तेमाल किए ईक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या को तरलीकृत प्रति शेयर अर्जन के उद्देश्य के लिए ईक्विटी शेयरों की भारित संख्या के सामंजस्य को नीचे दिया जा रहा है:

(₹ लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|
| तरलीकरण के प्रभाव के उद्देश्य के लिए शेयरों की भारित औसत संख्या | 149.65 | 145.95 |
| तरलीकरण का प्रभावः | – | – |
| आबंटन के लिए लंबित शेयर | – | – |
| प्रति शेयर तरलीकृत अर्जन के उद्देश्य के लिए इक्विटी शेयरों की भारित संख्या | **149.65** | **145.95** |

**30 पूंजी प्रबंधन**

कंपनी का उद्देश्य कार्यशील संस्था के रूप में जारी रहने की अपनी क्षमता सुनिश्चित करने और उसकी रक्षा करने के लिए एक तरीके से अपनी पूंजी का प्रबंधन करना है ताकि कंपनी शेयरधारकों को अधिकतम लाभ और अन्य शेयरधारियों को लाभ उपलब्ध कराना जारी रख सके।

इसके अलावा, कंपनी वित्तीय प्रसंविदाओं की आर्थिक शर्तों और अपेक्षाओं में परिवर्तनों के आलोक में समायोजन करने के लिए अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है।

दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान पूंजी का प्रबंधन करने के लिए उद्देश्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

**31 उचित मूल्य मापन**

**(i) श्रेणियों के अनुसार वित्तीय विलेखों का कैरिंग मूल्य निम्नलिखित हैः** (₹ लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार | | | 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | एफवीटीपीएल | एफवीटीओसीआई | परिशोधित लागत | एफवीटीपीएल | एफवीटीओसीआई | परिशोधित लागत |
| **वित्तीय परिसंपत्तियां** | | | | | | |
| (i) नकद और नकद समतुल्य | – | – | 9,921.19 | – | – | 6,532.76 |
| (ii) अन्य बैंक शेष | – | – | 7,938.38 | – | – | 17,698.07 |
| (iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | – | – | 5,799.90 | – | – | 5,336.19 |
| (iv) एससियों और सीए को ऋण | – | – | 189,223.88 | – | – | 175,279.53 |
| (v) कर्मचारियों को ऋण | – | – | 466.27 | – | – | 449.37 |
| **कुल वित्तीय परिसंपत्तियां** | – | – | **213,349.63** | – | – | **205,295.92** |
| **वित्तीय देयताएं** | | | | | | |
| (i) प्रतिभूति जमा और भुगतान योग्य ईएमडी | – | – | 19.93 | – | – | 20.43 |
| (ii) अन्य वित्तीय देयताएं | – | – | 3,764.84 | – | – | 3,605.35 |
| **कुल वित्तीय देयताएं** | – | – | **3,784.77** | – | – | **3,625.78** |

(ii) वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य, जो उचित मूल्य पर मापा जाता है: (₹ लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार | | 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार | |
|---|---|---|---|---|
| | कैरिंग मूल्य | उचित मूल्य | कैरिंग मूल्य | उचित मूल्य |
| **वित्तीय परिसंपत्तियां** | | | | |
| (i) एससीए और सीए को ऋण | 189,223.88 | 189,223.88 | 175,279.53 | 175,279.53 |
| (ii) स्टाफ ऋण और अग्रिम | 466.27 | 448.75 | 449.37 | 461.04 |
| **कुल वित्तीय परिसंपत्तियां** | **189,690.15** | **189,672.63** | **175,728.90** | **175,740.57** |
| **कुल वित्तीय देयताएं** | | | | |
| (ii) प्रतिभूति जमा और भुगतान योग्य ईएमडी | 19.93 | 19.93 | 20.43 | 20.43 |
| **कुल वित्तीय देयताएं** | **19.93** | **19.93** | **20.43** | **20.43** |

(i) नकद और नकद समकक्ष की कैरिंग राशियां, अन्य बैंक शेष, ईएमडी, अन्य वित्तीय देयताएं और एससीए को ऋण, अल्पावधि स्वरूप के होने के कारण उतने ही माने जाते हैं, जितना उनका उचित मूल्य है।

(ii) ''कर्मचारियों को ऋण'' का उचित मूल्य को वर्तमान बाजार दर का इस्तेमाल करके बट्टाकृत नकद प्रवाहों के आधार पर परिकलित किया गया है। काउंटर पार्टी क्रेडिट जोखिम सहित अतथ्यात्मक योग्य इनपुटों के समावेशन के कारण उन्हें उचित मूल्य अनुक्रम में स्तर 3 उचित मूल्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

**उचित मूल्य अनुक्रम**

स्तर 1 – समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित)।

स्तर 2 – स्तर 1 के अंदर शामिल किए गए उद्धृत मूल्यों के अलावा, इनपुट जो या तो प्रत्यक्ष रूप से (अर्थात् मूल्यों के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (अर्थात् मूल्यों से लिए गए), परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए तुलनीय हैं।

स्तर 3 – परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए इनपुट, जो बाजार के तुलनीय आंकड़ों (अत्थ्यात्मक इनपुटों) पर आधारित नहीं हैं।

निम्नलिखित सारणी परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों और दायित्वों के उचित मूल्य मापन अनुक्रम को दर्शाती है:

**दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार उचित मूल्य अनुक्रम:** (₹ लाख में)

| विवरण | मूल्यांकन की तारीख | स्तर 1 | स्तर 2 | स्तर 3 | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| **वित्तीय परिसंपत्तियां** | | | | | |
| परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां | | | | | |
| (i) कर्मचारियों को ऋण | 31 मार्च, 2020 | – | – | 448.75 | 448.75 |
| **कुल वित्तीय परिसंपत्तियां** | | – | – | **448.75** | **448.75** |

**दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार उचित मूल्य अनुक्रम** (₹ लाख में)

| विवरण | मूल्यांकन की तारीख | स्तर 1 | स्तर 2 | स्तर 3 | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| **वित्तीय परिसंपत्तियां** | | | | | |
| परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां | | | | | |
| (i) कर्मचारियों को ऋण | 31 मार्च, 2019 | – | – | 449.37 | 449.37 |
| **कुल वित्तीय परिसंपत्तियां** | | – | – | **449.37** | **449.37** |

### (iii) वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी के मुख्य वित्तीय दायित्वों में अनुदान और अन्य भुगतान योग्य राशियां शामिल हैं। इन वित्तीय दायित्वों के मुख्य उद्देश्य, कंपनी के प्रचालनों का वित्त पोषण करने और इसके प्रचालन को समर्थन देने के लिए गारंटियां उपलब्ध कराना है। कंपनी की मुख्य वित्तीय परिसंपत्तियों में एससीए/सीए को मियादी/माइक्रो वित्त ऋण शामिल हैं, जो अपनी इक्विटी से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं।

कंपनी को बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और लिक्विडिटी जोखिम है। कंपनी के वित्तीय जोखिम क्रियाकलाप समुचित नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा विनियमित होते हैं तथा इन वित्तीय जोखिमों का पता लगाया जाता है, इन्हें मापा जाता है और कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार इनका प्रबंधन किया जाता है। निदेशक मंडल इन जोखिमों में से प्रत्येक का प्रबंधन करने के लिए नीतियों की समीक्षा करता है और सहमति व्यक्त करता है, जो नीचे सारांशीकृत किए गए हैं:–

#### क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम एक ऐसा जोखिम है कि किन्हीं वित्तीय विलेखों के भावी नकद प्रवाहों के उचित मूल्य में, बाजार मूल्यों में परिवर्तनों के कारण उतार–चढ़ाव होगा। बाजार जोखिम में ब्याज दर का जोखिम शामिल होता है। बाजार जोखिम द्वारा प्रभावी वित्तीय विलेखों में ऋण और अग्रिम, जमा राशियां और अन्य गैर–व्युत्पन्न वित्तीय विलेख शामिल हैं।

#### ख) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम ऐसा जोखिम है कि बाजार ब्याज दर में परिवर्तनों के कारण किन्हीं वित्तीय विलेखों के भावी नकद प्रवाहों के उचित मूल्य में उतार–चढ़ाव होगा। कंपनी को ब्याज दर जोखिम का खतरा नहीं है।

#### ग) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम कंपनी को वित्तीय हानि का जोखिम है, यदि किसी वित्तीय विलेख की कोई काउंटर पार्टी अपने संविदात्मक दायित्व पूरा करने में विफल रहती है और यह मुख्यतः एससीए और सीए से प्राप्ति योग्य कंपनी के ऋणों से उत्पन्न होता है। कंपनी को, एससीए और सीए को दिए गए ऋणों के अपने वित्तीय क्रियाकलापों से क्रेडिट जोखिम का खतरा है।

कंपनी अपनी आंतरिक नीतियों के आधार पर क्रेडिट जोखिम का मूल्यांकन और प्रबंधन करती है। कंपनी परिसंपत्तियों की आरंभिक मान्यता पर चूक की संभावना पर विचार करती है और इस बात पर भी विचार करती है कि क्या प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में चलायमान आधार पर क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। यह मूल्यांकन करने के लिए कि क्या क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, कंपनी आरंभिक मान्यता की तारीख की स्थिति के अनुसार चूक के जोखिम के साथ रिपोर्टिंग तारीख की स्थिति के अनुसार परिसंपत्तियों पर हुई चूक के जोखिम की तुलना करती है। यह उपलब्ध तर्कसंगत और समर्थकारी अग्रगामी सूचना पर विचार करती है। विशेष रूप से निम्नलिखित संकेतक शामिल किए गए हैं:

– दायित्व को समर्थन देने वाले संपार्श्विक या तृतीय पक्षकार गारंटियों की गुणवत्ता के मूल्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन।

– समूह में ऋण प्राप्तकर्ताओं (एससियों और सीए) की भुगतान स्थिति में परिवर्तन और ऋण प्राप्तकर्ताओं (एससीए) के प्रचालन परिणामों में परिवर्तनों सहित ऋण प्राप्तकर्ता (एससीए और सीए) के प्रत्याशित कार्य–निष्पादन और व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन।

सामान्य तौर पर, यह अनुमान लगाया जाता है कि आरंभिक मान्यता से क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, यदि भुगतान 3 वर्ष से अधिक समय तक देय है।

किसी वित्तीय परिसंपत्ति में चूक तब होती है जब काउंटर पार्टी उस समय भुगतान करने में विफल रहती है जब वे देय हो जाते हैं।

#### वित्तीय विलेख और नकद जमा राशियां

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के पास शेषों से क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन कंपनी की नीति के अनुसार किया जाता है। अधिशेष का निवेश काउंटर पार्टी से प्राप्त वित्तीय कोट्स के आधार पर काउंटर पार्टी के अनुमोदन से ही किया जाता है।

#### घ) नकद हानि (लिक्विडिटी) जोखिम

लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन की अंतिम जिम्मेदारी कंपनी के निदेशक मंडल की है। कंपनी पूर्वानुमानों और वास्तविक नकद प्रवाहों की निरंतर मॉनीटरिंग करके और वित्तीय देयताओं की परिपक्वताओं का मिलान करके पर्याप्त बैंकिंग सुविधाओं को बनाए रखने का प्रबंधन करती है।

## 32 प्रावधान

### 32.1 दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए ऋणों और अग्रिमों की प्रत्याशित ऋण हानियों के लिए प्रावधानः

(₹ लाख में)

| विवरण | | परिसंपत्ति समूह | चूक की अनुमानित सकल कैरिंग धनराशि | चूक की प्रत्याशित संभावना | प्रत्याशित ऋण हानियां | कैरिंग राशि (निवल हानिकरण प्रावधान) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जीवनकाल की प्रत्याशित ऋण हानियों पर मापी गई अनुमत्य हानि | वित्तीय परिसंपत्ति, जिसके लिए ऋण जोखिम में आरंभिक मान्यता से पर्याप्त रूप से वृद्धि नहीं हुई है।* | ऋण | 189,223.88 | 0% | – | 189,223.88 |
| | | ऋणों पर ब्याज | 5,024.89 | 0% | – | 5,024.89 |
| | वित्तीय परिसंपत्ति, जिसके लिए ऋण जोखिम में वृद्धि हुई है और ऋण रूप से हानिकरण नहीं हुआ। | ऋण | 777.27 | 100% | **777.27** | – |
| | | ऋणों पर ब्याज | 690.37 | 100% | **690.37** | – |
| | | अग्रिम | 1,539.99 | 100% | **1,539.99** | – |
| | | | **197,256.41** | | **3,007.64** | **194,248.77** |

### 32.2 दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए ऋणों और अग्रिमों की प्रत्याशित ऋण हानियों के लिए प्रावधानः

(₹ लाख में)

| विवरण | | परिसंपत्ति समूह | चूक की अनुमानित सकल कैरिंग धनराशि | चूक की प्रत्याशित संभावना | प्रत्याशित ऋण हानियां | कैरिंग राशि (निवल हानिकरण प्रावधान) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जीवनकाल की प्रत्याशित ऋण हानियों पर मापी गई अनुमत्य हानि | वित्तीय परिसंपत्ति, जिसके लिए ऋण जोखिम में आरंभिक मान्यता से पर्याप्त रूप से वृद्धि नहीं हुई है।* | ऋण | 175,279.53 | 0% | – | 175,279.53 |
| | | ऋणों पर ब्याज | 4,985.17 | 0% | – | 4,985.17 |
| | वित्तीय परिसंपत्ति, जिसके लिए ऋण जोखिम में वृद्धि हुई है और ऋण रूप से हानिकरण नहीं हुआ। | ऋण | 777.27 | 100% | **777.27** | – |
| | | ऋणों पर ब्याज | 637.23 | 100% | **637.23** | – |
| | | अग्रिम | 1,539.99 | 100% | **1,539.99** | – |
| | | | **183,219.20** | | **2,954.49** | **180,264.70** |

*ऋणों तथा ऋणों पर ब्याज आय में किसी प्रावधान को मान्य नहीं किया जाता है क्योंकि उनकी वसूलनीयता के बारे में कोई संदेह नहीं होता है, तथापि, कुछ मामलों में इसमें काफी समय लगता है। गारंटी विलेख में मूलधन शामिल होता है तथा उस पर सभी प्रकार के ब्याज को गारंटीकर्ता (राज्य सरकार) द्वारा कवर किया जाता है। उपर्युक्त राशि बकाया होती है क्योंकि गारंटी का प्रतिसंहरण करने के लिए पर्याप्त अवधि पात्र है।

**32.3** एसीए के लिए, जहां राज्य सरकार की गारंटी/आदेश/आश्वासन उपलब्ध है, संदिग्ध ऋणों के लिए अनुमति लेखा–बहियों में 100% प्रतिशत की दर से दी गई है, यदि तुलन–पत्र की तारीख को अतिदेय 3 वर्ष से अधिक है और राज्य सरकार की गारंटी/आदेश/आश्वासनों में कमी है।

सीए के अलावा (जहां गारंटी उपलब्ध नहीं है)

(क) भुगतान के लिए देय परंतु 3 वर्ष या इससे अधिक की अवधि के लिए बकाया राशि पर 100% का प्रावधान है।

(ख) भुगतान के लिए देय परंतु 2 वर्ष या इससे अधिक परंतु 3 वर्ष से कम की अवधि के लिए बकाया राशि पर 40% का प्रावधान है।

(ग) भुगतान के लिए देय परंतु 1 वर्ष या इससे अधिक परंतु 2 वर्ष से कम की अवधि के लिए बकाया राशि पर 25% का प्रावधान है।

(घ) भुगतान के लिए देय परंतु 1 वर्ष से कम अवधि के लिए बकाया राशि पर कोई प्रावधान नहीं है।

### 32.4 अशोध्य और संदिग्ध जमा राशियों के लिए प्रावधान

वर्ष 2000–01 के दौरान ''पनवायर'' के पास जमा की गई राशि के संबंध में लेखा–पुस्तिकाओं में अशोध्य और संदिग्ध जमा राशियों के लिए ₹ 1,539.99 लाख (2018–19, ₹ 1,539.99 लाख) जिसकी मूल राशि ₹1,485.00 लाख है (2018–19 ₹ 1485.00 लाख) और प्राप्ति योग्य तथा देय ब्याज ₹ 54.99 लाख (2018–19, ₹ 54.99 लाख), का प्रावधान है क्योंकि मूलधन ही वसूली के लिए संदिग्ध है, इसलिए ब्याज का प्रावधान नहीं किया गया है।

पराक्रम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत ''पनवायर'' के विरुद्ध एनएसएफडीसी द्वारा न्यायालय के दो मामले संबंधित न्यायालय में लंबित हैं। कंपनी (पनवायर) का माननीय उच्च न्यायालय, पंजाब एवं हरियाणा द्वारा पारित दिनांक 01.02.2001 के आदेश द्वारा परिसमापन हो गया था। इसके पश्चात् इस मामले में न्यायालय द्वारा सरकारी परिसमापक नियुक्त किया गया था। सरकारी परिसमापक से प्राप्त की गई सूचना के अनुसार पनवायर की परिसंपत्तियां, उसके प्रतिभूत लेनदारों के प्रति कंपनी की देयताएं पूरी करने के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं। एनएसएफडीसी के एक अप्रतिभूत लेनदार होने के कारण, इसकी राशि की वसूली की कोई गुंजाइश नहीं है और उक्त कंपनी में एनएसएफडीसी द्वारा निवेश की गई राशि वसूली के लिए संदिग्ध है।

### 33 अनुमान की अनिश्चितता के मुख्य स्रोत

भविष्य से संबंधित मुख्य अनुमान निम्नलिखित हैं और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमान की अनिश्चितता के मुख्य स्रोत, जो महत्वपूर्ण जोखिम हो सकता है, जिसके कारण अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों और देयताओं की कैरिंग राशि में महत्वपूर्ण समायोजन किया जा सकता है:

#### क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवनकाल

जैसाकि टिप्पणी संख्या 2.7 में उल्लेख किया गया है, कंपनी के पास संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल है।

उपर्युक्त मूल्यांकन का वित्तीय प्रभाव, आगामी वित्तीय वर्षों में मूल्यह्रास के खर्चों को प्रभावित कर सकता है।

#### ख) अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल

जैसाकि टिप्पणी संख्या 2.8 में उल्लेख किया गया है, कंपनी के पास अमूर्त परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल है।

उपर्युक्त मूल्यांकन का वित्तीय प्रभाव, आगामी वित्तीय वर्षों में परिशोधन खर्चों को प्रभावित कर सकता है।

#### ग) उचित मूल्यांकन मापन और मूल्यांकन प्रक्रिया

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों द्वारा मापे जाते हैं। इन पद्धतियों के इनपुट, जहां संभव हो, अवलोकन योग्य बाजारों से लिए जाते हैं परंतु जहां ऐसा करना व्यवहार्य नहीं है, उचित मूल्य निकालने के लिए निर्णय लेने की क्षमता की आवश्यकता होती है। निर्णयों में नकद हानि जोखिम, ऋण जोखिम और अस्थिरता जैसे इनपुटों पर विचार करना शामिल है। इन कारकों के बारे में अनुमानों में होने वाले परिवर्तन वित्तीय विलेखों के रिपोर्ट किए गए उचित मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं। अगले प्रकटीकरणों के लिए **टिप्पणी संख्या 31** देखें।

#### घ) सुनिश्चित लाभ दायित्व

कर्मचारी लाभ दायित्व, बीमांकिक मूल्यांकनों का इस्तेमाल करके निर्धारित किए जाते हैं। बीमांकिक मूल्यांकन में ऐसे विभिन्न अनुमान लगाना शामिल है, जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकते हैं। इनमें बट्टा दर का निर्धारण, वेतन में भावी वृद्धियां और मृत्यु दरें शामिल हैं। मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं और इसके दीर्घावधि स्वरूप के कारण सुनिश्चित लाभ दायित्व इन अनुमानों में परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। रिपोर्टिंग की प्रत्येक तारीख को सभी अनुमानों की समीक्षा की जाती है।

## 34 पूर्व–अवधि त्रुटियां

(₹ लाख में)

| विवरण | राशि |
|---|---|
| **दिनांक 01.04.2018 को सामान्य आरक्षित राशि** | 43,440.93 |
| पूर्वावधि समायोजन | (14.66) |
| **दिनांक 01.04.2018 को पुनः प्रस्तुत प्रारंभिक सामान्य आरक्षित** | **43,455.59** |
| 2018–19 को समाप्त वर्ष के लिए निरंतर प्रचालन की अवधि के लिए पुनः प्रस्तुत व्यय से अधिक आय की शेष राशि | 5,393.74 |
| 2018–19 के दौरान विशेष आरक्षित राशि में हस्तांतरण | (512.28) |
| 2018–19 के दौरान अन्य व्यापक आय | 0.38 |
| **31.03.2019 को पुनः प्रस्तुत प्रारंभिक सामान्य आरक्षित** | 48,337.43 |

**इक्विटी, आय एवं व्यय का विवरण और ईपीएस पर पूर्व अवधि की त्रुटियों का प्रभाव** (₹ लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|
| **इक्विटी पर प्रभाव [इक्विटी में वृद्धि / (कमी)]** | | |
| अन्य देय | – | (0.01) |
| वसूली योग्य राशि | – | 0.43 |
| बकाया व्यय | – | (0.15) |
| विविध लेनदार | – | 11.30 |
| एससीए को प्रोत्सहन हेतु प्रावधान | – | 9.86 |
| वापसी पर प्राप्ति योग्य ब्याज | – | (16.54) |
| **इक्विटी पर निवल प्रभाव** | – | **4.89** |

(₹ लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|
| **आय और व्यय का विवरण पर प्रभाव [लाभ में वृद्धि / (कमी)]** | | |
| अन्य खर्च | – | 11.57 |
| मियादी ऋण (टीएल) पर ब्याज | – | (16.54) |
| एससीए को वसूली हेतु प्रोत्साहन | – | 9.86 |
| **कुल प्रभाव** | – | **4.89** |
| इक्विटी धारकों के प्रति | – | 4.89 |

मूल और तरलीकृत प्रति शेयर अर्जनों (ईपीएस) [ईपीएस में वृद्धि/(कमी) पर प्रभाव] (₹ लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|
| **निरंतर प्रचालन के लिए प्रति शेयर अर्जन** | | |
| इक्विटी धारकों को देय, निरंतर प्रचालनों से मूलभूत लाभ | – | 0.03 |
| इक्विटी धारकों को देय, निरंतर प्रचालनों से तरलीकृत लाभ | – | 0.03 |

## 35 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

### 35.1 कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

| नाम | पद |
|---|---|
| श्री के. नारायण | अप्रनि (अतिरिक्त प्रभार) |
| श्री श्याम कपूर | पूर्व अप्रनि |
| श्रीमती अन्नु भोगल | कंपनी सचिव |
| श्री राजेश बिहारी | महाप्रबंधक (वित्त) |
| सुश्री विशाखा शैलानी | स्वतंत्र निदेशक |
| डॉ. के. रामालिंगम | स्वतंत्र निदेशक |

### 35.2 मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ लेन–देन:

वर्ष के दौरान मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ किए गए लेनदेनों का स्वरूप या मात्रा: (₹ लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| अल्पावधि लाभ | 83.15 | 85.94 |
| स्वतंत्र निदेशकों का बैठक शुल्क | 0.35 | 0.32 |
| नियोजनोत्तर कर्मचारी लाभ | 144.31 | 43.26 |
| अन्य दीर्घावधि लाभ | – | – |
| सेवा समाप्ति लाभ | – | – |
| शेयर आधारित भुगतान | – | – |
| | **227.81** | **129.52** |

अल्पावधि लाभ में मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को दिया गया पारिश्रमिक शामिल है। (₹ लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| **संबंधित पार्टी को ऋण** | | |
| **(i) श्री राजेश बिहारी (महाप्रबंधक – वित्त)** | | |
| वर्ष के आरंभ में संबंधित पार्टियों के स्वामित्व वाली धनराशि | 4.51 | 5.42 |
| वर्ष के दौरान दिया गया ऋण | 0.00 | 0.00 |
| ब्याज | 0.03 | 0.09 |
| वर्ष के दौरान अदायगी | (1.78) | (1.00) |
| अंतिम शेष | **2.77** | **4.51** |
| **(ii) श्रीमती अनु भोगल (कंपनी सचिव)** | | |
| वर्ष के आरंभ में संबंधित पार्टियों के स्वामित्व वाली धनराशि | 12.63 | 14.94 |
| वर्ष के दौरान दिया गया ऋण | – | – |
| ब्याज | 0.65 | 0.90 |
| वर्ष के दौरान अदायगी | (2.63) | (3.21) |
| अंतिम शेष | **10.66** | **12.63** |
| **वर्ष के अंत में संबंधित पार्टियों के स्वामित्व वाली राशि** | **13.42** | **17.14** |

### 35.3 सरकारी संस्थाओं के साथ लेनदेन

उपरोक्त दिए गए लेन–देन के अलावा, कंपनी का अन्य सरकारी संस्थानों के साथ भी लेन–देन है, जिसमें निम्न शामिल हैं लेकिन ये यहां तक ही सीमित नहीं है।

**सरकार का नामः** भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से (100% पूंजीगत अंशदान)

**कुछ महत्वपूर्ण लेन–देनः** (₹ लाख में)

| पक्षकार | लेन–देन की प्रकृति | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|---|
| सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय | पूंजीगत अंशदान | 1,460.00 | 13,739.00 |
| सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय | कौशल प्रशिक्षण हेतु अनुदान | 2,020.00 | 1,750.00 |
| सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय | अन्य योजनाएं | 0.08 | 20.21 |
| नेशनल सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम | जागरूकता कार्यक्रम | 32.71 | – |
| | | **3,512.79** | **15,509.21** |

**36.** सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा –22 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण

(₹ लाख में)

| पक्षकार | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| (i) लेखांकन वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान न की गई बाकी मूल राशि | 0.51 | 3.09 |
| (ii) लेखांकन वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान न की गई राशि पर देय ब्याज | – | – |
| (iii) निश्चित तारीख के पश्चात् किए गए भुगतान की राशियों के साथ भुगतान किए गए ब्याज की राशि | – | – |
| (iv) वर्ष के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की राशि | – | – |
| (v) लेखांकन वर्ष के अंत में उपार्जित ब्याज की राशि और शेष अप्रदत्त | – | – |
| (vi) आगामी देय ब्याज की राशि और आगामी वर्ष में भी भुगतान योग्य, जब तक कि उस तारीख तक उक्त देय ब्याज का वास्तव में भुगतान नहीं कर दिया जाता। | – | – |

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय राशियां, उस सीमा तक निर्धारित की गई हैं, जिस सीमा तक, प्रबंधन द्वारा प्राप्त की गई सूचना के आधार पर इन पार्टियों की पहचान कर ली गई है। इस पर, लेखापरीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया है।

**37** राष्ट्रीय स्तर के निगम और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ किए गए लेनदेन की बाबत, वसूली योग्य/प्राप्ति योग्य राशियों का प्रतितुलन करने के पश्चात, सामूहिक रूप से/उनकी ओर से आयोजित किए गए कार्यक्रमों के प्रति वसूली योग्य कुल धनराशि रु.19.53 लाख (31.03.2019 को रु.8.53 लाख) है।

**38 निगमित सामाजिक दायित्व**

(₹ लाख में)

| | वित्तीय वर्ष | |
|---|---|---|
| | 2019–20 | 2018–19 |
| वरिष्ठ नागरिकों के लिए योग शिविर | 0.28 | – |
| स्वच्छ भारत कोष/स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन में योगदान | – | 30.00 |
| जैव–मेथनशन योजना–सह–कार्बनिक अपशिष्ट प्रोसेसर की स्थापना | – | – |
| स्वच्छता (स्वच्छता पखवाड़ा) | 0.18 | 1.30 |
| सैनिटरी नैपकीन वेंडिंग मशीन की स्थापना/कौशल उन्नयन | 0.37 | 1.33 |
| चिकित्सा शिविर | 4.25 | 9.14 |
| स्वास्थ्य देखभाल, पोषण और स्कूली शिक्षा विषय पर डीपीई की सीएसआर गतिविधि | 70.15 | – |
| कौशल विकास उद्यमिता, कॉलेज शिक्षा और सशस्त्र बलों के कल्याणार्थ सहायता के तहत गैर–विषयी सीएसआर गतिविधियाँ। | 22.34 | – |
| **कुल** | **97.57** | **41.77** |

38.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–135 और इसकी अनुसूची– VII के साथ पठित अनुसार, सीएसआर व्यय के प्रकटीकरण के संबंध में

(क) व्यय की जाने वाली राशि का ब्योरा

(₹ लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| (i) ईओआईओई | | |
| 2015–16 | – | 4,405.48 |
| 2016–17 | 4,900.92 | 4,900.92 |
| 2017–18 | 4,747.53 | 4,747.53 |
| 2018–19 | 5,126.67 | – |
| (ii) कुल (ईओआईओई) | **14,775.12** | **14,053.93** |
| (iii) घटाएं: परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए समायोजन | – | 0.32 |
| (iv) निवल लाभ | 14,775.12 | 14,053.61 |
| (v) औसत (iv/3) | 4,925.04 | 4,684.54 |
| (vi) (v) का 2% | **98.50** | **93.69** |
| (vii) वर्ष के आरंभ में अव्ययित राशि | **105.29** | **53.37** |
| (viii) वर्ष के दौरान व्ययित राशि | **97.57** | **41.77** |
| (ix) वर्ष के अंत में अव्ययित राशि (vi+vii-viii) | **106.22** | **105.29** |

(ख) वर्ष के दौरान, सीएसआर के तहत रु.99.51 लाख बुक किया गया।

(ग) दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष को अव्यथित शेष सीएसआर व्यय के लिए रु.1.94 का प्रावधान किया गया (पिछले वर्ष शून्य)।

39 मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एमपीएससीएफडीसी) ने मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000, जो तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य (एमपी) के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में द्विभाजन के कारण निगम/राज्य सरकार के बीच परिसंपत्तियों और दायित्वों के अंतरण को विनियमित करता है, के अनुसार एनएसएफडीसी के अपने ऋण पोर्टफोलियो द्विभाजित कर दिए। तत्कालीन एमपीएससीएफडीसी के द्विभाजन के कारण एमपीएसडीएफडीसी और छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त विकास निगम (सीएसएएसएफडीसी) के बीच ऋण देयता के संविभाजन का मामला, अपर रजिस्ट्रार सहकारी समिति द्वारा मध्य प्रदेश सहकारी अधिकरण, भोपाल को संदर्भित किया गया था क्योंकि एमपीएससीएफडीसी द्वारा किया गया द्विभाजन, सीएसएएसएफडीसी को स्वीकार्य नहीं था। एमपीएससीएफडीसी के पक्ष में दिया गया न्यायाधिकरण का निर्णय, सीएसएएसएफडीसी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और उसने इस निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, जबलपुर के समक्ष अपील दायर की। यह समादेश याचिका, माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश द्वारा स्वीकार कर ली गई थी। यह मामला अभी निर्णयाधीन है।

न्यायालय द्वारा दिया जाने वाला निर्णय लंबित रहते हुए, देय ब्याज के साथ–साथ ₹ 210.09 लाख की ऋण देयताएं, सीएसएएसएफडीसी द्वारा स्वीकार कर ली गई है और अदा कर दी गई है। सीएसएएसएफडीसी द्वारा स्वीकार न की गई, मूलधन के ₹ 835.93 लाख (पिछले वर्ष ₹ 835.93 लाख) और 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार ब्याज के ₹ 1036.39 लाख (पिछले वर्ष ₹ 961.30 लाख) की देयता के लिए, इसे एमपीएससीएफडीसी के विरुद्ध दिखाया जा रहा है और इसकी अदायगी के लिए उन्हें मांग जारी की जा रही है।''

**40** दिनांक 31.03.2020 को ऋणों का कुल अतिदेय, ₹ 4,056.70 लाख (31.03.2019 की स्थिति के अनुसार ₹ 4,733.78 लाख) के ब्याज सहित ₹ 35,651.24 लाख (31.03.2019 की स्थिति के अनुसार ₹ 35,743.97 लाख) है।

**40.1 तीन वर्ष से अधिक के अतिदेय वाली 'राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां/चैनलाइजिंग एजेंसियां' निम्नलिखित हैं:**

| क्रम सं. | एजेंसी | राज्य | कुल अतिदेय (₹ लाख में) (31.03.2020 की स्थिति के अनुसार) |
|---|---|---|---|
| 1 | एएसडीसी | असम | 622.88 |
| 2 | बीएससीडीसी | बिहार | 1,467.64 |
| 3 | एमपीएससीएफडीसी | मध्य प्रदेश | 1,872.32 |
| 4 | एलएएसडीसी | महाराष्ट्र | 8,801.50 |
| 5 | ओएसएफडीसी | ओडिशा | 6.37 |
| 6 | पीएसएलडीएफसी | पंजाब | 1,200.00 |
| 7 | पीयूडीसीओ | पुद्दुचेरी | 1,717.31 |
| 8 | यूपीएससीएफडीसी | उत्तर प्रदेश | 1,531.53 |
| 9 | एमएसटीसीबी | मणिपुर | 136.39 |
| 10 | जीएमबीसीडीसी | गुजरात | 1,450.53 |
| | **कुल (क)** | | **18,806.47** |

**40.2 तीन वर्ष से कम के अतिदेय वाली 'राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां/चैनलाइजिंग एजेंसियां' निम्नलिखित हैं:**

| क्रम सं. | एजेंसी | राज्य | कुल अतिदेय (₹ लाख में) (31.03.2020 की स्थिति के अनुसार) |
|---|---|---|---|
| 1 | जीएससीडीसी | गुजरात | 3,210.19 |
| 2 | टीएससीडीसी | त्रिपुरा | 2,904.79 |
| 3 | एपीएससीडीसी | आंध्र प्रदेश | 2,000.06 |
| 4 | सीटीएससीएफडीसी | छत्तीसगढ़ | 1,775.83 |
| 5 | एमपीबीसीडीसी | महाराष्ट्र | 1,695.14 |
| 6 | आरएससीडीसी | राजस्थान | 1,327.62 |
| 7 | डब्ल्यूबीएससीडीसी | पश्चिम बंगाल | 1,287.85 |
| 8 | केवीजीबी | कर्नाटक | 472.19 |
| 9 | जेएससीडीसी | झारखंड | 415.84 |
| 10 | शेष राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां/ चैनलाइजिंग एजेंसियां | | 1755.26 |
| | **कुल (ख)** | _ | **16,844.77** |
| | **सकल कुल (क+ख)** | _ | **35,651.24** |

**40.2.1** उपर्युक्त राशि बकाया है क्योंकि गारंटी का प्रतिसंहरण करने के लिए समयावधि पर्याप्त है। सामाजिक क्षेत्र में क्रियाशील संस्थान एवं व्यवसाय परिवेश के रूप में जारी रखने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम और बिहार के एससीए के मामले में कानूनी नोटिस जारी किए गए हैं।

**40.3** 31.03.2020 को ₹ 75,848.69 (31.03.2019 को ₹ 63,964.64) के उपयोगिता प्रमाण–पत्र लंबित हैं। एससीए/सीए–वार अप्रयुक्त निधियों के ब्योरे निम्नलिखित हैं:

| क्रम सं. | राज्य | एजेंसी | अप्रयुक्त निधियां (₹ लाख में) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2019–20 | 2018–19 |
| 1 | आंध्र प्रदेश | एपीएससीएफसी | 19,269.92 | 8,610.33 |
| 2 | पश्चिम बंगाल | डब्ल्यूबीएससीसीटीडीएफसी | 10,835.75 | 5,938.00 |
| 3 | राजस्थान | आरएससीडीसी | 8,029.07 | 2,045.29 |
| 4 | कर्नाटक | डीबीआरएडीसी | 7,442.69 | 7,442.69 |
| 5 | गुजरात | जीएससीडीसी | 3,964.50 | 3,122.31 |
| 6 | महाराष्ट्र | एमपीबीसीडीसी | 3,469.07 | 4,156.70 |
| 7 | त्रिपुरा | टीएससीडीसी | 2,129.78 | 3,438.98 |
| 8 | महाराष्ट्र | एलएएसडीसी | 1,862.34 | 1,862.34 |
| 9 | छत्तीसगढ़ | सीजीएससीएफडीसी | 1,600.26 | 897.16 |
| 10 | केरल | केएसडीसी | 1,511.86 | 1,119.40 |
| 11 | महाराष्ट्र | लिडकॉम | 1,453.61 | 1,453.61 |
| 12 | केरल | केएसडब्ल्यूडीसी | 961.18 | 655.48 |
| 13 | दिल्ली | डीएसएफडीसी | 848.54 | 964.69 |
| 14 | झारखंड | जेएससीडीसी | 636.65 | 636.65 |
| 15 | हिमाचल प्रदेश | एचपीएससीएसटीडीसी | 495.75 | 412.71 |
| 16 | गुजरात | जीएससीएमबीसीडीसी | 305.71 | 305.71 |
| 17 | असम | एएसडीसी | 304.75 | 304.75 |
| 18 | उत्तराखंड | यूबीवीईवीएन | 268.75 | 237.55 |
| 19 | पंजाब | पीएससीएलडीएफसी | 251.43 | 251.43 |
| 20 | झारखंड | झारक्राफ्ट | 250.00 | 250.00 |
| 21 | हरियाणा | एचएससीडीसी | 181.80 | – |
| 22 | जम्मू व कश्मीर | जेकेएससीएसटीबीसीडीसी | 171.56 | 330.26 |
| 23 | सिक्किम | एसएससीएसटीबीसीडीसी | 167.35 | 131.35 |
| 24 | मध्य प्रदेश | एमपीएससीएफडीसी | 166.23 | 166.23 |
| 25 | उत्तर प्रदेश | यूपीएससीएफडीसी | 160.82 | 160.82 |
| 26 | चंडीगढ़ | सीएससीएफडीसी | 117.14 | 87.14 |
| 27 | ओडिशा | ओएसएफडीसी | 110.79 | 110.79 |
| 28 | मणिपुर | नेडफी–मणिपुर | 100.00 | 100.00 |
| 29 | शेष चैनल भागीदार | | 8,781.39 | 18,772.27 |
| | | **कुल** | **75,848.69** | **63,964.64** |

**41 आय कर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर से छूट**

'आयकर/आस्थगित कर के लिए कोई प्रावधान किए जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि निगम की आय, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(26)(ख) के अंतर्गत आयकर से छूट प्राप्त है।

इसके अलावा सीबीडीटी ने दिनांक 29.05.2017 को परिपत्र सं. 18/2017 जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि धारा–10 खंड (26बी) में संदर्भित अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के हितों को बढ़ावा देने की दृष्टि से स्थापित निगम, निकाय, संस्था या संगठन के मामले में, जिनकी आय में अप्रतिबंधित रूप से छूट प्राप्त है और जिन्हें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा–139 के अनुसार वैधानिक रूप से आयकर विवरणी दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, वहां स्रोत पर कर कटौती की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उनकी आय भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 बी) के तहत कर से छूट प्राप्त है।'

**42 पट्टा प्रकटन**

**(i) इंड एएस 1 ''वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति'' द्वारा यथा अपेक्षित प्रकटन**

**लेखांकन की महत्वपूर्ण नीतियों में परिवर्तनः**

इंड एएस 116 ''पट्टा'' की प्रयोज्यता के कारण लेखांकन की महत्वपूर्ण नीतियों में ''पट्टा'' की नीति को संशोधित किया गया है।

दिनांक 1 अप्रैल, 2019 को इंड एएस 116 को अधिसूचित किया गया था, जिसने इंड एएस 17 का स्थान लिया है। इंड एएस 116 पट्टों की मान्यता, मापन, प्रस्तुति और प्रकटन के लिए सिद्धांत का वर्णन करता है और यह अपेक्षा करता है कि पट्टाधारी तुलन–पत्र में अधिकांश पट्टों को मान्य करे।

इंड एएस 116 के अधीन का पट्टाकार लेखांकन इंड एएस 17 से पर्याप्त रूप से अपरिवर्तित है। पट्टाकार इंड एएस 17 जैसे समान सिद्धांतों का प्रयोग करके प्रचालन एवं या वित्त पट्टा के रूप में पट्टों को वर्गीकृत करना जारी रखेंगे। इसलिए, जहां कंपनी का पट्टाकार है वहां इंड एएस 116 का पट्टों के लिए कोई प्रभाव नहीं हुआ है।

कंपनी ने 1 अप्रैल, 2019 के आरंभिक प्रयोग की तारीख से अंगीकरण की संशोधित पूर्वव्यापी विधि का प्रयोग करके इंड एएस 116 को अपनाया। इस विधि के तहत, आरंभिक प्रयोग की तिथि को स्वीकृत मानक के शुरुआती प्रयोग के संचयी प्रभाव के साथ मानक का प्रयोग पूर्वव्यापी प्रभाव से किया जाता है। **कंपनी ने पट्टे के आकलन के लिए परिवर्तन प्रणाली को अपनाया है, ताकि दिनांक 1 अप्रैल, 2019 को पट्टा संविदा है या इसमें पट्टा निहित है का पुनः आकलन नहीं करना पड़े।** कंपनी ने केवल उन्हीं संविदाओं पर मानकों का प्रयोग किया जो पहले इंड एएस 17 का प्रयोग करके पट्टा के रूप में चिह्नित किए गए थे।

**दिनांक 01 अप्रैल, 2019 को अपनाए गए इंड एएस 116 का प्रभाव (वृद्धि/(कमी) निम्नानुसार हैः**

**(₹ लाख में)**

| **परिसंपत्तियां** | **राशि** |
|---|---|
| संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण | 11.50 |
| **कुल परिसंपत्तियां** | **11.50** |
| **देयताएं** | |
| वित्तीय देयताएं– पट्टा देयताएं | 11.50 |
| **कुल देयताएं** | **11.50** |

कंपनी के पास भवन के लिए पट्टा संविदाएं हैं। इंड एएस 116 को अपनाने से पूर्व, कंपनी ने प्रारंभ तिथि पर अपने प्रत्येक पट्टे को (पट्टाधारी के रूप में) वित्त पट्टा या प्रचालन पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया था। इंड एएस 116 को अपनाने पर, कंपनी ने अल्प अवधि के पट्टों को छोड़कर सभी पट्टों के लिए एकल मान्यता एवं मापन दृष्टिकोण का प्रयोग किया। मानक विशिष्ट परिवर्तनीय संक्रमण आवश्यकताएं एवं व्यावहारिक प्रणालियां प्रदान करता है, जिन्हें कंपनी द्वारा प्रयुक्त किया गया है।

**पूर्व में वित्त पट्टा के रूप में वर्गीकृत किए गए पट्टे**

कंपनी ने पूर्व में वित्त पट्टा के रूप में वर्गीकृत पट्टों के लिए प्रारंभिक प्रायोज्यता की तिथि पर मान्य परिसंपत्तियों की आरंभिक अग्रनीत राशियों में परिवर्तन नहीं किया। इंड एएस 116 की आवश्यकताओं को 1 अप्रैल, 2019 से इन पट्टों पर लागू किया गया।

**पूर्व प्रचालन पट्टा के रूप में लेखांकित पट्टे**

कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अल्प अवधि के पट्टों को छोड़कर पूर्व में प्रचालन पट्टा के रूप में वर्गीकृत पट्टों के लिए पट्टा देयता के तहत पट्टा परिसंपत्तियों को मान्य किया। पट्टाधारी पट्टा के शेष भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापी गई पट्टा देयता को मान्य करता है जिसे प्रारंभिक प्रायोज्यता की तारीख पर पट्टाधारी की वृद्धिमूलक उधारी दर का प्रयोग करके डिस्काउंट किया जाता है तथा परिणामस्वरूप पट्टा देयता के बराबर राशि पर पट्टा परिसंपत्तियों को मापा गया, पहले मान्य पूर्वप्रदत्त या उपार्जित पट्टा भुगतानों के लिए समायोजित किया गया।

कंपनी ने उपलब्ध व्यावहारिक प्रणालियों का भी प्रयोग किया जिसमें इसने:

(i) यथोचित रूप से समान विशेषताओं वाले पट्टों के वर्ग के लिए एकल पट्टा दर का प्रयोग किया।

(ii) ऐसी अवधि वाले पट्टों पर अल्प अवधि के पट्टा छूटों का प्रयोग किया जो आरंभिक प्रयोग की तारीख से 12 माह के अंदर समाप्त होती है और पट्टा की कुल अवधि 12 माह से कम होती है।

(iii) आरंभिक प्रयोग की तारीख पर परिसंपत्ति के प्रयोगाधिकार के मापन में आरंभिक प्रत्यक्ष लागतों को शामिल नहीं किया।

(iv) पट्टा अवधि के निर्धारण में दूरदर्शिता का प्रयोग किया जहां संविदा में पट्टा की अवधि बढ़ाने या समाप्त करने के विकल्प निहित थे।

पट्टा देयताओं पर लागू की गई भारित औसत वृद्धिमूलक उधारी दर 8.75% है।

**(ii) इंड एएस–116 के अनुसार पट्टा प्रकटन**

**(क) पट्टाधारी के रूप में कंपनी**

कंपनी ने 5 अप्रैल, 2016 से 4 अप्रैल, 2021 तक की 5 साल की अवधि के लिए पट्टे पर बेंगलूरू कार्यालय हेतु स्थान लिया है जिसे इंड एएस 116 की आवश्यकताओं के अनुसार पीपीई के तहत दर्ज किया गया है। इस मानक को अपनाने से 1 अप्रैल 2019 तक की स्थिति के अनुसार क्रमशः ₹ 11.50 लाख और ₹ 11.50 लाख की ''पट्टा देयता की मान्यता'' और 'प्रयोग का अधिकार' की परिसंपत्तियों का सृजन हुआ है। तथापि, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लाभ पर इसका कोई भौतिक प्रभाव नहीं हुआ।

**पट्टा परिसंपत्तियां**

पट्टा परिसंपत्तियों की मान्यता प्राप्त राशियाँ और वर्ष के दौरान होने वाली गतिविधियों का प्रकटीकरण निम्नानुसार है: **(₹ लाख में)**

| विवरण | भवन |
|---|---|
| **1 अप्रैल, 2019 को शेष** | – |
| वर्ष के दौरान वृद्धि | 11.50 |
| वर्ष के दौरान मूल्यह्रास प्रभार | 5.75 |
| **31 मार्च, 2020 को शेष** | **5.75** |

**पट्टा देयताएं**

वर्ष के दौरान, पट्टा देयताओं की कैरिंग राशि की मान्यता और गतिविधियां नीचे प्रस्तुत की गई हैं: (₹ लाख में)

| विवरण | 31 मार्च, 2020 तक की स्थिति |
|---|---|
| **1 अप्रैल, 2019 को शेष** | – |
| वृद्धि | 11.50 |
| ब्याज का अभिवृद्धि | 1.01 |
| भुगतान | 6.22 |
| **31 मार्च, 2020 को शेष** | **6.29** |
| **चालू** | 6.29 |
| **गैर–चालू** | – |

31 मार्च 2020 तक अघोषित रूप से पट्टा देनदारी का परिपक्वता विश्लेषण निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

| विवरण | 1 वर्ष से कम | 1–2 वर्ष | 2 वर्ष से अधिक |
|---|---|---|---|
| पट्टा देयताएं | 6.29 | – | – |
| | 6.29 | – | – |

**लाभ और हानि के विवरण में मान्य राशि** **(₹ लाख में)**

| विवरण | 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|
| पट्टा परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास व्यय | 5.75 |
| पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय | 1.01 |
| | **6.76** |

**(ख) पट्टाकार के रूप में कंपनी**

पट्टा पर दी गई परिसंपत्तियों का विवरण टिप्पणी 4 – निवेश संपत्ति के तहत दिया गया है।

**43 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत छूट**

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 29.04.2011 के पत्र संख्या डीएनबीएस.एनडी.संख्या 4175 एमआई / 10-01-001/2010-11 के अंतर्गत यह प्रमाणित किया है कि एनएसएफडीसी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–1क के उपबंधों और कंपनी के, ''सामुदायिक सेवा'' में नियोजित एक ''लाभ निरपेक्ष'' कंपनी के रूप में भारत सरकार द्वारा वर्गीकृत किए जाने के कारण कंपनी (एनएसएफडीसी) के आधार पर अन्य विनियामक और विवेकपूर्ण मानकों से बैंक द्वारा छूट प्रदान कर दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बोर्ड के संकल्प की एक प्रति प्रस्तुत करने की सलाह दी है, जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि कंपनी (एनएसएफडीसी) जनता से निक्षेप स्वीकार नहीं करेगी। तदनुसार, दिनांक 30.05.2011 को हुई बोर्ड की 118वीं बैठक में संकल्प पारित किया गया है और यह संकल्प दिनांक 13.06.2011 के पत्र सं. एनएसएफडीसी / एसईसीटी / 193 / 2010 / 2704 के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किया गया है।

**44 भौतिक वस्तुओं पर भारतीय लेखांकन मानक का प्रायोज्यता**

पूर्व अवधि की मदों तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों की प्रायोज्यता प्रयोग भारतीय लेखांकन मानकों के प्रावधानों के अनुरूप पूर्वव्यापी रूप में केवल भौतिक मदों पर किया जाता है।

**45 कोविड–19 का प्रभाव**

दिनांक 11 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नावेल कोरोना वायरस (कोविड–19) को महामारी के रूप में घोषित किया। गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 24 मार्च, 2020 के आदेश संख्या 40–3 / 2020 के माध्यम से राष्ट्रीय लॉकडाउन घोषित किया। इस प्रकोप से मानव जीवन की जो क्षति हुई है उसके अलावा इसने सामाजिक, आर्थिक एवं वित्तीय संरचना को भी बाधित किया है जिसकी वजह से वैश्विक एवं स्थानीय आर्थिक गतिविधियों में काफी कमी आई है।

तथापि, कंपनी के प्रचालन बाधित नहीं हुए हैं। असाधारण स्थिति की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने परिवर्तित व्यवसाय परिवेश को अपनाया है। कार्यशील संस्था के रूप में जारी रखने के उद्देश्य से निगम ने जून 2020 में समाप्त तिमाही के लिए देय होने वाली किस्त के लिए विलंबन अवधि में विस्तार प्रदान किया है। इसके अलावा, पुनर्भुगतान की अनुसूची के साथ विलंबन अवधि बढ़ाने वाले आरबीआई के परिपत्र दिनांक 23 मई, 2020 के अनुसार, कंपनी ने दिनांक 30 जून, 2020 तक देय पुनर्भुगतान अनुसूची पर दांडिक ब्याज लगाए बिना तीन माह की अवधि के लिए अर्थात् दिनांक 30 सितंबर, 2020 तक स्थगित करने का निर्णय लिया। इसका वित्तीय प्रभाव नहीं है परंतु यह अगले वित्त वर्ष में नकदी प्रवाह को स्थगित कर सकता है।

**46 (क) सेगमेंट रिपोर्टिंग**

**(क) प्रचालन सेगमेंट**

कंपनी एकल सेगमेंट में अर्थात् लक्षित समूहों के लिए आय अर्जित करने वाली परियोजना के परोक्ष वित्त पोषण के व्यवसाय में लगी हुई है जहां से यह अपनी आय अर्जित कर रही है और व्यय कर रही है। एकल भाग के प्रचालन के परिणामों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है तथा अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक द्वारा निष्पादन का आकलन किया जाता है, जिन्हें मुख्य प्रचालन निर्णयकर्ता (सीओडीएम) के रूप में माना जा सकता है। कंपनी के सभी संसाधन इस एकल भाग के लिए समर्पित हैं तथा इस भाग के लिए सभी अलग वित्तीय सूचना उपलब्ध है।

**(ख) भौगोलिक सूचना**

चूंकि कंपनी की गतिविधियां / प्रचालन देश के अंदर हैं और इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रकृति को देखते हुए जोखिम और प्रतिफल समान हैं और इस प्रकार केवल एक भौगोलिक सेगमेंट है।

**(ग) प्रमुख ग्राहकों के बारे में सूचना**

10 ग्राहकों से राजस्व लक्षित समूहों के लिए आय सृजित करने वाली परियोजना के परोक्ष वित्त पोषण नामक प्रचालन से उत्पन्न कंपनी के कुल राजस्व के लगभग ₹ 41,04,08,264 (अर्थात् 59.7% प्रतिशत) का प्रतिनिधित्व करता है।

**47** पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष की प्रस्तुति के अनुरूप करने के लिए और चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों से तुलना कर पाने के लिए पुनः एकीकृत किया गया है।

**48 वित्तीय विवरण का अनुमोदन**

वित्तीय विवरणों को जारी करने हेतु निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 04.09.2020 को मंजूरी दे दी गई थी।

**परिशिष्ट–'क'**

(निदेशक मंडल की रिपोर्ट का पैरा 18.1 देखे)

**वी. सहाय त्रिपाठी एंड कं चार्टर्ड अकांउटर्टैंस**
8–ई, हंसालय, 15 बाराखंबा रोड,
कनाट प्लेस, नई दिल्ली–110001
फोनः +91–11–23319596, 23352449
+91–11–23323045
ई-मेलः vst@sahaitripathi.com

# स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

**नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सदस्यगणों को**

**भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट**

**योग्य राय**

हमने नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ('कंपनी') के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2020 के तुलन–पत्र, उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लाभ और हानि का विवरण और ईक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य विवरणात्मक सूचना सहित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी योग्य राय पैरा और विषय का प्रभाव पैरा में वर्णित मामले के संभावित प्रभाव को छोड़कर उक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुसार आवश्यक सूचना को अपेक्षित रूप से दर्शाते हैं और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित ('इंडएएस') के साथ पठित अधिनियम की धारा–133 के अधीन तथा दिनांक 31 मार्च, 2020 को कंपनी के मामलों का निर्धारित भारतीय लेखा मानक तथा भारत में स्वीकृत अन्य सामान्य लेखा सिद्धांतों के अनुपालन में उसी दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए उसके लाभ तथा कुल व्यापक आय व ईक्विटी में परिवर्तन का सही और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

**योग्य राय का आधार**

1. कंपनी, राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों एवं चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को वित्तीय एवं अन्य सहायता प्रदान कर रही है। ऋण नीति के अनुसार, नए संवितरण के मामले में यह आवश्यक है कि संवितरण की तारीख से 120 दिन के अंदर एससीए एवं सीए द्वारा उपयोग प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा, समग्र संवितरण के मामले में सभी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों एवं चैनलाइजिंग एजेंसियों से तिमाही आधार पर उपयोग प्रमाण–पत्र प्राप्त करने होते हैं। तथापि, अनेक मामलों में निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद उपयोग प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं हुए जिसके कारणः

   (क) दिनांक 31 मार्च, 2020 तक की स्थिति के अनुसार, ₹75,848.69 लाख का ऋण बकाया है जिसके कोई उपयोग प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं **(कृपया टिप्पणी सं० 40.3 देखे)**।

(ख) कंपनी, **टिप्पणी सं० 20.1** के अनुसार गणना किए गए ऋणों की अप्रयुक्त राशि की वापसी पर ब्याज का निर्धारण करने में असमर्थ है, जिसकी वजह से धन वापसी पर ब्याज आय की मान्यता सही नहीं है।

हम अपेक्षित सूचना के अभाव में उपरोक्त दी गई राशि की गणना करने में असमर्थ हैं।

2. एनएससीएफडीसी की ऋण नीति, देय राशि पर लागू सामान्य ब्याज दर के अलावा प्रति वर्ष 2% की दर से पुनर्भुगतान की निर्धारित/सहमत तिथियों के बाद देय राशि (मूलधन एवं ब्याज) के चूक भुगतानों पर नकद हानि (एलडीडीपी) का प्रावधान करती है। इसके अलावा, एलडीडीपी को वसूली की अनिश्चितता के कारण, वसूली होने पर ही मान्य किया जाता है। यह भी नोटिस किया गया है कि भुगतानों में चूक के बावजूद एलडीडीपी के लिए राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को कोई मांग जारी नहीं की गई है जिसकी वजह से वित्त वर्ष 2019–20 में एलडीडीपी का कोई संग्रहण नहीं हुआ है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों (एसए) के अनुसार की है। उन मानकों के अंतर्गत, हमारे उत्तरदायित्वों को आगे हमारी रिपोर्ट के भारतीय लेखा मानकों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए 'लेखापरीक्षक का दायित्व' के भाग में वर्णित किया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक संहिता और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत नियमावलियों के अधीन भारतीय लेखा मानकों की वित्तीय विवरणिकाओं की हमारी लेखापरीक्षा से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार स्वतंत्र कंपनी है, तथा हमने इन आवश्यकताओं और नैतिक संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा के साक्ष्य हमारी योग्य राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त व समुचित हैं।

**अन्य मामले का प्रभाव**

1. दिनांक 11 मार्च, 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नोवेल कोरोना वायरस (कोविड–19) को महामारी के रूप में घोषित किया। गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 24 मार्च, 2020 के आदेश संख्या 40–3/2020 के माध्यम से राष्ट्रीय लॉकडाउन घोषित किया। इस प्रकोप से मानव जीवन की जो क्षति हुई है उसके अलावा इसने सामाजिक, आर्थिक एवं वित्तीय संरचना को भी बाधित किया है जिसकी वजह से वैश्विक एवं स्थानीय आर्थिक गतिविधियों में काफी कमी आ गई है।

   तथापि, कंपनी के प्रचालन बाधित नहीं हुए हैं। इस असाधारण स्थिति की वास्तविकता और गतिशील परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए कंपनी निश्चितता के साथ अपने प्रचालनों पर भावी प्रभाव का अंदाजा लगाने की स्थिति में नहीं है। कंपनी भावी आर्थिक स्थितियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन की ध्यान से निगरानी करना जारी रखेगी और भविष्य में कंपनी के व्यवसाय पर प्रभाव कोविड–19 महामारी से उत्पन्न समग्र स्थितियों पर निर्भर होगा जिनका इस समय विश्वसनीय ढंग से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

   कंपनी व्यवसाय के बदलते परिवेश को अपनाने के लिए आशावान है तथा यह अपनी वित्तीय बाध्यताओं को पूरा करने में किसी बड़ी चुनौती का अनुमान नहीं लगाती है। अतः कंपनी यह विश्वास करती है कि कंपनी को क्रियाशील संस्था के रूप में बनाए रखने तथा अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए अप्रभावित होगी। **(टिप्पणी संख्याा 45 देखें)**

2. वर्ष के दौरान, कंपनी ने बिहार अनुसूचित जाति विकास निगम (बीएससीडीसी) से संदिग्ध अतिदेय धनराशियों के संबंध में ₹53.14 लाख की ब्याज आय बुक की है। **टिप्पणी सं० 7.1 (ङ)** के अनुसार, उक्त दिए गए ऋण के लिए कंपनी के पास कोई गारंटी नहीं है और लेकिन उसके बदले में सरकारी आश्वासन है। जिसका ₹53.14 लाख की सीमा तक, प्रचालनों से राजस्व (आय) की अत्युक्तिपूर्ण कथन का प्रभाव पड़ा है। तथापि, इतनी ही धनराशि के अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के सृजन के कारण कुछ सीमा तक व्यय से अधिक आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

3. यह अवलोकन किया गया है कि अनेक एससीए ने भुगतानों में चूक की है, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज को मिलाकर ₹111.13 करोड़ तक की राशि का तीन वर्ष से अधिक का अतिदेय हो गया है। हालांकि, ये ऋण राज्य सरकार की गारंटियों द्वारा सुरक्षित हैं, परंतु ये गारंटियां कभी भी भुनाई नहीं गईं हैं, जिसके परिणामस्वरूप निधियां अवरूद्ध हो गईं हैं।

4. कंपनी द्वारा सरकारी आश्वासन प्राप्त ₹2,685.47 लाख की ऋण राशि के संबंध में **टिप्पणी सं.7.1(घ)** की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जोकि सरकारी विलेख/आदेश के अनुरूप नहीं है। हालांकि, जिसे मध्यस्थता के माध्यम से विवादित मामलों में लागू किया जा सकता है। प्रबंध समिति की दृष्टि में, कंपनी उन मामलों में पर्याप्त रूप से कवर की गई है जहां बकाया ऋण राशि के लिए सरकारी गारंटी दी जाती है।

5. एससीए गारंटी प्रकटीकरण के संबंध में **टिप्पणी सं. 7.1(ग)** की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें कंपनी ने दिनांक 10.04.2001 को नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (''पूर्व संस्था'') के पास उपलब्ध सरकारी गारंटी को कंपनी और नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स'' फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (''एनएसटीएफडीसी'') के बीच सहमत अनुपात में विभाजित किया है। जैसा कि उपर्युक्त टिप्पणी में वर्णित है, यह विभिन्न पत्रों के माध्यम से सूचित किया गया था तथा परिणामस्वरूप राज्य सरकार की गारंटी अभी भी पूर्व संस्था के नाम पर है, न कि कंपनी के नाम पर।

6. हम ऋण एवं अग्रिम, ऋणदाता आदि के संबंध में शेष पुष्टि की व्यवस्था करने के लिए कंपनी के उत्तरदायित्व की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हैं। कुछ एससीए, पीएसबी/आरआरबी, एनबीएफसी–एमएफआई और ऋणदाता के मामले में शेष की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। इंड एएस के वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव, यदि कोई है, अनिश्चित है।

7. **टिप्पणी संख्या 18** की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। कंपनी के पास सरकारी अनुदानों के लिए ₹3,239.61 लाख तथा अप्रयुक्त अनुदान देयता के लिए अन्य पीएसयू से अनुदान के लिए ₹95.23 लाख का अंतः शेष है जिसे वित्तीय विवरणों में 'अन्य वित्तीय देयता' के रूप में दर्शाया जाता है। वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹436.13 लाख का व्यय किया है जिस की तुलना में अनुदान प्राप्ति के योग्य है (**कृपया टिप्पणी संख्या 12 देखें**)। इसके अलावा, अनुदान के लिए लेखांकन एकल लेखांकन की बजाय संचयी आधार पर किया जाता है।

हमारी राय इन मामलों के संबंध में योग्य/संशोधित नहीं है।

**वित्तीय विवरणों और उसके साथ संलग्न लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा जानकारी**

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य जानकारियाँ तैयार करने के लिए उत्तरदायी हैं। अन्य जानकारियों में वार्षिक रिपोर्ट के अनुलग्नक सहित निदेशक मंडल की रिपोर्ट में सम्मिलित जानकारी शामिल है लेकिन वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षकों की हमारी रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम उस पर आश्वासनात्मक निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में हमारा उत्तरदायित्व, अन्य जानकारी को पढ़ना और, ऐसा करने में विचार करें क्या वित्तीय विवरणों की अन्य जानकारी भौतिक रूप से असंगत तो नहीं है अथवा हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारे ज्ञान अथवा अन्यथा वस्तुतः गलत प्रतीत तो नहीं होते है।

यदि हमारे निष्पादित कार्यों के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अन्य जानकारी की सामग्री मिथ्या वर्णन है, हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

**प्रबंध समिति का उत्तरदायित्व और वित्तीय विवरणों के नियमन (गवर्नेंस) करने वालों के दायित्व**

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा–134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है, जो कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम–7 के साथ पठित लेखा मानकों और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत किए गए लेखा सिद्धांतों के साथ पठित भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) की धारा–133 के तहत विनिर्धारित के अनुसार कंपनी वित्तीय कार्य–निष्पादन, कंपनी की इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण और नकद प्रवाहों सहित वित्तीय स्थितियों का सही और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। इस उत्तरदायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखा रिकार्डों का अनुरक्षण, कंपनी की परिसंपत्तियों के सुरक्षार्थ तथा छल–कपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पकड़ने के लिए, उपयुक्त लेखा नीतियों के चयन व प्रायोज्यता, उपयुक्त और विवेकी निर्णय एवं अनुमान लगाना तथा उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु डिजाइन करना, उनको कार्यान्वित और अनुरक्षण शामिल है। जोकि वित्तीय विवरणिकाओं की तैयारी और प्रस्तुति संबंधी लेखा रिकॉर्डों की शुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचलित थे जोकि सही व उचित दृष्टिकोण देते हैं और विवरण सामग्री मिथ्या वर्णन, धोखाधड़ी या त्रुटि से मुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों की तैयारी में, कंपनी के कार्यशील बने रहने संबंधी आकलन के लिए, कार्यशील संस्था से जुड़े मामलों के, यथा लागू, प्रकटन और संस्था का लेखांकन कार्यशील संस्था के आधार पर करने के लिए कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी होगा, जब तक कि निदेशक मंडल का इरादा परिसमापन करने या परिचालन बंद करने का न हो अथवा उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई अन्य व्यवहार्य विकल्प नहीं हो।

निदेशक मंडल, कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण हेतु भी उत्तरदायी होंगे।

**वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा संबंधी लेखापरीक्षक का दायित्व**

हमारा उद्देश्य यथेष्ठ रूप से यह आश्वासन प्राप्त करना है कि भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण पूरी तरह से किसी प्रकार की गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी के इरादे से या त्रुटिवश हुई हो, से मुक्त हैं तथा इस बारे में लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें हमारी राय भी शामिल है। इस संबंध में यह यथेष्ट आश्वासन एक उच्चस्तरीय आश्वासन है, किंतु यह इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखा मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा

में हमेशा तात्विक गलतबयानी, यदि यह मौजूद हो, का पता चल ही जाएगा। गलतबयानी किसी प्रकार की धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है, और उसे तात्विक माना जाता है यदि इससे एकल अथवा समग्र रूप से इन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को यथोचित रूप से प्रभावित करने की संभावना हो।

लेखामानकों सहित लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा में पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं। इसके अलावा हमः

- भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के संबंध में तात्विक गलतबयानी, भले ही वह धोखाधड़ी के इरादे से अथवा त्रुटिवश हुई हो, से उत्पन्न होने वाले जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करते हैं, इन जोखिमों के लिए प्रतिक्रियाशील लेखापरीक्षा प्रक्रिया बनाते और निष्पादित करते हैं और हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं यथेष्ट लेखापरीक्षा साक्ष्य जुटाते हैं। धोखाधड़ी से उत्पन्न तात्विक गलतबयानी का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटिवश हुई गलत बयानी से उत्पन्न जोखिम से कहीं बड़ा है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, साभिप्राय चूक, मिथ्या प्रस्तुति अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।

- लेखापरीक्षा के लिए संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझते हैं ताकि परिस्थितियों के अनुसार उचित लेखापरीक्षा प्रक्रिया तैयार की जा सके। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हम कंपनी में उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और ऐसे नियंत्रण की सक्रिय प्रभावकारिता पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों के औचित्य और लेखांकन अनुमानों की यथेष्ठता तथा प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करते हैं।

- प्रबंधतंत्र द्वारा कार्यशील संस्था के आधार पर लेखांकन के औचित्य और प्राप्त लेखापरीक्षा के साक्ष्यों के आधार पर घटनाओं अथवा स्थितियों के संबंध में यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कहीं कोई ऐसी तात्विक अनिश्चितता तो मौजूद नहीं है जो कंपनी की इस क्षमता के बारे में अत्यधिक संदेह पैदा करती हो कि यह कार्यशील संस्था बनी रहेगी। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि तात्विक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमसे अपेक्षित है कि हम वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों के बारे में अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इस ओर ध्यान आकर्षित करें, अथवा ऐसे प्रकटीकरणों के अपर्याप्त होने पर हम अपनी राय में संशोधन करें। हमारे निष्कर्ष उन्हीं लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित होते हैं जो लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए हों। हालांकि भावी घटनाएं अथवा स्थितियां ऐसी भी हो सकती हैं जिनसे कंपनी कार्यशील कंपनी के रूप में अपनी निरंतरता बनाए न रख सके।

- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जिससे कि निष्पक्ष प्रस्तुति हो सके।

भौतिकता भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में गलतबयानी का परिणाम है, जो अलग–अलग अथवा समग्र रूप से, यह संभव बनाता है कि भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। हम (i) अपनी लेखापरीक्षा कार्य की योजना बनाने और अपने

काम के परिणामों के मूल्यांकन में और (ii) भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में कोई भी पहचान की गई गलतबयानी विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक, भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के साथ शासन (गवर्नेंस) के प्रभारियों के साथ अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई आंतरिक नियंत्रण की महत्वपूर्ण कमियों सहित लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे, समयबद्धता और लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों के बारे में सूचित करते हैं।

हम शासन (गवर्नेंस) के प्रभारियों को उन विवरणों को उपलब्ध कराते हैं जिनका हमने संबंधित प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है और उन सभी संबंधों एवं अन्य मामलों, जिन्हें हमारी स्वतंत्रता अनुकूल उचित माना जा सकता है, और जहां लागू हो संबंधित सुरक्षा उपाय, के बारे में संवाद करते हैं।

**अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट**

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–143 की उप–धारा (11) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (''आदेश'') कंपनी पर लागू नहीं होता। अतः आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर अनुलग्नक नहीं दिया गया है।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–143(5) के अंतर्गत जारी किए गए निर्देशों के जरिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा यथापेक्षित, प्रबंधन से प्राप्त लिखित प्रतिवेदनों के आधार पर हम संलग्न ''अनुलग्नक क'' में विनिर्दिष्ट मामलों पर अपनी रिपोर्ट देते हैं।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–143(3) की अपेक्षा के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि :

   (क) योग्य राय तथा अन्य मामले का प्रभाव के पैरा में वर्णित मामले को छोड़कर, हमने वे सभी सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।

   (ख) उपर्युक्त योग्य राय तथा अन्य मामले का प्रभाव के पैरा में वर्णित मामले के संभावित प्रभाव को छोड़कर, जहां तक उन बहियों की हमारी परीक्षा से प्रतीत होता है, हमारी राय में कंपनी ने वे सभी समुचित लेखा बहियाँ रखी हैं, जो कि नियमानुसार आवश्यक हैं।

   (ग) उपर्युक्त योग्य राय तथा अन्य मामले का प्रभाव के पैरा में वर्णित मामले के संभावित प्रभाव को छोड़कर, इस रिपोर्ट में वर्णित तुलन–पत्र, आय एवं व्यय विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन का विवरण लेखा बहियों का अनुपालन करते हैं;

   (घ) उपर्युक्त योग्य राय तथा अन्य मामले का प्रभाव पैरा में वर्णित मामले के संभावित प्रभाव को छोड़कर, उक्त भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम–7 और संशोधित कंपनी नियम (भारतीय लेखा मानक), 2015 के साथ पठित भारतीय लेखा मानक अधिनियम की धारा–133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं;

(ङ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ङ) के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–164 की उप–धारा (2) सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होती;

(च) हमारी राय में, उपर्युक्त योग्य राय के पैरा में वर्णित मामले से कंपनी के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है;

(छ) योग्यता और अन्य पर्ववेक्षण के अनुसार खातों के रखरखाव और इसके साथ जुड़े अन्य मामले से संबंधित योग्यता और अन्य पर्यवेक्षण उपर्युक्त योग्य राय तथा अन्य मामले का प्रभाव पैरा अनुसार है;

(ज) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में, **'अनुलग्नक'–'ख'** देखें;

(झ) अधिनियम की धारा–197(16), यथा संशोधित, की आवश्यकता अनुसार लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामलों के संबंध में, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुसार रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है।

(ञ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2016 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसारः

(i) कंपनी ने अपने भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणिकाओं में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकद्दमों के प्रभाव को प्रकट किया है।

(ii) कंपनी का व्युत्पत्तिक अनुबंधों सहित कोई भी दीर्घावधि अनुबंध नहीं है जिसके लिए किसी भी तरह की सामग्री पूर्वानुमान योग्य हानि थी;

(iii) ऐसी कोई राशि नहीं थी जहाँ कंपनी द्वारा राशि को निवेशकों की शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित किया जाना आवश्यक था।

**वी सहाय त्रिपाठी एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000262एन

ह०
विश्वास त्रिपाठी
साझेदार
सदस्यता सं. 086897

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 09 सितंबर, 2020

''अनुलग्नक क''

## नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन के एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक तारीख को स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

**दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मैसर्स नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन** के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के हमारे उत्तर निम्नांकित हैं:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेन–देन को प्रक्रमित करने के लिए प्रणाली है? यदि हां, वित्तीय निहितार्थ सहित लेखा की सत्यनिष्ठा पर आईटी प्रणाली से बाहर लेखांकन लेन–देन के प्रक्रमण के निहितार्थ, यदि कोई है, का उल्लेख करें। | कंपनी का वित्तीय लेखांकन टैली ईआरपी सॉफ्टवेअर पर किया जाता है। तथापि, कंपनी का ऋण लेखांकन मैनुअल लेजर पर किया जाता है। जैसा कि प्रबंध समिति ने स्पष्ट किया है कि मैनुअल लेजर को टैली ईआरपी सॉफ्टवेअर के साथ सामंजस्य (मिलान) किया जाता है। जैसा कि हमें स्पष्ट किया गया है। ऋण लेखांकन का आईटी प्रणाली रहित प्रक्रमण से लेखा की प्रामाणिकता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता और अतएव इसका कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं है। |
| 2 | क्या ऋण के पुनर्भुगतान में कंपनी की असमर्थता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा दिए गए कर्ज/ऋण/ब्याज आदि के मौजूदा ऋण या माफी/बट्टे–खाते में डालने को पुनर्गठित किया जा रहा है? यदि हां, तो इसके वित्तीय प्रभाव का उल्लेख करें। | लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, ऋणों के पुनर्भुगतान में कंपनी की असमर्थता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा दिए गए कर्ज/ऋण/ब्याज आदि के किसी मौजूदा ऋणों या माफी/बट्टे–खाते में डालने को पुनर्गठित नहीं किया गया। |
| 3 | क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधि का समुचित हिसाब/इसके नियम और शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया? व्यतिक्रम मामलों को सूचित करें। | उपर्युक्त योग्य राय तथा मामले का प्रभाव पैरा में वर्णित मामले के संभावित प्रभाव को छोड़कर, केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधि का समुचित हिसाब/उपयोग रखा/किया जाता है। |

**वी सहाय त्रिपाठी एंड कं.**

सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000262एन

ह०

विश्वास त्रिपाठी
साझेदार
सदस्यता सं. 086897

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 09 सितंबर, 2020

''अनुलग्नक ख''

## नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन के एकल वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक तारीख को स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

### कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा–143 की उप–धारा 3 के खंड(i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रिपोर्ट

हमने **नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन** ('कंपनी') के 31 मार्च, 2020 तक के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के साथ, उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष को कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है ।

### आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंध समिति का उत्तरदायित्व

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षण के दिशानिर्देश टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक तत्वों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को स्थापित करने और अनुरक्षण के लिए कंपनी का प्रबंधन उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में अभिकल्प, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कार्यान्वयन व अनुरक्षण शामिल है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षानुसार, ये वित्तीय नियंत्रण, व्यवसाय को व्यवस्थित और सक्षम ढंग से चलाने में (इसमें कंपनी नीति का अनुसरण करना शामिल है), इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों से बचाव और पता लगाना, लेखा रिकार्ड की शुद्धता और पूर्णता एवं विश्वसनीय वित्तीय सूचना की समय से तैयारी शामिल है।

### लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपनी राय देना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–143(10) के अंतर्गत विहित और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षा के मानकों और वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा दिशानिर्देश टिप्पणी ('दिशानिर्देश टिप्पणी'') के अनुसार की है। यह आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की सीमा तक लागू है। ये दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर लागू है तथा दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी हैं। इन मानकों और दिशानिर्देश टिप्पणी की अपेक्षा है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय प्रतिवेदन के ऊपर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और कायम थे और क्या ऐसे नियंत्रणों ने सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से कार्य किया, के लिए योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें।

हमारी लेखापरीक्षा में परीक्षण आधारित जाँच राशि के आशय और वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और उनकी प्रचालन प्रभाविकता शामिल है। हमारी वित्तीय प्रतिवेदन की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा में वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, भौतिक कमजोरी के जोखिम का मूल्यांकन और मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की परख तथा डिजाइन और प्रचालन प्रभाविता प्राप्त करना शामिल है। नियुक्त की गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित है। इसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक मिथ्या विवरण, जोखिम का मूल्यांकन चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुआ हो, भी शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा के साक्ष्य पर्याप्त हैं और कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारे लेखा–परीक्षा विचार के आधार के लिए उचित हैं।

### वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से तात्पर्य

किसी कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई प्रक्रिया है और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण तैयार करना है। कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में निम्नलिखित नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैः

(1) उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन–देन और निपटान को उचित विवरण में, शुद्ध और निष्पक्ष ढंग से दर्शाते हैं;

(2) उचित आश्वासन प्रदान करना कि लेन–देन का आवश्यकतानुसार रिकार्ड हो रहा है ताकि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति दी जा सके, और कंपनी की प्राप्तियाँ और व्ययों को केवल कंपनी की प्रबंध समिति और निदेशकों के प्राधिकार के अनुरूप किया जा रहा है; और

(3) कंपनी की परिसंपत्तियों का बचाव अथवा समय अनधिकृत अधिग्रहण का पता लगाना, इस्तेमाल अथवा निपटान संबंधी उचित आश्वासन प्रदान करना कि उनका भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सके।

### वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमा

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमा के कारण (इसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रण को प्रभावी करने वाला अनुपयुक्त प्रबंधन, धोखा या त्रुटि के कारण भौतिक मिथ्या विवरण शामिल) हो सकता है तथा इसका पता भी नहीं लगाया जा सकेगा। इसके अलावा, भविष्य के लिए वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के प्रेक्षपण में यह खतरा है कि परिस्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कहीं अपर्याप्त न हो जाए या नीतियों के साथ अनुपालन की मात्रा या पद्धतियों में कमी आ सकती है।

### राय

हमारी राय में, नीचे खंड 1 से 3 में उल्लिखित मामलों को छोड़कर, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लेखापरीक्षा दिशानिर्देश टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आवश्यक तत्वों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, दिनांक 31 मार्च, 2020 तक ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय प्रतिवेदन पर प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे।

1. कंपनी के आकार और इसके प्रचालनों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए एससीए और सीए को संस्वीकृत एवं वितरित निधियों के अंतिम प्रयोग का सत्यापन करने के लिए प्रबंधन द्वारा अभिकल्पित आंतरिक नियंत्रण एवं प्रणालियां तर्कसंगत रूप से पर्याप्त नहीं हैं। प्रबंधन से कंपनी के आकार और इसके प्रचालनों की प्रकृति के अनुपात में प्रक्रियाओं को अद्यतन करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा, प्रबंधन द्वारा हमें सूचित किया गया है कि पात्र लाभार्थियों को निधियाँ जारी करने के लिए

केवल एससीए जिम्मेदार हैं। कंपनी को ऐसी कोई लेखापरीक्षा प्रणाली तैयार करनी चाहिए जिसके माध्यम से सुनिश्चित किया जा सके कि पात्र लाभार्थियों को समुचित रूप से निधियों का संवितरण किया जा रहा है।

2. कंपनी, राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों और चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से अनुसूचित जातियों से संबंधित लाभार्थियों को वित्तीय एवं अन्य सहायता उपलब्ध करा रही है। तथापि, दिनांक 31 मार्च, 2020 को ₹75,848.69 लाख के उपयोगिता प्रमाण–पत्र लंबित हैं। यथाशीघ्र उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।

3. हमारी योग्य राय के खंड 1 व 2 में और अन्य मामले के खंड 6 में संदर्भित मामले आंतरिक नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली में कमी के हैं। इस संबंध में कंपनी को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की निगरानी और उसे सुदृढ़ करना चाहिए।

**वी सहाय त्रिपाठी एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000262एन

ह०

विश्वास त्रिपाठी
साझेदार
सदस्यता सं. 086897

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : दिनांक : 09 सितंबर, 2020

**परिशिष्ट 'ख'**

(निदेशक मंडल की रिपोर्ट का पैरा 18.1 देखे)

## वार्षिक लेखा 2019–20 पर सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंध समिति का उत्तर

| क्रम सं. | लेखा परीक्षा पैरा | प्रबंध समिति का उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | कंपनी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों एवं चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को वित्तीय एवं अन्य सहायता प्रदान कर रही है। ऋण नीति के अनुसार, नए संवितरण के मामले में यह आवश्यक है कि संवितरण की तारीख से 120 दिन के अंदर एससीए एवं सीए द्वारा उपयोग प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा, समग्र संवितरण के मामले में सभी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों एवं चैनलाइजिंग एजेंसियों से तिमाही आधार पर उपयोग प्रमाण–पत्र प्राप्त करने होते हैं। तथापि, अनेक मामलों में निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद उपयोग प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं हुए जिसके कारण: | एनएसएफडीसी पूरे भारत में अपनी चैनलाइजिंग एजेंसियों के एक नेटवर्क के माध्यम से लक्ष्य समूह के लिए विभिन्न ऋण आधारित योजनाओं को लागू करता है। निधियों के संवितरण संबंधी मानदंडों में से एक के अनुसार निधियों का न्यूनतम 80% संचयी उपयोग स्तर होना चाहिए।<br><br>एनएसएफडीसी की ऋण नीति के अनुसार, संवितरित की गई निधियों का उपयोग राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों द्वारा संवितरण की तारीख से 120 दिनों के अंदर किया जाना है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निधियों का उपयोग एक सतत प्रक्रिया है और कभी–कभी यह अगले वित्तीय वर्ष तक भी चली जाती है।<br><br>अनुमत्य अवधि की समाप्ति अर्थात् 120 दिन के बाद, संबंधित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों/चैनलाइजिंग एजेंसियों के साथ इस मामले का अनुपालन किया जाता है।<br><br>इसके अलावा, चैनल वित्त प्रणाली में, 15–20% निधियॉ पाइपलाइन में रहना एक सामान्य बात है इसलिए नए संवितरण पर विचार करने के लिए राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को इस सीमा तक छूट भी दी जाती है। |
| (क) | दिनांक 31 मार्च 2020 तक की स्थिति के अनुसार, ₹75,848.69 लाख का ऋण बकाया है जिस पर कोई उपयोग प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं हुआ है (**कृपया टिप्पणी 40.3 देखे**)। | वर्तमान में, दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार, निधि का उपयोग 85.31% है। इसलिए, ₹75,848.69 लाख का लंबित उपयोग प्रमाण–पत्र केवल 14.69% तक ही सीमित है। |
| (ख) | कंपनी टिप्पणी 20.1 के अनुसार गणना किए गए ऋणों की अप्रयुक्त राशि की वापसी पर ब्याज का निर्धारण करने में असमर्थ है, जिसकी वजह से वापसी पर ब्याज आय की मान्यता सही नहीं है। | इसके अतिरिक्त ऋण नीति के अनुसार, 120 दिनों से अधिक अप्रयुक्त निधि और लौटाई गई निधियों की वापसी पर ब्याज लगाया जाता है।<br><br>इसलिए, निधि की वापसी पर ब्याज उक्त दोनों शर्तें पूरी होने की स्थिति में वापसी की सूचना/प्राप्ति होने पर लगाया जाता है। |

| क्रम सं. | लेखा परीक्षा पैरा | प्रबंध समिति का उत्तर |
|---|---|---|
| | हम अपेक्षित सूचना उपलब्ध न होने के कारण उपरोक्त दी गई राशि की गणना करने में असमर्थ हैं। | इसके अलावा, आरआरबी के मामले में वर्ष 2019–20 के दौरान बैंकिंग साझेदारों को जारी की गई ₹404.60 करोड़ के कुल राशि में से ₹75.16 करोड़ की राशि केवल 5 आरआरबी को परियोजना वित्त मोड के तहत जारी की गई थी (जारी की तारीख से 120 दिनों के अंदर उपयोग किए जाने के लिए आवश्यक ऋण पर अग्रिम निधि), जो कुल संवितरण का केवल 18.58% है। |
| 2 | एनएससीएफडीसी की ऋण नीति, देय राशि पर लागू सामान्य ब्याज दर के अलावा 2% प्रति वर्ष की दर से पुनर्भुगतान की निर्धारित/ सहमत तिथियों के बाद देय राशि (मूलधन एवं ब्याज) के चूक भुगतानों पर नकद हानि (एलडीडीपी) का प्रावधान करती है। इसके अलावा, एलडीडीपी को वसूली में अनिश्चितता के कारण, वसूली होने पर ही मान्य किया जाता है। यह भी देखा गया है कि भुगतानों में चूक के बावजूद एलडीडीपी के लिए राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को कोई मांग जारी नहीं की गई है जिसकी वजह से वित्त वर्ष 2019–20 में एलडीडीपी का कोई संग्रहण नहीं हुआ है। | दिनांक 31.03.2013 तक बढ़ोत्तरी के आधार पर शामिल की गई चूकपूर्ण भूगतानों पर नकद हानि (एलडीपीडी) राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को नियमित रूप से भेजी गई तिमाही मांगों में शामिल है।<br><br>वर्ष 2013–14 के बाद से, चूँकि एलडीडीपी की वसूली में अनिश्चितता थी इसलिए एलडीडीपी की वसूली होने पर ही मान्यता प्राप्त होती है, इसलिए एलडीपीडी की मात्रा का वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है।<br><br>यह देखा गया है कि एलडीडीपी की मांग के बाद नियमित रूप से वसूली या तो प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है या चैनलाइजिंग एजेंसियों द्वारा वसूली ही रोक दी जाती है। इस तथ्य के कारण एलडीपीडी का मांग–पत्र भिजवाने में कभी–कभी देरी की जाती है।<br><br>वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, एनएसएफडीसी ने डीबीआरडीसी, ओएसएफडीसी और एमएसटीडीसी (मणिपुर) को मूलधन और ब्याज सहित एलडीडीपी के लिए अतिदेय राशि के लिए कानूनी नोटिस जारी किया। इसके अलावा, बीएससीडीसी, डीएएडीसी, एलएएसडीसी, एएससीडीसी और एमपीएससीएफडीसी को भी कानूनी नोटिस जारी किया गया।<br><br>उपरोक्त को देखते हुए, वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान लगभग 81% एलडीडीपी बकाए से संबंधित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को अवगत कराया जा चुका है। |

**परिशिष्ट 'ग'**

(निदेशक मंडल की रिपोर्ट का पैरा 18.2 देखे)

## नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए **नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन** के कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में वित्तीय प्रतिवेदन फेमवर्क के अनुसार वित्तीय विवरणिका तैयार करना कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा–139(5) के अधीन नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक/लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा–143(10) के तहत विहित लेखा परीक्षणों के मानक के साथ स्वतंत्र लेखा परीक्षण पर आधारित, अधिनियम की धारा–143 के अधीन वित्तीय विवरणिका पर अपनी राय देने के लिए जिम्मेदार हैं। उनकी दिनांक 09.09.2020 के लेखा परीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार इसे पूर्ण किया हुआ, माना जाना चाहिए।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा–143(6) (क) के अधीन नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, के दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणिका पर अनुपूरक लेखापरीक्षण किया है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षण स्वतंत्र ढंग से वैधानिक लेखा परीक्षकों के कार्यकारी कागजात को देखे बिना किया गया है तथा यह प्राथमिकतः वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ चयनित लेखा अभिलेखों की जांच तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ विशेष नहीं आया है जिससे अधिनियम की धारा–143(6)(ख) के तहत वैधानिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट अथवा अनुपूरक के लिए कोई टिप्पणी उठे।

**कृते भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक**
**तथा उनकी ओर से**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.12.2020

ह०

(अशोक सिन्हा)
प्रधान निदेशक स्वास्थ्य, कल्याण
और ग्रामीण विकास लेखा परीक्षा

# कार्यालयों का पता

**नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन**

(भारत सरकार का उपक्रम)

(आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित कंपनी)

## पंजीकृत कार्यालय

14वां तल, कोर 1 और 2, स्कोप मीनार,
लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, दिल्ली – 110 092
फोन : 011–22054391, 22054392, 22054396 फैक्स : 011–22054395
ई–मेल : **support-nsfdc@nic.in** वेबसाइट : **www.nsfdc.nic.in**

## एनएसएफडीसी – संपर्क केंद्र

| | |
|---|---|
| 1 | **डॉ. के. सी. महतो**<br>**उप महाप्रबंधक**<br>एनएसएफडीसदृी, संपर्क केंद्र,<br>न्यू मार्केट, फेस– I, 5वां तल,<br>15–एन, नेल्ली सेनगुप्ता सारनी,<br>कोलकाता – 700 087.<br>दूरभाष : 033–22521395 मोबाइल : 09810448741 |
| 2 | **डॉ. वी. आर. सालकुटे**<br>**मुख्य प्रबंधक**<br>एनएसएफडीसी, संपर्क केंद्र,<br>5वां तल, नं. 1, 3रा क्रास, 15 मेन,<br>सुब्बइया अस्पताल के पास,<br>बैंगलूरू – 560 054<br>दूरभाषः 080–23465175<br>मोबाइल : 09845871561 |
| 3 | **डॉ. वी. आर. सालकुटे**<br>**मुख्य प्रबंधक**<br>एनएसएफडीसी, संपर्क केंद्र,<br>ओशिवारा म्हाडा परिसर,<br>बिल्डिंग नं. 5, फ्लैट नं. 004, आदर्श नगर,<br>न्यू लिंक रोड, आजाद नगर डाक घर,<br>अंधेरी (पश्चिम), मुंबई – 400 053.<br>दूरभाष : 022–26361624<br>मोबाइल : 09845871561 |